बारहवां वर्ष

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय
भारत सरकार

२४ श्रावण, १८८१ (१५ अगस्त, १९५९)

१ रु० ५० नये पैसे

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पुराना सचिवालय, दिल्ली-८ द्वारा
प्रकाशित तथा गवर्नमेंट आफ़ इण्डिया प्रेस, फ़रीदाबाद में मुद्रित।

भूमिका

'बारहवां वर्ष' में अप्रैल १९५८ से मार्च १९५९ की अवधि में केन्द्र तथा राज्य सरकारों और संघीय क्षेत्रों की कुछ उल्लेखनीय सफलताओं पर प्रकाश डाला गया है। पुस्तक के पहले भाग में केन्द्रीय सरकार की गतिविधियों की तथा दूसरे और तीसरे भाग में क्रमशः राज्य सरकारों तथा संघीय क्षेत्रों की गतिविधियों की विवेचना की गई है।

चूंकि इस पुस्तक का क्षेत्र काफी व्यापक है, इसलिए विभिन्न विषयों पर संक्षेप में ही प्रकाश डाला गया है। आशा है कि आलोच्य वर्ष में भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक प्रगति का अध्ययन करने के लिए यह पुस्तक बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी।

विषय-सूची

राजनीतिक

आर्थिक

सामाजिक

केन्द्र

राजनीतिक

१. विदेश

विदेशों के साथ भारत के सम्बन्ध-सूत्रों को संचालित करने तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत का प्रतिनिधित्व करने का काम विदेश मंत्रालय के ज़िम्मे है। इसके अतिरिक्त, जब अन्य मंत्रालयों और राज्य सरकारों को किसी विदेशी सरकार अथवा संस्था से काम पड़ता है, तो उस स्थिति में यह मंत्रालय उनको भी सलाह-मशविरा देता है। देश में यह मंत्रालय उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण (नेफा), नागा पहाड़ियों और त्वेनसांग क्षेत्र की प्रशासन-व्यवस्था की तथा भारत में भूतपूर्व फ्रांसीसी बस्तियों के नीति-विषयक मामलों की देखभाल करता है।

१९५८-५९ में पश्चिम एशिया को संकटों का सामना करना पड़ा और पूर्व एशिया और यूरोप में भी तनाव बढा। तो भी, भारत ने इस तनावपूर्ण स्थिति को शान्त करने की अपनी कोशिशें जारी रखीं। प्रधान मंत्री ने अमेरिका के प्रेज़ीडेंट से अपील की कि लेबनान से अमेरिकी फौजें वापिस बुला ली जाएं और संयुक्त राष्ट्र संघ को इस मामले में कार्रवाई करने का अवसर दिया जाए। भारत ने लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षण दल (आब्ज़र्वेशन ग्रुप) में शामिल होना स्वीकार कर लिया तथा अपने सैनिक अधिकारियों के एक दल को वहां भेजा, जो वहां पर्यवेक्षकों के रूप में काम करेगा। लेबनान में भारतीय प्रतिनिधियों और भारतीय पर्यवेक्षक दल की सेवाओं की भूरि-भूरि प्रशंसा हुई।

संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा (जनरल असेम्बली) में एक प्रस्ताव पेश करने में भारत भी सम्मिलित हुआ जिसमें सदस्य-राष्ट्रों से यह अनुरोध किया गया है कि वे चार्टर के अनुसार आचरण करें और विवादों को शान्ति से निपटाने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ का आश्रय लें। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में कोरिया के दोनों भागों के एकीकरण की समस्या का शान्तिपूर्ण हल निकालने में योग देना जारी रखा। इसके अतिरिक्त, भारत ने शान्तिपूर्ण कार्यों के लिए बाह्य अन्तरिक्ष का अध्ययन करने में सहयोग करने के उद्देश्य से प्रारम्भिक समिति बनाने में रूस और पश्चिमी देशों में मतैक्य लाने के अपने प्रयत्न भी जारी रखे।

कश्मीर

सुरक्षा परिषद (सिक्यूरिटी कौंसिल) के २ दिसम्बर, १९५७ के प्रस्ताव के अनुसार डा० ग्राहम ने भारत और पाकिस्तान की यात्रा की। इस प्रस्ताव मे उनसे कहा गया था कि भारत और पाकिस्तान सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघीय आयोग के प्रस्तावो पर अमल करने तथा दोनों देशों में शान्तिपूर्ण ढंग से समझौता कराने के लिए यथोचित कार्रवाई करने के बारे मे वह दोनो पक्षों से सिफारिश करें। डा० ग्राहम ने अपनी रिपोर्ट २८ मार्च, १९५८ को सुरक्षा परिषद में पेश की। कश्मीर मे पाकिस्तान के आक्रमण से उत्पन्न स्थिति के सुलझाव में तब से कोई प्रगति नही हुई है।

नहरी पानी

नहरी पानी विवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराने के लिए जनवरी १९५८ मे विश्व बैंक के उपाध्यक्ष (वाइस-प्रेज़ीडेंट) श्री डब्ल्यू० ए० बी० इलिफ़ ने भारत और पाकिस्तान की यात्रा की। उपाध्यक्ष महोदय के निमन्त्रण पर २४ अप्रैल, १९५८ को रोम में पुनः बातचीत शुरू हुई, जब पाकिस्तान से कहा गया कि वह अपनी कार्य-योजना पेश करे। यह योजना जुलाई १९५८ मे लन्दन में हुई एक बैठक में भारत के प्रतिनिधियों के सिपुर्द कर दी गई। इस योजना पर भारत सरकार के विचार और उसके अपने प्रस्ताव विश्व बैंक के प्रतिनिधियों को दिसम्बर १९५८ में दे दिए गए। इस समय विश्व बैंक के अधिकारियों और भारतीय तथा पाकिस्तानी शिष्टमण्डलों के बीच वाशिंगटन मे विचार-विमर्श हो रहा है।

उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण, नागा पहाड़ियां और त्वेनसांग क्षेत्र

इस वर्ष उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण के भीतरी भागों में प्रशासन-व्यवस्था को सुचारु रूप से चलाने तथा आदिमजातीय लोगों को बुनियादी सुविधाए प्रदान करने में अच्छी प्रगति हुई। वहां विधि और व्यवस्था भंग करने की कोई गम्भीर घटना नही घटी। दूरस्थ इलाको में रहने वाले आदिमजातीय लोगों की सुविधा के लिए इस वर्ष अनेक नए प्रशासनिक केन्द्रो और चौकियों की स्थापना की गई।

आदिमजातीय लोगो के हित के लिए जो विकास कार्य शुरू किए गए है, उनमे आदिमजातीय लोगों ने इस वर्ष पिछले वर्षो की अपेक्षा उत्तरोत्तर अधिक दिलचस्पी ली। वर्तमान छः सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा

खण्डों के अतिरिक्त, १९५८ में तीन और खण्ड बनाए गए। १५ मुख्य आदिम-जातीय बोलियों के लिए देवनागरी लिपि में पाठ्य-पुस्तकें तैयार करने के काम मे भी अच्छी प्रगति हो रही है।

इस वर्ष पूर्ववत असम राज्य के राज्यपाल (गवर्नर) राष्ट्रपति के एजेण्ट के रूप में नागा पहाड़ियों और त्वेनसांग क्षेत्र की शासन-व्यवस्था करते रहे। १ दिसम्बर, १९५७ को एक नई इकाई बन जाने के बाद से इस क्षेत्र की विधि और व्यवस्था में पर्याप्त सुधार हुआ। लुक-छिप कर बदअमनी फैलाने वाले विरोधी लोग हथियार डाल रहे हैं और शान्तिपूर्वक अपने काम-धंधों में लग रहे हैं। मई १९५८ में नागा लोगों का दूसरा सम्मेलन हुआ, जिसमें कोहिमा सम्मेलन के प्रस्तावों का समर्थन और हिंसा की निन्दा की गई।

पुर्तगाली बस्तिया

पुर्तगाली बस्तियों में बसने वाली जनता को मुक्त कराने के लिए बल-प्रयोग न करने की जो नीति भारत सरकार की है, उस पर वह इस वर्ष भी पूरा आचरण करती रही।

अन्तर्राष्ट्रीय न्यायालय में 'मार्ग अधिकार' के सम्बन्ध में जो मामला चल रहा है, उसमें भारत सरकार ने २५ मार्च, १९५८ को अपना एक प्रतिज्ञापन दाखिल किया। पुर्तगाली सरकार ने अपना उत्तर २५ जुलाई, १९५८ को दाखिल किया। भारत की प्रार्थना पर न्यायालय ने भारत द्वारा अपना प्रत्युत्तर पेश करने की तारीख २६ जनवरी, १९५८ निश्चित की।

इस वर्ष पुर्तगाली पुलिस ने भारतीय सीमा का १५ से भी अधिक बार अतिक्रमण किया। भारत सरकार ने इस प्रकार की दो घटनाओं के लिए विरोध प्रकट किया। इस वर्ष अनेक पुर्तगाली सैनिक और गोआनी रंगरूट पुर्तगाली फौज से भाग कर भारत चले आए।

भारत के पड़ोसी

अफगानिस्तान

जुलाई १९५८ मे भारत का एक व्यापार-शिष्टमण्डल अफगानिस्तान गया, जिसने अफगानिस्तान के साथ एक नया व्यापार-करार किया। भारत सरकार काबुल और कंधार में ऋतु और विमान-संचार सम्बन्धी सुविधाएं पूर्ववत दे रही है, तथा इस वर्ष उसने काबुल में कुछ लघु उद्योगों को लगभग १५,००० रु० के मूल्य की चीजें भेंट की। इसके अलावा, भारत सरकार ने

अक्तूबर १९५८ में अफगानिस्तान सरकार को एक पूर्णतः सुसज्जित चलती-फिरती चिकित्सा-गाड़ी भी भेंट की। सांस्कृतिक क्षेत्र में, चार अफगानी संगीतज्ञों को भारतीय संगीत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वज़ीफे दिए गए। इसके अलावा, संयुक्त राष्ट्र फैलोशिप योजना के अन्तर्गत भारत में कुछ अन्य क्षेत्रों में ट्रेनिंग की सुविधाएं भी प्रदान की गई।

बर्मा

भारत और बर्मा के बीच व्यापार बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए इस वर्ष बर्मा का एक आर्थिक शिष्टमण्डल दिल्ली आया। १९५६ के व्यापार-करार के मसविदे पर (जिसमें दोनों सरकारों द्वारा किए जाने वाले उपायों की व्यवस्था है) सितम्बर १९५८ में हस्ताक्षर हुए। भारत-बर्मी वित्तीय करार, १९५७, के अन्तर्गत बर्मा सरकार को ५ करोड़ रु० का एक और ऋण दिया गया।

श्रीलंका

इस वर्ष से 'एयर सिलोन' को बम्बई में यातायात के अधिकार प्रदान कर दिए गए हैं। श्रीलंका में दिसम्बर १९५७ में बाढ़ के कारण काफी तबाही मची थी। इस सम्बन्ध में श्रीलंका सरकार ने जो पुनर्वास और पुनर्निर्माण कार्यक्रम आरम्भ किए हैं, उनमें योग देने के लिए भारत सरकार ने इस वर्ष १० लाख रु० के मूल्य का सामान श्रीलंका को भेंट किया।

नेपाल

भारत सरकार और नेपाल सरकार में २० नवम्बर, १९५८ को एक करार पर हस्ताक्षर हुए, जिसके अन्तर्गत लगभग ३ करोड़ ५० लाख रु० की लागत से त्रिशूली पन-बिजली योजना का निर्माण किया जाएगा। यह खर्च भारत सरकार द्वारा दी जाने वाली १० करोड़ रु० की राशि में से किया जाएगा। जून १९५८ में नेपाल, अमेरिका और भारत के बीच एक त्रिदलीय दूर-संचार (टेली-कम्युनिकेशन) करार पर हस्ताक्षर हुए। इस योजना का उद्देश्य काठमांडू-नई दिल्ली और काठमांडू-कलकत्ता के बीच दूर-संचार साधनों में सुधार तथा नेपाल में दूर-संचार साधनों की सुचारु व्यवस्था करना है।

पाकिस्तान

पाकिस्तान की तरफ से सीमा पर होने वाली दुर्घटनाओं के कारण इस वर्ष भारत-पाकिस्तान के सम्बन्ध काफी बिगड़ गए। सीमा सम्बन्धी

प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने के लिए भारत और पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच सितम्बर १९५८ में दिल्ली में जो मीटिंग हुई, उसके परिणामस्वरूप पूर्व पाकिस्तान-स्थित पुरानी कूच-बिहार की बस्तियों के साथ भारत-स्थित पाकिस्तानी बस्तियों का तबादला करने के बारे में सुलह हो गई । १९५८ के अन्त तक लगभग २१० मील लम्बी भारत-पाकिस्तानी सीमा का निर्धारण किया गया । १९५८-५९ का काम हाथ में ले लिया गया है ।

पाकिस्तान ने रुकावट पैदा करने का जो रवैया अख्तियार कर रखा है, उसके फलस्वरूप भारत-पाकिस्तान व्यापार-करार, १९५७-६० को क्रियान्वित करने में विघ्न पैदा होते रहे । त्रिपुरा की सरहद के बंद हो जाने और पाकिस्तान मे मार्शल ला लग जाने के कारण सीमा पर होने वाला सारा व्यापार इस वर्ष बिल्कुल ठप्प हो गया ।

१९५८ में ४,८९८ हिन्दू पूर्वी पाकिस्तान छोड़ कर भारत आए । १९४७ में १०,९३० हिन्दू भारत आए थे ।

पाकिस्तान में संविधान रद्द हो जाने तथा जनरल अयूब खां द्वारा पाकिस्तान के प्रेज़ीडेंट पद पर आसीन होने से सीमा पर घटनाओं की संख्या और गम्भीरता में इस वर्ष और भी वृद्धि हुई । इसके अतिरिक्त, निष्क्रान्त सम्पत्ति के बारे में विभिन्न उपायों को क्रियान्वित करने की दिशा मे भी कोई प्रगति नहीं हुई, क्योंकि पाकिस्तान ने सहयोग नही दिया ।

राष्ट्रमंडल

इस वर्ष एच० आर० एच० ड्यूक आफ एडिनबरा, राष्ट्रमण्डलीय सम्बन्धो के ब्रिटिश सेक्रेटरी आफ स्टेट, और कनाडा और न्यूज़ीलैंड के प्रधान मंत्रियों ने भारत की यात्रा की । इस वर्ष भारत की विदेश उपमंत्री आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक सद्भावना मिशन पर गईं, और भारत के वित्त मंत्री ने ओटेवा में राष्ट्रमण्डलीय व्यापार और अर्थ सम्मेलन मे भाग लिया । डा० भाभा के नेतृत्व में इस वर्ष एक भारतीय शिष्टमण्डल ने राष्ट्रमंडलीय न्यूक्लियर वैज्ञानिक सम्मेलन में भी भाग लिया ।

पश्चिम एशिया

भारत तथा पश्चिम एशिया के देशों मे जो मैत्री और सद्भावना के सम्बन्ध बने हुए हैं, उनको और भी सुदृढ़ करने के लिए इस वर्ष विभिन्न उपाय किए

गए। भारत ने ईराक गणराज्य को मान्यता प्रदान की और इस देश के साथ एक नए व्यापार-करार पर हस्ताक्षर किए। भारत ने भारत-ईरानी सांस्कृतिक करार की भी पुष्टि कर दी है। इस वर्ष ईरान सरकार ने आयात के मामले में भारत के साथ बिल्कुल वैसा व्यवहार किया जैसा कि किसी अत्यन्त कृपापात्र राष्ट्र के साथ किया जाता है।

पूर्व एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया

भारत सरकार ने चीन को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रवेश दिलवाने के अपने प्रयत्न पूर्ववत जारी रखे, तथा चीनी तट के समीपवर्ती द्वीपों के प्रति चीन के दृष्टिकोण का समर्थन किया तथा इस बात पर बल दिया कि तायवान और चीनी तट के समीपवर्ती द्वीपों का विवाद शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जाए। जापान के साथ भारत के आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग और मैत्री की भावना में वृद्धि हुई। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष जापान को भारतीय फीचर फिल्में और पुस्तकें भेजने का भी विचार है।

वियतनाम और कम्बोडिया में अन्तर्राष्ट्रीय निरीक्षण और नियन्त्रण आयोग ने (भारत जिसका चेयरमैन है) इस वर्ष अपना काम जारी रखा। लाओस में जुलाई १९५८ में हुए पूरक चुनावों के बाद अन्तर्राष्ट्रीय आयोग को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और यह व्यवस्था की गई कि सामान्य रीति से इस आयोग का संयोजन पुनः किया जा सकता है। इस वर्ष मलाया और थाईलैण्ड को लगभग १८,००० रु० के मूल्य के हैज़ा रोकने के टीके भेंट किए गए। भारत और मंगोलिया के बीच अधिक व्यापार की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए मंगोलिया से एक शिष्टमण्डल भी भारत आया।

यूरोप

यूरोपीय देशों के साथ संस्कृति, व्यापार तथा शिक्षा के क्षेत्रों में आदान-प्रदान करके वर्तमान मैत्रीपूर्ण सम्बन्धों को इस वर्ष और भी सुदृढ़ किया गया। पोलैण्ड और भारत में हुए सांस्कृतिक करार की सम्पुष्टि कर दी गई है। फ्रांस के साथ एक आर्थिक और तकनीकी सहयोग करार पर हस्ताक्षर किए गए। संघीय जर्मन गणराज्य और भारत के बीच व्यापारिक और औद्योगिक क्षेत्रों में घनिष्ठ सहयोग पूर्ववत बना रहा। इस वर्ष रूस और भारत ने एक नए पंचवर्षीय व्यापार-करार पर हस्ताक्षर किए। इसके अतिरिक्त, भारत में

नए औद्योगिक प्रतिष्ठान स्थापित करने में रूस सहायता देता रहा। मैड्रिड में इस वर्ष एक पृथक भारतीय दूतावास खोल दिया गया है।

अमेरिकी देश

इस वर्ष भारत के वित्त मंत्री की अमेरिका यात्रा से अमेरिका में भारत की आर्थिक दशाओं के प्रति अधिक सहानुभूति पैदा हुई। इसके अतिरिक्त, अमेरिका में भारत की विदेश नीति के प्रति भी सहानुभूति प्रकट की गई। अमेरिकी निर्यात-आयात बैंक तथा अमेरिकी सरकार के साथ कई ऋण सम्बन्धी करारों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें (क) पब्लिक ला ४८० के अन्तर्गत २ करोड़ ८० लाख डालर मूल्य की कपास का गेहूं में तबादला करने का करार, (ख) अमेरिकी पूंजीगत साज-सामान की प्राप्ति के लिए १५ करोड़ डालर का ऋण सम्बन्धी करार, (ग) उड़ीसा खनिज लौह परियोजना के लिए २ करोड़ डालर का ऋण सम्बन्धी करार, तथा (घ) भारत को अमेरिका की २३ करोड़ ८८ लाख डालर मूल्य की फालतू कृषि वस्तुओं की बिक्री सम्बन्धी करार विशेष उल्लेखनीय हैं।

अफ्रीका

अफ्रीका के स्वतन्त्र राष्ट्रों में भारत इस वर्ष भी पूर्ववत काफी दिलचस्पी लेता रहा है। भारत ने घना को भारतीय टैक्नीशियन और अध्यापकों की सेवाएं उपलब्ध कराना स्वीकार किया। इसके अतिरिक्त, भारत ने संयुक्त अरब गणराज्य (जो कि मिस्र और सीरिया राज्यों के विलय से बना है) तुरन्त मान्यता प्रदान की, तथा इस नवोदित राज्य के साथ एक सांस्कृतिक करार पर हस्ताक्षर किए। भारत ने सूडान की नई सरकार को, जो १९५८ में बनाई गई थी, मान्यता प्रदान कर दी है और इस देश के साथ सांस्कृतिक आदान-प्रदान जारी है। मोरक्को और ट्यूनिसिया के साथ भी राजनयिक सम्बन्ध स्थापित कर दिए गए हैं।

भारत के साथ विशेष सन्धि से सम्बद्ध देश

भूटान

भूटान में भारत के प्रधान मंत्री की यात्रा से दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध और भी सुदृढ़ हुए हैं। इस वर्ष पश्चिम बंगाल और असम से लेकर भूटान की सीमा तक सड़कें बनाने के लिए कदम उठाए गए। भारत सरकार ने भूटान सरकार को विकास कार्यों के लिए मुफ्त इस्पात, सीमेंट,

उर्वरक, और ट्रक आदि देने के अतिरिक्त, भूटान मे सड़क विकास के निमित्त १,५०,००० रु० देना मंजूर किया है। भूटान में संतरों का रस निकालने की एक फैक्टरी लगाने के लिए २,२०,००० रु० का एक ऋण भी दिया जा रहा है।

सिक्किम

इस वर्ष सिक्किम की सप्तवर्षीय विकास योजना में काफी प्रगति हुई। गंगटोक-नथूला सड़क, जो गंगटोक को सिक्किम-तिब्बत की सीमा से जोड़ती है, सितम्बर १९५८ में खुल गई। इसके अलावा, सिक्किम मे तिब्बत के सम्बन्ध मे अनुसन्धान करने के लिए एक अनुसन्धान संस्थान स्थापित करने में भी भारत ने सहायता प्रदान की। भूटान में ताबे के भडार खोजने की योजना मे भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है।

पृथक्करण नीति

इस वर्ष दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने वर्ग-क्षेत्र (ग्रुप एरियाज) अधिनियम के अन्तर्गत अनेक कस्बों और नगरों में अलग-अलग वर्ग-क्षेत्र बनाने की घोषणाए की। इनके फलस्वरूप गैर-यूरोपीय उद्भव के हजारो दक्षिण अफ्रीकियो के जीवन और उनकी सम्पत्ति पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इस वर्ष भी भारत सरकार जातिगत भेदभाव का पूर्ववत विरोध करती रही और इस मामले की ओर उसने पुन: संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा का ध्यान आकर्षित किया। महासभा ने भी इस प्रकार की जातिगत भेदभाव की नीतियों की भर्त्सना की और दक्षिण अफ्रीका से अनुरोध किया कि वह संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के सिद्धान्तों और उद्देश्यो तथा विश्व-मत का खयाल करते हुए अपनी नीति को बदले।

उपनिवेशवाद

उपनिवेशों के स्वशासन अधिकार का समर्थन करने की अपनी सामान्य नीति के अनुसार भारत सरकार ने साइप्रस-वासियों के स्वशासन के अधिकार का समर्थन किया है और अल्जीरियाइयों और फ्रांसीसियों से भी आपस में बैठ कर बातचीत करने का अनुरोध किया है।

विदेशों में भारतीय

दक्षिण अफ्रीका में भारतीय उद्भव के लोगों के साथ व्यवहार के प्रश्न पर संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा ने एक प्रस्ताव स्वीकार करके सम्बन्धित पक्षों

से अपील की है कि वे इस प्रश्न का हल निकालने के लिए आपस में बातचीत करें। इस वर्ष कोलम्बो-स्थित भारतीय उच्चायुक्त (हाई कमिश्नर) ने श्रीलंका में भारतीय उद्भव के उन लोगों को भारत सरकार के व्यय पर भारत लौटा लाने के लिए कार्रवाई की जो भारत लौटने के इच्छुक थे।

राजनयिक तथा कौंसलर दूतावास

१९५८ के अन्त मे भारत में पोप के दूतावास के अलावा, ४० दूतावास, ८ उच्चायुक्त और ८ लीगेशन थे। विदेशी कौंसलर पदों की संख्या ९३ थी।

इस वर्ष चिली मे भी दूतावास स्थापित किया गया है और वहां का राजदूत बोलिविया में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। स्पेन के साथ भी राजनयिक सम्बन्ध स्थापित किए गए है। मोरक्को में भी एक राजदूत नियुक्त कर दिया गया है, जो कि ट्यूनिसिया में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेगा। रूमानिया मे भी एक कार्यालय खोलने का निश्चय किया गया है। सीरिया और मिस्र के विलय से संयुक्त अरब गणराज्य बन जाने के परिणामस्वरूप, दमिश्क मे भारतीय दूतावास के स्थान पर कौंसुलेट-जनरल बना दिया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

दिल्ली मे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ, उसका भारत ने आतिथ्य किया। संयुक्त राष्ट्र संघ और उसकी विभिन्न एजेंसियों के तत्वावधान मे जो अनेक सम्मेलन हुए, उनमे भी भारत ने भाग लिया। इसके अतिरिक्त, भारत ने काहिरा मे हु अफ्रेशियाई विधि परामर्श समिति के दूसरे अधिवेशन में और जेनेवा में हुए संयुक्त राष्ट्र संघीय समुद्री कानून सम्मेलन मे भी भाग लिया।

२. रक्षा

रक्षा मंत्रालय तीनो सेनाओं के मुख्यालयों के अतिरिक्त, भारत की सशस्त्र सेनाओं का प्रशासन करने और उनके प्रयोग पर नियंत्रण रखने के लिए उत्तरदायी है। इस मंत्रालय का मुख्य कार्य इस बात का निश्चय करना है कि (१) तीनों सेनाओं की शाखाओं के विकास और उनकी गतिविधियों में समुचित सामंजस्य रखा जाए, (२) नीति विषयक मामलों पर सरकार से निर्णय प्राप्त करके उन निर्णयों से तीनों सेनाओं की शाखाओं को अवगत कराया जाए और

उन निर्णयों को कार्यान्वित किया जाए, तथा (३) संसद से आवश्यक व्यय की स्वीकृति ली जाए ।

स्थल सेना

प्रादेशिक सेना

इस वर्ष प्रादेशिक सेना की यूनिटों के प्रशिक्षण और उनकी हाजिरी में सुधार करने का काम पहले की तरह जारी रहा । सेना की कुशलता में वृद्धि करने के उद्देश्य से कुछ यूनिटो का प्रान्तीयकरण कर दिया गया है । ३१ दिसम्बर, १९५८ को प्रादेशिक सेना की कुल संख्या स्वीकृत संख्या के ९१ प्रतिशत से अधिक थी ।

इस संगठन को और अधिक लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को सेवा-निवृत्त (रिटायर) होने, यात्रा, भत्ते और नौकरी की शर्तों के सम्बन्ध में कुछ रियायतें दी गई है ।

प्रादेशिक सेना के कर्मचारियों को शिक्षित करने के उद्देश्य से इस वर्ष शिक्षा अनुदान मंजूर किए गए हैं । इसके अतिरिक्त, कर्मचारियों को उस दशा में यात्रा सम्बन्धी रियायतें देने की भी व्यवस्था कर दी गई है जब कि वे बीमार हों और किसी सिविल अस्पताल से प्राइवेट अस्पताल को या सैनिक अस्पताल से अपने घर को प्रस्थान करें ।

लोक सहायक सेना

लोक सहायक सेना की स्थापना १ मई, १९५५ को की गई थी । तब से लेकर ३ जनवरी, १९५९ की अवधि तक ७८२ शिविर लगाए गए तथा ३,४५,९१० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

प्रशिक्षण

सेना को आधुनिक हथियारों से लैस करने के अलावा, इस वर्ष सैनिकों को इन हथियारों का ठीक ढंग से इस्तेमाल करना भी सिखाया गया । वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के पाठ्यक्रमों में भी सुधार कर दिया गया है तथा नए पाठ्यक्रम भी आरम्भ कर दिए गए है जिससे कि वर्तमान काल के युद्ध-कौशल में भारतीय सेना पीछे न रह जाए । इस वर्ष पहली बार ही 'उद्योग-धंधों के अन्तर्गत प्रशिक्षण योजना' के ३ पाठ्यक्रमों की योजना बनाई गई है । इन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य सैनिक कारखानों और फैक्टरियों के प्रबन्ध के लिए निरीक्षक

कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है जिससे कि उत्पादन में वृद्धि और काम करने के तरीकों में सुधार हो।

टाइम-स्केल के हिसाब से तरक्की

सेना के अधिकारियों को तरक्की करने का अवसर मिल सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए टाइम-स्केल से तरक्की की जो प्रणाली अब तक मेजर के पदाधिकारियों पर लागू थी, उसे लेफ्टिनेंट कर्नल के पदाधिकारियों पर भी लागू कर दिया गया है। इससे जो अधिकारी रिक्त स्थान न होने के कारण चुनाव (सेलेक्शन) द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल का पद नहीं पा सकते थे, वे अब २४ साल की नौकरी पूरी कर लेने के बाद लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर नियुक्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि उनका स्वास्थ्य ठीक हो और उनकी आयु अनिवार्य रूप से रिटायर होने की आयु से अधिक न हो।

रिटायर होने की आयु

अभी कुछ समय पहले तक मेजर और उससे नीचे के अधिकांश पदाधिकारियों के अनिवार्य रूप से रिटायर होने की आयु ४५ वर्ष थी। अब इस आयु-सीमा को बढ़ा कर ४८ वर्ष कर दिया गया है और इस नियम को लेफ्टिनेंट कर्नल के स्थायी पदाधिकारियों तथा उससे नीचे के पदों पर भी लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, आर्मी सर्विस कोर, तथा इंटेलीजेन्स कोर के स्थायी कर्नलों के रिटायर होने की आयु ५० वर्ष से बढ़ा कर ५२ वर्ष कर दी गई है।

विदेशों में भारतीय सेना की सेवाएं

इस वर्ष लेबनान में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यवेक्षक दल की सहायता करने के लिए भारत से सशस्त्र सेनाएं भेजने के लिए कहा गया था। इस कार्य के लिए भारत ने ७१ अधिकारियों को भेजा, जो अपना काम पूरा करके भारत लौट आए हैं।

भारतीय सेना की एक टुकड़ी ने मिस्र में संयुक्त राष्ट्र संघीय आपात सेना के साथ मिस्र और इज़राइल के बीच युद्ध-विराम रेखा पर बड़ी योग्यता-पूर्वक अपना काम जारी रखा। जेनेवा करार के अन्तर्गत भारतीय सेना की टुकड़ी को चीन में जो विभिन्न कार्य सौंप गए थे, उन्हें वह बड़ी तत्परता से करती रही। परन्तु इस वर्ष, वियतनाम को छोड़ कर, भारतीय सेना की टुकड़ियों की संख्या काफी घटा दी गई है। कम्बोडिया में भारत के बहुत कम कर्मचारी

रह गए है। २२ जुलाई, १९५८ से लाग्रोस में भारतीय कर्मचारियों ने अपना काम समाप्त कर दिया।

नौ सेना

इस वर्ष भी नौ सेना ने हर दिशा में प्रगति की। इस वर्ष एक विशेष उल्लेखनीय बात यह हुई कि 'नौ सेना अमलाध्यक्ष' (चीफ आफ नैवल स्टाफ) के पद पर (जिस पर अब तक ब्रिटिश अधिकारी ही नियुक्त किया जाता था) पहली बार एक भारतीय वाइस-एडमिरल आर० डी० कटारी की नियुक्ति की गई। कुछ वर्ष पूर्व नौ सेना निर्माण का जो कार्यक्रम बनाया गया था, उसमें भी तेजी से प्रगति हो रही है और अनेक जहाज़ समुद्र में उतार दिए गए है। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी स्वावलम्बी होने की दिशा में अच्छी प्रगति हुई। इस वर्ष भारत में अनेक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी चालू किए गए।

जहाजों की प्राप्ति

भारतीय नौ सेना के वायुयान गिराने वाले 'ब्रह्मपुत्र' नामक नए युद्ध-पोत को तथा 'खुकरी' नामक एक पनडुब्बी-मार युद्धपोत को यूनाइटेड किंगडम में नौ सेना में शामिल कर लिया गया। इन दोनों जहाजों को ७ नवम्बर, १९५८ को भारतीय बेड़े में शामिल कर लिया गया। इस वर्ष 'त्रिशूल', 'तलवार', 'कृपाण' और 'कुठार' नामक पनडुब्बी-मार युद्धपोत तथा 'ब्यास' नामक वायुयान-मार युद्धपोत यू० किंगडम में समुद्र में उतार दिए गए। इसके अलावा, हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि०, विशाखापटनम द्वारा निर्मित 'ध्रुवक' नामक मूरिंग जहाज को भी समुद्र मे उतार दिया गया।

नौ सेना उड्डयन

कोचीन के 'फ्लीट रिक्वायरमेंट्स यूनिट' में ५ नए 'फायर-फ्लाई' वायुयान बढ़ा दिए गए है। ये वायुयान २० मिलीमीटर की तोपों से लैस हैं और राकेट और बम उठा कर ले जा सकते है।

भारतीय वायु सेना में प्रशिक्षण पाने वाले नौ सेना के पायलटों की संख्या में भी वृद्धि कर दी गई है। कोचीन में वायुसेना के तकनीकी कर्मचारियो और नौ सेना के वैज्ञानिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। १९५८ में भी कुछ जवान यू० किंगडम मे उच्च तकनीकी ट्रेनिंग प्राप्त करते रहे, परन्तु विचार यह है कि १९५९ से इस प्रकार के पाठ्यक्रमों का प्रशिक्षण भारत मे ही दिया जाए।

अभ्यास और गश्त

इस वर्ष भी नौ सेना के जहाज़ों ने समुद्र में तथा बन्दरगाहों में स्वतन्त्र रूप से तथा राष्ट्रमण्डल के अन्य देशों की नौ सेनाओं के संग नियमित रूप से अभ्यास किया। जनवरी और फरवरी १६५८ में बसन्तकालीन अभ्यास के दौरान में बेड़े के जहाज़ों ने पूर्वी और पश्चिमी तटों पर स्थित विभिन्न बन्दरगाहों की यात्रा की। इसके अतिरिक्त, आई० एन० एस० 'दिल्ली' ने अड्डू अटाल, आई० एन० एस० 'शक्ति' ने डाइगो गार्शिया, तथा बारहवें युद्धपोत स्क्वैड्रन ने (जिसमे 'तीर' और 'कृष्णा' हैं) डाइगो गार्शिया, सेशल्स, अड्डू अटाल और माली नामक स्थानों की यात्रा की।

तरक्की के अवसर

भारतीय नौ सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर तथा उससे नीचे के पदाधिकारियो के रिटायर होने की आयु ४५ वर्ष की जगह ४८ वर्ष करने का निश्चय किया गया है। इसके अतिरिक्त, जिन अधिकारियों को सेलेक्शन द्वारा कमाण्डर के पद पर तरक्की न मिल सकेगी, उन्हें २४ वर्ष की कमीशन-प्राप्त नौकरी पूरी कर लेने पर कमाण्डर बना दिया जाएगा।

वायु सेना

इस वर्ष आपरेशनल कमांड को एक एयर वाइस-मार्शल के अधीन कर दिया गया, और उसकी अधीनता में एक ग्रुप हैडक्वार्टर रख दिया गया है जो कि एक एयर-कमोडोर की कमान में है।

निर्माण कार्य

वायुसेना मे विस्तार होने और उसे आधुनिक वायुयानो से लैस करने के फलस्वरूप, नई पट्टियो (रन-वे) का निर्माण और वर्तमान पट्टियों में विस्तार किया जा रहा है। वायु सेना के साज-सामान तथा उसके भण्डारों के लिए ढके हुए स्थान के लिए भी आवश्यकतानुसार व्यवस्था की जा रही है।

सर्वेक्षण का कार्यक्रम

१ अप्रैल, १६५८ से ३१ दिसम्बर, १६५८ तक की अवधि में भारतीय वायु सेना ने लगभग ४४,००० वर्गमील क्षेत्र के चित्र उतारे। आशा है कि १ जनवरी, १६५६ से ३१ मार्च, १६५६ तक ३४,००० वर्गमील क्षेत्र के चित्र उतारे जाएंगे।

रक्षा उद्योग तथा भण्डार

हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट (प्राइवेट) लिमिटेड

नाट वायुयान (जो ट्रान्सोनिक जेट वायुयान है) तथा आरपियस जेट इंजन के निर्माण में सन्तोषजनक प्रगति हुई। दिसम्बर १९५८ तक चार जोड़हीन सवारी डिब्बों के शैल रेलो को दिए गए। इसके अतिरिक्त, इस कारखाने ने 'पुष्पक' नामक एक बहुत ही हलका वायुयान बनाया, जिसने २४ सितम्बर, १९५८ को पहली सफल उड़ान की।

भारत इलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड

इस कारखाने में १९५८-५९ के पहले छः महीनों मे लगभग २३ लाख रु० मूल्य का इलेक्ट्रानिक साज-सामान बनाया जा चुका है, जबकि १९५७-५८ में २८ लाख रु० का तथा १९५६-५७ मे ६ लाख रु० का उपर्युक्त सामान बनाया गया था। कारखाने के उत्पादन कार्यक्रम के अन्तर्गत जो चीजें बन चुकी है, उनके अलावा अन्य चीज़ें भी बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हाल ही में एक विदेशी फर्म के साथ एक करार किया गया है, जिसके अन्तर्गत रक्षा सेवाओं के लिए आवश्यक कुछ विशेष प्रकार का सामान बनाया जाएगा।

रक्षा उत्पादन

१९५८-५९ के वर्ष मे रक्षा उत्पादन बोर्ड ने शस्त्रास्त्र कारखानों का आधुनिकीकरण करने और उनमें विस्तार करने के लिए अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। इसके अतिरिक्त, रक्षा उत्पादन योजना समिति ने जो सिफारिशें की थी, उनमें से बहुतेरी सिफारिशों को क्रियान्वित कर दिया गया है। यह समिति शीघ्र ही अपनी अन्तिम रिपोर्ट पेश कर देगी, जिसमें रक्षा भण्डार की कुछ उन वस्तुओं को एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार देश में ही बनाने की विस्तृत योजना होगी जो अभी तक विदेशों से ही मंगाई जाती हैं।

भारत में 'मल्टी-फ्यूएल ३-टन के ट्रक' बनाने के लिए पश्चिमी जर्मनी के मैसर्स एम० ए० एन० के साथ करार कर लिया गया है। इसके अलावा, कुछ विशेष प्रकार के ट्रैक्टर भी देश में बनाने के लिए एक जापानी फर्म मैसर्स कमात्सू मैन्यु-फैक्चरिंग कम्पनी के साथ समझौता हो गया है।

रक्षा भण्डार तथा शस्त्रास्त्र

इस वर्ष शस्त्रास्त्र बनाने वाले कारखानों में विभिन्न प्रकार के शस्त्रास्त्र तथा सामान बनाने की दिशा में काफी प्रगति हुई। अप्रैल से सितम्बर १९५८ की अवधि मे रक्षा सेनाओ को जो सामान दिया गया, वह १९५७-५८ की इसी अवधि

में मिले सामान की अपेक्षा ११ प्रतिशत अधिक था। अधिक उत्पादन के फल-स्वरूप, इस अवधि में लगभग ६० लाख रु० की विदेशी मुद्रा बचाई गई। इसके अतिरिक्त, लगभग ३२ और नई चीजें बनाई जा चुकी है तथा हथियारों और गोला-बारूद की कुछ और नई चीज़ें बनाई जा रही है।

असैनिक व्यापार के लिए उत्पादन

१९५८ मे असैनिक व्यापार के लिए तथा सरकारी विभागों के लिए भी अनेक नई चीजें बनाई गई। इनमे ३५ मिलीमीटर के फिल्म प्रोजेक्टर, ३५ मिलीमीटर के सिनेमा प्रोजेक्टर, ३१५ शिकार राइफलें, १२ नली वाली बन्दूकें, रेल के सिग्नल क्रैंक आदि विशेष उल्लेखनीय है। अनुमान है कि इस वर्ष लगभग ३ करोड़ रु० मूल्य का सामान तैयार हो जाएगा।

आत्मनिर्भरता

स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद से इस बात पर विशेष बल दिया जा रहा है कि सेनाएं शस्त्रास्त्र आदि की आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर बनें। इससे एक तो काफी विदेशी मुद्रा बच रही है, तथा दूसरे उत्पादन में वृद्धि और नई चीज़ों का निर्माण भी हो रहा है। इसके अतिरिक्त, इस बात का भी निरन्तर ध्यान रखा जा रहा है कि सामान बनाने में विदेशी सामग्री की जगह देशी सामग्री ही काम में लाई जाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शस्त्रास्त्र कारखानों में 'पूरक समितिया' बना दी गई है। ये समितियां प्रमुख रूप से उन समस्याओं को सुल-झाने के लिए सुझाव देंगी जो उत्पादन के लिए सामग्री के सुलभ न होने की दशा में पैदा होती हैं।

नौ सेना भण्डार

इस अवधि में नौ सेना के काम आने वाली उन वस्तुओं को देश में ही बनाने का प्रयत्न किया गया जो विदेशों से मंगाई जाती थीं। बिजली के लैम्प, कार्बन, ब्रुश, बिजली के केबल, रंग-रोगन और इनामेल सम्बन्धी अनेक अन्य चीज़ें गैर-सरकारी क्षेत्र मे बनाई जा रही है। शस्त्रास्त्र कारखानों में भी ६ नई चीज़ें बनाई गई है। विदेशों से आने वाली चीज़ों का मूल्य (जिनका निर्माण देश में ही किया जा रहा है) १२ लाख रु० है।

अन्तर्सेवा संगठन

सैन्य शिक्षार्थी दल (कैडट कोर)

१९५८-५९ में राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल मे निरन्तर वृद्धि हुई। इस

समय इस दल में लगभग ४,६५० राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी अधिकारी तथा १,८७,३०० कैडेट हैं ।

समाज-सेवा और श्रम की प्रतिष्ठा की भावना का विकास करने के उद्देश्य से इस वर्ष २० समाज सेवा शिविर लगाए गए, जिनमें ४११ अधिकारियों तथा १४,०५० कैडटों ने भाग लिया । इसके अतिरिक्त, ६३ सहायक सेना शिक्षार्थी दल के शिविर भी लगाए गए, जिनमें १,३४८ अध्यापकों तथा ३३,२३६ कैडटों ने भाग लिया । इनमें से अधिकांश शिविर सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में लगाए गए । इन शिविरों में सड़कें, बांध गड्ढे, नालियां आदि बनाई गई । बालिका कैडटों ने सफाई आन्दोलन तथा गांव की महिलाओं को पढ़ाई-लिखाई तथा बुनाई सिखाने के लिए कक्षाएं आयोजित कीं । जुलाई-अगस्त, १६५८ में श्रीनगर में एक अखिल भारतीय ग्रीष्मकालीन वार्षिक प्रशिक्षण शिविर भी लगाया गया । इससे देश के विभिन्न भागों के राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल के कैडटों को आपस में मिलने-जुलने का अवसर मिला ।

चिकित्सा सेवाएं

नवम्बर १६५८ से पूर्व सेनाओं के चिकित्सा-दलो में महिलाओं के स्थायी रूप से नियुक्त किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी । परन्तु अब उन्हें नियुक्त करने के लिए आदेश जारी कर दिए गए हैं । इस वर्ष ३ लेडी-डाक्टरों को स्थायी रूप से नियुक्त किया गया ।

सैनिक फार्म

सितम्बर १६५८ में डेरी उद्योग का विकास करने, पशु-पालन और सैनिक फार्मों में कृषि करने, डेरी उत्पादनों से सम्बन्धित वित्तीय और आर्थिक नीति तथा इन उत्पादनों की जांच करने तथा एक पृथक फार्म निदेशालय स्थापित करने पर विचार करने के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति बनाई गई थी । इस समिति ने १६५८ के अन्त में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी, और उस पर विचार किया जा रहा है ।

बाबूगढ़ और सहारनपुर के सैनिक अश्व-फार्मों में घोड़ों की नस्ल सुधारने के सम्बन्ध में हाल ही में एक योजना स्वीकृत की गई है । जब इस योजना को कार्य रूप दे दिया जाएगा तो सेना घोड़ों और खच्चरों की आवश्यकताओं के लिए आत्मनिर्भर हो जाएगी ।

हिमालय पर्वतारोहण संस्थान, दार्जिलिंग

इस वर्ष उपर्युक्त संस्थान में चार प्रारम्भिक पर्वतारोहण पाठ्यक्रम पूर्ण किए गए। इनको मिला कर यह संस्थान अब तक १६ पाठ्यक्रमों की व्यवस्था कर चुका है। इन पाठ्यक्रमों में सशस्त्र सेनाओं के २१ सदस्यों के अतिरिक्त, राष्ट्रीय सैन्य शिक्षार्थी दल के २२ कैडटों तथा कुछ गैर-सरकारी छात्रों ने भाग लिया। अब तक इस संस्थान में ३१६ व्यक्ति प्रारम्भिक पाठ्यक्रम पूरा कर चुके हैं।

पर्वतारोहण संस्थान के तीन भूतपूर्व छात्र त्रिशूल (ऊंचाई २३,००० फुट) की चोटी पर चढ़ने में सफल हुए। मई १९५८ में जिस भारतीय दल ने चो ओयू को सर किया था, उसे भी इस संस्थान ने सहायता प्रदान की।

असैनिक अधिकारियों को सहायता

पिछले वर्षों की भांति सेनाओं ने दैवी विपत्तियों का मुकाबला करने, अनिवार्य सेवाओं को चालू रखने, विकास योजनाओं को कार्य रूप देने तथा विधि और व्यवस्था बनाए रखने में असैनिक अधिकारियों की सहायता की। इस सम्बन्ध में सेनाओं ने अगस्त १९५८ में दिल्ली नगर निगम को पानी की सप्लाई चालू करने में सहायता प्रदान की जो कि जमुना की धारा बदल जाने के कारण बन्द हो गई थी। सेनाओं ने धनबाद के समीप भावरा कोयले की खान में से, जहां फरवरी, १९५८ में भयंकर दुर्घटना हो गई थी, पानी बाहर निकालने, उत्तर प्रदेश तथा पंजाब के विभिन्न इलाकों में बाढ़ के दिनों में सहायता पहुंचाने तथा जून १९५८ में शिमला में बिजली और पानी की कमी का मुकाबला करने के लिए जो सहायता प्रदान की, वह भी विशेष उल्लेखनीय है।

३. गृह

देश में लोक सेवाओं और जन-सुरक्षा की व्यवस्था करने तथा दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप, मिनिकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूहों के संघीय क्षेत्रों की प्रबन्ध-व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व गृह मंत्रालय पर है। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिमजातियों और अन्य पिछड़ी जातियों के कल्याण तथा समाज-सेवा कार्यक्रम और दमकलों के कार्य में सुधार आदि करने का काम भी मंत्रालय के ज़िम्मे है।

राजभाषा आयोग

संविधान के अनुच्छेद ३४४ (५) के अन्तर्गत संसदीय राजभाषा आयोग समिति ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को पेश कर दी है।

अनुसूचित जातियां और आदिमजातियां

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की जनसंख्या क्रमशः ५ करोड़ ५३ लाख और २ करोड २५ लाख है। ये जातिया देश की जनसंख्या का २१.५५ प्रतिशत है। अनुमान है कि निरधिसूचित (डिनोटिफाइड) जातियों की संख्या (जिन्हे पहले जरायमपेशा जातियां कहा जाता था) लगभग ४० लाख है। जहां तक सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए अन्य वर्गों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या निर्धारित करने के बारे में अभी कोई कसौटी निश्चित नही की गई है। इस उद्देश्य से पिछले साल जो तदर्थ सर्वेक्षण किया गया था, उसके परिणाम उपलब्ध हो चुके है, और इस बारे में राज्य सरकारों के मत जानने के लिए उनमे बातचीत चल रही है। इस बीच, राज्य सरकारों को यह सलाह दी गई है कि अब तक जिन वर्गो को पिछड़े वर्ग की मान्यता दी गई है, उनको वे वर्तमान योजनाओं के अन्तर्गत सुविधाएं देना जारी रखे। इसके अलावा, वे जिस अन्य वर्ग को पिछड़ा हुआ समझे, उसको भी ये सुविधाएं दें।

१९५८-५९ मे विकास कार्यक्रम को शीघ्रता से कार्यान्वित करने के लिए विशेष उपाय किए गए — यथा (१) राज्य सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया कि वे एक ही समूह की विभिन्न योजनाओं पर होने वाले खर्च का समंजन कर सकती हैं; (२) उन्हें यह अधिकार भी दे दिया गया है कि वर्ष के आरम्भ में निर्धारित अधिकतम सीमाओं के अन्दर रह कर वे औपचारिक स्वीकृति की प्रतीक्षा किए बिना स्वीकृत कार्यक्रम आरम्भ कर सकती हैं; तथा (३) राज्य सरकारों को, वास्तविक व्यय के आंकड़े प्राप्त किए बिना, अर्थोपाय अग्रिम राशि ९ बराबर-बराबर की मासिक किश्तों में दे दी गई।

अनुसूचित आदिमजातियां

केन्द्रीय सरकार ने १९५८-५९ में अनुसूचित आदिमजातियों को ७ करोड़ १० लाख ९१ हज़ार रु० की सहायता दी। इसके अलावा, केन्द्रीय सरकार द्वारा परि-चालित कार्यक्रम के अन्तर्गत उन अनुसूचित आदिमजातियों को बसाने के लिए ३० लाख ६२ हज़ार रु० निर्धारित किए गए जो आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर और उड़ीसा तथा मणिपुर और त्रिपुरा के संघीय क्षेत्रों में स्थान बदल-बदल कर खेती करती है। इस कार्यक्रम के

अन्तर्गत विशेष बल शिक्षा, संचार, खेती-बाड़ी, कुटीर उद्योग, आवास, स्वास्थ्य और पानी उपलब्ध करने पर दिया गया है।

अत्यधिक पिछड़े हुए इलाकों में जो ४३ बहु-उद्देश्यीय खण्ड बनाए गए थे, जिनमें से हर खण्ड पर पाच वर्षो की अवधि में २७ लाख रु० खर्च किया जाएगा, वे बावजूद इस बात के अच्छी प्रगति कर रहे हैं कि इन दुर्गम और छुट-पुट रूप से बसे हुए इलाकों में कार्यक्रम चलाने के लिए उपयुक्त व्यक्ति बड़ी कठिनाई से मिल पाते हैं। दंडकारण्य नाम की एक अन्य योजना के अन्तर्गत उड़ीसा और मध्य प्रदेश में ३०,००० वर्गमील क्षेत्र का भरपूर विकास किया जाएगा। इस क्षेत्र में विस्थापितों को बसाने के अतिरिक्त, वहां की आदिमजातियों के लिए कल्याण कार्यक्रम भी आरम्भ किए जाएंगे।

अनुसूचित जातियां

१९५८-५९ में अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सरकार ने २ करोड़ ७७ लाख रु० की सहायता प्रदान की। इस वर्ष जो योजनाएं पूरी की गई है, उनमें पीने के पानी की सुविधाओं की व्यवस्था करने, भंगियों के काम करने की दिशाओं में सुधार करने और गरीब और जरूरतमन्द लोगों को मुकदमों में कानूनी सहायता देने की योजनाएं विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

भंगियों के काम की दिशाओं की जांच करने और उनमें सुधार करने के लिए सिफारिशें करने के उद्देश्य से केन्द्रीय हरिजन कल्याण सलाहकार बोर्ड ने जो उप-समिति बनाई थी, उसके कार्य में अच्छी प्रगति हुई है। उप-समिति ने एक प्रश्नावली जारी की, जिसके उत्तर में ८०० से भी अधिक जवाब प्राप्त हुए।

अनुसूचित जातियों के लिए मकान आदि बनाने की योजनाओं के अन्तर्गत मद्रास सरकार ने जो कार्यक्रम आरम्भ किया है, वह विशेष रूप से उल्लेखनीय है। रामनाथपुरम् के दंगो के शिकार २,८३३ अनुसूचित जातियों के और १०७ निरधिसूचित आदिमजातियों के परिवारों को नए मकानों में बसाया जा रहा है। इस योजना के लिए केन्द्र ने १६ लाख ३३ हज़ार रु० दिए।

निरधिसूचित (डिनोटिफाइड) जातियां

१९५८-५९ में केन्द्रीय सरकार ने इन जातियों के लिए ३९ लाख ५१ हजार रु० निर्धारित किए। इसमें से १८ लाख १३ हजार रु० राज्य क्षेत्र की योजनाओं के लिए और २१ लाख ३८ हज़ार रु० केन्द्रीय सरकार द्वारा परिचालित योजनाओं के लिए है। चूंकि इस योजना का उद्देश्य इन जातियों को आर्थिक दृष्टि से ऊपर

उठाना है, इसलिए इसके अन्तर्गत शिक्षा, खेती-बाड़ी, कुटीर उद्योग और आवास आदि के लिए व्यवस्था की गई है।

इस वर्ष आदिमजातियों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सलाहकार बोर्ड की एक उप-समिति नियुक्त की गई जो बंजारा जातियों की दशाओं की जाच करेगी और उनका सुधार करने के लिए उपाय बतलाएगी।

अन्य पिछड़े वर्ग

इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों के कन्याण के लिए ५५ लाख ८७ हज़ार रु० रखे हैं, जिसमें राज्य क्षेत्र के ४९ लाख ६३ हज़ार रु० भी शामिल है। इस क्षेत्र में अधिकतर खर्च इन पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं, खासकर शिक्षा की सुविधाएं देने पर किया गया।

गैर-सरकारी संगठनों को सहायता

राज्य क्षेत्र की योजनाओं के अन्तर्गत छुआछूत दूर करने और पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता देने के निमित्त लगभग २३ लाख ५६ हज़ार रु० की व्यवस्था की गई। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के अधीन जो निधि है, उसमें से भी अखिल भारतीय स्तर की गैर-सरकारी संस्थाओं को सहायता दी गई। १९५८-५९ में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए ५ संस्थाओं को और अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए ९ संस्थाओं को यह सहायता प्रदान की गई।

जनबल कार्यक्रम

जनबल कार्यक्रम के अन्तर्गत, अन्य बातों के अतिरिक्त, केन्द्र में विभिन्न एजेंसियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में आवश्यक जनबल और साधनों की समीक्षा किए जाने की व्यवस्था की जाती है। अब तक इंजीनियरिंग, खानों की खुदाई, कृषि और सामुदायिक विकास कर्मचारियों के सम्बन्ध में अध्ययन किया जा चुका है और शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रबन्धकीय (मैनेजीरियल) कर्मचारियों के सम्बन्ध में अध्ययन शुरू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उपलब्ध वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों का अधिक सदुपयोग करने तथा उनकी शीघ्र भरती करने के भी उपाय किए गए है। वैज्ञानिकों और तकनीकी कर्मचारियों के 'राष्ट्रीय रजिस्टर' को भी नए सिरे से ठीक किया गया है और विदेशों में भारतीय वैज्ञानिकों और शिल्पज्ञों के नाम दर्ज करने की भी व्यवस्था कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, विदेशों से लौटने वाले विशेष योग्यता के १०० भारतीय वैज्ञानिकों और शिल्पज्ञों को आरजी तौर पर नौकरी दिलवाई गई।

जनबल सम्बन्धी समस्याओं के बारे में प्रारम्भिक सर्वेक्षण और अनुसन्धान करने के लिए तथा अधिकारियों को इन समस्याओं का अध्ययन करने के लिए विदेशों में भेजने के निमित्त फोर्ड फाउंडेशन ने ३४,००० डालर का अनुदान दिया है। १९५८-५९ में (१) औद्योगिक व्यवसायों के लिए आवश्यक प्रशिक्षण, तथा (२) ग्रेजुएटों की नौकरी के ढांचे के सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण किया गया।

इस वर्ष हर राज्य में एक-एक जनबल संस्था कार्य करती रही। लगभग सभी राज्यों ने दूसरी योजना की आवश्यकताओं की दृष्टि से अपनी जनबल सम्बन्धी स्थिति की समीक्षा की तथा तीसरी योजना की आवश्यकताओं का अन्दाज़ा लगाने के लिए अध्ययन समितियां बनाई। राज्यों के कार्यों का समन्वय करने के उद्देश्य से प्रत्येक क्षेत्र में भी जनबल समितियां बना दी गई हैं।

सेवाओं का पुनर्गठन

सेवाओं की रचना तथा उनके संगठन आदि के सम्बन्ध में पैदा होने वाली तरह-तरह की समस्याओं की जांच करने के लिए सितम्बर १९५६ में एक 'विशेष अधिकारी' की नियुक्ति की गई। इस अधिकारी ने अपनी कुछ अन्तरिम सिफारिशें पेश कर दी है, जिन पर सरकार विचार कर रही है।

नौकरी की सामान्य शर्तें

१९५८ में कुछ निर्देश जारी किए गए, जिनके अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए धर्म-परिवर्तन के कामों मे भाग लेने, सरकारी नीलामी में बोली देने, नौकरी समाप्त होने के अवसर पर या तबादले पर उपहार लेने और दफ्तर में काम करने के बाद कहीं और नौकरी करने की मनाही कर दी गई है। इसके अलावा, पुनः नौकरी में आने और नौकरी की मियाद बढ़ाने के नियमों को भी उदार कर दिया गया है।

सेवाओं का एकीकरण

आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल, मद्रास, पंजाब और राजस्थान में सेवाओं का एकीकरण करने का प्रारम्भिक कार्य पूरा हो चुका है। इन राज्यों में राज्य पुनर्गठन अधिनियम, १९५६ की धारा ११५ (५) के अन्तर्गत सलाहकार समितियां भी स्थापित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, केन्द्र में भी एक केन्द्रीय सलाहकार समिति बना दी गई है।

विस्थापित सरकारी कर्मचारी

सिंध, बहावलपुर और पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त के जिन विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की भारत सरकार के अधीन स्थायी नियुक्ति हुई थी और जो

१७ अप्रैल, १९५० और २२ अगस्त, १९५७ के बीच रिटायर हो चुके हैं, उनके बारे में यह निश्चय किया गया है कि उन्हें भी 'उदार पेंशन नियमों' के अनुसार पेंशन दी जाएगी। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को भी पक्का करने तथा पेंशन आदि देने की सुविधाएं दी गई हैं जिन्होंने अन्तिम रूप से तो पाकिस्तान में नौकरी करने की इच्छा प्रकट की थी, पर ३१ दिसम्बर, १९५१ से पहले भारत में नौकरी कर ली।

पुलिस और जेलें

पुलिस कर्मचारियों के लिए मकान आदि बनाने के लिए राज्यों को लगभग ५,२९,१३,९८८ रु० सहायता के रूप मे दिए गए।

वैज्ञानिक रीति से अपराधो का पता चलाने के लिए गुप्तचर विभाग (इंटेलिजेन्स ब्यूरो) अपनी गतिविधियों मे विस्तार करता रहा। केन्द्रीय अंगुलि-चिह्न विभाग (फिंगर प्रिंट ब्यूरो), केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (डिटैक्टिव ट्रेनिंग स्कूल) तथा केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (फोरेन्सिक साइंस लेबोरेटरी) ने कलकत्ते में काम शुरू कर दिया है। ब्यूरो ने १९५८ तक लगभग १ लाख ७७ हज़ार अंगुलि-चिह्न प्राप्त किए। इसके अलावा, उसने विभिन्न राज्यों के अधिकारियो को प्रशिक्षण देना भी शुरू कर दिया है।

हथियारों के लिए लाइसेंस देने के नियमों को और भी उदार करने और जनता की सुविधा के लिए एक नया आयुध विधेयक तैयार किया गया। यह विधेयक लोक सभा के छठे अधिवेशन में पेश कर दिया गया।

केन्द्र और राज्य सरकारों ने देश में राइफल क्लबें और राइफल संस्थाएं स्थापित करने में भी सहायता प्रदान की। इस वर्ष भारत सरकार ने 'नेशनल राइफल एसोसिएशन आफ इंडिया' को उसके विकास कार्यों के लिए १,२०,००० रु० देना स्वीकार किया।

इस वर्ष संसद ने अपराधी प्रोबेशन अधिनियम पास कर दिया। इस अधिनियम में प्रोबेशन वाले अपराधियों के साथ उचित व्यवहार करने की व्यवस्था है। इसमें कहा गया है कि २१ वर्ष से कम आयु के किसी भी अपराधी को तब तक कैद की सज़ा न दी जाए जब तक कि अदालत यह देख न ले कि ऐसे अपराधी को सज़ा देने के सिवा और कोई चारा नहीं है।

स्त्रियों और लड़कियों के अनैतिक धंधे का दमन करने के लिए जो अधिनियम बनाया गया था, वह १ मई, १९५८ से लागू कर दिया गया।

हिन्दी का अध्यापन

इस वर्ष हिन्दी पढ़ाने के लिए अम्बाला, अमृतसर और कटनी में एक-एक केन्द्र खोला गया । इस प्रकार हिन्दी पढ़ाने के ५३ केन्द्र खोले जा चुके हैं। इन केन्द्रों में लगभग ८१० कक्षाएं लगी तथा १६,६४४ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया ।

विभिन्न परीक्षाओं में जो विद्यार्थी विशेष योग्यता का परिचय देते हैं, उनको पुरस्कृत करने की योजना को इस वर्ष क्रियान्वित किया गया । लगभग ७४ सरकारी कर्मचारियों को ६,६०० रु० के पुरस्कार दिए गए ।

दिसम्बर १६५८ में कुल ५,०६२ कर्मचारियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई ।

जम्मू और कश्मीर

संविधान के अनुच्छेद ३७० के अन्तर्गत २६ फरवरी, १६५८ को राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश (आर्डिनेंस) जारी करके वे सब संशोधन जम्मू और कश्मीर राज्य पर लागू कर दिए जो कि राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप भारत के संविधान में किए गए है। अखिल भारतीय सेवाओं की रचना और नियंत्रक और महालेखा-परीक्षक के कामों से सम्बन्धित अनुच्छेद ३१२ के उपबन्धों को भी इस राज्य मे लागू कर दिया गया है। इसके अलावा, गृह मंत्रालय के स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट को जम्मू और कश्मीर में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो पर भी अपने अधिकारो का प्रयोग करने का अधिकार दे दिया गया है ।

दमकलें

देश-भर मे आग के सम्बन्ध में एक समान कानून बनाने के उद्देश्य मे इस वर्ष राज्यों के पास एक दमकल विधेयक भेजा गया जिमे वे कानून का रूप देंगे। इमके अतिरिक्त, भारत में एक आग अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के उद्देश्य से तकनीकी विशेषज्ञों की एक तदर्थ ममिति एक योजना पर विचार कर रही है ।

आपात सहायता सगठन

अधिकाश राज्यों में और सब संघीय क्षेत्रों में आपात सहायता केन्द्रो की स्थापना की जा चुकी है। पंजाब सरकार और संघीय क्षेत्रों ने आपात सहायता प्रदान करने के लिए अपनी योजनाएं बना ली हैं ।

१९६१ की जनगणना

२१ जुलाई, १९५८ को रजिस्ट्रार-जनरल (जो कि पदेन जनगणना आयुक्त भी होगा) की नियुक्ति कर दी गई और १९६१ में होने वाली जनगणना का कार्य आरम्भ हो गया। एक परीक्षणात्मक प्रश्नावली की उपयुक्तता की भी जांच की जा रही है।

समाज कल्याण और पुनर्वास निदेशालय

पुनर्वास मंत्रालय ने १५ अप्रैल, १९५८ से पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों के आश्रमों और अशक्त गृहों तथा नई दिल्ली-स्थित समाज कल्याण और पुनर्वास निदेशालय के काम को गृह मंत्रालय के सिपुर्द कर दिया था। इन संस्थाओं की प्रबन्ध-व्यवस्था का काम १ मई, १९५८ से राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है।

भारत में विदेशी व्यक्ति

३१ दिसम्बर, १९५८ तक ३२,२८३ विदेशियों को भारत आने के लिए प्रवेश-पत्र (वीसा) दिए गए। इनमें १२,१६९ पर्यटक थे और ४,२१८ व्यवसायी। कुल मिला कर ४७,४१० विदेशी १ जनवरी, १९५८ को भारत में निवास कर रहे थे। १ जनवरी, १९५७ को इनकी संख्या ३७,८७७ थी।

भारत में आकर बसने वाले विदेशियों के बारे में जानकारी एकत्र करने के उद्देश्य से अक्तूबर १९५८ से गृह मंत्रालय में एक केन्द्रीय विदेशी व्यक्ति विभाग (ब्यूरो) की स्थापना कर दी गई है। बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और दिल्ली में विशेष रजिस्ट्री कार्यालय भी खोल दिए गए है।

कानून-निर्माण

१९५८-५९ में संसद ने निम्नलिखित ७ कानून पास किए : (१) सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम, १९५८; (२) उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन अधिनियम १९५८; (३) सशस्त्र सेनाओं (असम और मणिपुर) को विशेष अधिकार अधिनियम, १९५८; (४) विष (संशोधन) अधिनियम, १९५८; (५) जाब्ता फौजदारी (संशोधन) अधिनियम, १९५८; (६) दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८; तथा (७) अपराधी प्रोबेशन अधिनियम, १९५८।

४. संसदीय मामले

संसदीय मामलों का विभाग संसद से सम्बन्धित कुछ मामलों के बारे मे सरकार तथा संसद के बीच सम्पर्क स्थापित करता है और संसद में विधायी तथा सरकारी कार्यवाही के संचालन की व्यवस्था करता है। यह विभाग खास तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण, सामान्य बजट तथा अन्य विषयों पर होने वाली बहस के लिए समय निर्धारित करने के बारे में विरोधी दलों के नेताओं के विचार जानने के लिए उनके साथ भी सम्पर्क स्थापित करता है। इसके अतिरिक्त यह विभाग उन सदस्यों को सहायता भी देता है जो संसद के कार्यक्रम में निहित सार्वजनिक महत्व के विशेष मामलों पर होने वाली बहस में रुचि रखते हों।

संसद की बैठकें

१६५८ में लोक-सभा तथा राज्य-सभा की क्रमशः १२५ तथा ६१ बैठकें हुई जिनका कार्य क्रमशः १७१ दिन तथा १२४ दिन चला जबकि १६५७ में इन सदनों की क्रमशः १०६ तथा ७७ बैठकें हुई थीं जिनका कार्य क्रमशः १३५ दिन तथा १०२ दिन चला था।

कार्यवाही सूची

इस वर्ष की सरकारी कार्यवाही के सम्बन्ध में विभाग ने लोक-सभा के लिए १०० तथा राज्य-सभा के लिए ६६ कार्यवाही सूचियां प्रकाशित कीं। संसदीय मामलों के मन्त्री ने लोक-सभा में सरकारी कार्यवाही से सम्बन्धित २४ वक्तव्य दिए और राज्य-सभा मे १२। साप्ताहिक वक्तव्यों का यह क्रम इसलिए चालू किया गया है कि संसद के सदस्यों को सदन में होने वाली कार्यवाही की सूचना पहले से दी जा सके ताकि वे उचित सुझाव दे सके और स्पष्टीकरण भी करवा सके।

विधि-निर्माण कार्य

१६५८ में विधायी कार्य १६५७ से कुछ हल्का रहा। इस वर्ष ५६ कानून पास किए गए जबकि १६५७ में ६८ और १६५६ में १०६ कानून पास किए गए थे। संसदीय मामलों के मंत्री ने मंत्रियों, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर तथा डिप्टी चेयरमैन को भी संसद-सदस्यों की भांति रेल पास मिलने की व्यवस्था के बारे में एक विधेयक प्रस्तुत किया।

लोक-सभा में ६१ तथा राज्य सभा में ४ सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए

गए। १९५७ के शेष ९ विधेयकों को लेकर इस वर्ष कुल ७४ विधेयकों पर विचार किया गया। इनमें से ५९ विधेयक पारित हुए तथा २ वापस ले लिए गए। ६ विधेयक लोक-सभा की संयुक्त समितियों के तथा ५ विधेयक लोक-सभा की प्रवर समितियों के सुपुर्द कर दिए गए। वर्ष के अन्त में १३ विधेयकों पर विचार करना शेष रह गया। १९५८ में राष्ट्रपति ने ७ अध्यादेश जारी किए, जिनके बारे में बाद में संसद ने कानून पास कर दिए।

मंत्रिमण्डल की संसदीय तथा कानूनी मामला समिति ने २६ विधेयकों पर मंत्रालयों की टिप्पणियों तथा गैर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत ३६ प्रस्तावों पर विचार किया और उन पर सरकार द्वारा की जाने वाली कार्य-वाही के सम्बन्ध मे निर्णय किया।

विधि-निर्माण से भिन्न कार्य

इस वर्ष ६९ विषयों पर ४३४ घंटे बहस हुई। इनमें से मुख्य विषय थे: विदेशी मामले, केरल मे विषाक्त खाद्य सामग्री, जीवन बीमा निगम, बनारस विश्वविद्यालय, खाद्य समस्या, दिल्ली में पानी बन्द होने का मामला, आयोजन, तथा अवकाशप्राप्त सरकारी कर्मचारियों को प्राइवेट नौकरियों में लगाने के बारे मे सरकारी नीति।

परामर्श समितियां

अनौपचारिक परामर्श समितियां सर्वप्रथम १९५४ में स्थापित की गई थीं। इन समितियों का मुख्य उद्देश्य सदस्यों और मन्त्रियो तथा अधिकारियों के बीच सम्पर्क स्थापित कराना तथा सदस्यों को सरकारी नीतियों तथा सार्वजनिक प्रशासन से अवगत कराना है।

१९५८ में १८ अनौपचारिक परामर्श समितियों की ९० बैठकें हुई। अगस्त में खाद्य समस्या पर विचार करने के लिए विभिन्न संसदीय राजनीतिक दलों की एक मिली-जुली विशेष परामर्श समिति भी बनाई गई।

आश्वासन

इस वर्ष दोनों सदनों की कार्यवाहियों से पता चलता है कि मन्त्रियो ने १,३२४ आश्वासन दिए। इनमें से इस वर्ष ६५८ आश्वासनों को पूरा भी किया गया। इनके अतिरिक्त, पिछले अधिवेशनों में दिए गए ४१७ आश्वासनों की भी पूर्ति की गई। आश्वासनों को पूरा करने के बारे में लोक-सभा में १६ और राज्य-सभा में ८ वक्तव्य दिए गए।

५. विधि

विधि मंत्रालय मुख्य रूप से विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए (जिसके अन्तर्गत दस्तावेज़ आदि तैयार करने और मुकदमों की पैरवी करने, केन्द्र के लिए विधेयकों, अध्यादेशों और विनियमों, तथा राज्यों के लिए विधेयकों और अध्यादेशों के मसविदे तैयार करने का काम भी आता है) तथा केन्द्रीय कानूनों के प्रकाशन की व्यवस्था करने के लिए उत्तरदायी है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय समस्त विधायी कार्यों तथा संसद, राज्यों के विधानमण्डलों, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाने तथा चुनाव आयोग, विधि आयोग, और आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण से सम्बन्धित कार्यों के लिए भी उत्तरदायी है। मंत्रालय के कार्य को अधिक सुचारु रूप से चलाने के उद्देश्य से अगस्त १९५८ में इसको दो भागों—अर्थात विधिकार्य विभाग, तथा विधायी विभाग—में विभक्त कर दिया गया।

विधि आयोग

इस वर्ष विधि आयोग ने न्याय प्रशासन में सुधार करने के लिए अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

जहा तक परिनियम विधि का सम्बन्ध है, विधि आयोग ने इस वर्ष ६ रिपोर्टें पेश की हैं। वे इस प्रकार हैं : भारतीय वस्तु विक्रय अधिनियम, १९३० (आठवीं रिपोर्ट); विशिष्ट सहायता अधिनियम, १८७७ (नौवीं रिपोर्ट); भूमि अर्जन और अधिग्रहण कानून (दसवी रिपोर्ट); हस्तान्तरणीय विलेख अधिनियम, १८८१ (ग्यारहवीं रिपोर्ट); भारतीय आयकर अधिनियम, १९२२ (बारहवी रिपोर्ट); तथा भारतीय संविदा अधिनियम, १८७२ (तेरहवी रिपोर्ट)।

आयोग की कार्य-अवधि समाप्त हो जाने के बाद उसे २० दिसम्बर, १९५८ से पुनः नियुक्त कर दिया गया है। पुनर्गठित विधि आयोग मुख्य रूप से परिनियम विधि का पुनरीक्षण करेगा। इस आयोग ने सबसे पहले ईसाइयों के विवाह और तलाक सम्बन्धी कानून का पुनरीक्षण करने का काम आरम्भ कर दिया है।

कानून आदि बनाने का काम

पिछले वर्षों की तरह ही, १९५८ में भी इस विभाग ने मसविदे आदि बनाने का पर्याप्त कार्य किया। इस वर्ष जो महत्वपूर्ण विधेयक तैयार किए गए, उनमें 'व्यापार और पण्य चिह्न विधेयक' तथा 'वाणिज्यिक नौवहन विधेयक' उल्लेखनीय हैं।

इस वर्ष संसद ने ५६ विधेयकों को कानूनी रूप दिया । इसी अवधि में ७ अध्यादेश और २ विनियम (रेग्युलेशन) भी जारी किए गए ।

भारत संहिता (इण्डिया कोड)

पिछले तीन वर्षों से यह मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के अधिनियमों का एक संग्रह 'भारत संहिता' शीर्षक से निकालने के लिए प्रयत्नशील है । इस संहिता में अधिनियमों को विषय के क्रम से रखा जाएगा । इस संहिता के आठ खण्ड होंगे और प्रत्येक खण्ड मे लगभग १,००० पृष्ठ होंगे । संहिता के पहले सात खण्ड प्रकाशित हो चुके है ।

इस वर्ष 'भारत संहिता' की एक पूर्ण अनुक्रमणिका छापने का भी विचार है । इस वर्ष छापे जाने वाले एक अन्य ग्रन्थ में भारत के संविधान के नियम और आदेश संकलित किए जाएगे ।

केन्द्रीय एजेंसी योजना

सर्वोच्च न्यायालय में उन दीवानी और फौजदारी मामलों की पैरवी करने के लिए केन्द्रीय एजेंसी उपविभाग की स्थापना कर दी गई है जिनमें केन्द्र और राज्य सरकारों का हित निहित होता है । इस उपविभाग की स्थापना से अधिकाधिक समन्वय, मितव्ययिता तथा दक्षता की व्यवस्था की जा सकी है । पश्चिम बंगाल, असम, उत्तर प्रदेश, केरल और अंशतः मध्य प्रदेश के सिवा सब राज्य इस योजना में शामिल हुए ।

६. अर्थ-व्यवस्था तथा आयोजन

उत्पादन

आलोच्य वर्ष में कृषि-उत्पादन मे जितनी कमी हुई उतनी कमी १९५३-५४ के बाद कभी नहीं हुई थी। खाद्यान्नों और व्यापारिक फसलों, दोनों का उत्पादन १९५६-५७ के मुकाबले कम रहा। इस वर्ष चावल, गेहूं और दालों का उत्पादन पिछले वर्ष की अपेक्षा क्रमशः १२.३ प्रतिशत, १७.८ प्रतिशत और १९ प्रतिशत कम रहा। केवल मूंगफली और कपास के उत्पादन में पिछले वर्ष की अपेक्षा कुछ वृद्धि हुई।

औद्योगिक उत्पादन की रफ्तार में भी १९५७ के बाद कुछ ढिलाई आई। इसकी वजह मुख्यतः वस्त्र और सूत के उत्पादन में गिरावट थी। सूती वस्त्र उद्योग को छोड़ कर अन्य उद्योगों में उत्पादन-वृद्धि की रफ्तार १९५८ में वैसी ही रही जैसी १९५७ में थी। कुछ नये इंजीनियरिंग तथा रासायनिक उद्योगों में भी हाल के वर्षो में उत्पादन काफी तेज़ी से बढ़ा।

उद्योग के क्षेत्र में १९५७ की अपेक्षा १९५८ में कोयला, लोहा, डीज़ल के इंजन, बिजली के पम्प, बिजली की मोटरें, मशीन के औज़ार, गंधक का तेजाब, कास्टिक सोडा, साइकिल तथा सिलाई की मशीनों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई; पर कुछ अन्य उद्योगों के उत्पादन में गिरावट आई। आयात पर प्रति-बन्ध और आन्तरिक मांग मे कमी इस गिरावट के कारण है।

मूल्य

१९५७-५८ में कृषि-उत्पादन में गिरावट और औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की रफ्तार में ढिलाई का १९५८-५९ के मूल्यों पर ज़बर्दस्त प्रभाव पड़ा। फलस्वरूप १९५७ के अंतिम महीनों में थोक मूल्यों मे गिरावट आ गई। किन्तु मार्च १९५८ से थोक मूल्य चढ़ने लगे। नवम्बर-दिसम्बर १९५८ में इनमें कुछ गिरावट आई पर फरवरी १९५९ में ये फिर चढ़ने लगे। कुल मिलाकर १९५७ में ५.९ प्रतिशत मूल्य-वृद्धि हुई थी, किन्तु १९५८ में

मूल्य-वृद्धि २.१ प्रतिशत रही जिसका प्रभाव मुख्यतः खाद्य पदार्थों और खाद्यान्नो पर ही पड़ा ।

भुगतान सन्तुलन

भारत के संचित विदेशी विनिमय कोष पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के आरम्भ ही से काफी दबाव रहा, किन्तु यह दबाव १९५८ के आरम्भिक महीनों मे और भी ज़्यादा हो गया। पर इसके बाद यह दबाव बहुत हद तक कम हो गया। १३ फरवरी, १९५९ को भारत के पास २ अरब ६ करोड़ १० लाख रुपये मूल्य का विदेशी विनिमय सुरक्षित था ।

१९५८-५९ मे यद्यपि आयात अपेक्षाकृत बहुत कम हुआ, तथापि निर्यात मे भी काफी कमी हुई। १९५७-५८ की प्रथम छमाही मे २ अरब ६७ करोड़ १० लाख रुपये का सामान निर्यात किया गया था, किन्तु १९५८-५९ की प्रथम छमाही मे यह घट कर २ अरब ५३ करोड़ ५० लाख रुपये ही रह गया। यानी, पिछले वर्ष की अपेक्षा आलोच्य वर्ष मे निर्यात में ५ प्रतिशत की गिरावट हुई ।

मुद्रा की प्रवृत्तियां

१९५८-५९ मे मुद्रा की उपलब्धि (रेट आफ सप्लाई) की रफ्तार कुछ धीमी रही। १९५७ मे ९६ करोड़ ३० लाख रुपये की मुद्रा-वृद्धि हुई थी, जबकि १९५८ में केवल ७४ करोड़ ९० लाख रुपये की मुद्रा-वृद्धि हुई। इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार पर बैको के ऋण में भी कमी हुई। यह ऋण १९५७ में ४ अरब ७७ करोड़ रुपये था, जबकि १९५८ में यह घट कर ४ अरब ७ करोड़ रुपये ही रह गया। भारत की विदेश-स्थित सम्पत्ति भी १९५८ मे घट कर १ अरब ८ करोड़ ८० लाख रुपये रह गई, जबकि १९५७ में यह ३ अरब २७ करोड़ ५० लाख रुपये थी ।

आलोच्य वर्ष में मुद्रा की स्थिति में सुधार होने के कारण केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों की सार्वजनिक ऋण योजनाएं गत वर्ष की अपेक्षा अधिक सफल रही। १९५८-५९ मे केन्द्रीय सरकार ने १ अरब ८१ करोड़ रुपये का ऋण और राज्य सरकारों ने कुल ४६ करोड रुपये का ऋण लिया । इन दोनों रकमों का जोड़ २ अरब २७ करोड़ रुपये होता है। इसकी तुलना मे गत वर्ष केवल ७१ करोड़ रुपये ऋण के रूप में प्राप्त हो सके थे।

रोज़गार

रोज़गार दफ्तरों मे १९५८ के अन्त तक ११ लाख ८० हज़ार बेरोज़गार व्यक्तियों के नाम दर्ज थे जिन्हें नौकरी की तलाश थी। १९५७ मे इनकी संख्या ९ लाख २० हज़ार थी। रोज़गार दफ्तरों से जितनी खाली जगहों

के लिए उम्मीदवारो की माग की गई उनकी कुल संख्या १९५८ में ३ लाख ६५ हज़ार थी ।

रोज़गार दफ्तरों में नाम दर्ज कराने वाले व्यक्तियों में से ८० प्रतिशत उम्मीदवार क्लर्क की जगह चाहने वाले और अदक्ष व्यक्ति थे। अनुभवी इंजीनियरों, सर्वेक्षणकर्ताओं, ओवरसियरों, स्टेनोग्राफरों, डाक्टरों तथा अन्य योग्यता-प्राप्त व्यक्तियों की कमी रही।

आर्थिक नीति तथा उपाय

१९५७-५८ मे भारत सरकार ने जो वित्तीय और आर्थिक नीति अपनाई वही नीति १९५८-५९ मे भी जारी रही । १९५८-५९ के केन्द्रीय बजट में करों के ढांचे मे मामूली ही परिवर्तन किए गए। इस बजट मे उपहार-कर लागू किया गया, कर-प्रणाली में और अधिक सम्बद्धता स्थापित करने की दृष्टि से सम्पत्ति शुल्क अधिनियम संशोधित किया गया और कुछ उत्पादन शुल्कों तथा निर्यात शुल्कों में सुधार किए गए।

आलोच्य वर्ष में रिजर्व बैंक की मुद्रा-नीति यह रही कि सहकारी बैंकों के लिए एक ओर जहा ऋण की सुविधाओं मे वृद्धि की गई, वहां दूसरी ओर रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रिम धन-राशि देने पर नियन्त्रण रखा गया। इसका उद्देश्य मूल्यों में, विशेष रूप से खाद्यान्नों के मूल्यों मे, चढाव की प्रवृत्ति को नियन्त्रित रखना था।

जहां तक आयात सम्बन्धी नीति का प्रश्न है, १९५८ में अप्रैल मे सितम्बर के बीच ३ अरब २३ करोड़ रुपये का सामान आयात करने के लिए लाइसेंस जारी किए गए। उपभोक्ता-सामग्री के आयात में भारी कटौती कर दी गई और उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चे माल के आयात पर भी कुछ रोक-थाम लगाई गई। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए निर्यात शुल्कों में या तो भारी कमी कर दी गई या फिर उन्हें समाप्त कर दिया गया। निर्यात का कोटा भी बढा दिया गया।

द्वितीय योजना

देश के साधनो पर भारी दबाव को देखते हुए १९५७-५८ में इस बात की ओर संकेत किया गया था कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ परिवर्तन किया जाए। राष्ट्रीय विकास परिषद ने मई १९५८ में अपनी बैठक में योजना आयोग द्वारा इस सम्बन्ध में दिए गए एक प्रतिवेदन पर विचार किया। इस बैठक में

यह निर्णय किया गया कि द्वितीय योजना की अवधि में ४८ अरब रुपये के प्रस्तावित खर्च में कटौती करके उसे ४५ अरब रुपये कर दिया जाए।

राष्ट्रीय विकास परिषद ने नवम्बर १९५८ में दो महत्वपूर्ण निर्णय किए: (१) बहूद्देश्यीय ग्राम समितियों को प्रारम्भिक इकाई मानते हुए इनके आधार पर एक विशाल सहकारिता आन्दोलन का निर्माण और (२) राज्यों द्वारा खाद्यान्न का व्यापार। ये दोनों परिवर्तन उत्पादन में वृद्धि करने, बचत को प्रोत्साहन देने, मूल्यों को स्थिर रखने तथा विकास-कार्यों के प्रति जनता में अधिकाधिक रुचि पैदा करने की दृष्टि से किए गए।

७. वित्त

वित्त मंत्रालय केन्द्रीय सरकार के वित्त प्रबन्ध तथा पूरे देश से सम्बन्ध रखने वाले वित्तीय मामलों के लिए उत्तरदायी है। प्रशासन कार्य चलाने के लिए आवश्यक साधन जुटाने, सरकार की कर लगाने तथा ऋण लेने की नीति का नियमन करने, बैंक-व्यवस्था और मुद्रा सम्बन्धी समस्याएं हल करने तथा देश की विदेशी मुद्रा का सदुपयोग करने आदि जैसे कार्य भी इसी मंत्रालय के अधीन हैं। इस मंत्रालय के तीन विभाग हैं—राजस्व विभाग, व्यय विभाग, तथा अर्थ-विभाग।

दशमिक सिक्के

जुलाई १९५८ में एक अधिसूचना जारी करके जनता को सूचित कर दिया गया कि १ जनवरी, १९५९ से तांबे की दुअन्नियां तथा अधेले और पाइयां चलन से वापस ले ली जाएंगी। १ अप्रैल, १९५७ को दशमिक सिक्के चलाने के फल-स्वरूप, आने-पाइयों के सिक्कों को धीरे-धीरे चलन से वापस लेने की जो योजना बनाई गई है, उसके अनुसार इन सिक्कों का विमुद्रीकरण करने के लिए यह पहला कदम उठाया गया।

वेतन आयोग

वेतन आयोग ने दिसम्बर १९५७ में अपनी अन्तरिम रिपोर्ट पेश करने के बाद २४ मार्च, १९५८ से ज़बानी गवाहियां लीं तथा राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श किया। जून १९५९ के अन्त तक वेतन आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो जाने की आशा थी।

केन्द्रीय सरकार के पेन्शनी

केन्द्रीय सरकार से एक सौ रुपया मासिक तक (११२.५० रु० मासिक तक के मार्जिनल समंजन की व्यवस्था करते हुए) पेन्शन पाने वाले उन व्यक्तियों को, जो १५ जुलाई, १९५२ से पूर्व रिटायर हो चुके हैं, १ अप्रैल, १९५८ से और भी राहत दे दी गई।

सरकार द्वारा नवम्बर १९५८ में बनाई गई एक समिति से यह कहा गया था कि वह यह देखे कि पेन्शन नियत करने और उसकी अदायगी में देर होने के क्या कारण हैं तथा उनको दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिएं। सारी स्थिति की जांच करने के बाद इस समिति ने अपने सुझाव दे दिए ।

छोटी बचतें

डाकघर बचत बैंक

१ अप्रैल, १९५८ से डाकघर बचत बैंक में से सप्ताह में दो बार रुपया निकलवाने की सुविधा उन सब डाकघरों में दी गई जिनमें बचत बैंक हैं। इसी तारीख से सब मुख्य डाकघरों और छोटे डाकघरों में चेक से रुपया जमा करवाने की सुविधा भी दे दी गई । कुछ चुने हुए डाकघरों में चेक से रुपया निकलवाने की व्यवस्था भी कर दी गई । लगभग १,००० डाकघरों से अब चेक से रुपया निकलवाया जा सकता है ।

राष्ट्रीय योजना बचत-पत्र

डाकघर १२-वर्षीय राष्ट्रीय बचत-पत्र नियम, १९४४ में विस्तार करके २ जून, १९५९ से नय नियम लागू कर दिए गए । इसके अतिरिक्त, धन लगाने की सीमाओं को भी सुसंगत बनाने के उद्देश्य से अब इन बचत-पत्रों में धमर्थि संस्थाओं द्वारा धन लगाने की सीमा ६०,००० रु० से बढ़ा कर १ लाख रु० और बैंकों, निगमित कम्पनियों तथा रजिस्टरशुदा फर्मों द्वारा धन लगाने की सीमा १५,००० रु० से बढ़ा कर २५,००० रु० कर दी गई ।

सावधिक जमा योजना

जो व्यक्ति हर महीने नियमित रूप से रुपया बचाना चाहते है, उनके लिए २ जनवरी, १९५९ से डाकघरों में 'क्रमशः बढ़ने वाली सावधिक जमा योजना' नामक एक नयी योजना आरम्भ की गई । जमा रकमें ५ या १० वर्षों के बाद सूद-दर-सूद के साथ लौटा दी जाती हैं ।

एजेंसी योजनाएं

१२-वर्षीय राष्ट्रीय योजना बचत-पत्र तथा १०-वर्षीय राजकोष बचत जमा-पत्र बेचने के लिए आजकल ७ प्रकार की विभिन्न एजेंसियां हैं। इन एजेंसियों को एक स्तर पर लाने तथा ज़मानत जमा करवाने की शर्तें नरम बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा था।

राज्य सरकारें और छोटी बचतें

१९५७-५८ में छोटी बचतों से ६९ करोड़ ५६ लाख रु० प्राप्त हुआ था। १९५८-५९ में भी छोटी बचतों से धन एकत्र करने में अच्छी सफलता मिली।

राज्यों को अधिक प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छोटी बचतों में जमा धन का बंटवारा करने के सिद्धांत को १९५८-५९ में और भी उदार बना दिया गया।

सलाहकार समितियां, बोर्ड, आदि

इस वर्ष बम्बई, मद्रास, पश्चिम बंगाल तथा मैसूर में राष्ट्रीय बचत के लिए राज्यीय सलाहकार समितियां बना दी गईं। इस प्रकार अब जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर शेष सब राज्यों में सलाहकार समितियां काम कर रही हैं।

डाकघर बचत बैंक में धन जमा करवाने तथा बचत-पत्र खरीदने वालों की मृत्यु हो जाने पर उनके दावेदारों को प्रबन्धाधिकारी पत्र, उत्तराधिकारी पत्र आदि पेश किए बगैर ही अदायगी की जा सके, इसके लिए जनता को नामज़द करने की सुविधा दे दी गई। इसके लिए सम्बन्धित अधिनियमों में संशोधन करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

औद्योगिक वित्त निगम

अक्तूबर १९५८ तक औद्योगिक वित्त निगम ने कुल ६३ करोड़ ३० लाख रु० के लिए स्वीकृति दी तथा ३६ करोड़ ७६ लाख रु० के ऋण दिए। इसके अतिरिक्त, निगम ने ३१ अक्तूबर, १९५८ तक मशीनों और साज़-सामान के आयात के लिए ४ करोड़ ३ लाख रु० के विलम्बित भुगतान की गारंटी देना भी स्वीकार किया।

नवम्बर १९५८ में इस निगम ने ४ करोड़ रु० के १०-वर्षीय बांड जारी किए। निर्दिष्ट राशि से भी अधिक रुपया प्राप्त हो चुका है।

राज्यीय वित्त निगम

राज्यीय वित्त निगम की स्थापना राज्यीय वित्त निगम अधिनियम, १९५१, के अधीन की गई थी। ये निगम अब १४ राज्यों में से ११ राज्यों में काम कर

रहे हैं। मैसूर राज्य ने भी एक वित्त निगम स्थापित करने का निश्चय किया । इसके अतिरिक्त, यह भी निश्चय किया गया कि त्रिपुरा को असम वित्त निगम सेवाएं प्रदान करेगा ।

राज्यीय वित्त निगमों ने सितम्बर १९५८ तक १७ करोड़ ६१ लाख रु० के ऋण देने की स्वीकृति दी थी, जिनमें से ११ करोड़ ९४ लाख रु० दिया जा चुका है । इस रकम में से छोटे पैमाने के उद्योगों के लिए २ करोड़ ७१ लाख रु० के ऋण स्वीकार किए गए तथा १ करोड़ ७४ लाख रु० के ऋण दिए गए । निगम द्वारा दिए गए ऋणों और अग्रिमों में से २८ नवम्बर, १९५८ को १० करोड़ ४६ लाख रु० बकाया था । दो निगमों ने औद्योगिक कम्पनियों द्वारा जारी किए गए लगभग १३ लाख ७५ हज़ार रु० के ऋण-पत्र भी खरीदे ।

सब वित्त निगमों की वर्तमान कुल चुकता पूंजी १३ करोड़ ३० लाख रु० है । इनमें मद्रास औद्योगिक वित्त निवेश निगम भी शामिल है । चूंकि अधिकाधिक औद्योगिक कम्पनियां इन निगमों से सहायता ले रही है, इसलिए केरल, पश्चिम बंगाल, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के वित्त निगमों ने बांड जारी करके लगभग २ करोड़ ५० लाख रु० जुटाया है । इसके अतिरिक्त, मद्रास औद्योगिक वित्त निवेश निगम ने भी १ करोड़ रु० एकत्र किया है । उत्तर प्रदेश वित्त निगम को छोड़ कर, बाकी वित्त निगम नवम्बर १९५८ तक कुल ५ करोड़ ५७ लाख रु० के बांड जारी कर चुके है ।

कुछ राज्य सरकारों ने राज्यीय वित्त निगमों को अपना एजेंट नियुक्त कर दिया । यह व्यवस्था इस समय उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बम्बई में की गई । सितम्बर १९५८ के अन्त तक एजेंट बनाने की उक्त व्यवस्था के अन्तर्गत इन निगमों ने लगभग ३५ लाख ७८ हज़ार रु० के ऋण दिए ।

औद्योगिक ऋण और निवेश निगम

दिसम्बर १९५८ के अन्त तक भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम ने औद्योगिक कम्पनियों को विभिन्न रूपों में ११ करोड़ ७४ लाख रु० की वित्तीय सहायता प्रदान करना स्वीकार किया । इसमें से ५ करोड़ ५६ लाख रु० वास्तव में दिया अथवा लगाया जा चुका है । इसके अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने निगम को जो १ करोड़ डालर (लगभग ४ करोड़ ७६ लाख रु०) का ऋण दिया, उसमें से निगम ने ११ औद्योगिक कम्पनियों को विदेशी मुद्रा में लगभग ३ करोड़ ६० लाख रु० के ऋण प्रदान करना स्वीकार किया । इसमें से योजना-कार्यों की आवश्यकताओं के अनुसार लगभग २१ लाख ४१ हज़ार रु० दे दिए गए ।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

पुनर्वास वित्त प्रशासन की स्थापना १९४९ में इस उद्देश्य से की गई थी कि विस्थापित व्यक्तियों को व्यापार या उद्योग जमाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। ३१ अक्तूबर, १९५८ तक पु० वि० प्रशासन ने ऋण के लिए प्राप्त कुल ८९,०९४ अर्जियों में से ८७,९९७ अर्जियां निपटा दीं, और १५,८३० मामलों में १२ करोड़ २० लाख रु० के ऋणों की स्वीकृति दी। इसमें से लगभग १० करोड़ ८७ लाख रु० इस अवधि की समाप्ति तक दे दिया गया।

जीवन बीमा निगम

जीवन बीमा निगम ने 'ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन', 'जेसप्स', 'रिचर्डसन एंड क्रूडास', 'स्मिथ स्टेनिस्ट्रीट', 'एंजीलोस' तथा 'ओसलर इलेक्ट्रिक' में जो धन लगाया था, उसकी जांच करने के लिए एक सदस्यीय जांच आयोग की नियुक्ति की गई थी। आयोग की रिपोर्ट पर संसद में वाद-विवाद हुआ तथा सरकारी प्रस्ताव के अनुसार इस सौदे से सम्बन्ध रखने वाले अधिकारियों के आचरण की जांच के लिए एक अन्य आयोग बैठाया गया। इस आयोग की रिपोर्ट सरकार के सामने पेश कर दी गई।

३१ अक्तूबर, १९५८ को बीमा निगम ने लगभग ४ अरब ४ करोड़ ८२ लाख रु० की पूंजी लगाई हुई थी, जिसमें से ७३.१ प्रतिशत सरकारी क्षेत्र में तथा २६.९ प्रतिशत गैर-सरकारी क्षेत्र में लगी हुई थी।

१९५७ में बीमा निगम ने लगभग २ अरब ८१ करोड़ ९० लाख रु० के जीवन बीमे किए थे। भारतीय जीवन बीमा कम्पनियों के इतिहास में इससे पहले इतना काम कभी नहीं हुआ था। १९५८ में १ करोड़ १७ लाख रु० का जनता बीमा व्यवसाय हुआ। ये आंकड़े अस्थायी और १२ जनवरी, १९५९ तक संशोधित हैं। १९५८ म विदेशों में ४ करोड़ ४३ लाख रु० का बीमा किया गया। ये आंकड़े अस्थायी और १२ जनवरी, १९५९ तक संशोधित है।

करों का सम्मिलित ढांचा

प्रत्यक्ष करों के ढांचे को नया सम्मिलित रूप देने का कार्य १९५७-५८ में आरम्भ किया गया, जो १९५८-५९ में दान-कर अधिनियम, १९५८ लागू होने तथा मृत सम्पत्ति शुल्क अधिनियम, १९५८ में संशोधन करने से पूरा हो चुका है। इस प्रकार १९५८-५९ में ये प्रत्यक्ष कर लागू थे : (क) आय-कर,

(ख) सम्पत्ति-कर, (ग) व्यय-कर, (घ) मृत सम्पत्ति-शुल्क, (ङ) दान-कर तथा (च) रेल-यात्री किराया-कर ।

आय-कर

एक मामूली-से परिवर्तन के सिवा, १९५८-५९ में आय-कर की दर का ढांचा वही रहा जो पिछले वर्ष था ।

आय-कर जांच आयोग

१९५८-५९ में आय-कर जाच आयोग को १९४७ के तिरुवांकुर आय-कराधान (जांच आयोग) अधिनियम के अन्तर्गत जो मामले सौंपे गए थे, उनको आयोग ने निपटा दिया । इन मामलों में छुपाई गई रकम ३५ लाख ३४ हज़ार रु० निकली, जिस पर करदाताओं द्वारा दिए जाने वाले कर और जुर्माने की रकम १७ लाख ३८ हज़ार निर्धारित की गई । आयोग ३१ दिसम्बर, १९५८ से भंग कर दिया गया ।

सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) के १९ नवम्बर, १९५८ के एक निर्णय के फलस्वरूप उन ५०० से अधिक मामलों पर प्रभाव पड़ा है जिन्हें करदाताओं ने १९४७ के आय-कराधान (जांच आयोग) अधिनियम की धारा ८ (क) के अधीन २६ जनवरी, १९५० को अथवा इस तिथि के बाद दायर किया था । इसलिए आय-कर अधिनियम की धारा ३४ के अधीन इन मामलों की पुनः जांच करने का निश्चय किया गया । इस उद्देश्य से १९५९ का अध्यादेश नं० १ जारी करके आय-कर अधिनियम में संशोधन कर दिया गया ।

सर्वोच्च न्यायालय के १९५४ और १९५५ के निर्णय से प्रभावित मामलों के निपटान के लिए 'निरीक्षण निदेशालय (विशेष जांच)' नामक एक संगठन स्थापित किया गया था । इस निदेशालय के पास जांच करने के लिए ९०१ मामले थे, जिनमें से ६४० मामले नवम्बर १९५८ तक निपटा दिए गए । इनमें २२ करोड़ ६१ लाख रु० की और ११ करोड़ ६३ लाख रु० के कर की छुपाई गई रकमें निकली ।

सम्पत्ति-कर

१९५८-५९ में सम्पत्ति-कर के ३२,९८५ मामले निपटाए जाने बाकी थे, जिनमें पिछले वर्ष के मामले भी शामिल थे । सम्पत्ति-कर अधिनियम में कुछ संशोधन भी किए गए । एक विशेष उल्लेखनीय परिवर्तन यह किया गया कि डाकघर राष्ट्रीय योजना-पत्रों को तथा १२-वर्षीय राष्ट्रीय योजना

बचत-पत्रों की सम्पत्ति-कर से मुक्त कर दिया गया, ताकि इनमें जनता अधिक से अधिक धन लगाए । इनसे होने वाली आय पर पहले से ही कोई आय-कर नहीं लगा है। इसके अतिरिक्त, जो व्यक्ति भारत के नागरिक नहीं हैं, उनकी भारत से बाहर की सम्पत्ति को इस कर से मुक्त कर दिया गया ।

व्यय-कर

व्यय-कर अधिनियम, १९५७, पहली अप्रैल, १९५८ से लागू हो गया। यह कर केवल व्यक्तियों और संयुक्त हिन्दू परिवारों पर ही लगेगा तथा केवल उसी हालत में लिया जाएगा जब करदाता को पिछले वर्ष में सब साधनों से ३६,००० रु० से अधिक आय हुई हो। इस अधिनियम में व्यक्तिगत व्यय के लिए ३०,००० रु० की मूल छूट देने के अतिरिक्त, कुछ और भी रियायतें देने की व्यवस्था है ।

व्यय-कर अधिनियम की एक विशेषता यह है कि प्रिवी पर्स (जेब खर्च) पाने वाले राजा-महाराजाओं के व्यय का निर्धारण निपटारे के आधार पर किया जाएगा। निर्धारण वर्ष १९५८-५९ के लिए ऐसे निपटारों के लिए एक सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया । इस वर्ष कई मामलों में निर्धारण के आधार पर कर लगाने का काम भी पूरा कर लिया गया ।

मृत सम्पत्ति-शुल्क

मृत सम्पत्ति-शुल्क, १९५३ में संशोधन करने के लिए संसद ने सितम्बर १९५८ में एक विधेयक पास किया । इस अधिनियम के लागू होने से प्रतिवर्ष ७० लाख रु० की अतिरिक्त आय होने का अनुमान है।

दान-कर

१९५८ में संसद में दान-कर अधिनियम, १९५८ पेश किया गया। यह कर उन सब दानों पर लगेगा जो १ अप्रैल, १९५७ को अथवा इस तिथि के बाद दिए जाएंगे। छ: अथवा अधिक व्यक्तियों के नियन्त्रण में पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों पर तथा धर्मार्थ संस्थाओं पर यह कर नहीं लगेगा। इसके अतिरिक्त, कुछ प्रकार के दान—यथा भारत के बाहर की अचल सम्पत्ति का दान, सरकार को दान, आय-कर अधिनियम के अधीन मान्यता-प्राप्त धर्मार्थ संस्थाओं को दान, व्यापार आदि में दिए गए वास्तविक दान— इस कर से मुक्त है। इन सबके अतिरिक्त, यदि पिछले वर्ष में किसी व्यक्ति ने १०,००० रु० मूल्य से अधिक दान नहीं दिया है, तो उस पर भी यह कर नहीं लगेगा ।

रेल-यात्री किराया-कर

रेल-यात्री किराया-कर अधिनियम, १९५७, के द्वारा १५ सितम्बर, १९५७ से रेलों में किरायों पर एक कर लगाया गया था। इस कर से होने वाली शुद्ध आय राज्यों को दे दी जाती है। १९५७-५८ में इस कर से शुद्ध आय ४ करोड़ ८१ लाख रु० हुई, जबकि संशोधित बजट-अनुमान ४ करोड़ ८४ लाख रु० का था। १९५८-५९ का बजट अनुमान ९ करोड़ २२ लाख रु० का है।

केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क

१९५८-५९ में सीमेंट, सूती कपड़े, चाय और खनिज तेलों के शुल्कों में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। सीमेंट पर शुल्क २० रु० प्रति टन से बढ़ा कर २४ रु० प्रति टन कर दिया गया। वैज्ञानिक विधि से तैयार सूती कपड़े पर भी शुल्क की दरों में वृद्धि कर दी गई। अच्छी और बहुत अच्छी किस्म के कपड़े पर भी शुल्क की दर कुछ बढ़ा दी गई, तथा मीडियम और घटिया किस्म के कपड़े पर उत्पादन-शुल्क घटा दिया गया। इसके साथ ही, उन निर्माताओं पर भी उत्पादन-शुल्क की दर कम कर दी गई जिनके पास ३०० से अधिक करघे नहीं हैं तथा जो केवल मीडियम तथा/या घटिया कपड़ा ही बनाते हैं। इसके अतिरिक्त, यह भी निश्चय किया गया कि जो कारखाने बिजली से सूती कपड़े का विधायन करते हैं, उनको लाइसेंस दिए जाएंगे, तथा कारखानों से माल की निकासी के समय दिए गए उत्पादन-शुल्क तथा वैज्ञानिक विधि से तैयार करने के बाद कपड़े पर दिए जाने वाले उत्पादन-शुल्क का अन्तर उनसे वसूल किया जाएगा।

चाय उद्योग को राहत देने के उद्देश्य से १ जून, १९५८ से खुली चाय पर उत्पादन-शुल्क की दर १ आना प्रति पौंड से ६ पाई प्रति पौंड कर दी गई। इसी उद्देश्य से २८ सितम्बर, १९५८ से चाय पर शुल्क की दरों में पुनः घट-बढ़ कर दी गई।

खनिज तेल (अतिरिक्त उत्पादन और सीमा-शुल्क) अधिनियम, १९५८ के अधीन भारत में खनिज तेल के उत्पादनों का वितरण करने वाली प्रमुख तेल कम्पनियों द्वारा स्वीकृत मूल्य में कमी करने के लिए राज़ी होने पर खनिज तेलों पर उत्पादन-शुल्क और सीमा-शुल्क में पुनः घट-बढ़ कर दी गई।

छोटे निर्माताओं की सहायता करने के उद्देश्य से कुछ वनस्पति उत्पादनों पर खण्ड-प्रणाली के आधार पर छूट दे दी गई। पाठ्य-पुस्तकें तथा जन-साधारण के लिए उपयोगी पुस्तकों में प्रयुक्त किए जाने वाले अखबारी कागज़ को भी उत्पादन-शुल्क से मुक्त कर दिया गया। स्वतन्त्र रूप से वैज्ञानिक तरीकों से

माल तैयार करने वाले उद्योगों को राहत देने के उद्देश्य से किसी कारखाने द्वारा एक महीने में वैज्ञानिक विधि से तैयार सूती कपड़े में से ५० हज़ार वर्ग गज कपड़े को १७ अक्तूबर, १९५८ से इस शुल्क से मुक्त कर दिया गया।

निर्यात को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इस वर्ष भी कुछ योजनाएं आरम्भ की गई। इनमें निम्नलिखित दो योजनाएं उल्लेखनीय हैं : (१) फलों से बने उन पदार्थों जिनके तैयार करने में चीनी का प्रयोग होता है, टाइपराइटर की मशीनों के लिए रिबन बनाने के काम आने वाले कपड़े, कापियों, लिफाफों, बही-खाते आदि बनाने में काम आने वाले कागज़, रंग-रोगन और वारनिश बनाने में काम आने वाले अलसी के तेल तथा वनस्पति पर तदर्थ दरों पर उत्पादन-शुल्क में छूट देने की योजना, तथा (२) अनेक वस्तुओं यथा नकली रेशम के कपड़े, ड्राई बैटरियां और ड्राई सैल, श्रृंगार की वस्तुएं, मोमजामा, लिनोलियम, बसों के ढांचे और हिस्से, मोटरगाड़िया, बिजली के पखे, जूते, कहवा, स्पारकिंग प्लग, टीन के पीपे, हरीकेन लालटेन, कृषि औज़ार, बिजली की तार ले जाने वाली (कंड्यूट) नालियां, लोहे की कीलें, इस्पात के सन्दूक, इस्पात का फरनीचर, साइकिलें, बिस्कुट आदि पर लिए गए उत्पादन और सीमा-शुल्कों की वापसी की योजना।

सीमा-शुल्क

निर्यात व्यापार को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सीमा-शुल्कों के स्तर में घट-बढ़ करने की नीति के अनुसार, खनिज मैंगनीज, तिलहन, वनस्पति तेलो और खली पर से सीमा-शुल्क हटा दिया गया। कपास की कुछ किस्मों पर निर्यात-शुल्क की दर में भी कमी कर दी गई। चाय (सीमा और उत्पादन-शुल्कों में परिवर्तन) अधिनियम, १९५८ के अधीन चाय पर के निर्यात-शुल्क में संशोधन कर दिया गया, जिससे कि इस उद्योग को कुछ राहत मिले तथा विश्व की मंडियों में भारतीय चाय की प्रतियोगितात्मक स्थिति में सुधार हो। इसके अतिरिक्त, देश के अपने उद्योगों की सहायता करने के उद्देश्य से आयात-शुल्कों में भी परिवर्तन कर दिए गए।

सीमा-शुल्क की कार्यप्रणालियों तथा उससे सम्बद्ध संगठन की जाच-पड़ताल करने के उद्देश्य से २ फरवरी, १९५७ को सीमा-शुल्क पुनर्गठन समिति बनाई गई थी। इस समिति ने इस वर्ष अपनी रिपोर्ट पेश की, जिस पर सरकार विचार कर रही है।

भारत ने (१) पर्यटन के लिए सीमा-शुल्क सम्बन्धी सुविधाओं, तथा (२) गैर-सरकारी गाड़ियों का अस्थायी तौर पर आयात करने से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय

समझौतों की सम्पुष्टि कर दी और ३ अगस्त, १९५८ से उन्हें लागू कर दिया। उपर्युक्त पहले समझौते का उद्देश्य यह है कि पर्यटकों के सामान को निःशुल्क लाने की जो परिपाटी है, उसको एक समान बनाया जाए तथा दूसरे समझौते का उद्देश्य यह है कि यात्रियों को इस शर्त पर कारें और मोटरगाड़ियां निःशुल्क आयात करने की अनुमति दी जाए कि उन गाड़ियों का पुनः निर्यात कर दिया जाएगा।

जनवरी से अक्तूबर १९५८ की अवधि में विभिन्न सीमा-शुल्क नियमों का उल्लंघन करने के १५,०२१ मामले पकड़े गए जिससे लगभग २ करोड़ ३६ लाख रु० का माल पकड़ा गया।

पुनर्वित्त निगम

उद्योग पुनर्वित्त निगम (प्राइवेट) लि० की जून १९५८ में रजिस्टरी करा दी गई। रिज़र्व बैंक, जीवन-बीमा निगम, भारतीय स्टेट बैंक तथा १४ अनुसूचित बैंक इस निगम के सदस्य है। पुनर्वित्त निगम की जारी की गई पूंजी १२ करोड़ ५० लाख रु० है, तथा २१ जून, १९५८ के एक करार के अनुसार भारत सरकार इसको २६ करोड़ रु० का ऋण प्रदान करेगी। ५ करोड़ रु० ऋण की पहली किस्त जुलाई १९५८ में इस निगम को दे दी गई।

नवम्बर १९५८ तक पुनर्वित्त निगम ने अपने सदस्य बैंकों को १ करोड़ ७८ लाख रु० का ऋण देना स्वीकार किया। निगम मध्यम श्रेणी के केवल उन्हीं उद्यमों को ऋण देगा जिनकी चुकता पूजी और आरक्षित निधि २ करोड़ ५० लाख रु० से अधिक नही होगी। पुनर्वित्त योजना का उद्देश्य यह है कि पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगो को साधारण बैंक-प्रणाली से ऋण देकर उन्हे अपना उत्पादन बढाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

भारतीय स्टेट बैंक

१९५८-५९ में भारत सरकार ने ९० केन्द्रों की एक और सूची स्वीकार की, जहां भारत स्टेट बैंक की शाखाएं खोली जाएंगी। इस प्रकार, विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक ३६२ शाखाओं के लिए स्वीकृति दी जा चुकी है। आशा है कि ३० जून, १९६० तक बैंक की ४०० शाखाएं खुल जाएंगी। नवम्बर १९५८ तक उपर्युक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत १९८ शाखाएं खोली जा चुकी थी। इसके अतिरिक्त, उन ५१ केन्द्रों मे से ४६ केन्द्रों में भी शाखाएं खोल दी गई जहां भूतपूर्व इम्पीरियल बैंक के विस्तार कार्यक्रम के अन्तर्गत, जिसे भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने हाथ में ले लिया था, शाखाएं खोली जानी थीं।

भारतीय स्टेट बैंक ने अन्य दिशाओं में भी सन्तोषजनक प्रगति की। १ जनवरी, १६५८ से यात्रियों के लिए जो रुपया-चैक चलाए गए, वे विभिन्न देशों में खोले गए लगभग ८६० कार्यालयों में भुनाए जा सकते हैं। छोटे पैमाने के उद्योगों को सहायता देने की प्रारम्भिक योजना १ अप्रैल, १६५६ से चालू की गई थी। इसके अन्तर्गत ५१ केन्द्र ले लिए गए। सितम्बर १६५८ के अन्त तक इस योजना के अन्तर्गत १ करोड़ ८१ लाख रु० के लिए स्वीकृति दी जा चुकी थी। जिन केन्द्रों में भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं हैं, वहां ब्याज की चालू या रियायती दरों पर अग्रिम ऋण तथा प्रेषण की सुविधाएं प्रदान करके यह बैंक सहकारी संस्थाओं की सहायता करता रहा।

राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घावधि प्रवर्तन) निधि तथा राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि

भारतीय रिज़र्व बैंक ने ३० जून, १६५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के अपने लाभ में से ५ करोड़ रु० राष्ट्रीय कृषि ऋण (दीर्घावधि प्रवर्तन) निधि, तथा १ करोड़ रु० राष्ट्रीय कृषि ऋण (स्थिरीकरण) निधि में जमा किया। इस प्रकार ३० जून, १६५८ को उपर्युक्त पहली निधि में २५ करोड़ रु० तथा दूसरी निधि में ३ करोड़ रु० जमा था। हाल के वर्षों में उपर्युक्त प्रथम निधि में से राज्य सरकारों को दिए गए ऋण तथा रिज़र्व बैंक से सहकारी समितियों को मौसमी और बिक्री कार्यों के लिए थोड़ी अवधि के लिए मिलने वाले ऋणों में काफी वृद्धि हुई।

बाज़ार ऋण

भारत सरकार ने मई १६५८ में तीन बाज़ार ऋण जारी किए, जिनसे कुल १ अरब ४२ करोड़ ४१ लाख रु० एकत्र हुआ। संस्थापक निवेशकों (इंस्टिट्यूशनल इन्वेस्टर्स) तथा साधारणतः बाज़ार की निरन्तर आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से सरकार ने अगस्त १६५८ में ३० करोड़ रु० का एक नया ऋण जारी किया, तथा पुनः ३० करोड़ के ३½ प्रतिशत ब्याज वाले राष्ट्रीय योजना बांड १६६७ भी जारी किए। इस प्रकार इस वर्ष ऋण जारी करके २ अरब २ करोड़ ४१ लाख रु० एकत्र किया गया, जबकि बजट अनुमान १ अरब ४५ करोड़ रु० का था।

जून १६५८ में असम, पंजाब और जम्मू-कश्मीर के सिवा सब राज्य सरकारों ने ऋण जारी करके लगभग ५४ करोड़ ४२ लाख रु० की धनराशि एकत्र की।

विदेशी सहायता

अन्तर्राष्ट्रीय बैंक

१९५८-५९ में अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक ने भारत को कलकत्ता और मद्रास बन्दरगाहों का विकास करने, दामोदर घाटी योजना द्वारा दुर्गापुर में एक तापीय बिजलीघर और बोकारो तापीय बिजलीघर में एक और एकक स्थापित करने तथा भारतीय रेलों का विकास करने के लिए १५ करोड़ ३० लाख डालर के चार ऋण प्रदान किए। इन ऋणों को मिला कर यह बैंक भारत को अब तक ५० करोड़ ७० लाख ९० हजार डालर (२ अरब ४१ करोड़ २० लाख रु०) के ऋण दे चुका है।

अगस्त १९५८ में विश्व बैंक के तत्वावधान में वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, जिसमें भारत की विदेशी मुद्रा की ज़रूरतों पर विचार किया गया। इस सम्मेलन में कनाडा सरकार, पश्चिम जर्मन सरकार, जापान सरकार, यूनाइटेड किंगडम सरकार तथा अमेरिकी सरकार ने भाग लिया तथा इसमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का प्रतिनिधि भी शामिल हुआ। इस सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों ने भारत को ३६ करोड़ डालर (लगभग १ अरब ७१ करोड़ ४३ लाख रु०) देने की इच्छा प्रकट की, ताकि भारत को १९५८-५९ में विदेशी मुद्रा की कमी पूरी करने में सहायता मिले। इस सम्मेलन में आए देशों तथा संस्थाओं के साथ द्विपक्षीय बात-चीत की गई जिसके फलस्वरूप वित्तीय सहायता का उपयोग करने की सीमा और ढंग निर्धारित करने के बारे में समझौता हो गया।

अमेरिका

अमेरिकी विकास ऋण कोष ने १७ करोड़ ५० लाख डालर के दो ऋण देने स्वीकार किए, जिनका उपयोग गैर-सरकारी क्षेत्र में रेलों, बिजली योजनाओं, सीमेंट, जूट तथा अन्य उद्योगों के लिए इस्पात का साज-सामान मंगाने में किया जा रहा है। अमेरिकी सरकार ने उड़ीसा खनिज लौह योजना के लिए भी २ करोड़ डालर देने की स्वीकृति दी। इस वर्ष 'पब्लिक ला ४८०' के अन्तर्गत गेहूं का आयात करने के लिए दो करार और किए गए—पहले करार के अन्तर्गत (जिस पर जून २३, १९५८ को हस्ताक्षर हुए) ५ करोड़ ७० लाख डालर, तथा दूसरे करार के अन्तर्गत (जिस पर २६ सितम्बर, १९५८ को हस्ताक्षर हुए) २३ करोड़ ८८ लाख डालर प्राप्त होंगे। इन करारों तथा २९ अगस्त, १९५६ के पहले के करारों के अन्तर्गत सामान प्राप्त हो रहा है। आशा है कि तीनों करारों के अन्तर्गत जून १९५९ तक सब सामान प्राप्त हो जाएगा।

'पब्लिक ला ४८०' के तीनों करारों के अन्तर्गत यह व्यवस्था है कि जिंसों की खरीद के लिए जो भुगतान रुपयों में किए जा रहे है, उनमें से अमेरिकी सरकार १ अरब ८३ करोड़ रु० ऋण के रूप में और ४३ करोड़ रु० अनुदान के रूप में भारत सरकार को देगी जो परस्पर स्वीकृत आर्थिक विकास की योजनाओं पर व्यय किया जाएगा। जिन योजनाओं के लिए इस धनराशि का उपयोग किया जाएगा, उनका हाल ही में निश्चय कर लिया गया। परन्तु पुनर्वित्त निगम को ५ करोड़ ५० लाख डालर (२६ करोड़ रु०) के ऋण देने सम्बन्धी करार पर जून १९५८ में पहले से ही हस्ताक्षर हो चुके थ। तीसरे देश की मुद्रा में, अर्थात् इतालवी लिरा, फ्रांसीसी फ्रांक और जापानी येन में उर्वरक तथा नलकूपों का साज-सामान खरीदने के लिए अमेरिका से ४० लाख डालर की सहायता भी इस वर्ष प्राप्त हुई। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी सरकार ने मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए भी १ करोड़ २ लाख डालर का एक और अनुदान देना स्वीकार किया है।

यनाइटेड किंगडम

२० दिसम्बर, १९५८ को यूनाइटेड किंगडम सरकार के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार 'निर्यात ऋण आश्वासन विभाग' से २ करोड़ ८५ लाख पौंड का एक ऋण प्राप्त होगा। यह ऋण यूनाइटेड किंगडम से निर्यात के लिए स्वीकृत किस्मों की चीजे खरीदने के लिए ३० जून, १९५९ तक उपलब्ध रहेगा।

पश्चिम जर्मनी

पश्चिम जर्मन सरकार से १६ करोड़ ८० लाख जर्मन मार्क (१९ करोड़ ५ लाख रु०) का एक ऋण लेने के सम्बन्ध में ६ जनवरी, १९५९ को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। जर्मनी से माल सप्लाई करने वालों को १ सितम्बर, १९५८ के बाद जो अदायगी की गई या की जाएगी, उसकी पूर्ति के लिए यह ऋण उपलब्ध किया गया।

जापान

जापान से १ करोड़ डालर के ऋण के ब्योरे के सम्बन्ध मे भी समझौता हुआ। यह ऋण जापान से खरीदे गए पूंजीगत माल के लिए जापानी निर्यात-आयात बैंक की मार्फत उपलब्ध किया गया।

कोलम्बो योजना

१९५८-५९ के विकास कार्यक्रम के लिए कनाडा से लगभग १ करोड़ ७० लाख डालर की सहायता मिलेगी। इस ऋण को अल्युमिनियम, तांबा, गिलट,

रेलवे स्लीपर, उर्वरक, कनाडा-भारत अणु-भट्ठी (रिएक्टर) योजना के लिए उपकरण तथा कैन्सर के इलाज के लिए कुछ कोवाल्ट थेरेपी इकाइयों के आयात पर खर्च करने का विचार है।

इसके अतिरिक्त, कैनाडा सरकार से इस वर्ष विशेष अनुदान के रूप में ८० लाख डालर का गेहूं भी उपलब्ध हुआ। इन अनुदानों के अलावा, कनाडा ने फरवरी और अक्तूबर १९५८ में ५,४०,००० टन कनाडी गेहूं प्राप्त करने के लिए ३ करोड़ ३० लाख डालर के दो ऋण देने की भी स्वीकृति दी।

आस्ट्रेलिया

आस्ट्रेलिया ने भी ९,४०० टन गेहूं का अनुदान देना स्वीकार किया जिस पर लगभग ३० लाख रु० लागत आने का अनुमान था। यह गेहूं प्राप्त हो चुका है।

न्यूज़ीलैंड

न्यूज़ीलैड ने इस वर्ष मद्रास दुग्धउपलब्धि योजना के लिए २ लाख १५ हज़ार पौंड, तथा नयी दिल्ली के आल इण्डिया इंस्टिट्यूट आफ मैडिकल साइंसेज़ के लिए १ लाख पौंड के और अनुदान देने की भी स्वीकृति दी।

तकनीकी सहायता

संयुक्त राष्ट्र संघ का विस्तृत तकनीकी सहायता कार्यक्रम

इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत को तकनीकी सहायता देना बराबर जारी रखा। भारत को अब तक ३५९ विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हो चुकी हैं, तथा ६७९ भारतीयों को कृषि इंजीनियरी, ग्राम कल्याण और गृह अर्थशास्त्र, मछलीपालन, औद्योगिक संगठन और व्यापार प्रणाली, खान, बाढ़-नियन्त्रण, भूगर्भ, सिचाई और बिजली, कुटीर उद्योग, चिकित्सा और स्वास्थ्य, जनबल संगठन, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उत्पादकता, समाज संगठन आदि के क्षेत्रों में प्रशिक्षण की सुविधाएं प्राप्त हुई।

भारत-अमेरिकी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम

अमेरिकी सरकार से भारत-अमेरिकी तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत (जिसे चतु:सूत्री कार्यक्रम भी कहते हैं), अमेरिकी विशेषज्ञों की सेवाओं के रूप में तकनीकी सहायता के अतिरिक्त, साज-सामान तथा अमेरिका में भारतीयों के लिए प्रशिक्षण की सुविधाएं बराबर मिलती रहीं। अमेरिकी राजस्व वर्ष १९५८ के लिए ६३ लाख डालर का एक तकनीकी सहायता कार्यक्रम तैयार

किया गया। आशा है कि राजस्व वर्ष १९५९ के लिए ७० लाख डालर उपलब्ध होगा। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक ४३० अमेरिकी विशेषज्ञों की सेवाएं उपलब्ध हो चुकी हैं तथा ८४७ भारतीयों को अमेरिका में प्रशिक्षण पाने की सुविधाएं मिलीं।

कोलम्बो योजना

इस योजना के अन्तर्गत भारत को जनवरी से जून १९५८ की अवधि में भारत को १० विशेषज्ञों की सेवाएं तथा १०० व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए सुविधाएं प्राप्त हुई। विशेषज्ञों की सेवाएं रेशम के कीड़े पालने, अंक-अनुसंधान, चिकित्सा, जीव रसायन (बायोकेमिस्ट्री), खनिज इंजीनियरी आदि के क्षेत्रों में प्राप्त हुई। प्रशिक्षण की सुविधाएं विशेषकर कृषि, डेरी विकास, वन, ट्रैक्टरों के रख-रखाव, कम्पनी कानून निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, अंक-संकलन, मशीनी औज़ार, व्यापार प्रबन्ध, कोयला खुदाई, टेलीफोन और संचार-साधनों के क्षेत्रों में प्राप्त हुईं।

फ्रांस

२३ जनवरी, १९५८ के भारत-फ्रांसीसी करार के अन्तर्गत भारत इलेक्ट्रौनिक्स लि० के लिए फ्रांस सरकार से एक विशेषज्ञ प्राप्त हुआ। नमक बनाने के कार्य का अध्ययन करने के उद्देश्य से नमक विभाग के दो अधिकारी भी फ्रांस गए।

नीदरलैंड

नीदरलैंड सरकार ने उत्तर प्रदेश के वर्तमान 'बख्शी का तालाब' केन्द्र के विकास के लिए तथा चमड़े और खालों के कार्यों, जैसे चमड़ा उतारने, तैयार करने, कमाने और जूते बनाने के काम के एक प्रशिक्षण केन्द्र के लिए साज-सामान, तथा टेकनीशियनों के वेतन आदि का खर्च जुटाने के लिए लगभग १० लाख डच गिलडर (१२ लाख ५० हज़ार रु०) देने का प्रस्ताव रखा। इस केन्द्र में लगभग १०० विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।

भारत द्वारा दी गई तकनीकी सहायता

भारत ने कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ३० सितम्बर, १९५८ तक दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्रों के सदस्य-देशों के १,०८६ व्यक्तियों को विभिन्न विषयों में प्रशिक्षण दिया। १९५८-५९ में भारत ने चीनी उद्योग, आलू उत्पादन, ट्रैक्टर इंजीनियरी, इमारती लकड़ी का अनुसंधान, आय-कर कानून और छोटी बचत के क्षेत्र में ७ विशेषज्ञों की सेवाएं प्रदान कीं। इनमें से बर्मा में २, श्रीलंका में ४ तथा वियतनाम में १ विशेषज्ञ भेजा गया।

संयुक्त राष्ट्र संघ तथा उसकी विभिन्न एजेंसियों यथा विश्व स्वास्थ्य संगठन, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघीय शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति संगठन (यूनेस्को) ने अन्य देशों में भेजने के लिए भारत से २२५ विशेषज्ञ भर्ती किए। इसके अतिरिक्त, ३११ विदेशी व्यक्तियों को भारत में प्रशिक्षण दिलवाने की भी व्यवस्था की गई।

अनुमान है कि नेपाल के विकास-कार्यों तथा तकनीकी कर्मचारियों की सेवाएं प्रदान करने पर भारत लगभग १ करोड़ ३८ लाख रु० व्यय करेगा। त्रिभुवन-राजपथ की व्यवस्था करने पर लगभग २० लाख रु० व्यय हुआ; नेपाल में १० सड़कें बनाने के लिए भारत सरकार, अमेरिकी सरकार तथा नेपाल सरकार मे एक करार हुआ। कुछ सड़कों के लिए प्रारम्भिक जाच-पड़ताल का काम हो चुका है। काठमाडू-त्रिशूली बाज़ार सड़क प्रायः तैयार हो चुकी है। पोखरा, भैरवनगर तथा विराटनगर में हवाईपट्टियों को सुधारने का काम शुरू कर दिया गया। वर्तमान डाक-व्यवस्था में सुधार करने का भी एक कार्यक्रम बना लिया गया। इसके अतिरिक्त, काठमांडू में ऋतु-विज्ञान के विकास के लिए भी एक योजना स्वीकार की गई।

पानी तथा सिचाई के छोटे साधन उपलब्ध करने की दिशा में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। उदाहरण के लिए, फैवा ताल बांध की मरम्मत, झाज नदी की सफाई योजना तथा सिरैया खोला मार्ग परिवर्तन की योजनाएं पूरी हो चुकी है तथा नेपाल में ३५० से अधिक हथ-पम्प लगाए जा चुके हैं। भारत ने त्रिशूली पन-बिजली योजना-कार्य के निर्माण का काम संभालने का जिम्मा ले लिया। इस पर लगभग ३ करोड़ ५० लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। इसके अतिरिक्त, ३ छोटी-छोटी हाइडल योजना-कार्यों के लिए प्रारंभिक जांच-पड़ताल की जा रही है।

इसके अलावा, इस वर्ष नेपाल सरकार को शिक्षा तथा वन-विज्ञान के क्षेत्रों में परामर्श देने के लिए विशेषज्ञो तथा अध्यापकों की सेवाएं उपलब्ध की गई। नेपाल में ग्राम विकास और घाटी विकास योजनाओं तथा ग्राम सस्थानों के लिए भारत अपने कर्मचारी भेजता आ रहा है। आकाशीय (ऐरियल) तथा त्रिकोणाकार (ट्राएंग्युलेशन) सर्वेक्षण भी किया जा रहा है।

असैनिक व्यय

इस वर्ष असैनिक व्यय का बजट बनाने तथा उस पर वित्तीय नियंत्रण रखने की व्यवस्था की पुनः समीक्षा करके २० अगस्त, १९५८ से संशोधित व्यवस्था लागू कर दी गई। यह व्यवस्था इस उद्देश्य से की गई कि जिससे विकास योज-

नाओं को और भी शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सके। व्यय के स्टैंडर्ड आदि के सम्बन्ध मे सरकार द्वारा जारी किए गए सामान्य अथवा विशेष निर्देशों का पालन करते हुए, तथा बजट में की गई व्यवस्था के अधीन रहते हुए प्रबन्धक मंत्रालय योजनाओं पर व्यय की स्वीकृति स्वयं दे सकते है, सिवा उन योजनाओं के जिन पर ५० लाख रु० से अधिक व्यय होगा और इनके लिए वित्त मंत्रालय से पहले ही स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। परन्तु ऐसी कोई योजना, जिसे पहले मंत्रालय ने स्वीकृति दी हो लेकिन बाद में उसमें काफी परिवर्तन कर दिए गए हों, चाहे उस योजना पर होने वाले कुल व्यय में वृद्धि न हुई हो, या यदि किसी स्वीकृत योजना की लागत में वृद्धि होने की संभावना हो, तो उसके लिए वित्त मंत्रालय की स्वीकृति लेनी आवश्यक होगी। संशोधित व्यवस्था के अन्तर्गत मंत्रालयों को अधिक वित्तीय अधिकार दे दिए गए। इन अधिकारों का उपयोग करने के लिए मंत्रालयों के सहायतार्थ वित्तीय सलाहकारों की भी व्यवस्था कर दी गई।

'वित्तीय अधिकारों की पुस्तक' में भी संशोधन कर दिया गया। संशोधित नियम (जिन्हे वित्तीय अधिकरों का प्रत्यायोजन (डेलीगेशन) १९५८ कहते हैं) जारी कर दिए गए।

बिक्री-कर

केन्द्रीय बिक्री-कर अधिनियम, १९५६ में इस वर्ष दो बार संशोधन किया गया ताकि उसे जम्मू-कश्मीर राज्य में भी लागू कर दिया जाए तथा अधिनियम के प्रशासन के सम्बन्ध में सरकार का इरादा अधिक स्पष्ट हो जाए। इस अधिनियम की धारा १५ को, जिसमें 'घोषित माल' पर बिक्री-कर लगाने में राज्य के अधिकारों को नियन्त्रित किया गया है, १ अक्तूबर, १९५८ से लागू कर दिया गया।

इस वर्ष बहुत-से राज्यों में विलासिता की कतिपय चीज़ों पर ७ प्रतिशत की दर से एक-समान बिक्री-कर लगा दिया गया। हिमाचल प्रदेश में भी विलासिता की कुछ चीज़ों पर बिक्री-कर लगा दिया गया।

शेयर बाज़ार

प्रतिभूति संविदा (नियमन) अधिनियम, १९५६ (सेक्यूरिटीज़ कंट्रेक्ट ऐक्ट) की धारा २८ में संशोधन करने के प्रयोजन से ८ दिसम्बर, १९५८ को लोक-सभा में एक विधेयक रखा गया। इस विधेयक का उद्देश्य इस अधिनियम के सभी या किसी उपबन्ध से विदेशी वित्तीय निगमों को मुक्त करना और मान्यताप्राप्त स्टाक एक्सचेंजों को उनके संविधानों में उनके सदस्यों के मतदान तथा प्रतिपत्री

(प्राक्सी) नियुक्त करने के अधिकार को सीमित करने तथा 'एक सदस्य–एक वोट' का सिद्धांत लागू करने का अधिकार देना है ।

पूंजीनिर्गम नियन्त्रण

१९५८ में 'पूंजी निर्गम (नियन्त्रण) अधिनियम, १९४७ के अन्तर्गत ३०४ अर्ज़ियां निपटाई गई, जिनमें कुल ४ अरब ३० करोड़ ४४ लाख रु० की पूंजी जारी करने के लिए अनुमति मांगी गई थी । ४ अरब २२ करोड़ ९७ लाख रु० की पूंजी जारी करने के लिए २८२ अर्ज़ियों को स्वीकृति दी गई ।

इसके अलावा, १४७ ऐसी अर्ज़ियां भी निपटाई गईं जिनमें भारत में न रहने वाले व्यक्तियों ने भारत की कम्पनियों में १३ करोड़ ११ लाख रु० तक पूंजी लगाने की अनुमति मांगी थी । इनमें से १२ करोड़ ४९ लाख रु० की पूंजी लगाने की १३६ अर्ज़ियां स्वीकृत की गई ।

स्टर्लिंग पेंशन

यूनाइटेड किंगडम सरकार ने स्टर्लिंग पेंशन करार, १९५५ के अन्तर्गत १९५८-५९ में १ करोड़ पौंड देने का प्रस्ताव किया । यह धनराशि १ करोड़ २० लाख पौंड से अलग है, जो वह पहले ही १ अप्रैल, १९५८ को दे चुकी है । इस प्रस्ताव को भारत सरकार ने मान लिया तथा यू० किंगडम सरकार ने यह धनराशि १२ फरवरी, १९५९ को अदा कर दी ।

विदेशी मुद्रा की सीमा

१७ अक्तूबर, १९५८ से पूर्व भारत के निवासी किसी भी व्यक्ति को भारत से किसी भी देश में (अफगानिस्तान, पाकिस्तान तथा पुर्तगाली क्षेत्रों को छोड़ कर) एक महीने में २७० रु० (भारतीय अथवा विदेशी मुद्रा में) ले जाने की अनुमति थी । परन्तु विदेशी मुद्रा बचाने की खातिर यह सीमा घटा कर ७५ रु० कर दी गई ।

अफीम

दवाओं के लिए अलक्लाइड तैयार करने के लिए कच्ची अफीम के निर्यात में इस वर्ष उल्लेखनीय वृद्धि हुई । आशा है १९५८-५९ में ३ करोड़ रु० के मूल्य की लगभग ४५० टन अफीम का निर्यात होगा, जबकि पिछले वर्ष २½ करोड़ रु० क मूल्य की ४०० टन अफीम का निर्यात किया गया था । अन्य देशों से कच्ची अफीम की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मांग को देखते हुए पोस्त की खेती का क्षेत्रफल ६५,६२५ एकड़ (१९५७-५८) से बढ़ा कर १९५८-५९ में ७५,००० एकड़ कर दिया गया ।

८. खाद्य और कृषि

खाद्य उत्पादन

१९५७-५८ में मौसम बहुत प्रतिकूल रहा जिससे इस वर्ष अनाज की पैदावार बहुत घट गई। १९५७-५८ में ६ करोड़ २० लाख टन उत्पादन हुआ, जबकि १९५६-५७ में ६ करोड़ ८७ लाख टन उत्पादन हुआ था। इस प्रकार इस वर्ष ६७ लाख टन कम अनाज पैदा हुआ। उत्पादन में इतनी कमी आज तक किसी वर्ष में नहीं हुई थी। कम पैदावार होने के फलस्वरूप भाव चढ़ने लगे, विशेषकर जून १९५८ से तो कीमतें बहुत बढ़नी शुरू हो गई; और खाद्यान्न का सूचक अंक, जो फरवरी १९५८ में ९५ था, सितम्बर १९५८ में ११५ तथा दालों का सूचक अंक ७६ से १०५ हो गया। सितम्बर १९५८ के बाद खरीफ की फसलें आ जाने से स्थिति में सुधार होना शुरू हुआ। चावल का सूचक अंक, जो सितम्बर १९५८ में ११८ था, जनवरी १९५९ में ९२ हो गया तथा अनाज का सूचक अंक ११५ से घटकर १०५ रह गया। परन्तु रबी के अनाज की कीमतें सितम्बर १९५८ के बाद भी चढ़ती रहीं। गेहूं का सूचक अंक, जो फरवरी १९५८ में ८४ था, जनवरी १९५९ में १२५ हो गया तथा दालों का सूचक अंक ७६ से ११७ हो गया।

इस स्थिति का मुकाबला करने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए। इसके अतिरिक्त, कीमतों में वृद्धि रोकने और अनाज की उपलब्धि को सरल बनाने के लिए कुछ राज्यों में नियन्त्रण लगा कर अधिकतम कीमतें निश्चित कर दी गई। लगभग सभी महत्वपूर्ण राज्यों के अनाज व्यापारियों और आटा-चक्कियों के लिए लाइसेंस प्रणाली लागू कर दी गई जिससे उनकी गतिविधियों पर समुचित नियन्त्रण रखा जा सके। अनाजों के अगाऊ सौदे करने और उसके काटने पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि इनसे मण्डी के भावों को कृत्रिम सहारा-सा मिल रहा था। खुले बाज़ार मे गेहूं की खरीद करने वाली रोलर आटा-चक्कियों पर जो प्रतिबन्ध था, वह देश-भर की चक्कियों पर लागू कर दिया गया तथा उनकी ज़रूरतें आयात किए गए जखीरे से पूरी की गई। सरकारी ज़खीरों से अधिक परिमाण में अनाज देने और नियमन तथा नियन्त्रण को और भी अधिक कड़ा करने के फलस्वरूप अनाजों के भाव, विशेषकर चावल के भाव, उतने नहीं चढे जितने कि अनाज की भारी कमी के कारण उनके चढ़ जाने की आशंका थी।

१९५८-५९ की स्थिति

१९५८-५९ में खरीफ की फसल आ जाने से स्थिति सुधर गई। इधर कई वर्षो से इतनी अच्छी फसल कभी नहीं हुई थी। हालांकि रबी की बुवाई कुछ देर से हुई, पर वह पहले से अधिक भूमि में की गई।

आयात

१९५८ में लगभग १ अरब २० करोड़ ५० लाख रु० के मूल्य का ३१ लाख ७३ हज़ार टन खाद्यान्न आयात किया गया, जब कि १९५७ में १ अरब ६२ करोड़ २० लाख रु० के मूल्य का ३१ लाख ८२ हज़ार टन आयात किया गया था। अमेरिका के साथ हुए १९५६ के 'पब्लिक ला ४८० करार' के अन्तर्गत बकाया गेहूं के अलावा, जून और सितम्बर १९५८ मे दो नये 'पब्लिक ला ४८० करारो' पर हस्ताक्षर किए गए। पहले करार के अधीन ५ लाख ८० हज़ार टन अनाज खरीदने के लिए ५ करोड़ ७० लाख डालर की व्यवस्था है, तथा दूसरे करार के अधीन २८ लाख टन गेहूं, २ लाख टन जुआर और १ लाख टन मक्का खरीदने के लिए २३ करोड़ ८८ लाख डालर की व्यवस्था है। अमेरिकी 'पब्लिक ला ६६५' के अन्तर्गत किए गए करार के अधीन लगभग १५,१३० टन गेहूं की व्यवस्था है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कनाडा ने १ लाख २७ हज़ार टन और आस्ट्रेलिया ने लगभग ६,४५० टन गेहूं दिया। इसके अतिरिक्त, विलम्बित भुगतान के दो करार कनाडा सरकार के साथ किए गए जिनके अन्तर्गत लगभग ५ लाख ४३ हज़ार टन गेहूं प्राप्त होने की व्यवस्था है। जहां तक चावल का सम्बन्ध है, ३ लाख ८४ हज़ार टन चावल वर्मा से और ६ हज़ार टन चावल वियतनाम से भी मंगाया गया।

वितरण

१९५८ में केन्द्रीय सरकार ने अपने ज़खीरों से लगभग २९ लाख टन गेहूं, ७ लाख ११ हज़ार टन चावल और ८१ हज़ार टन मोटा अनाज दिया। इस अवधि में केन्द्रीय सरकार के डिपुओं या राज्य सरकारों के गोदामों से खुदरा व्यापारियों को लगभग ३८ लाख ८२ हज़ार टन अनाज दिया गया, जबकि १९५७ में २९ लाख ४६ हज़ार टन दिया गया था। १९५८ के अन्त मे सस्ते अनाज की दुकानों की संख्या ४८,६०० थी, जबकि शुरू-शुरू में केवल ३४,००० दुकानें ही थी।

१९५८ के अन्त में राज्य सरकारो और केन्द्रीय सरकार के पास कुल जखीरा ९ लाख १४ हज़ार टन का था, जिसमें ५ लाख २४ हज़ार टन गेहूं, ३ लाख ३ हज़ार टन चावल और ८७ हज़ार टन अन्य खाद्यान्न थे।

संचय और निरीक्षण

१९५८ के अन्त में १२ लाख ५८ हज़ार टन अनाज रखने की जगह थी। देश में केन्द्रीय संचय केन्द्रों की संख्या १३५ थी।

'राष्ट्रव्यापी खाद्यान्न संचय' के लिए गोदाम आदि बनाने के कार्यक्रम को १९५८ में और भी तेज़ कर दिया गया। इस वर्ष ७६,००० टन खाद्यान्न संचय करने के अतिरिक्त स्थान की व्यवस्था की गई। इसमे पक्के गोदाम (२०,००० टन), पहले से बने हुए सामान से निर्मित गोदाम (४६,००० टन) और हापुड़ मे एक सिलो-एलीवेटर है। इसके अलावा, २ लाख ९० हज़ार टन अनाज रखने के लिए और भी व्यवस्था की जा रही है। एक और सिलो-एलीवेटर, जिसकी क्षमता १०,००० टन होगी, कलकत्ता बन्दरगाह के इलाके में लगाया जा रहा है।

गल्ले के निरीक्षण और संचय के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियों की बढ़ती हुई जरूरतों को देखते हुए, हापुड़ मे एक केन्द्रीय प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया। जून १९५८ में एक संचय सलाहकार समिति बनाई गई जो व्यापारियों और अन्य संगठनो को संचित गल्ले को नुकसान से बचाने के लिए सुझाव देगी।

चीनी

उत्पादन और खपत

१९५७-५८ मे गन्ने से लगभग १९ लाख ७९ हज़ार टन चीनी बनाई गई, जबकि १९५६-५७ में २० लाख २९ हज़ार टन बनाई गई थी। इस वर्ष उत्पादन में कमी होने का एक कारण यह है कि गन्ने की फसल अच्छी नही हुई जिसके फलस्वरूप गन्ना पेरने का काम अपेक्षाकृत कम समय तक चल सका और दूसरे, खांडसारी बनाने के लिए अधिक गन्ना इस्तेमाल हुआ। परन्तु उत्पादन में इस कमी की कसर निर्यात की मात्रा में कमी करके पूरी कर ली गई और देश में चीनी की खपत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। १९५७-५८ में भारत में खपत के लिए फैक्टरियों से २० लाख ४२ हज़ार टन चीनी निकली, जबकि १९५६-५७ मे १९ लाख ८३ हज़ार टन और १९५५-५६ में १९ लाख ४० हज़ार टन निकली थी।

निर्यात

१९५८ में लगभग ४९,८२३ टन चीनी का निर्यात किया गया। इस वर्ष चीनी आयात नही की गई।

कीमतें

१९५८-५९ के मौसम में गन्ने की न्यूनतम कीमतें इस प्रकार थीं : मिल के फाटक तक पहुंचने के लिए १ रु० ४४ नये पैसे प्रति मन और रेल-केन्द्रों तक

पहुंचाने के लिए १ रु० ३१ नये पैसे प्रति मन। १९५८-५९ के मौसम से गन्ना उत्पादकों को अधिक कीमतें दिलवाने के लिए मूल्य-योजना के फार्मूले को कानूनन लागू किया गया।

विस्तार

पहली योजना के आरम्भ में चीनी उद्योग की स्थापित क्षमता १५ लाख टन थी। दूसरी योजना के अन्त तक उसकी क्षमता २५ लाख टन कर देने का विचार है। इसके लिए ५४ नयी फैक्टरियां लगाई जाएंगी और वर्तमान ६९ फैक्टरियों का पर्याप्त विस्तार किया जाएगा।

लाइसेंस-शुदा ५४ नयी फैक्टरियों मे से १९ फैक्टरियों मे (इनमें १२ सहकारी आधार पर चलने वाली फैक्टरियां भी शामिल है) जिनकी अतिरिक्त वार्षिक क्षमता २ लाख १६ हज़ार टन है, १९५७-५८ के मौसम के अन्त तक उत्पादन शुरू हो गया। आशा है कि अन्य १० कारखाने (जिनमें ९ सहकारी कारखाने शामिल है) १९५८-५९ में काम शुरू कर देंगे। वर्तमान ६९ फैक्टरियों मे से २३ फैक्टरियों ने १९५७-५८ के मौसम के अन्त तक प्रति वर्ष १ लाख ४ हज़ार टन चीनी अधिक बनाने का कार्यक्रम पूरा कर लिया।

चीनी और खाण्डसारी

जून १९५७ मे चीनी पर लगने वाले उत्पादन-शुल्क में ४ रु० १२ नये पैसे से ८ रु० २५ नये पैसे प्रति मन वृद्धि हो जाने और बाद मे दिसम्बर १९५७ में बिक्री-कर की जगह २ रु० ४४ नये पैसे प्रति मन उत्पादन-शुल्क लग जाने के फलस्वरूप, खाण्डसारी उद्योग का कर-लाभ ६ रु० ६२ नये पैसे से बढ़ कर १३ रु० १९ नये पैसे प्रति मन हो गया। इस सम्बन्ध में यह कहा गया कि इस व्यवस्था से खाण्डसारी उद्योग तो बहुत अच्छी स्थिति में आ गया है और इससे सफेद चीनी उद्योग का अहित हुआ है।

अतः खाण्डसारी उद्योग की वर्तमान स्थिति की जांच करने, चीनी के कारखानों में खाण्डसारी के निर्माण के लिए कितना गन्ना जाता है इसका पता लगाने तथा इस स्थिति में सुधार करने के लिए उपयुक्त उपाय सुझाने के उद्देश्य से जून १९५८ में एक जाच समिति नियुक्त की गई। इस समिति ने अपनी अन्तरिम रपोर्ट पेश कर दी है जिस पर सरकार विचार कर रही है। अन्तरिम उपाय के रूप में भारत सरकार ने एक प्रेस-विज्ञप्ति जारी करके चीनी के कारखानों में खाण्डसारी इकाइयां स्थापित करने की मनाही कर दी है। चूंकि इस समस्या का सामना अधिकतर उत्तर प्रदेश मे ही करना पड़ता

है, इसलिए वहां की खाण्डसारी इकाइयों को रजिस्टर कराना और लाइसेंस लेना आवश्यक बना देने का विचार है ।

वनस्पति

१९५८ मे (नवम्बर १९५८ तक) वनस्पति का उत्पादन २ लाख ६९ हज़ार टन हुआ, जबकि १९५७ में ३ लाख १३ हज़ार टन उत्पादन हुआ था । वनस्पति की कीमत, उसके लाने और ले जाने तथा उसके वितरण पर कोई नियन्त्रण नही लगाया गया । १९५८ में वनस्पति का निर्यात भी बेरोकटोक चलता रहा । इस वर्ष (नवम्बर १९५८ तक) वनस्पति का कुल निर्यात २,८३० टन हुआ । देश में मूगफली के तेल की अधिक कीमतों के कारण विश्व की मण्डियों में भारतीय वनस्पति की प्रतियोगितात्मक स्थिति पर बुरा प्रभाव पड़ा ।

व्यापारिक फसलें

१९५७-५८ में कपास और मूंगफली को छोड़ कर व्यापरिक फसलों का उत्पादन घट गया । इस अवधि मे गत वर्षों की भांति कपास और मूगफली के उत्पादन में न केवल उत्तरोत्तर वृद्धि हुई, बल्कि इन दोनों ने इस वर्ष उत्पादन का एक नया रिकार्ड कायम किया—कपास का उत्पादन ४८ लाख गाठ तथा मूगफली का उत्पादन ४३ लाख टन हुआ ।

परन्तु १९५८-५९ के लिए उपज के लक्षण बड़े आशाजनक थे । पटसन की पैदावार ५१ लाख ७८ हज़ार गाठ हुई । इतनी पैदावार आज तक कभी नही हुई थी । जब देश का विभाजन हुआ तो उस समय १७ लाख गांठ पटसन से अधिक उत्पादन नही हो रहा था । उसे देखते हुए इस वर्ष का उत्पादन उल्लेखनीय प्रगति का सूचक है ।

उत्पादन बढ़ाने का आन्दोलन

कृषि की उपज बढ़ाने के लिए जो विभिन्न उपाय किए जा रहे है, उन्हें इस वर्ष और भी तेज कर दिया गया । इसमें छोटी सिचाई की सुविधाओं का विस्तार, उन्नत बीज तथा कृषि पद्धतियों का प्रचार, उर्वरकों और खादों का और अधिक उपयोग, भू-संरक्षण तथा पौधों की रक्षा के लिए विभिन्न उपायों का विस्तार करने जैसे कार्य विशेष उल्लेखनीय हैं । इसके अतिरिक्त, रबी की फसल में गेहूं, जौ, चने और ज्वार के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए एक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है ।

केन्द्रीय सहायता देने की विधि को इस वर्ष से सरल बना दिया गया है, जिससे कि विभिन्न कार्यक्रमों को शीघ्रता से कार्यान्वित किया जा सके। इस वर्ष राज्यों को केन्द्रीय सरकार की सहायता का ¾ भाग मई १९५८ से बराबर-बराबर मासिक किस्तों में देने तथा शेष सहायता उसी अनुपात के आधार पर देने का निश्चय किया गया है जिस अनुपात से राज्य सरकारें व्यय करेंगी। १९५८-५९ में राज्य सरकारों के लिए केन्द्र ने २६ करोड़ १० लाख रु० की सहायता निर्धारित की। यह धनराशि सिंचाई के छोटे कार्यों के लिए ३ करोड़ ४० लाख रु० तथा रबी आन्दोलन के लिए उर्वरकों और उन्नत बीजों के क्रय और वितरण के लिए ऋण देने के लिए ११ करोड ८७ लाख रु० की धनराशि से भिन्न है।

सिंचाई के छोटे साधन

इस वर्ष राज्य सरकारो की ३ करोड़ ४० लाख रु० की लागत की सिंचाई की छोटी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गई। भारत-अमेरिकी तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार ने ३,००० नलकूप बनवाने का जो कार्यक्रम आरम्भ किया था, वह उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब मे चलता रहा। ३० नवम्बर, १९५८ तक २,९९३ नलकूप खोदे गए और २,९७८ नलकूपों मे पम्प लगाए गए। २,९५२ नलकूपों में बिजली लगा कर उन्हें चालू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, १९५४ की 'अधिक अन्न उपजाओ' योजना के अन्तर्गत २७० नलकूप खोद कर उन्हें चालू कर दिया गया। उत्तर गुजरात में 'अधिक अन्न उपजाओ' आन्दोलन की सहायता से ४०० नलकूप बनाने की योजना के अन्तर्गत (जो पहली योजना की अवधि मे आरम्भ की गई थी) सब नलकूप खोद लिए गए तथा ३५८ नलकूप ३० नवम्बर, १९५८ से चालू कर दिए गए। दूसरी योजना के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में ३० नवम्बर, १९५८ तक ५८७ नलकूप खोदे गए और ४१९ नलकूप चालू कर दिए गए। बम्बई और असम मे भी क्रमशः ३१ और ९ नलकूप खोदे गए।

भूगर्भ-जल-अन्वेषण योजना के अन्तर्गत १९५८ में बिहार, केरल, कच्छ, मद्रास, आन्ध्र प्रदेश तथा पंजाब मे अन्वेषणात्मक भूछेदन का काम पूरा हो गया। इसके अतिरिक्त, जिन-जिन स्थानों से पर्याप्त पानी निकला वहां नलकूप लगाए गए। उत्तर प्रदेश में १३, पश्चिम बंगाल में १६ तथा उड़ीसा में ३ ऐसे स्थानो पर नलकूप लगाए गए जहां से पर्याप्त पानी निकला।

भूमि का पुनरुद्धार

१९५८ में केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन ने ३९,००० एकड़ कांस भूमि और ३,००० एकड़ जंगली भूमि का पुनरुद्धार किया। इसके अतिरिक्त, इस संगठन

ने ४,००० एकड़ भूमि को समतल बनाया अथवा उस पर पौढ़ीदार खेत बनाए । इस प्रकार, आरम्भ से अब तक यह संगठन लगभग १६ लाख ६७ हजार एकड़ भूमि का पुनरुद्धार कर चुका है ।

बुधनी (मध्य प्रदेश) के ट्रैक्टर प्रशिक्षण केन्द्र में इस वर्ष ८० छात्रों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। यह केन्द्र जुलाई १९५६ में खुला था। तब से लेकर अब तक इस केन्द्र में २६१ छात्र प्रशिक्षण पा चुके हैं।

उन्नत बीज

बीज फार्म खोलने में आरम्भ में जो कठिनाइयां सामने आई थीं वे अब दूर हो गईं और उन्नत बीज पैदा करने का कार्यक्रम पूरे जोर-शोर से चल निकला। केन्द्रीय सरकार ने सहायता प्रदान करने के नियम भी ढीले कर दिए। अब केन्द्रीय सरकार फार्मों के लिए भूमि खरीदने के निमित्त ५०० रु० प्रति एकड़ की जगह १,५०० रु० प्रति एकड़ की सहायता देगी । १९५८-५९ में १,३९० बीज फार्म खोलने का कार्यक्रम रखा गया था । दिसम्बर १९५८ तक वास्तव में १,५२० फार्मों मे उत्पादन शुरू हुआ ।

खाद

१९५८-५९ में २६ लाख ४० हजार टन कम्पोस्ट खाद तैयार करने का विचार था। पिछले वर्ष २२ लाख २० हज़ार टन ऐसी खाद बनाई गई थी । खाद के स्थानीय साधनों का अधिक और अच्छी तरह से उपयोग करने के लिए १,५१९ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों में एक योजना स्वीकार की गई। विभिन्न राज्यों ने ७९२ पंचायतों में कम्पोस्ट खाद बनाने का भी आन्दोलन चलाया। कुछ राज्य सरकारों ने अपने यहां हरी खाद के बीज बांट कर और उनके प्रयोग का विशेष प्रचार करके उसे लोकप्रिय बनाने का भी प्रयत्न किया। बिहार के ५० गांवों में पाखाने तथा गांव के कूड़ा-कर्कट से कम्पोस्ट बनाने का प्रयोग किया गया ।

उर्वरक

किसानों में उर्वरकों आदि के बारे में रुचि बढ़ रही है और उनकी मांग उत्पादन से भी अधिक हो गई । आशा है कि १९५८-५९ में अमोनियम सल्फेट की खपत लगभग ९ लाख टन तथा सुपर-फास्फेट की खपत लगभग २ लाख टन होगी। नयी किस्म के उर्वरकों यथा यूरिया, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट तथा कैलशियम अमोनियम नाइट्रेट का प्रयोग किसान बड़ी खुशी से करने लगे हैं ।

उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, १९५७ जिसमें उर्वरकों की किस्म और मूल्य का नियंत्रण करने की व्यवस्था है, ११ राज्यों तथा ३ संघीय क्षेत्रों में लागू कर दिया गया ।

पौधों की रक्षा

इस वर्ष उत्तर भारत के अनेक राज्यों में धान की फसल को 'गुंडी बग' नाम के कीड़े से बचाने; आंध्र प्रदेश, मद्रास, मैसूर और उड़ीसा में कपास, ज्वार और मूगफली को अन्य कीड़ों से बचाने तथा बिहार मे १५ लाख मन गेहूं को धुआ दिखाने में सहायता प्रदान की गई। कुछ चुने हुए पंचायती क्षेत्रों में पौधों की रक्षा करने का काम व्यापक रूप से किया गया। इसके अतिरिक्त, लगभग १९,५०० एकड़ भूमि में पौधों को कीड़ों से बचाने के लिए हवाईजहाजों से दवाएं छिड़की गई।

उत्पादन बढ़ाने का अभियान

रबी की फसलों की उपज बढाने के लिए ९ राज्यों में व्यापक अभियान चलाया गया। इस आन्दोलन में कुछ विशेष प्रकार के कामों की ओर ध्यान दिया गया यथा यह प्रयत्न किया गया कि किसानों को उन्नत बीज, औजार, बीज, खाद, कृमि-नाशक दवाइयां, सिचाई की सुविधाएं तथा ऋण ममय पर मिल जाएं। इस आन्दोलन की एक उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसमें गैर-सरकारी लोगों को भाग लेने के लिए प्रेरित किया गया तथा किसानों में उत्साह भरने की हर कोशिश की गई। इसके अतिरिक्त 'सहायक दलो' का भी संगठन किया गया।

विकास योजनाएं

जून १९५४ में गन्ने में भरपूर खाद देने की जो योजना आरम्भ की गई थी, उसमें बड़ी उत्साहजनक सफलता प्राप्त हुई थी। इसीलिए १९५८-५९ में २५ लाख एकड़ भूमि मे भरपूर खाद देने का लक्ष्य रखा गया। इसमें से सितम्बर १९५८ के अन्त तक १० लाख १० हजार एकड़ भूमि में खाद दी गई।

इस वर्ष कपास की पैदावार में और वृद्धि करने की योजना अनेक राज्यों में चलती रही। १९५७-५८ मे कुल ४८ लाख गाठ कपास पैदा हुआ। इसमें से ४१.७ प्रतिशत कपास लम्बे रेशे का था। एक अन्य कार्यक्रम के अन्तर्गत जिसमें लम्बे रेशे की कपास के लिए देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है, केरल और मैसूर में १,८०० एकड़ भूमि मे इसकी खेती करवाई गई। इसमें लगभग ६०० गांठ कपास पैदा हुआ।

इस वर्ष पटसन की पैदावार में वृद्धि करने की योजनाओं को तेज़ कर दिया गया। इस सिलसिले में मुख्य पटसन विकास अधिकारी की नियुक्ति की गई जो पटसन पैदा करने वाले राज्यों में परस्पर समन्वय रखने का कार्य करेगा। तिलहन की पैदावार बढ़ाने की योजनाएं उत्तर प्रदेश, मद्रास,

बम्बई, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में चालू की गई। रेल की पटरी के दोनों तरफ ऐरण्ड बोने की योजना पर भी विचार किया जा रहा है। तिलहनों की उपज मे वृद्धि करने के उद्देश्य से भारत की केन्द्रीय तिलहन समिति ने कुछ राज्यों में तिलहन विस्तार योजनाएं आरम्भ की।

काजू और काली मिर्च की उपज बढ़ाने के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे है, क्योंकि ये दोनों वस्तुएं विदेशी मुद्रा कमाने के महत्वपूर्ण साधन है। इसके अतिरिक्त, जिन प्रदेशों मे नारियल, सुपारी और लाख की पैदावार अधिक होती है, उनमें इन चीजों की उपज बढ़ाने की योजनाएं चल रही है। तम्बाकू की पैदावार बढाने की योजनाएं आंध्र प्रदेश, बिहार,. उत्तर प्रदेश, मद्रास तथा बम्बई मे चालू है। इन योजनाओं के अन्तर्गत यह प्रयत्न किया जा रहा है कि तम्बाकू उगाने वाले किसान तम्बाकू बोने, उसे संभालने और कमाने की अधिक अच्छी विधिया अपना ले।

बागवानी का विकास

फलों का उत्पादन बढ़ाने के कार्यक्रम के अन्तर्गत १ लाख ३३ हज़ार एकड़ भूमि में नये बाग लगाने का विचार है। १९५७-५८ में ३७,००० एकड़ भूमि में नये बाग लगाए गए थे। १९५८-५९ में कुछ और क्षेत्र में भी बाग लगाए गए। इस वर्ष कलकत्ता, शिमला और दिल्ली में केलों, पहाड़ी फलों और सेवों की अखिल भारतीय प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया। सब्जियों पर लगने वाला रेल-भाड़ा घटाने और ताजा फलो, सब्जियों तथा फूलों आदि के पौधों के लिए वैगनो की व्यवस्था करने के सम्बन्ध मे रेलवे बोर्ड के साथ बातचीत चलाई गई।

कृषि विस्तार

इस वर्ष कृषि विभाग में एक 'विस्तार शाखा' खोल दी गई ताकि कृषि अनुसंधान तथा सम्बद्ध गतिविधियों से जो वैज्ञानिक जानकारी प्राप्त होती है उसका प्रयोग उत्पादन कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक किया जा सके। सामुदायिक कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से यह निश्चय किया गया कि ग्राम सेवकों का डेढ़ वर्ष का शिक्षण-क्रम बढ़ा कर दो वर्ष का कर दिया जाए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक विस्तार खण्डों के लिए ४०,००० विस्तार कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होगी। इनमें में ३०,००० कार्यकर्ताओ को प्रशिक्षण दिया गया तथा ८,००० कार्यकर्ता प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। इसके अतिरिक्त, लगभग १०,००० ग्राम सेविकाओं को भी प्रशिक्षण दिया गया तथा ५०० ग्राम सेविकाएं

प्रशिक्षण प्राप्त कर रही है। कृषि के सुधरे हुए औज़ारों की मरम्मत और उनके निर्माण के लिए ३५० ग्रामीण कारीगरों को काम सिखलाया गया तथा २५० कारीगर काम सीख रहे हैं।

केन्द्रीय मशीनी फार्म

सूरतगढ़ में केन्द्रीय मशीनी फार्म अगस्त १९५६ मे स्थापित किया गया और इसके लिए रूस सरकार ने मशीनें और साज-सामान भेंट किया। इस वर्ष यह फार्म सुचारु रूप से चलता रहा। इस फार्म में १९५८ में १४,१५३ एकड़ भूमि में बुवाई हुई, जबकि १९५७ में ४,३४८ एकड़ तथा १९५६ में २,९९३ एकड़ भूमि मे ही बुवाई हुई थी। जब इस फार्म का पूरा विकास हो जाएगा तो २२,९९९ एकड़ भूमि में तरह-तरह की खेती होने लगेगी, २,००० एकड़ भूमि में वाग होंगे और १,५०० एकड़ भूमि पर पशुपालन का कार्य होने लगेगा।

भूमिहीन खेतिहर

१९५८-५९ में असम, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, केरल और मध्य प्रदेश में भूमिहीन खेतिहरों के पुनर्वास के लिए ३० लाख ५० हज़ार रुपये की राशि रखी गई।

पशुपालन और डेरी

पशुओं की उत्पादन-क्षमता बढ़ाने के निमित्त-केन्द्र ग्राम योजना के अन्तर्गत १९५८-५९ मे ४७ नये कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोले गए, ६ वर्तमान केन्द्रों का विस्तार किया गया और १० विस्तार केन्द्र स्थापित किए गए। १९५७-५८ मे केन्द्र ग्राम क्षेत्रों में चारे आदि के साधनों के विकास पर बहुत बल दिया जा रहा है।

गोसदन योजना

गोसदन योजना के अन्तर्गत बूढे तथा अनुत्पादक पशुओं को हटाने और अलग रखने के लिए प्रथम योजनाकाल में २५ गोसदन खोले गए। १९५७-५८ के अन्त तक २४ गोसदन और खोले गए और १९५८-५९ में इस संख्या में ७ की वृद्धि और हुई। पशुओं द्वारा खेती को होने वाले नुकसान को रोकने के लिए दिल्ली तथा जम्मू-कश्मीर में छुट्टा पशुओं को पकड़ कर उन्हें पालने और बेच देने की एक नयी योजना आरम्भ की गई। खालें उतारने व कमाने और लाशों का सदुपयोग करने की वैज्ञानिक पद्धति सिखाने के लिए दिल्ली में एक केन्द्र स्थापित किया गया।

गोशाला विकास योजना

नगरों में दूध की उपलब्धि बढ़ाने और अच्छी नस्ल के पशु पालने की दृष्टि से द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गोशालाओं के विकास का एक कार्यक्रम सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत द्वितीय योजनाकाल में ३४६ गोशालाओं के विकास का लक्ष्य रखा गया है, परन्तु इस वर्ष चुनी हुई १६१ गोशालाएं हाथ मे ली गई ।

डेरी योजना

डेरी खोलने के पूर्ववर्ती कार्यक्रमों को पूरा करने तथा कुछ नई योजनाओं को शुरू करने के लिए आलोच्य वर्ष मे २ करोड़ ८९ लाख १९ हज़ार रुपये की व्यवस्था की गई।

कलकत्ता, बम्बई और दिल्ली की डेरी योजनाओ ने आलोच्य वर्ष में और अधिक प्रगति की। दिल्ली दूध उपलब्धि योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय डेरी और दूध इकट्ठा तथा ठण्डा करने के तीन केन्द्रो के भवनों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है तथा यूनाइटेड किंगडम, स्वीडन व डेनमार्क से बहुत-से आधुनिक उपकरण भी प्राप्त हो चुके हैं। कलकत्ता के दुग्ध कार्यक्रम में भी पर्याप्त प्रगति हुई। लगभग ३,००० पशुओं के लिए हरिणघाटा में नये बाड़े बनाए गए तथा वहां का दैनिक दुग्ध-उत्पादन बढ़ कर १,२०० मन हो गया। वहा एक नयी डेरी बनाने के कार्य में भी प्रगति हुई।

बम्बई की आरे मिल्क कालोनी की क्षमता बढ़ा दी गई तथा एक और डेरी खोलने के लिए स्थान का चुनाव किया गया। मद्रास दुग्ध योजना के अन्तर्गत पशुओं के लिए मकान बनाने का काम हाथ मे लिया गया । इस योजना के लिए कोलम्बो योजना के अन्तर्गत न्यूज़ीलैण्ड सरकार मे २८ लाख ६६ हजार रुपये की सहायता प्राप्त हुई।

चण्डीगढ़, हिसार, आगरा, गोरखपुर, बंगलोर, गया, तिरुवाकुर, अगरतला शोलापुर और करजट नगरों में दूध उपलब्धि की योजनाओं ने और प्रगति की, और पटना, जयपुर, भोपाल, कोयमुत्तूर, कटक, हैदराबाद तथा नागपुर में दुग्ध उपलब्धि की नयी योजनाएं हाथ में ली गई। अहमदाबाद में प्रतिदिन ४०० मन दूध पहुंचाने का एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया। गुण्टूर, कुरनूल, मद्रास और इलाहाबाद की सहकारी दूध यूनियनों को भी अपना कार्य बढ़ाने के लिए सहायता दी गई।

आनन्द की खेड़ा कोआपरेटिव मिल्क यूनियन मे मक्खन और मक्खन निकले दूध के उत्पादन में वृद्धि हुई और कण्डेंस्ड दूध का उत्पादन भी आरम्भ

हो गया। अमृतसर में दूध के चूरे का और बरौनी, अलीगढ़ तथा जूनागढ़ में क्रीम के कारखाने खोलने के लिए काम शुरू किया गया। राजकोट के दूध को अधिक समय तक सुरक्षित रखने के कारखाने में भी प्रगति हुई।

मुर्गीपालन विकास

मुर्गीपालन विकास के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ३०० मुर्गीपालन विकास तथा विस्तार केन्द्र खोलने का विचार किया गया है। १९५७-५८ के अन्त तक इनमें से ११९ केन्द्र खोले जा चुके थे। १९५८-५९ में ४१ केन्द्र और खुल जाने की आशा है। इस प्रकार इन केन्द्रों की संख्या पूरी १६० हो जाएगी। मुर्गीपालन के लिए लगभग सभी राज्यों में विशेष रूप से प्रशिक्षित अधिकारी भी नियुक्त किए गए।

दिल्ली राज्य के पोल्ट्री फार्म को प्रादेशिक फार्म का रूप दिया गया। हिमाचल प्रदेश और उड़ीसा में भी दो-दो प्रादेशिक फार्म खोलने की प्रारम्भिक तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अमेरिकी तकनीकी सहायता के अन्तर्गत प्राप्त यन्त्रों द्वारा अण्डे और पक्षियों के उत्पादन में भी वृद्धि की गई।

मछलीपालन विकास

भारत-नार्वे सहायता समझौते के अन्तर्गत बढ़िया किस्म की ९० नौकाएं बनाई गईं और २५ फुट लम्बी एक नयी प्रकार की नौका का नक्शा तैयार किया गया। १४० स्थानीय मछुआरों को मछली पकड़ने के यन्त्रों का प्रयोग सिखाया गया। कोचीन में भारतीय प्रशिक्षकों और मछुआरों को मोटर-चालित नौकाओं से मछली पकड़ने का काम सिखाया गया। एक मछली व्यापार विशेषज्ञ राज्य सरकारों के सहयोग से मछलियों के व्यापार की एक नयी अखिल भारतीय योजना बनाने में सलग्न रहा।

दिल्ली और पटना में मछलीपालन के दो केन्द्रीय विस्तार विभाग और स्थापित किए गए। इन्हें मिला कर ऐसे विभागों की संख्या ९ हो गई। देश में मछलीपालन विकास के कार्यों को संगठित और समन्वित करने के लिए एक केन्द्रीय मछलीपालन मण्डल का संगठन किया गया। मछलीपालन के उच्च प्रशिक्षण की योजना बनाने के लिए एक विशेषज्ञ समिति भी नियुक्त की गई। एक मछली-पालन व्यवसाय जांच समिति ने यान्त्रिक नौकाओं द्वारा मछली पकडने की वर्तमान स्थिति की जांच यह पता लगाने के लिए की कि मछलीपालन उद्योग की आवश्यकता क्या है और उसे किस प्रकार पूरा किया जा सकता है।

वन विकास

आलोच्य वर्ष मे लगभग १ लाख एकड़ भूमि में नये पौधे लगाए गए। दूसरी पंचवर्षीय योजना के पहले दो सालों में घटिया वनों की लगभग ६०,००० एकड़ भूमि में नये सिरे से पौधे लगाए गए; लगभग ४,००० मील लम्बी सड़कें बनाई गई और ७०० मील लम्बी पुरानी सड़कों की मरम्मत की गई। इसी अवधि में ४,००० वर्गमील वनों का सर्वे किया गया; १२,०५० मील का सीमांकन किया गया तथा ६३६ मील लम्बी सड़कों के दोनों ओर पौधे लगाए गए। अन्दमान द्वीपसमूह में १,७५० एकड़ जमीन में बस्ती बसाने के लिए जंगल साफ किए गए और कोई २०० परिवार वहां बसाए गए।

भूमि-संरक्षण

१९५८-५९ में भूमि-संरक्षण का कार्य पहले से अधिक वेग से किया गया। केन्द्रीय भू-संरक्षण मण्डल ने १९५७-५८ में १५६ कार्यक्रम स्वीकृत किए थे, परन्तु १९५८-५९ में १७१ कार्यक्रम स्वीकृत किए गए। इन पर केन्द्रीय सरकार ने ऋण और सहायता के रूप में ३ करोड़ १० लाख ७८ हज़ार रुपये व्यय किए और इनसे ६ लाख ५० हज़ार एकड़ भूमि की रक्षा हुई।

जोधपुर के मरुस्थल-वन विकास-अनुसंधान केन्द्र का पुनर्गठन करके वहां वन-विकास अनुसन्धान कार्य को अधिक बढ़ावा दिया गया। लगभग ३० मील दूर तक सड़कों के दोनों ओर वृक्षारोपण किया गया और रेत का उड़ना रोकने के लिए ३५ वर्ग मील जमीन को घेर कर उसे घास उगने योग्य बनाया गया।

राजस्थान में रेगिस्तान का फैलाव रोकने के लिए चरागाहों के विकास की एक योजना शुरू की गई। इसका सबसे बड़ा कार्य जमीन पर घास उगा कर पशुओं के लिए वर्ष-भर के चरागाहों का प्रबन्ध कर देना है।

केन्द्रीय भूमि-संरक्षण मण्डल ने १ मार्च, १९५८ से दिल्ली, नागपुर, बंगलोर और हरिणघाटा के प्रादेशिक केन्द्रों के साथ मिल कर विभिन्न प्रकार की मिट्टियों और भूमियों के संयुक्त सर्वेक्षण का एक अखिल भारतीय कार्यक्रम आरम्भ किया। मिट्टी के सर्वेक्षण का काम मचकुण्ड, हीराकुड, चम्बल, भाखड़ा-नंगल, कोसी और दामोदर नदी घाटियों के प्रस्रवण तथा अप्रस्रवण क्षेत्रों में किया गया। अब तक ३७ लाख १३ हज़ार एकड़ भूमि का सर्वे हो चुका है।

सहकारिता

३० दिसम्बर, १९५८ को सहकारिता का एक अलग विभाग बना कर उसे कृषि विभाग से पृथक करके सामुदायिक विकास मन्त्रालय के साथ मिला दिया गया। साथ ही केन्द्रीय तथा राज्यीय गोदाम निगम से सम्बन्धित कार्य भी कृषि विभाग से लेकर खाद्य विभाग को सौंप दिया गया।

१९५८-५९ में सहकारिता के विकास के लिए अनुमानतः ३ करोड़ ८२ लाख रुपये की सहायता दी गई। १९५८-५९ की पहली छमाही में रिज़र्व बैंक ने राज्य सरकारों को १ करोड़ २४ लाख रु० ऋण देने की स्वीकृति दी ताकि सरकारें इस राशि का उपयोग विभिन्न ऋण-दाता सहकारी-समितियों के शेयर खरीदने के लिए कर लें।

१९५८-५९ में कृषि के लिए ऋण देने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों की सदस्य-संख्या लगभग १ करोड़ २० लाख होने की आशा थी, जबकि १९५७-५८ में यह संख्या १ करोड़ ५ लाख ही थी। आलोच्य अवधि में ऋणों की राशि १ अरब ४० करोड़ रु० थी, जबकि पिछले वर्ष यह १ अरब रु० थी।

सहकारी हाट-व्यवस्था

१९५८-५९ में ३१६ नयी समितियां खोलने और उनकी पूंजी में ९२ लाख रु० लगाने का लक्ष्य रखा गया। इनमें से बहुत-सी समितियां अन्य कार्यों के साथ उर्वरक, खेती के औज़ार व मशीनें, बढ़िया किस्म के बीज बांटने तथा कृषि की उपज जमा करने का भी काम करती हैं। इनमें से कुछ को खेती के काम में आने वाले लोहे और इस्पात का स्टाकिस्ट नियुक्त किया गया और कुछ को कृषि-जन्य उत्पादनों का निर्यात करने का काम सौंपा गया। सहकारी समितियों की मारफत अन्तर्राज्यीय तथा विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष एक राष्ट्रीय कृषि सहकारी पणन संघ का भी संगठन किया गया।

सहकारी कारखाने

जिन ३९ सहकारी चीनी कारखानों को लाइसेंस दिए गए थे, उनमें से इस वर्ष के अन्त तक १४ में उत्पादन आरम्भ हो गया और १३ का निर्माण जारी था। चीनी के सहकारी कारखानों के विकास के लिए राज्य सरकारों को ३ करोड़ ८ लाख रु० की वित्तीय सहायता राष्ट्रीय सहकारी विकास तथा गोदाम बोर्ड ने; १३ करोड़ ५४ लाख रु० की औद्योगिक वित्त निगम ने और ३ करोड़ ३५ लाख रु० की भारत के स्टेट बैंक ने दी।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत आयोजित कपास लोढ़ने, धान कूटने और तेल पेरने आदि के १६६ सहकारी कारखानों में से १९५६-५७ में २५, १९५७-५८ में ३७ और १९५८-५९ मे ५५ कारखाने स्थापित किए गए।

सहकारी गोदाम और सुरक्षित रखने की व्यवस्था

१९५८-५९ में १,०९० गोदामों के निर्माण के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप मे १ करोड़ १९ लाख ५२ हज़ार रुपये स्वीकृत किए गए। इस वर्ष केन्द्रीय गोदाम निगम ने दो गोदाम और बनाए जिससे गोदामों की संख्या ९ हो गई। ये गोदाम वारंगल (आन्ध्र प्रदेश), अमरावती, गोंदिया, सांगली (बम्बई), देवंगीर और गदग (मैसूर), बारगढ़ (उड़ीसा), मोगा (पंजाब) तथा चंदौसी (उत्तर प्रदेश) में स्थित हैं।

राज्यीय गोदाम निगमों ने भी १९५८-५९ में लगभग ६० गोदाम खोलने की योजना बनाई।

प्रशिक्षण

१९५८-५९ में ७९ उच्च कर्मचारी, २०५ मध्यम कर्मचारी और ५,००० निम्न कर्मचारी विभिन्न स्कूलों में प्रशिक्षित किए गए। इसके अलावा, ३५८ व्यक्तियों को सहकारिता द्वारा क्रय-विक्रय करने और ज़मीन रहन रख कर उधार देने वाले बैंकों का काम सिखलाया गया। ५९१ सहकारी खण्ड अधिकारियों को और १ लाख २५ हज़ार गैर-सरकारी पदाधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया गया।

सहकारी खेती

द्वितीय योजना की शेष अवधि में सहकारी खेती के ३,००० फार्म खोलने का लक्ष्य रखा गया था। १९५८-५९ में राज्यों ने इनमें से ५०० फार्म खोलने की योजना बनाई जिनमे से कुछ सहकारिता पर आधारित नहीं है।

कृषि हाट-व्यवस्था

नवम्बर १९५८ के अन्त तक विभिन्न कृषिजन्य वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए १६० नये केन्द्र स्थापित किए गए। कुछ वस्तुओं के बारे में निर्यात के पहले अनिवार्य वर्गीकरण की प्रथा जारी रही।

इस वर्ष देश में नियन्त्रित मण्डियों की संख्या ५४९ तक पहुंच गई। मण्डियों पर नियन्त्रण रखने के कानून इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास, मैसूर, मध्य प्रदेश, पंजाब, उड़ीसा और दिल्ली में लागू रहे।

१९५५ के 'फल-निर्मित पदार्थ आदेश' के अनुसार फलों से मुरब्बे, चटनी आदि बनाने वालों को ५४८ लाइसेंस दिए गए। फलों को सुरक्षित रखने के नय कामों को चलाने और पुराने कामों मे सुधार करने के लिए १६ लाख रु० के ऋण दिए गए। ताजे फल और सब्जियों को पैक करने और उन्हे सुरक्षित रखने के बारे में अनुसंधान की एक योजना भी कार्यान्वित की गई।

भूमि सुधार

भूमि सुधार के कानून बनाने और उन्हे लागू करने का काम राज्यों के जिम्मे है। फिर भी भारत सरकार द्वितीय योजना मे निर्धारित भूमि सम्बन्धी नीति को कार्यान्वित कराने का पूरा-पूरा प्रयत्न कर रही है।

कुछ राज्यों के कतिपय क्षेत्रों को छोड कर बिचौलियों की प्रथा लगभग पूरे देश में समाप्त हो चुकी है। इस वर्ष कच्छ में इनामों और जागीरों, बम्बई मे कुछ विशेष प्रकार की ज़मीदारियो और राजस्थान मे नकद जागीरों का अन्त कर दिया गया। तिरुवांकुर क्षेत्र में जेन्मोम जमीनों के सम्बन्ध में ज़मीन की समाप्ति के लिए केरल राज्य में एक विधेयक स्वीकृत किया गया। कुछ राज्यों में भूतपूर्व बिचौलियों को मुआवजा देने के बारे में विशेष कार्रवाइयां की गई।

अधिकतर राज्यों में खेती की ज़मीन पर काश्तकारों के अधिकार सुरक्षित किए जा चुके है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में काश्तकार जो ज़मीन जोत रहे थे, उन पर उनका अधिकार सुरक्षित कर दिया गया। असम, बम्बई राज्य के एक भाग, पंजाब, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में काश्तकारों को निश्चित न्यूनतम ज़मीन अपने पास रखने का अधिकार दे दिया गया। पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर तथा हैदराबाद में जमींदार को निजी खेती करने के लिए ज़मीन रखने की सीमा निश्चित की गई। इस वर्ष बम्बई के विदर्भ और कच्छ प्रदेशों में काश्तकारों को न्यूनतम भूमि रखने का अधिकार दिया गया। राजस्थान का बन्दोबस्त कानून इस वर्ष अजमेर में भी लागू कर दिया गया, और केरल, मध्य प्रदेश तथा मैसूर मे काश्तकारों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए गए। आन्ध्र प्रदेश, बम्बई में विदर्भ और कच्छ; केरल; मध्य प्रदेश में मध्य-भारत, भोपाल तथा विन्ध्य प्रदेश; मैसूर; उड़ीसा और मणिपुर में व्यापक कानून बनने तक अस्थायी रूप से किसानों के जो अधिकार सुरक्षित कर दिए गए थे, वे इस वर्ष भी चलते रहे।

लगान नियन्त्रित करने के कानून प्रायः सभी राज्यों में बना दिए गए हैं पर विभिन्न राज्यों में अधिकतम लगान की दर भिन्न-भिन्न है। केरल, मध्य प्रदेश और मैसूर में भी लगान नियत करने और कम करने के कानून बनाए गए।

काश्तकारो को भू-स्वामी बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में कदम उठाए गए। आलोच्य अवधि में, बम्बई के विदर्भ और कच्छ क्षेत्रों में काश्तकारों को ज़मीन खरीदने के ऐच्छिक अधिकार देने और राज्य सरकार को काश्तकारों को ज़मीन का स्वामित्व बदलने के अधिकार देने के लिए कानून बनाया गया। मराठवाडा क्षेत्र में सुरक्षित काश्तकारों के अलावा साधारण काश्तकारों को भी ज़मीन खरीदने के ऐच्छिक अधिकार दे दिए गए। अजमेर में भी काश्तकारों को भूमि खरीदने का ऐच्छिक अधिकार दे दिया गया। केरल, मध्य प्रदेश और मैसूर की विधान सभाओं मे उपस्थित की गई विधेयकों में ज़मीन खरीदने के अधिकारों की व्यवस्था की गई।

असम, जम्मू-कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और भूतपूर्व बम्बई, सौराष्ट्र, हैदराबाद और मध्य भारत में भविष्य में ली जाने वाली भूमि की अधिकतम सीमा तय कर दी गई। असम, जम्मू-कश्मीर, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, भूतपूर्व हैदराबाद और पेप्सू राज्यों में मौजूदा भूमि की अधिकतम सीमा निश्चित करने के बारे में कानून बनाए गए। बम्बई, मध्य प्रदेश, पंजाब (पेप्सू सहित), उत्तर प्रदेश और दिल्ली में चकबन्दी के काम मे इस वर्ष उल्लेखनीय प्रगति हुई। चकबन्दी के काम में गति लाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने इस काम पर हुए प्रत्येक राज्य के असल व्यय का ५० प्रतिशत तक या कुल व्यय का २५ प्रतिशत तक, जो भी कम हो, अपने ऊपर लेने का निश्चय किया।

कृषि अनुसन्धान

इस वर्ष देश में कृषि के विकास के लिए किए जाने वाले अनुसन्धान-कार्यों को और अधिक बढ़ाया गया।

भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद

चावल, गेहूं, जौ, मक्का और दालों सरीखी खास फसलों पर अनुसन्धान के लिए परिषद इस वर्ष भी वित्तीय सहायता देती रही। इस बात पर विशेष ज़ोर दिया गया कि जिन कार्यों का एक-दूसरे से सम्बन्ध है, वे देश के सब केन्द्रों में एक साथ आरम्भ किए जाएं। चावल के अनुसन्धान और विकास की योजना बनाने,

निरीक्षण करने तथा देश के विभिन्न भागों में हुए कार्यों के परिणाम एकत्र करके उनमें समन्वय करने के लिए एक चावल समिति का संगठन किया गया। अप्रैल १९५८ से मक्का की किस्म सुधार योजना ४ वर्ष के लिए बढ़ा दी गई। कपास, तिलहनों और ज्वार-बाजरे में अनुसन्धान-कार्य बढ़ाने के लिए जिन १७ केन्द्रों के खोलने का निश्चय किया गया था, उनमें से इस वर्ष आठ केन्द्र खोले गए।

इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश, केरल, मद्रास और मणिपुर में पशु-सुधार कानून लागू किए गए। भारतीय कृषि अनुसन्धान परिषद ने ऊन का उत्पादन बढाने के लिए बढ़िया नस्ल की भेड़ उत्पन्न करने का एक कार्यक्रम आरम्भ किया। इसके अनुसार, मार्च १९५८ तक १२६ केन्द्र खोले गए। १९५८-५९ में ४९ नये केन्द्र खोले जाने की सम्भावना थी। इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश में बकरियों की नस्ल सुधारने के कार्यक्रम स्वीकृत किए गए।

पशुओं के 'रिण्डरपेस्ट' रोग के उन्मूलन का अभियान इस वर्ष और भी ६ राज्यों में शुरू किया गया। उन्हें मिलाकर अब इस अभियान का विस्तार ग्यारह राज्यों में हो चुका है। इस वर्ष १ करोड़ ६१ लाख ५० हजार गाय-बैलों और भैंसों को इस रोग के टीके लगाए गए। पड़ोस के देशों से भारत में इस रोग की आमद रोकने के लिए देश के सीमा-स्थित इलाकों का सर्वे किया गया।

केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थाएं

इस वर्ष भारतीय कृषि अनुसन्धान संस्था को एक विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया।

केन्द्रीय आलू अनुसन्धान संस्था ने आलोच्य वर्ष मे आलू की ऐसी किस्में तैयार करने का काम आरम्भ किया जो पाले, सूखे और पानी की अधिकता का सामना कर सकें। १ सितम्बर, १९५८ को पशुपालन और पशुचिकित्सा का एक स्नातकोत्तर कालेज खोला गया।

इस वर्ष कलकत्ता के केन्द्रीय आभ्यन्तरिक मछलीपालन अनुसन्धान केन्द्र का अनुसन्धान-कार्य बहुत बढ़ गया। तुगभद्रा जलाशय के निकट लैक्यूस्ट्रीन अनु-सन्धान केन्द्र में एक परीक्षण यह आरम्भ किया गया कि वहा मछलियां छोड़कर जलाशय की उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की जा सकती है या नही। होशंगाबाद मे एक केन्द्र नर्मदा तथा ताप्ती और उनकी सहायक नदियों की मछलियों व उनके उद्‌गम-स्थानों का पता लगाने के लिए खोला गया। मण्डपम स्थित केन्द्रीय सामुद्रिक मछली अनुसन्धान केन्द्र तट से दूर की मछलियों, समुद्री भोज्य

वनस्पतियों, मछली मिलने के स्थानों के नक्शे तैयार करने और मछली पालने के परीक्षण के बारे में अनुसन्धान-कार्य करता रहा।

जिन्स समितियां

इस वर्ष कपास के बारे में ५३ अनुसन्धान-कार्य और २२ बीज बहुगुणन योजनाएं कार्यान्वित की गई। इसके अतिरिक्त कपास के रेशे और सूत की कई समस्याओं के विषय में भी अनुसन्धान किया गया। आन्ध्र प्रदेश में बिमलीपटनम में जूट के सुधार का कार्य आरम्भ किया गया। जूट को सन की तरह नरम बनाने तथा ऊन मिश्रित जूट का धागा तैयार करने और उन्हें रंगने के कार्य में भी सन्तोषजनक सफलता प्राप्त हुई। नामकुम में भारतीय लाख अनुसन्धान संस्था ने प्लाइवुड जोड़ने के लिए लाख की सहायता से विकसित गोंद तैयार किया, पानी में घुलने वाली लाख बनाई और कई ऐसी वार्निशें बनाई जिनमें से बिजली नही गुजरती। द्वितीय योजना मे नारियल की खेती के बारे मे ५ अनुसन्धान केन्द्रों को स्वीकृति दी गई। इनमें से इस वर्ष ४ केन्द्रों में—२ केरल में और एक-एक पश्चिम बंगाल तथा मैसूर में—काम आरम्भ कर दिया गया।

कृषि शिक्षा

भारत सरकार कृषि शास्त्र तथा पशु-चिकित्सा के नये कालेज खोलने और वर्तमान कालेजों के विकास के लिए राज्य सरकारो को वित्तीय सहायता दे रही है। इस वर्ष बंगलोर में पशु-चिकित्सा का एक नया कालेज खोलने के लिए २१ लाख रु० का अनुदान और ७ लाख रु० का ऋण दिया गया। १९५८-५९ में कृषि कालेजो की स्नातकीय कक्षाओं में ३,००० विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया, जबकि १९५३-५४ में केवल १,३५४ विद्यार्थी प्रविष्ट हुए थे। पशु-चिकित्सा कालेजों में इसी अवधि में विद्यार्थियों के प्रवेश की संख्या ६१५ से बढ़ कर १९५८-५९ में १,२०० हो गई।

भारत सरकार राज्य सरकारों को चार कृषि कालेजो और चार पशु-चिकित्सा कालेजों में स्नातकोत्तर कक्षाएं खोलने के लिए भी वित्तीय सहायता दे रही है। उत्तर प्रदेश सरकार को रुद्रपुर में एक कृषि विश्वविद्यालय खोलने के लिए भी सहायता दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार इसके लिए आवश्यक कानून बना चुकी है।

१९५८ में भारत के विश्वविद्यालयों के ७८ अध्यापक उच्च प्रशिक्षण के लिए अमेरिका गए और अमेरिका के विश्वविद्यालयों के २५ अधिकारी

भारतीय संस्थाओं में कार्य कर रहे थे। इसके अलावा, इस वर्ष इस योजना मे भाग लेने वाली भारतीय संस्थाओं को २० लाख रु० की पुस्तकें और अन्य सामग्री प्राप्त हुई।

कृषि आंकड़े

१६५८-५६ में सिहोर (मध्य प्रदेश) मे एक कृषि-आर्थिक अनुसन्धान केन्द्र और स्थापित किया गया। उड़ीसा, बिहार और आन्ध्र प्रदेश में फार्म व्यवस्था के अध्ययन का कार्य इस वर्ष भी जारी रहा। यह कार्य मैसूर राज्य में भी प्रारम्भ किया गया।

तकनीकी सहायता

१६५८ में खाद्य तथा कृषि संगठन ने मछलीपालन व्यवसाय, वन-विकास, पशु-चिकित्सा, पशुपालन और डेरी आदि के ३० विदेशी विशेषज्ञ भारत भेजे और ७ भारतीयों को विदेश जाकर काम सीखने के लिए वृत्तियां दीं। इस वर्ष भारत ने तकनीकी सहयोग मिशन के साथ १७ समझौते किए और मिशन ने ८ नये कृषि विशेषज्ञ भारत भेजे। उन्हें मिलाकर मिशन के भेजे हुए विशेषज्ञों की संख्या ३८ हो गई।

४० भारतीयो को मिशन ने अमेरिका जाकर भूमि-संरक्षण, कृषि-अर्थशास्त्र, गृह-विज्ञान, संतरा जाति के फलों के व्यापार और पशु-सुधार आदि का उच्च शिक्षण प्राप्त करने के लिए वृत्तियां दी। कोलम्बो योजना के तकनीकी सहयोग कार्यक्रम के अनुसार कृषि तथा तत्सम्बन्धी विषयों के ६ विदेशी विशेषज्ञ भारत आए और २६ भारतीय इन विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विदेश भेजे गए। एक जर्मन कृषि विशेषज्ञ प्रतिनिधिमण्डल ने यह देखने के लिए भारत का भ्रमण किया कि इन दोनों देशों में कृषि के क्षेत्र में क्या और कितना सहयोग हो सकता है।

भारत ने कई विदेशों को भी सहायता दी। खाद्य तथा कृषि संगठन से वृत्तियां प्राप्त करके १६ विदेशी व्यक्ति तथा विभिन्न सदस्य देशों के ५४ विद्यार्थी कृषि और तत्सम्बन्धी विषयों की उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आए और ५ भारतीय विशेषज्ञों को इस संगठन का काम सीखने के लिए विदेश भेजा गया। फिलीपीन, घाना, सूडान और श्रीलंका के १२ प्रतिनिधियों को भी कृषि के विषयो मे प्रशिक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई।

किसान युवकों के अन्तर्राष्ट्रीय अदल-बदल कार्यक्रम के अनुसार इस वर्ष अमेरिकी किसानों के परिवारों के साथ काम करने के लिए ४ किसान युवतियां

और १२ किसान युवक ६ महीने के लिए अमरीका भेजे गए। बदले में एक किसान युवक और एक किसान युवती अमेरिका से भी भारत आए। भारतीय किसान युवकों ने वहां जो अनुभव प्राप्त किया, उसका उपयोग अब भारत में किसान युवकों के क्लब संगठित करने में किया जा रहा है। आशा है कि इससे भारतीय देहातों का रहन-सहन और खेती के तरीके सुधर जाएंगे।

९. सामुदायिक विकास और सहकारिता

सामुदायिक विकास योजनाकार्यों को कार्यान्वित करने के लिए ३१ मार्च, १९५२ को योजना आयोग के अन्तर्गत सामुदायिक विकास प्रशासन की स्थापना हुई। सितम्बर १९५६ में इसे एक अलग मंत्रालय का रूप दे दिया गया। मार्च १९५८ में पंचायतों का कार्य स्वास्थ्य मंत्रालय से हटा कर इस मंत्रालय के अन्तर्गत कर दिया गया और दिसम्बर १९५८ में सहकारिता का विषय भी खाद्य और कृषि मंत्रालय से हटा कर सामुदायिक विकास मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया गया।

संशोधित कार्यक्रम

एक अध्ययन दल की सिफारिशों के अनुसार इस वर्ष कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किए गए जिनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण निर्णय उत्तरदायित्व के विकेन्द्रीकरण और जिला तथा जिले से नीचे की संस्थाओं को अधिकार हस्तांतरित करने के बारे में थे। इस बारे में राज्य सरकारें स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार अपनी योजनाएं बना रही हैं।

१९५८-५९ में विस्तार योजनाकार्यों को पांच-पांच वर्ष की दो अवधियों में पूरा करने की एक नयी योजना का भी श्रीगणेश किया गया, जिस पर पहली अवधि में १२ लाख और दूसरी में ५ लाख रु० व्यय किए जाने का अनुमान है।

वर्तमान स्थिति

१ जनवरी, १९५९ तक १६ करोड़ ५० लाख व्यक्ति, अर्थात भारतीय ग्रामों की ५६ प्रतिशत जनता सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के अन्तर्गत आ चुकी थी। उपर्युक्त समय तक २,४०५ खण्ड स्थापित हो चुके थे, जिनके अन्तर्गत ३,०२,९४७ ग्राम आते थे।

जनता का योगदान

इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में नगदी अथवा श्रम के रूप में जनता ने ३० सितम्बर, १९५८ तक ६५ करोड़ ९८ लाख रु० का योग दिया, जबकि सरकारी व्यय १ अरब ३ करोड़ ३८ लाख रु० रहा। इस प्रकार जनता ने सरकारी व्यय का ६४ प्रतिशत योग दिया, जबकि पिछले वर्ष यह ६० प्रतिशत था।

कार्य की प्रगति

कृषि

बाहरी सहायता के बिना स्थानीय साधनों की सहायता से ही १९५८-५९ में विकास खण्डों में कृषि उत्पादन बढ़ाने की योजना ने एक नया मोड़ लिया। सितम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में ४८,२४,००० मन अच्छी किस्म के बीज बाटे गए और १,३८,५९,००० मन उर्वरक का वितरण किया गया। इस वर्ष २५ लाख एकड़ भूमि में हरी खाद डाली गई और खाद के २५ लाख गढ़ों का उपयोग किया गया। विस्तार अधिकारियों द्वारा खेतों पर ग्रामीणों को दिखाए गए प्रदर्शनों की संख्या १८ लाख ४५ हजार रही।

पशुपालन और मछलीपालन

नस्ल सुधारने के लिए इस वर्ष सरकार ने खण्डों को अच्छी नस्ल के ४,००० पशु और २,०५,००० पक्षी दिए। मार्च १९५९ तक २८४ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र, १,७०४ केन्द्र ग्राम, १६८ मुर्गीपालन विस्तार तथा विकास केन्द्र और २१४ भेड़ विस्तार केन्द्र खोले गए। योजना के प्रारम्भ से अब तक पशुओं को सांघातिक रोग से बचाने के अभियान के अन्तर्गत ३,५१,९०,००० पशुओं का इलाज किया गया।

मध्य प्रदेश, राजस्थान, बम्बई, उड़ीसा और बिहार राज्यों ने अपने क्षेत्रों में मछलीपालन के विकास के लिए जल-ग्रहण-क्षेत्रो का सर्वे किया। आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और केरल में भी अन्तर्देशीय मछलीपालन का विकास कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया।

छोटे सिंचाई-कार्य

छोटे सिंचाई-कार्यो में इस वर्ष भी प्रगति जारी रही। इस कार्य पर १९५६-५७ में ४ करोड़ २४ लाख रु०, १९५७-५८ में ६ करोड़ ९८ लाख रु० और अप्रैल १९५८ से सितम्बर १९५८ तक २ करोड़ ८४ लाख रु० व्यय किए

गए। इस वर्ष सिचाई-कार्यो की जिम्मेदारी पंचायतों और सहकारी संस्थाओं पर छोड़ने की जरूरत महसूस की गई और आन्ध्र प्रदेश और केरल में तो यह कार्य उनके सुपुर्द ही कर दिया गया।

ग्राम तथा लघु उद्योग

ग्राम तथा लघु उद्योग योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्रों को प्रशिक्षण केन्द्रों के रूप में पुनस्संगठित किया जा रहा है। १ अप्रैल, १९५६ को तीन वर्ष के लिए प्रारम्भ किए गए कुटीर और लघु उद्योग विकास खण्डो का कार्यकाल मार्च १९६१ तक के लिए बढ़ा दिया गया।

विकास खण्ड क्षेत्रों के लिए स्वीकृत ९ छोटी औद्योगिक बस्तियों में से दो का कार्य प्रारम्भ हो गया तथा २० ग्रामीण औद्योगिक बस्तियो में से ३ का निर्माण-कार्य पूरा हो गया।

१९५८-५९ में खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने अम्बर चर्खे देने के अलावा, विकास खण्डों में ग्रामीण उद्योग प्रारम्भ करने के लिए १ करोड़ रु० देने का निश्चय किया। राज्य सरकारों से इन कार्यक्रमो को कार्यान्वित करने के लिए कहा गया और तीन को छोड़ कर बाकी राज्यों में खादी और ग्रामोद्योग मण्डल स्थापित भी कर दिए गए।

स्वास्थ्य कार्यक्रम

इस वर्ष परिवार नियोजन कार्यक्रम को खण्डों की महिला तथा शिशु कल्याण सेवाओं के साथ मिला दिया गया और ग्राम सेवक, ग्राम सेविकाओ तथा समाजिक कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण केन्द्रों में इस विपय को भी सम्मिलित कर लिया गया।

विकास खण्डों में मलेरिया-उन्मूलन तथा फाइलेरिया, कोढ, यौन रोगों और तपेदिक की रोकथाम का कार्य राष्ट्रीय कार्यक्रम के रूप में जारी रहा। ३० सितम्बर, १९५८ तक पीने के पानी के १,२९,००० कुएं खोदे गए और १,९५,००० की मरम्मत की गई।

शिक्षा

राज्य सरकारों ने प्रारम्भिक विद्यालयों में हाजरी बढ़ाने, प्रशिक्षित अध्यापकों की भर्ती करने और प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में परिवर्तित करने की ओर कदम उठाए। कुछ राज्यों ने कुछ क्षेत्रों में अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा

की योजना लागू की। १८ विश्वविद्यालयों ने सामुदायिक विकास को अपने पाठ्यक्रमों मे सम्मिलित कर लिया।

सामाजिक शिक्षा

सामाजिक शिक्षा कार्यक्रमों के अन्तर्गत इस वर्ष युवक संघों, किसान संघों और ग्राम नेताओं के प्रशिक्षण शिविरों पर अधिक ज़ोर दिया गया। इस कार्यक्रम के प्रारम्भकाल से ३० सितम्बर, १९५८ तक ८४,७०० युवक संगठन और किसान क्लब स्थापित हुए जिनकी सदस्य-संख्या ९,३५,००० है।

महिला कार्यक्रम

३० सितम्बर, १९५८ को २,२७८ विकास खण्डों में १९,१०० महिला समितियां कार्य कर रही थीं जिनकी सदस्य-संख्या २ लाख ९९ हज़ार थी। लगभग सभी राज्यों में, खास तौर पर बम्बई, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और त्रिपुरा में, स्त्रियों की औद्योगिक सहकारी संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया गया। ७८ विकास खण्डों में केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल के साथ समन्वय कार्यक्रम प्रारम्भ किए गए।

आदिमजातीय कल्याण

आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, बम्बई, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, मणिपुर और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों में ४३ बहूद्देश्यीय विकास खण्ड स्थापित किए गए। वनों के छोटे-मोटे उत्पादनों के लिए सहकारी समितिया बनाने के भी प्रयत्न किए गए।

ग्राम आवास

लगभग सभी राज्यो में ग्राम आवास केन्द्र स्थापित किए गए और राज्यों को विकास खण्डों में इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए १९५७ में अलाट किए गए ५०० गांवों के अलावा, १,००० गांव और अलाट किए गए। राजस्थान, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मैसूर और बिहार मे मकान बनाने के लिए ऋण देने के बारे में नियम बनाए गए और केन्द्रीय सरकार ने योजना कार्यान्वित करने के लिए १९५८-५९ में ७० लाख रु० दिए।

अनुसन्धान

राष्ट्रीय अनुसन्धानशालाओं मे गावों में प्रयोग करने के लिए कुछ अनु-सन्धान-कार्य भी किए गए। गांव के मकानों के लिए काली मिट्टी से ईंट बनाने, मिट्टी के नये प्रकार के वाटरप्रूफ प्लास्टर बनाने तथा सडक बनाने में मिट्टी

का एक खास प्रयोग आन्ध्र प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश, दिल्ली, असम और पंजाब के विकास खण्डों में किया गया ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

इस वर्ष इस मंत्रालय ने प्रशिक्षण के कार्यक्रम को पुनस्संगठित किया । नीलोखेड़ी, रांची, राजेन्द्रनगर और बख्शी का तालाब स्थित चार खण्ड विकास-अधिकारी-प्रशिक्षण केन्द्रों को ओरिएंटेशन प्रशिक्षण केन्द्रों में परिवर्तित कर दिया गया । इसी प्रकार का एक केन्द्र मैसूर में भी स्थापित किया गया ।

मंत्रालय द्वारा चलाए जाने वाली विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं के प्रिंसिपलों, डायरेक्टरों व प्रशिक्षकों और खाद्य तथा कृषि मन्त्रालय के विस्तार प्रशिक्षण केन्द्रों के प्रिंसिपलों के प्रशिक्षण के लिए देहरादून के निकट राजपुर में एक संस्था की स्थापना की गई ।

मसूरी में सामुदायिक विकास के अनुसन्धान-कार्य तथा अध्ययन के लिए एक केन्द्रीय संस्था की स्थापना की गई ।

३१ दिसम्बर, १९५८ तक ३२,६५५ ग्राम सेवक, १,०५३ ग्राम सेविकाएं, १,६०० विस्तार अधिकारी (सहकारिता), १,१३८ विस्तार अधिकारी (उद्योग) और १,६९९ स्वास्थ्य अधिकारी प्रशिक्षित किए गए ।

इस वर्ष एक नयी योजना के अन्तर्गत घूम-फिर कर ग्रामोद्योग और ग्राम कलाकौशल सिखाने के लिए ३० सितम्बर, १९५८ तक ३,६०० ग्राम अध्यापकों को प्रशिक्षित किया गया ।

विदेशों से भी बहुत-से विद्यार्थी सामुदायिक विकास की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत आए और भारत सरकार ने कुछ अविकसित देशों को इस दिशा में सहायता भी प्रदान की ।

पंचायतें

इस वर्ष बम्बई और मद्रास ने पंचायतों के बारे में नये कानून बनाए । अन्य राज्यों में भी इस दिशा में काफी प्रगति हुई । यह निश्चय किया गया कि भविष्य में विकास योजनाओं को बनाने और कार्यान्वित करने के लिए विकास-खण्ड-बजट का 'स्थानीय कार्य' वाला पूरा भार पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया जाए ।

इस वर्ष मंत्रालय ने पंचायतों के सरपंचों और खण्ड विकास समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों के प्रशिक्षण के लिए दो प्रशिक्षण योजनाएं भी बनाई ।

साथ ही ३० सितम्बर, १९५८ तक १९,००० शिविरों में लगभग ९ लाख ग्राम सहायकों को प्रशिक्षण दिया गया।

सहकारिता

सहकारी समितियों और उनके सदस्यों की संख्या भी इस वर्ष काफी बढ़ी। ३० सितम्बर, १९५८ को कृषि ऋण सहकारी समितियों की सदस्य-संख्या ८८ लाख थी। लखनऊ की आयोजन तथा अनुसन्धानशाला के आंकड़ों के अनुसार विकास खण्ड-क्षेत्रों में छोटे किसानों द्वारा उत्पादन-कार्यों के लिए उपयोग किए जाने के लिए दिए गए सहकारी ऋणों का प्रतिशत ४५.३९ था, जबकि अन्य क्षेत्रों में यह २८.५८ ही रहा।

•

१०. सिंचाई और बिजली

देश के जल तथा विद्युत संसाधनों के विकास के लिए सामान्य नीति निर्धारित करने के अलावा, इस मंत्रालय का काम विभिन्न सिचाई तथा विद्युत योजनाकार्यों का विकास करना तथा उन्हें कार्यान्वित करना, योजना में शामिल करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा तैयार की गई योजनाओं का परीक्षण करना, बाढ़ नियन्त्रण का संगठित कार्यक्रम तैयार करना और मशीनों, उपकरणों तथा कुशल कर्मचारियों का अधिकतम उपयोग करना है। साथ ही मुस्लिम वक्फ़ों के प्रबन्ध का कार्य भी इस वर्ष इस मंत्रालय को सौंप दिया गया।

केन्द्रीय जल तथा विद्युत आयोग

इस आयोग का काम बहूद्देश्यीय नदी विकास योजनाओं का कार्य-संचालन और उनमें समन्वय स्थापित करना, थर्मल विद्युत के विकास के लिए संगठित योजनाएं तैयार करना, विद्युत का उपयोग तथा उसका विस्तार करना तथा खाद्य समस्या को सुलझाना है। इसके अलावा आयोग राज्य सरकारों और कुछ पड़ोसी देशों को सलाह-मशविरा भी देता है।

जल विभाग

इस वर्ष प्राविधिक सहयोग मण्डल कार्यक्रम के अन्तर्गत हीराकुड, माही, घाटप्रभा, काकरापार, चम्बल और रिहंद योजनाओं तथा कोटा और नागार्जुन-

सागर स्थित प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रो के लिए १ करोड़ ५० लाख डालर की सहायता प्राप्त हुई। चतुर्थ सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोग को छः विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हुई। इसके अलावा, सितम्बर १९५८ में बाढ़-नियन्त्रण के प्रशिक्षण के लिए ९ अधिकारियों को अमेरिका भेजा गया।

जल विभाग के अधिकारियों ने इस वर्ष चैकोस्लोवाकिया में होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय बाढ़-नियन्त्रण गोष्ठी और न्यूयार्क में बड़े बांधो पर होने वाले अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भी भाग लिया।

इस वर्ष दस नदीक्षेत्रों में योजनाओं के लिए उपयुक्त स्थान ढूढ़ने व खेती किए जाने के बारे मे प्रारम्भिक प्रतिवेदन तैयार किए गए। चम्बल, महानदी और गोमती में नौकानयन तथा नर्मदा-सोन-गंगा, और नर्मदा-वैनगंगा-गोदावरी में तटीय जलमार्ग बनाने के बारे में सर्वेक्षण करके प्रतिवेदन तैयार किया गया। साथ ही १९ योजनाओं का प्राविधिक अध्ययन कार्य पूरा किया गया और २४ के बारे में अन्तिम टिप्पणी तैयार कर ली गई।

इस वर्ष पूना स्थित केन्द्रीय जल तथा बिजली अनुसन्धान केन्द्र ने दिल्ली को पानी देते रहने के लिए यमुना को नियन्त्रित करने, हुगली में नौकानयन के सुधार और महानदी के मुहाने पर परदीप बन्दरगाह के विकास की समस्याओं पर खोज की।

आलोच्य वर्ष मे बाधों का काम पूरा होते आने के कारण २ करोड़ ५० लाख रु० लागत की अतिरिक्त मशीनों को दामोदर घाटी निगम, हीराकुड और भाखड़ा-नंगल से अन्य बांध योजनाओ को भेज दिया गया।

बाढ़ विभाग

इस वर्ष विभिन्न राज्यों से प्राप्त ७ बड़ी बाढ़-नियन्त्रण योजनाओं की जाच की गई। इनमें से प्रत्येक पर १० लाख रु० व्यय होने का अनुमान है। अब तक ४३ करोड़ ५९ लाख रु० लागत की १०३ बड़ी योजनाओ की जाच की जा चुकी है। इनमें से २७ करोड़ २८ लाख रु० लागत की ६० योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृति दे दी गई।

भारत सरकार एक बाढ़ एटलस भी तैयार कर रही है। १९५४, १९५५, १९५६ और १९५७ के नक्शे तैयार किए जा चुके हैं।

इस वर्ष पंजाब, दिल्ली, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, असम और आन्ध्र प्रदेश में बाढ़-नियन्त्रण योजनाओं की जांच की गई तथा पानी इकट्ठा होने, बाढ़ के पानी की दिशा बदलने आदि के बारे मे अध्ययन किया गया।

बिजली विभाग

इस वर्ष पश्चिमी घाटों में पश्चिम की ओर बहने वाली, दक्षिण भारत की पूर्व की ओर बहने वाली तथा मध्य भारत की नदियों और गंगा तथा ब्रह्मपुत्र में पानी से बिजली पैदा करने की क्षमता का पता लगाने के बारे में अध्ययन-कार्य पूरा हो गया। दूर के पहाड़ी प्रदेशो को बिजली पहुंचाने के बारे मे सदा बहने वाले नालों का उपयोग करने की संभावनाओं के परीक्षण किए गए और हिमाचल प्रदेश में गिरि नदी पर एक छोटा बिजलीघर बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया।

असम में तेल साफ करने के प्रस्तावित कारखाने के लिए एक तापीय बिजलीघर की स्थापना के बारे में भी अध्ययन किया गया। नइवेली तापीय विद्युत् केन्द्र, चम्बल हाइडल प्रोजेक्ट और कांडला तापीय विद्युत् केन्द्र के लिए आवश्यक वस्तुओं का विशेष विवरण तैयार किया गया।

नदी योजनाकार्य

हीराकुड बांध योजनाकार्य (प्रथम चरण)

दिसम्बर १९५८ के अन्त तक लगभग २ लाख ४२ हजार एकड़ क्षत्र मे सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध थी। इस क्षेत्र में पहली बार स्थायी रूप से सिचाई का प्रबन्ध किया गया। १९५८-५९ में २ लाख १८ हज़ार एकड़ क्षेत्र के सीचे जाने की आशा है। सिंचाई की सुविधाओं के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए नहरों से सीचे जाने वाले क्षेत्रो में पांच प्रदर्शन फार्म चालू किए गए और गांवों में विशेष विस्तार कर्मचारियों की नियुक्ति की गई।

मुख्य बिजलीघर में ३७,५०० किलोवाट की चौथी मशीन चालू की गई और इस तरह स्थापित क्षमता १,२३,००० किलोवाट हो गई। ट्रांसमिशन ग्रिड के विस्तार तथा उप-केन्द्रों को बनाने का काम कार्यक्रम के अनुसार हो रहा है। इस क्षेत्र में कई कारखानों और कटक, पुरी, सम्बलपुर, सुन्दरगढ़ तथा अन्य नगरों को बिजली पहुचाई जा रही है।

योजना पर ७० करोड़ रु० की अनुमानित लागत की तुलना म दिसम्बर १९५८ के अन्त तक ५९ करोड़ ६० लाख रु० खर्च हुए।

दामोदर घाटी निगम

तिलैया जलाशय इस वर्ष सातवी बार तथा माईथान जलाशय दूसरी बार भरा गया। पंचेत बांध पर दिसम्बर १९५८ के अन्त तक मिट्टी के बांध

तथा 'डाइक्स' का ९९ प्रतिशत से अधिक भाग और कंक्रीट बांध का ९७.८३ प्रतिशत भाग पूरा हो गया।

दिसम्बर १९५८ के अन्त तक नहर प्रणाली का ९६.६ प्रतिशत से अधिक भाग और निकास नालियों का ९७ प्रतिशत से अधिक भाग पूरा हो चुका था। इस वर्ष ५,२०,००० एकड़ क्षेत्र सींचा गया। दुर्गापुर को हुगली नदी से जोड़ने वाली ८५ मील लम्बी नौकानयन नहर के जून १९५९ तक पूरी होने की सम्भावना थी।

अब तक ४९८ मील की ट्रांसमिशन लाइनों तथा ३१ उपकेन्द्रो में से ४९० मील से अधिक की ट्रांसमिशन लाइनें तथा २९ उपकेन्द्र पूरे किए जा चुके हैं। इसके अलावा कलकत्ता, गया, पटना और डालमियानगर तक बिजली पहुंचाने के लिए ३३८ मील की ट्रांसमिशन लाइनों में से ३३३ मील से अधिक पूरी की जा चुकी है। दुर्गापुर में १,५०,००० किलोवाट तथा बोकारो में ७५,००० किलोवाट के नए तापीय विद्युत केन्द्रों पर कार्य जारी है। दिसम्बर १९५८ के अन्त तक दुर्गापुर में लगभग ३० प्रतिशत और बोकारो में ४० प्रतिशत काम पूरा हो गया। चन्द्रपुर में १,२५,००० किलोवाट की क्षमता का तापीय बिजलीघर बनाने की योजना पर प्रारम्भिक काम शुरू हो गया।

१९५३ में बिजली की कुल मांग २२,२८० किलोवाट थी, और नवम्बर १९५८ के अन्त तक यह १,९६,३२७ किलोवाट हो गई। बोकारो तापीय विद्युत केन्द्र से लगभग १,८१,५०० किलोवाट बिजली मिली, जबकि इसकी निश्चित क्षमता केवल १,००,००० किलोवाट ही है। तिलैया जल-विद्युत केन्द्र से ४,००० किलोवाट बिजली प्राप्त हुई। माईथान जल-विद्युत केन्द्र में बीस-बीस हज़ार किलोवाट की तीन मशीनों में से दूसरी तथा तीसरी भी १९५८ मे चालू हो गई।

पश्चिम बंगाल में इस वर्ष लगभग ५,२०,००० एकड़ भूमि में सिंचाई की गई और अब तक ६३८ वर्ग-मील क्षेत्र का सर्वेक्षण हो चुका है। ३३९ वर्गमील क्षेत्र का भू-गर्भ सर्वेक्षण भी किया गया।

भाखड़ा-नंगल योजनाकार्य

भाखड़ा बाध पर कंक्रीट डालने का कार्य, जो १७ नवम्बर, १९५५ को आरम्भ किया गया था, इस वर्ष भी निरन्तर प्रगति करता रहा। अक्तूबर १९५८ के अन्त तक २९,५१,२२१ घन गज़ कंक्रीट डाला जा चुका था।

कंक्रीट डालने के काम का पहला चरण पूरा हो चुका है और सबसे नीची नींव से बांध ४०० फुट ऊँचा उठ गया। कंक्रीट डालने का दूसरा चरण २३ अक्तूबर, १९५८ को शुरू हुआ। बांध को १९६० के मध्य तक पूरा करने का निश्चय किया गया।

भाखड़ा का बायां बिजलीघर अप्रैल १९५९ तक पूरा होने की आशा थी और दाएं किनारे के बिजलीघर से सम्बन्धित कार्य प्रगति कर रहा है।

भाखड़ा-नंगल योजनाकार्य पर दिसम्बर १९५८ के अन्त तक १ अरब ४६ करोड़ ७१ लाख रु० खर्च हो चुके थे।

तुंगभद्रा योजनाकार्य

इस वर्ष मुख्य बाध पूरा हो गया। हम्पी बिजलीघर में ९,००० किलोवाट की दो मशीनें १९५८ में चालू की गई।

आन्ध्र प्रदेश में वितरण प्रणाली तथा नालियों का काम पूरा हो चुका है। मैसूर में वितरण प्रणाली का ८९ प्रतिशत से अधिक तथा क्षेत्रीय नालियों का ५८ प्रतिशत से अधिक भाग पूरा हो चुका है।

दिसम्बर १९५८ तक तुंगभद्रा नदी के दोनों ओर लगभग १,२२,४९८ एकड क्षेत्र की सिंचाई की गई।

कोसी योजनाकार्य

इस वर्ष इस योजनाकार्य के अन्तर्गत १५२ मील लम्बा बांध बनाने का काम पूरा किया गया जिसमें ७६ करोड़ घन फुट मिट्टी का काम हुआ। इसका लगभग $\frac{2}{3}$ भाग सहकारिता के आधार पर किया गया। अब तक कुल मिला कर पूर्वी उठान बांध पर ९ करोड़ ५८ लाख ५३ हज़ार घन फुट, पूर्वी बांध पर १ करोड़ ११ लाख घन फुट और मुख्य नहर पर १,४४६.६० घन फुट मिट्टी का काम पूरा हो चुका है। दिसम्बर १९५८ तक इस योजनाकार्य पर ४४ करोड़ ७६ लाख रु० के अनुमानित व्यय में से १३ करोड़ ३६ लाख रु० व्यय हुए।

कोयना योजनाकार्य

इस योजनाकार्य का उद्घाटन जनवरी १९५४ में किया गया था। काफर बांध, नदी का पुल और डाइवर्शन चैनल्स जैसे प्रारम्भिक कार्य पूरे हो चुके हैं। नींव में से सारी मिट्टी और पत्थर खोदा जा चुका है।

इन्टेक चैनल की खुदाई का काम काफी प्रगति कर चुका है। १२,३०० फुट लम्बी हैड रेस टनल तथा ७,४५० फुट लम्बी टेल रेस टनल की खुदाई का काम पूरा हो चुका है। अन्तर्राष्ट्रीय पुर्ननिर्माण तथा विकास बैंक (इन्टरनेशनल बैंक फार रिकन्स्ट्रक्शन एण्ड डेवेलपमेंट) से विदेशी मुद्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए डालर ऋण लेने के सम्बन्ध में बातचीत लगभग पूरी हो गई।

दिसम्बर १९५८ के अन्त तक इस योजनाकार्य के प्रथम चरण के ३८ करोड़ २८ लाख रु० के अनुमानित व्यय में से ११ करोड़ ९६ लाख रु० व्यय हुए।

रिहंद बांध योजनाकार्य

मुख्य बांध में कंक्रीट डालने का काम जो अप्रैल १९५७ में शुरू किया गया था, इस वर्ष भी होता रहा। दिसम्बर १९५८ के अन्त तक २ करोड़ ८ लाख ९० हजार घन फुट काम किया गया। एक या दो खण्डों को छोड़ कर बांध के क्षेत्र की तमाम नीव का काम पूरा हो चुका है। साथ ही विजलीघर के सब-स्ट्रक्चर का भी काम चलता रहा। बरसाती बाढ़ के कारण होने वाली बाधा को रोकने के लिए बिजलीघर के क्षेत्र को ७० फुट ऊंचे पक्के काफर बांध के द्वारा अलग कर दिया गया। इस बांध में ८ लाख घन फुट चिनाई का काम हुआ। इस पर फरवरी १९५८ में काम शुरू किया गया और बरसात से पहले जून १९५८ मे इसे सफलतापूर्वक पूरा कर दिया गया। साथ ही साथ कंक्रीट डालने के दिनों में नदी को नियन्त्रित रखने के लिए नदी की धारा को मोड़ने का कार्य भी पूरा किया गया। इस वर्ष विद्युत संयंत्र बनाने के काम में भी काफी प्रगति हुई। इसमें पांचों ड्राफ्ट्स ट्यूब लाइनर स्थापित किए जा चुके हैं और उठान खाड़ी (इरेक्शन बे) का काम भी लगभग पूरा हो गया।

दिसम्बर के अन्त तक इस योजनाकार्य पर ४६ करोड़ ५ लाख रु० के अनुमानित व्यय में से १६ करोड़ ५२ लाख रु० व्यय हुए।

चम्बल योजनाकार्य

नवम्बर १९५८ तक गांधीसागर बांध पर ६७.१८ प्रतिशत और गाधी सागर बिजलीघर पर ७९.८९ प्रतिशत कंक्रीट डालने का काम पूरा हो गया। कोटा बांध पर ९३.३ प्रतिशत चट्टान कटाई, ५२.९ प्रतिशत कंक्रीट डालने और ९८.३ प्रतिशत चिनाई का काम पूरा हो गया। मध्य प्रदेश की नहरों में मिट्टी के कुल काम का ३१.७१ प्रतिशत

और चट्टान काटने का ५६.३५ प्रतिशत काम पूरा हो गया। राजस्थान में भी ८३.२ प्रतिशत मिट्टी का काम और ७६.६ प्रतिशत चट्टान काटने का काम पूरा हो गया। दिसम्बर १६५८ के अन्त तक योजनाकार्य पर २३ करोड़ ५१ लाख रु० व्यय हुए।

नागार्जुनसागर योजनाकार्य

अब तक नीव की २ करोड ८० लाख ४० हजार घन फुट खुदाई हो चुकी है। इस वर्ष मिट्टी के बाध का लगभग ½ भाग का कार्य पूरा हुआ। दिसम्बर, १६५८ के अन्त तक इस पर किए जाने वाले ८६ करोड़ ३३ लाख रु० के अनुमानित व्यय में से १७ करोड़ ३१ लाख रु० व्यय हुए।

राजस्थान नहर योजनाकार्य

राजस्थान नहर योजनाकार्य के अधीन १८,५०० क्यूजेक जल क्षमता की ४१५ मील लम्बी एक नहर बननी है। यह नहर संसार की सिंचाई योजनाओं में सबसे बड़ी और सबसे लम्बी होगी। इसमें १३४ मील लम्बी राजस्थान सहायक नहर और २८१ मील लम्बी राजस्थान नहर होगी। पूर्ण विकास हो जाने पर यह नहर प्रति वर्ष २६ लाख २० हज़ार एकड़ भूमि की सिंचाई करेगी जिसके फलस्वरूप ६ लाख ५० हज़ार टन अनाज और २६ करोड़ रु० की कीमत की अन्य व्यावसायिक फसलों की वृद्धि हो जाएगी। दिसम्बर, १६५८ तक इस योजना पर ५० लाख ५ हज़ार रु० खर्च हुए।

बाढ़-नियंत्रण कार्य

इस समय १२ राज्यों मे बाढ-नियन्त्रण मण्डल तथा ४ नदी आयोग (बाढ) है। १६५७ मे स्थापित बाढों की उच्चस्तरीय समिति ने आलोच्य वर्ष मे अपना कार्य पूरा कर लिया।

१६५८ मे बाढ़ मे इतना अधिक नुकसान नही हुआ जितना १६५७ मे हुआ था। इस वर्ष लगभग ४० करोड रु० का नुकसान हुआ। १६५४ में किए गए कार्यों पर जिनसे ५० लाख एकड भूमि और ४२ नगरों की रक्षा की गई थी, इस वर्ष की बाढ़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ा।

इस वर्ष केन्द्रीय जल तथा बिजली आयोग में बाढ़ों की पूरी सूचना रखने का एक विभाग खोला गया। १६५४ से अब तक बाढ़-नियन्त्रण के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत ४६,७८७ वर्ग मील क्षेत्र की आकाश से फोटो ली गई तथा ३७,६१७ वर्ग मील नदीक्षेत्र का स्तर समतल किया गया।

आलोच्य वर्ष में विभिन्न राज्यों में भी बाढ़-नियन्त्रण के कार्यक्रमों में काफी प्रगति हुई। आन्ध्र प्रदेश मे लगभग ७० प्रतिशत कार्य पूरा हो गया। असम में इस वर्ष तक ४ बड़ी तथा ४६ छोटी योजनाएं पूरी हो गई। बिहार में ६ बड़ी तथा १६ छोटी योजनाओं पर कार्य पूरा हो गया तथा १५ बड़ी योजनाओं पर कार्य तेजी से चल रहा है। उड़ीसा में स्वीकृत ११६ छोटी योजनाओं में से अब तक ८१ पूरी हो चुकी हैं। इसी प्रकार पंजाब में १५ छोटी योजनाओं का कार्य पूरा हो चुका है। उत्तर प्रदेश में ६ बड़ी तथा ४१ छोटी योजनाओं के पूरी होने के अलावा ४,२०० गांवो के धरातल को ऊंचा उठाने का कार्य पूरा हो चुका है। १९५८ की बाढों के दिनों में इस प्रदेश मे बांधों द्वारा १० लाख ५३ हजार एकड़ भूमि की रक्षा की गई।

पश्चिम बंगाल की ६ बड़ी तथा २६ छोटी योजनाएं पूरी हो गई। दिल्ली और त्रिपुरा में भी बाढ़-नियन्त्रण की कई योजनाएं पूरी की गई। दिल्ली में २ बडी तथा १५ छोटी तथा त्रिपुरा मे अगरतालाकी रक्षा के लिए एक बड़ी योजना और अन्य नगरों की रक्षा के निमित्त ११ छोटी योजनाओं का कार्य पूरा हो गया। दिल्ली में रेल के पुल से ओखला बाध तक यमुना के बाएं किनारे पर बने बांध को ऊंचा करने तथा १ मजबूत बनाने की बड़ी तथा २ छोटी योजनाएं भी लगभग पूरी हो गई।

निर्माण निगम

राष्ट्रीय योजनाकार्य निर्माण निगम (प्राइवेट) लि०, की जो १९५७ में प्रारम्भ किया गया था, इसकी स्थापित पूंजी ७९ लाख रु० है जिसमे केन्द्रीय सरकार और मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, केरल तथा जम्मू-कश्मीर राज्यों का भाग भी सम्मिलित है। असम और पंजाब राज्यों ने भी इसमें सम्मिलित होने की स्वीकृति दे दी।

प्रशिक्षण

इंजीनियरों को बांधों और बिजली के बड़े यन्त्रों के डिज़ाइन और निर्माण के तरीकों मे प्रशिक्षण देने के लिए मंत्रालय का तीसरा कोर्स जून १९५८ में पूरा हो गया। मिट्टी हटाने वाली भारी मशीनों को चलाने तथा उनके रख-रखाव में विशेष प्रशिक्षण देने के लिए कोटा और नागार्जुनसागर में खोले गए दोनों केन्द्रों का कार्य सन्तोषजनक रूप से चलता रहा। इन केन्द्रों मे अब

तक १३६ प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षा दी गई जिन मे से अधिकांश काम पर लग गए हैं ।

दिल्ली की बिजली संस्था

इस वर्ष दिल्ली की विद्युत क्षमता बढ़ कर ७०,००० किलोवाट हो गई। इसमें भाखड़ा-नंगल योजना द्वारा दी गई २०,००० किलोवाट और केन्द्रीय बिजलीघर (राजघाट) के नए डीज़ल सैट द्वारा उत्पादित ६,००० किलोवाट बिजली शामिल है।

राज्यों के बिजली बोर्ड

इस वर्ष असम और बिहार राज्यों में बिजली बोर्डों की स्थापना की गई। इस प्रकार अब तक ९ राज्यों में बिजली बोर्ड स्थापित हो चुके हैं।

गांवों में बिजली

गांवों में बिजली पहुंचाने की योजना के बारे में अगस्त १९५६ में स्थापित अध्ययन मण्डल ने मार्च १९५८ में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया।

११. वाणिज्य और उद्योग

वाणिज्य और उद्योग मत्रालय पर व्यापार और वाणिज्य के विकास की ज़िम्मेदारी है। यह मंत्रालय आयात और निर्यात पर नियन्त्रण रखता है और उनका नियमन करता है, विदेशों के साथ व्यापार -समझौते करता है, अन्य देशों में वाणिज्य-प्रतिनिधि भेजता है, निर्यात की अभिवृद्धि के लिए प्रयास करता है तथा दूसरे देशों में आयोजित होने वाले औद्योगिक मेलों और प्रदर्शनियों में भारत की ओर से भाग लेने की व्यवस्था करता है। इनके अलावा, यह मंत्रालय निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों में छोटे और बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन और सहायता प्रदान करता है तथा उनके विकास के लिए निरन्तर प्रयत्नशील रहता है। सभी क्षेत्रों में औद्योगीकरण के विकास के लिए प्रयास करने के साथ ही यह मंत्रालय सीमेंट जैसी कुछ आवश्यक उपभोक्ता सामग्रियों के उत्पादन, वितरण और उनके मूल्य-निर्धारण पर नियन्त्रण भी रखता है।

विदेशी व्यापार

जनवरी-अगस्त १९५८ में मूल्य की दृष्टि से भारत के निर्यात में १५ प्रतिशत और आयात मे २२ प्रतिशत की गिरावट हुई।

निर्यात और आयात

लोहा और इस्पात, मशीन, कपास, अलौह धातुओं तथा परिवहन उपकरणों के आयात में कमी होने के कारण आलोच्य वर्ष में आयात में १ अरब ४६ करोड़ रुपये की गिरावट हुई। दूसरी ओर, कपास और जूट की बनी सामग्री, चीनी, कच्ची मैंगनीज, कपड़ा और चमड़े की बनी चीज़ों, ऊन और कपास, कच्चा लोहा कहवा, खाल, आदि के निर्यात से अर्जित किए जाने वाली विदेशी मुद्रा में भी ६२ करोड़ रु० की कमी हुई।

आयात नियन्त्रण

१९५८-५९ में सरकार के सामने विदेशी मुद्रा के सब साधन संचित रखने की समस्या रही। विदेशी मुद्रा कम से कम खर्च हो, इसलिए आयात पर कड़ा नियन्त्रण रखा गया। तथापि, इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखा गया कि इस नियन्त्रण का देश के औद्योगिक उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव न पडने पाए।

निर्यात नियन्त्रण

आलोच्य वर्ष में विदेशी मुद्रा की स्थिति निरन्तर बिगड़ने के फल-स्वरूप निर्यात व्यापार में वृद्धि करने के लिए विशेष कदम उठाए गए। लगभग २०० वस्तुओं को निर्यात नियन्त्रण से मुक्त कर दिया गया। ऐसी अनेक सामग्रियों पर से मात्रा का प्रतिबन्ध हटा लिया गया जिनके निर्यात की मात्रा निर्धारित कर दी गई थी। इसी प्रकार अन्य अनेक वस्तुओं के निर्यात पर लगे दूसरे नियन्त्रण हटा लिए गए या उन्हें ढीला कर दिया गया। इस तरह सरकार ने निर्यात व्यापार मे वृद्धि करने और विदेशी मुद्रा अर्जित करने का प्रयास किया।

निर्यात को प्रोत्साहन

संसार के कुछ प्रमुख औद्योगिक देशों में आर्थिक मंदी के कारण १९५८ के प्रथम पांच महीनों में भारत को निर्यात व्यापार से बहुत कम विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई। किन्तु जुलाई १९५८ से स्थिति सुधरने लगी और वर्ष की अन्तिम

तिमाही में भारत ने निर्यात व्यापार से १ अरब ५० करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा अर्जित की। १९५७ की अन्तिम तिमाही में भारत ने केवल १ अरब ४८ करोड़ रु० की विदेशी मुद्रा ही अर्जित की थी।

१९५८ में भारत के निर्यात व्यापार मे सबसे उल्लेखनीय बात काजू, तम्बाकू तथा अलसी के तेल की निर्यात होने वाली मात्रा में वृद्धि थी। इसी प्रकार, सिलाई की मशीनों, चमड़े के सामान और ऊनी सामान जैसे तैयार मालों के निर्यात-मूल्य मे भी वृद्धि हुई। १९५८ में निर्यात व्यापार की वृद्धि के लिए जो कदम उठाए गए उनका भविष्य मे और अच्छा परिणाम निकलने की आशा है।

निर्यात को प्रोत्साहित करने के अलावा, इस बात के लिए भी आवश्यक कदम उठाए गए कि विदेशी बाज़ारों में भारतीय माल अन्य देशों के माल की तुलना में किस्म और मूल्य की दृष्टि से श्रेष्ठ सिद्ध हो। नये-नये बाजार ढूढ़ने और विदेशों में भारतीय माल की बिक्री बढ़ाने के लिए भी कदम उठाए गए। इस दिशा में 'सरकारी व्यापार निगम' ने उल्लेखनीय कार्य किया और विदेशों में भारतीय माल के लिए बाज़ार का क्षेत्र विस्तृत करने में सफलता प्राप्त की। विदेशों में भारतीय माल की मांग बढाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं।

परिवहन इकाई

भारत में निर्यात के लिए जहाज़रानी की पूरी सुविधा अभी तक प्राप्त नही थी और जहाजो मे माल ढुलाई की दरे भी बहुत ज्यादा थी। निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए जहाजरानी की अधिकाधिक सुविधाएं सुलभ करने की दृष्टि से सरकार ने आलोच्य वर्ष में एक 'परिवहन इकाई' की स्थापना की जो निर्यात की वृद्धि के मार्ग में आने वाली जहाजरानी सम्बन्धी असुविधाओं को दूर करने का काम करेगी।

मेले और प्रदर्शनियां

भारत ने आलोच्य वर्ष मे विदेशों में होने वाली अनेक प्रदर्शनियों और व्यापारिक-मेलों में भाग लिया। इसके अलावा, नयी दिल्ली में 'भारत १९५८' नाम से एक विराट प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इससे पहली इतनी बड़ी प्रदर्शनी आज तक पूर्व में नही हुई थी।

व्यापार-समझौते

आलोच्य वर्ष मे जापान, यूनान और इथियोपिया के साथ भारत ने पहली बार व्यापार-समझौते किए। इस प्रकार भारत अब तक यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के कुल मिला कर २६ देशों के साथ व्यापार-समझौते कर चुका है।

आलोच्य वर्ष में ही भारत और रूस के बीच एक पंचवर्षीय व्यापार-समझौता हुआ, जिसके अनुसार रूस और भारत के बीच होने वाले व्यापार का भुगतान रुपयों मे किया जाएगा। इसी वर्ष भारत और अमेरिका की सरकारों ने एक संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए जिसमे कहा गया कि दोनो देशो की सरकारें अपने पारस्परिक व्यापार के क्षेत्र को और अधिक व्यापक बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगी।

इसी वर्ष घाना, सऊदी अरब, संयुक्त अरब गणराज्य, ज़ंजीबार, श्रीलका और उगाण्डा से व्यापार और सद्भावना मण्डल भारत आए। इसी प्रकार भारत से भेजे गए तीन प्रतिनिधिमण्डल अफ़गानिस्तान, जापान, रूस, पोलैण्ड और पश्चिम जर्मनी गणराज्य की यात्रा पर गए। केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग उपमन्त्री की अध्यक्षता में एक प्रतिनिधिमण्डल रूस तथा पूर्वी यूरोप के अन्य देशों के दौरे पर गया और वहां उसने भारतीय माल के लिए सम्भावित बाज़ारों का पता चलाने का प्रयास किया।

सरकारी व्यापार निगम

भारतीय सरकारी व्यापार निगम (प्राइवेट) लिमिटेड की स्थापना मई १९५६ में की गई थी। इस निगम का कार्य भारत के विदेशी व्यापार की उन्नति करना है। इस निगम ने अनेक देशों मे भारतीय माल की बिक्री के लिए करार किए। आलोच्य वर्ष में इसे इस दिशा मे काफी सफलता मिली।

औद्योगिक विकास

जनवरी-सितम्बर, १९५८ मे देश के विभिन्न उद्योगों के उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिनमे प्रमुख ये थे : सीमेण्ट (४० लाख से ४६ लाख टन), मशीनी औज़ार (१ करोड़ ७५ लाख रु० से २ करोड़ ७७ लाख रु०), सिलाई की मशीनें (१ लाख २३ हज़ार से १ लाख ५५ हज़ार), बिजली के पम्प (४६ हज़ार से ५८ हज़ार), डीज़ल इंजन (१२ हज़ार से २१ हज़ार), बिजली की मोटरें (३ लाख ८५ हज़ार से ४ लाख ७० हज़ार), साइकिलें (५ लाख ८० हज़ार से ६ लाख ८५ हज़ार), गन्धक का तेज़ाब (१ लाख ४१

हजार से १ लाख ६८ हजार टन), कास्टिक सोडा (३१ हज़ार से ४२ हज़ार टन), कागज़ और दफ्ती (१ लाख ५३ हज़ार से १ लाख ८५ हज़ार टन) और टायर (६४ लाख से ७२ लाख)।

जहां एक ओर औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि की आम रफ्तार संतोषजनक रही, वहां सूती वस्त्र उद्योग जैसे कुछ उद्योगों के उत्पादन में गिरावट हुई। १९५७ में जहां ५ अरब ३१ करोड़ ७० लाख गज कपड़ा तैयार हुआ था, वहा १९५८ में यह घट कर अनुमानतः ४ अरब ९० करोड़ गज रह गया। अतः सूती वस्त्र उद्योग की सहायता के लिए अनेक कदम उठाए गए। इसी प्रकार मोटरगाड़ियों के उत्पादन में भी कमी हुई।

किन्तु विदेशी मद्रा की कठिनाई के बावजूद सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग को छोड़ कर देश के औद्योगिक उत्पादन में १९५७ की अपेक्षा १९५८ में वृद्धि ही हुई।

१९५८ में देश में प्रथम बार जिन नयी वस्तुओं का उत्पादन आरम्भ हुआ, उनमें एलेक्ट्रोप्लेटिंग साल्ट, ऐक्टिवेटेड कार्बन, सोडियम परबोरेट और हीट ट्रीटमेंट साल्ट, भारी औद्योगिक सिलाई मशीनें, मरकरी वेपर लैंप, तथा इस्पात के कारखानों के लिए अभ्रक की ईटे तथा अल्युमिनियम के इन्स्यूलेटेड तार उल्लेखनीय हैं।

सरकारी उद्योगों में भी उत्पादन की वृद्धि संतोषजनक रही। हिन्दुस्तान मशीनी औजार कारखाना (बंगलोर), पेनिसिलीन कारखाना (पिम्परी) और डी० डी० टी० कारखाना (दिल्ली) मे उत्पादन बढ़ा।

नये निर्माणकार्य

विदेशी मुद्रा की कठिनाई के बावजूद मित्र राष्ट्रों की सहायता से आलोच्य वर्ष में अनेक नये निर्माणकार्य आरम्भ किए गए। सरकारी क्षेत्र में एक 'भारी इंजीनियरिंग निगम' की स्थापना की गई। यह निगम रूस और चेकोस्लोवेकिया की सहायता से देश में कुछ नये इंजीनियरिंग कारखाने आरम्भ करेगा। भोपाल में ब्रिटेन के सहयोग से बनने वाले बिजली के भारी यन्त्र बनाने के कारखाने का निर्माणकार्य आरम्भ हो चुका है। इसके अलावा, सिन्दरी के उर्वरक कारखाने और पिम्परी के पेनिसिलीन कारखाने का विस्तार करने और नंगल में एक नया उर्वरक कारख़ाना खोलने का विचार है।

राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम

इस निगम पर देश के औषधि-निर्माण कारखानो के विकास का उत्तरदायित्व डाला गया। इन कारखानों के विकास की योजनाएं तैयार करने के

लिए रूस से विशेषज्ञों के एक दल को आमन्त्रित किया गया था। इस दल ने इस दिशा में कुछ नये कारखाने स्थापित करने की सिफारिश की। इस सम्बन्ध में रूस सरकार से बातचीत चल रही है।

उत्पादकता

राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना १२ फरवरी, १९५८ को की गई थी। इसका कार्य उद्योगो में उत्पादकता की वृद्धि के लिए सरकार को सलाह देना है। भारत सरकार ने इस परिषद को १९५८-५९ मे २० लाख रु० का अनुदान विभिन्न प्रयोजनों के लिए दिया।

आलोच्य वर्ष मे परिषद ने ५ क्षेत्रीय उत्पादकता निदेशालयों की स्थापना करने का निश्चय किया जो उत्पादकता सम्बन्धी प्रशिक्षण देगे तथा उद्योगों को आवश्यक सहायता भी प्रदान करेंगे। उत्पादकता आन्दोलन को व्यापक बनाने के लिए औद्योगिक केन्द्रों में स्थानीय उत्पादकता परिषदों की स्थापना की जाएगी। अभी तक बंगलोर, कोयमुत्तूर, मद्रास और वम्बई में इस प्रकार की चार स्थानीय परिषदों की स्थापना की जा चुकी है।

उद्योगों को सहायता

भारतीय उद्योगों के विकास के लिए अधिकाश प्राविधिक सहायता 'भारत-अमेरिका प्राविधिक सहयोग मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त हुई। इसके अलावा, आलोच्य वर्ष में अमेरिका के साथ हुए एक नये समझौते के अनुसार राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को १९५८-६१ के दौरान २८ लाख डालर की सहायता प्राप्त होगी। इसमे से ७,१९,६५५ डालर १९५९ में मिलेंगे।

राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक विशेषज्ञ की सहायता भी भारत को प्राप्त हुई। फोर्ड फाउंडेशन सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत एक अमेरिकी विशेषज्ञ की सहायता भी प्राप्त हुई।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत १३ भारतीयों को, राष्ट्रसंघीय प्राविधिक सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ७ भारतीयों को तथा अमेरिका के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत ९ भारतीयों को विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए चुना गया। अमेरिका और भारत के बीच २३ जून, १९५८ को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जिसके अनुसार भारत को सडक परिवहन तथा जूट और सीमेंट उद्योगों के विकास के लिए ३ करोड़ ५० लाख डालर का ऋण प्राप्त होगा।

लघु उद्योग

लघु उद्योगों की देख-भाल के लिए किए गए प्रबन्धो को आलोच्य वर्ष मे पुनर्गठित किया गया। अब प्रत्येक राज्य मे, जिनमें दिल्ली भी शामिल है, एक-एक संस्था है जिन पर लघु उद्योगो के विकास की जिम्मेदारी है।

द्वितीय पचवर्षीय योजना में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिए राज्यों को ३ करोड ६५ लाख रु० ऋण देने की व्यवस्था है। प्रथम पंच-वर्षीय योजना में इस कार्य के लिए ५८ लाख रु० की व्यवस्था थी। दिसम्बर १६५८ तक इस कार्य पर ४ करोड ४३ लाख रुपये खर्च किए गए। द्वितीय योजना मे ११० औद्योगिक बस्तियो की स्थापना का लक्ष्य है। इनमें से ७२ बस्तियो की स्थापना की योजना, जिस पर ६ करोड़ ८० लाख रु० खर्च होंगे, सितम्बर १६५८ तक स्वीकृत की गई। इन ७२ बस्तियो में से १७ बस्तियों की स्थापना हो चुकी है।

१२ अप्रैल, १६५८ को प्रधानमन्त्री ने ओखला (दिल्ली) की ओद्योगिक वस्ती में कारखानों के भवनों का औपचारिक रूप से उद्घाटन किया। नैनी (इलाहाबाद) में भी कारखानों के भवनों का निर्माणकार्य पूर्ण हो चुका है। कुछ में उत्पादन भी आरम्भ हो चुका है।

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम

राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम की स्थापना फरवरी १६५५ मे मुख्य रूप से लघु उद्योगों को हाट-व्यवस्था सम्बन्धी सहायता प्रदान करने के लिए की गई थी। आलोच्य वर्ष में लघु उद्योग इकाइयो को १,७१,६८,६८१ रु० के आर्डर प्राप्त हुए। इसी अवधि मे मद्रास क्षेत्र मे ८६,३२० रु०, बम्बई क्षेत्र मे ३८,५४० रु०, दिल्ली क्षेत्र मे ५०,१०६ रु० और कलकत्ता क्षेत्र मे ४७,००६ रु० मूल्य के सामान की बिक्री हुई। रूस और पोलैण्ड को ८६,०३७ जोड़े जूते भेजे गए।

आलोच्य वर्ष मे ओखला (दिल्ली) और राजकोट में एक-एक 'उत्पादन और प्रशिक्षण केन्द्र' की स्थापना का कार्यक्रम बनाया गया। ओखला केन्द्र की स्थापना पश्चिम जर्मनी के सहयोग से होगी। राजकोट केन्द्र की स्थापना के लिए 'प्राविधिक सहयोग मिशन' से ४,४८,८०० डालर का अनुदान और २,५०,००० डालर के मूल्य के उपकरण प्राप्त हो चुके है।

उत्पादन कार्यक्रम

लघु उद्योग क्षेत्र में साइकिलो के निर्माण के लिए अनुमतिप्राप्त फर्मो की संख्या अक्तूबर १६५८ तक ७७ थी। इन कारखानों में ३,५४,०००

साइकिलें प्रति वर्ष तैयार होंगी । जनवरी-जून, १९५८ की अवधि में ८१,३५२ साइकिलें बनाई गई। घरेलू सिलाई की मशीनें बनाने वाले ३६ कारखानों के उत्पादन कार्यक्रम को स्वीकृति दी गई। इन कारखानों में ६३,५०० मशीनें प्रति वर्ष बनेंगी। इन करखानो मे जनवरी-जून, १९५८ की अवधि मे १४,६६१ सिलाई की मशीनें बनाई गई ।

प्रशिक्षण

आलोच्य वर्ष में जिला उद्योग अधिकारियो के पहले जत्थे को प्रशिक्षण देने का काम शुरू किया गया। जिन पांच भारतीय टेक्नीशियनों को विदेश में प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था, वे प्रशिक्षण प्राप्त करके वापस आए। ९ भारतीय स्वीडन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है। दिसम्बर १९५८ में १७ भारतीयों ने पश्चिम जर्मनी में प्रशिक्षण के लिए प्रस्थान किया ।

कुटीर उद्योग

१९५८-५९ मे सरकार ने कुटीर उद्योगों के विकास के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग को १२ करोड़ ७७ लाख रु० के लिए स्वीकृति दी। इसमे से ७ करोड़ १५ लाख रु० अनुदान और ५ करोड ६२ लाख रु० ऋण के रूप में है। कुल रकम से ग्रामोद्योगों के लिए ४ करोड २७ लाख रु०, अम्बर चर्खा कार्यक्रम के लिए ५ करोड़ रु० और खादी के लिए ३ करोड़ ५० लाख रु० की व्यवस्था है।

खादी

अनुमान है कि १९५८-५९ मे ८ करोड़ ५० लाख रु० के मूल्य की खादी तैयार की जाएगी और इससे १३ लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में रोजगार पाने वालों की संख्या गत वर्ष की अपेक्षा १ लाख ७९ हजार अधिक होगी।

१९५८-५९ मे खादी के विकास के लिए ३ करोड़ ६२ लाख ५० हजार रु० का अनुदान और १ करोड ८७ लाख ५० हजार रु० ऋण के रूप मे देने का निर्णय किया गया ।

आलोच्य वर्ष की प्रथम छमाही में बोरीवली (बम्बई) मे एक केन्द्रीय विद्यालय और ४ क्षेत्रीय विद्यालय (१ केरल में, २ मद्रास में और १ बिहार में) आरम्भ हुए । ६ महीने की अवधि में ८७९ प्रशिक्षार्थी भर्ती हुए और ४२८ प्रशिक्षार्थियों ने अपना पाठ्यक्रम पूरा किया।

अम्बर चर्खा कार्यक्रम

अम्बर चर्खा कार्यक्रम के अन्तर्गत १९५८-५९ में ४ करोड़ गज़ कपड़ा तैयार करने के लिए भारत सरकार ने ९ करोड़ ५५ लाख २ हज़ार रु० खर्च करने की स्वीकृति ४ मार्च, १९५८ को दी। बाद में उत्पादन का उक्त लक्ष्य घटा कर २ करोड़ ५० लाख गज कर दिया गया। इस कार्यक्रम के लिए १९५८-५९ के बजट में ३ करोड़ ५६ लाख ५० हजार रु० अनु-दान के रूप में और ४ करोड़ ५५ लाख १० हजार रु० ऋण के रूप में देने का प्रस्ताव था।

१९५८-५९ की दूसरी तिमाही तक देश में १०८ बड़े और ४८५ छोटे 'सरजाम कार्यालय' थे। आलोच्य वर्ष की पहली छमाही में १,७७९ शिक्षक, १४४ बढ़ई और ५०,२४० सूत कातने वाले प्रशिक्षित किए गए। ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाली अवधि तक ३९,९४८ अम्बर चर्खे वितरित किए गए। इस प्रकार देश भर में अब तक १,८४,५३९ अम्बर चर्खे वितरित हो चुके हैं।

१९५८-५९ की पहली छमाही में १४ लाख ३० हज़ार पौण्ड सूत और ७९ लाख ३० हज़ार वर्ग गज़ कपड़ा तैयार हुआ। इस कार्य में ४७,२४८ व्यक्तियों को रोज़गार मिला। अब तक जितने व्यक्तियों को रोजगार मिला, उनकी संख्या २,१४,६७१ है।

ग्रामोद्योग

भारत सरकार ने १९५८-५९ में दस्तकारी के विकास के लिए ४० लाख रु० अनुदान के रूप में और २० लाख रु० ऋण के रूप में देने की व्यवस्था की। राज्य सरकारों ने दस्तकारी के विकास की अनेक योजनाएं कार्यान्वित करना आरम्भ कर दिया।

अप्रैल १९५८ में भारतीय दस्तकारी विकास निगम (प्राइवेट) लिमिटेड नामक एक सरकारी कम्पनी को रजिस्टर्ड कराया गया। इसका कार्य सह-कारिता के आधार पर दस्तकारियों का संगठन करना, विदेशों में प्रदर्शनियों का आयोजन करना और निर्यातकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना है।

फोर्ड फाउण्डेशन ने ७५ हज़ार डालर का एक अनुदान दिया। इस अनुदान से दस्तकारी के विकास के लिए ६ विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त की जाएंगी। इनमें से ५ विशेषज्ञों की नियुक्ति की जा चुकी है। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत ३ भारतीयों को दस्तकारी के प्रशिक्षण के लिए जापान भेजा

गया है । फोर्ड फाउण्डेशन ने ७० हज़ार डालर का एक अन्य अनुदान दिया जिसका उपयोग दस्तकारी के विकास के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करने पर किया जाएगा ।

रेशम

रेशम के कीड़े पालने के उद्योग के विकास के लिए आलोच्य वर्ष में ४८ लाख ८२ हज़ार रु० अनुदान के रूप में और १६ लाख ५५ हज़ार रु० ऋण के रूप में राज्य सरकारों को दिए गए। इसी वर्ष मैसूर में अखिल भारतीय रेशम-कीड़ा-पालन प्रशिक्षण संस्था तथा श्रीनगर में केन्द्रीय विदेशी रेशम-कीड़ा-पालन केन्द्र ने कार्य करना आरम्भ किया ।

कते हुए रेशम के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने कच्चा रेशम आयात करने की एक योजना बनाई ।

बागान उद्योग

१९५८ में जनवरी से अक्तूबर तक की अवधि में ६१ करोड़ ५० लाख पौण्ड चाय और ४४ हज़ार टन कहवा पैदा हुआ। इसी अवधि में १६,१९७ टन रबड़ उत्पन्न हुआ ।

पुनर्स्थापित व्यक्तियों के लिए उद्योग

पश्चिमी क्षेत्र में विस्थापितों की बस्तियों में उद्योगों की स्थापना का कार्य २ जनवरी, १९५८ से उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय को सौंप दिया गया। आलोच्य वर्ष में उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता देने की दो योजनाएं बनाई गई—एक योजना बड़े और मझोले उद्योगों के लिए तथा दूसरी लघु और कुटीर उद्योगों के लिए ।

अक्तूबर १९५८ तक मझोले उद्योगों की स्थापना की ५५ योजनाओं को स्वीकार किया गया। इन योजनाओं पर १ करोड़ ८४ लाख रु० खर्च होंगे और आशा है कि इनसे ११,५०० विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार मिल सकेगा। इसके अलावा, इसी अवधि में लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना की ४९ योजनाएं स्वीकृत की गई जिन पर १५ लाख ८५ हज़ार रु० खर्च होंगे और इनसे १,३०० विस्थापित व्यक्तियों को रोज़गार मिल सकेगा ।

१९५८ के ११ महीनों में ९४४ नयी कम्पनिया रजिस्टर्ड कराई गई। इनमे से ५४ पब्लिक और ८९० प्राइवेट कम्पनियां है।

सरकारी कम्पनियां

आलोच्य वर्ष मे एक प्रशासनिक इकाई की स्थापना की गई जिसका काम सरकारी कम्पनियों से सम्बन्धित मामलो की देखभाल करना है। कम्पनियो से और जनता से प्राप्त होने वाली अर्जियो पर यथाशीघ्र विचार करने के लिए केन्द्रीय सरकार के अधिकार आलोच्य वर्ष मे वम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कानपुर-स्थित क्षेत्रीय निदेशकों को प्रदान कर दिए गए।

आलोच्य वर्ष मे एक समिति की स्थापना की गई जिसने चार्टर्ड एकाउन्टेट संस्था द्वारा पिछले १० वर्षों में किए गए कार्य का सिंहावलोकन किया और इस बात की जांच की कि इस संस्था को अधिनियम में उल्लिखित उद्देश्यों की पूर्ति मे किस हद तक सफलता मिली। समिति के प्रतिवेदन पर सरकार विचार कर रही है।

१२. इस्पात, खान और ईधन

इस्पात, खान और ईधन मंत्रालय की स्थापना ७ अप्रैल, १९५७ को हुई थी। इस मंत्रालय के दो विभाग है—(१) लोहा और इस्पात विभाग तथा (२) खान और ईधन विभाग। लोहा और इस्पात विभाग के अधीन राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के तीन इस्पात-संयत्र (स्टील प्लाण्ट), मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, गैर-सरकारी क्षेत्र के दो इस्पात-संयत्र, पुनर्वेलन (री-रोलिंग) और अयस-धातुमिश्रण (फैरो-अलाय) उद्योग, तथा लोहा और इस्पात नियन्त्रण संगठन है। खान और ईधन विभाग के अधीन खान और खनिज नीति, भारतीय खान विभाग, भारतीय भूगर्भ सर्वेक्षण विभाग तथा ईधन (जिसमे कोयला, भूरा कोयला तेल तथा गैस भी शामिल है) सम्बन्धी कार्य हैं।

दो नये सरकारी औद्योगिक प्रतिष्ठानो—इडियन रिफाइनरीज लि० तथा नेशनल मिनरल कारपोरेशन लि०—को क्रमश २२ अगस्त, १९५८ तथा १५ नवम्बर, १९५८ से निगमित (इन्कारपोरेटेड) किया गया। इडियन रिफाइनरीज लि० सरकारी क्षेत्र के तेल साफ करने वाले कारखानो के लिए तथा नेश-

नल मिनरल कारपोरेशन लि० तेल और प्राकृतिक गैस तथा कोयले के सिवा खनिज पदार्थों का उपयोग करने के लिए उत्तरदायी है ।

लोहा और इस्पात

दूसरी पंचवर्षीय योजना

दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस्पात की ६० लाख टन सिल्लियां बनाने का लक्ष्य रखा गया है । इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स, इंडियन आयरन एण्ड स्टील वर्क्स तथा मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स के वर्तमान कारखानों का विस्तार करके इनमे क्रमशः ६ लाख से २० लाख टन तक, ५ लाख से ६ लाख टन तक तथा ३० हज़ार से १ लाख टन तक उत्पादन बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा तथा सरकारी क्षेत्र में दस-दस लाख टन की क्षमता वाले तीन नये इस्पात संयंत्र स्थापित किए जाएंगे ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

सरकारी क्षेत्र के तीनो इस्पात संयंत्रों का निर्माण और उनकी व्यवस्था करने का काम हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड को सौंप दिया गया है । इस कम्पनी के ऊपर पूरा स्वामित्व भारत सरकार का ही है और इसकी अधिकृत पूजी ३ अरब रु० है। अब तक सरकार इस कम्पनी के लगभग २६ लाख ५६ हज़ार रु० के हिस्से खरीद चुकी है तथा फरवरी १९५९ के अन्त तक इसने २० करोड़ ५० लाख रु० का ऋण दिया । आशा है कि मार्च १९५९ के अन्त तक सरकार इस कम्पनी के न केवल ३ अरब रु० के सारे हिस्से खरीद चुकी होगी, बल्कि तीन इस्पात संयंत्रों पर खर्च के लिए वह इसे बड़े परिमाण में ऋण भी प्रदान करेगी ।

राउरकेला इस्पात योजनाकार्य

इस वर्ष भी राउरकेला कारखाने के निर्माणकार्य मे निरन्तर प्रगति हुई । इस संयंत्र के निर्माण के लिए लगभग ३,४५,००० टन साज-सामान की आवश्यकता होगी । इसमे से लगभग २,७०,००० टन सामान दिसम्बर १९५८ तक निर्माण-स्थल पर पहुच चुका था । ३ दिसम्बर, १९५८ से एक कोक-ओवन बैटरी चालू हो गई जिसने लगभग १०,००० टन कोक का उत्पादन किया । उपोत्पादन संयंत्र (बाइ-प्राडक्ट प्लाण्ट) का काम भी अंशतः शुरू कर दिया गया और ४०० टन कच्चा विराल (टार) बन चुका है। पहली धमन-भट्ठी तथा उसको चलाने के लिए आवश्यक छोटे-मोटे सब कार्य पूर्ण कर लेने के बाद ३ फरवरी, १९५९ से उत्पादन होना आरम्भ हो गया । शंख नदी पर मन्दिरा बांध

बन कर तैयार हो गया । इस बांध से इस्पात कारखानों को निरन्तर पानी मिलता रहेगा । इसके अतिरिक्त, हीराकुड से बिजली प्राप्त करने की भी व्यवस्था कर ली गई ।

दिसम्बर १९५८ के अन्त तक लगभग ७,००० मकान बनाने का काम शुरू किया गया था जिनमें से ३,००० मे अधिक मकान बन कर तैयार हो चुके है । इसके अतिरिक्त, सड़कें, स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, दुकाने और अस्पताल आदि बनाने के काम में भी अच्छी प्रगति हुई ।

१९५८ के अन्त में इस योजना में लगभग ६०,००० व्यक्ति काम कर रहे थे जिनमें ठेकेदारों के कर्मचारी भी शामिल हैं ।

भिलाई इस्पात योजनाकार्य

इस वर्ष भिलाई कारखाने के निर्माण मे उत्तरोत्तर प्रगति हुई । अब तक ११४ कारखानों (शापों) के लिए रूस से ३,७५,००० टन से भी अधिक सामान आ चुका है । पहली धमन-भट्टी, पहली कोक-ओवन बैटरी, तथा धमन-भट्टी चलाने के लिए अन्य आवश्यक छोटे-मोटे सब काम पूरे हो चुके है तथा ४ फरवरी, १९५९ मे लोहे का उत्पादन शुरू हो गया । इसके अतिरिक्त, इस्पात पिघलाने के कारखाने और बेल्लन मिलें बनाने के काम में भी सन्तोषजनक प्रगति हुई ।

भिलाई उपनगर में ७,५०० रिहायशी मकान बनाए जाएंगे । इनमे से ३,००० से अधिक मकान बन कर तैयार हो चुके है तथा २,००० और मकान प्राय नैयार है ।

१९५८ के अन्त में ७०० रूसी विशेषज्ञ इस योजनाकार्य में काम कर रहे थे । इस वर्ष के अन्त मे भिलाई में कुल ७२,५०० व्यक्ति काम कर रहे थे जिनमे ठेकेदारों के मजदूर भी शामिल है ।

दुर्गापुर इस्पात योजनाकार्य

इस वर्ष दुर्गापुर इस्पात सयंत्र और उपनगर के निर्माण मे पर्याप्त प्रगति हुई है । अब तक ९४,००० टन ऊष्मसह (रिफ्रेक्टरी) ईटें, इस्पात के ढाचे, भट्टियों का सामान, बिजली का सामान, केबल आदि विदेशो से प्राप्त हो चुके है । पहली कोक-ओवन बैटरी मे कक्रीट और ऊष्मसह ईटें लगाने-बिछाने का अधिकांश काम पूरा हो चुका है । दूसरी बैटरी की नीव भी रखी जा चुकी है और ऊष्मसह ईटें लगाने का काम आरम्भ कर दिया गया । कोयला उठाने-धरने की मशीनो और उपोत्पादन के काम में भी अच्छी प्रगति हुई । इसके अतिरिक्त, तीनों धमन-भट्ठियों तथा गर्म-धमन अंगीठियो (स्टोव) की नीव रखने का सारा

काम पूरा हो गया। पहली धमन-भट्ठी में मशीनें आदि लगाने का ८० प्रतिशत से भी अधिक काम किया जा चुका है। इस भट्ठी में अंगीठियों और आवश्यक चबूतरे बनाने का काम भी पूरा हो चुका है। इस्पात पिघलाने के संयत्र की नींव रखने तथा बेलन मिलों में कंक्रीट बिछाने के काम में भी सन्तोषजनक प्रगति हो रही है।

दुर्गापुर उपनगर में १,६०० से भी अधिक मकान बन कर तैयार हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त, १,४०० मकान और बन रहे हैं। बाजार तथा दो होस्टल भी बन कर तैयार हो गए हैं। उपनगर में पानी लाने के काम में भी अच्छी प्रगति हो रही है।

१९५८ के अन्त में दुर्गापुर में लगभग २०० ब्रिटिश कर्मचारी थे। वर्ष के अन्त में दुर्गापुर योजना में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या २,५०० थी जिनमें ठेकेदारों के मजदूर भी शामिल थे।

टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स

इस कारखाने का आधुनिकीकरण और विस्तार करने का कार्यक्रम (१९५२) प्राय पूरा किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के अनुसार १९५८ तक इस कारखाने की वार्षिक क्षमता ७,५०,००० टन तैयार इस्पात से बढ़ाकर ९,३१,००० टन करने का लक्ष्य रखा गया था।

द्वितीय पचवर्षीय योजना के एक अंग के रूप में टाटा ने जो कार्यक्रम आरम्भ किया, वह दो भागों में है। आशा है कि पहला भाग (जिसे आम तौर पर २० लाख टन का कार्यक्रम कहते है) मार्च १९५९ तक पूरा हो चुका होगा। कार्यक्रम के दूसरे भाग को १९६० तक पूरा करने का विचार है।

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी

इस कम्पनी ने भी अपना एक वृहत् विकास कार्यक्रम आरम्भ किया, जिसका उद्देश्य यह है कि कम्पनी की तैयार इस्पात बनाने की ३,००,००० टन की वार्षिक क्षमता बढ़ कर लगभग ८,००,००० टन हो जाए। टाटा कम्पनी के कार्यक्रम की तरह ही इस कम्पनी का कार्यक्रम भी दो भागों में विभक्त है। निर्माण-कार्य में अच्छी प्रगति हो रही है। अनुमान है कि यह कार्यक्रम १९५९ के अन्त तक पूरा हो जाएगा।

मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स

इस कारखाने के विस्तार में भी अच्छी प्रगति हो रही है। इसमें १७,००० टन प्रति वर्ष की क्षमता का एक संयत्र लगाया जा चुका है तथा २०,००० टन प्रति

वर्ष की क्षमता वाला एक 'फेरोसिलिकन' संयंत्र लगाने के लिए विदेशों से सामान मंगाने की व्यवस्था की जा रही है ।

प्रशिक्षण

अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र के तीनों इस्पात संयंत्रों के लिए लगभग २,००० इंजीनियर तथा १९,००० चालक और दक्ष कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ेगी। रूस, अमेरिका, यूनाइटिड किंगडम, आस्ट्रेलिया, पश्चिम जर्मनी और कनाडा में लगभग १,७०० ग्रेजुएट इंजीनियरों को इस्पात कारखानों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के लिए व्यवस्था की गई। १९५८ के अन्त तक १,०४० इंजीनियरों और चालकों को प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजा गया जिनमें से लगभग ७०० भारत लौट चुके हैं ।

इस्पात का उत्पादन

१९५८ में १३ लाख टन तैयार इस्पात बनाया गया, जबकि पिछले वर्ष १३ लाख ५० हज़ार टन बनाया गया था। इस कमी का मुख्य कारण यह है कि इस वर्ष टाटा आयरन एण्ड स्टील वर्क्स में कुछ श्रम विवाद उठ खड़े हुए और दूसरे, विकास कार्यक्रम आरम्भ होने के कारण कुछ समय तक उत्पादन रुका रहा। १९५८ में बिक्री के लिए ४,५७,००० टन कच्चा लोहा (ढलाई ग्रेड) तैयार हुआ, जबकि पिछले वर्ष २,९५,००० टन ही तैयार हुआ था ।

इस वर्ष कच्चे लोहे और इस्पात के बिक्री के परिनियत मूल्य स्थिर रहे। टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी तथा इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को उनके इस्पात के लिए जो प्रतिधारण (रिटेन्शन) मूल्य दिया जाता है, उसमें इस वर्ष १४ रु० प्रति टन के हिसाब से वृद्धि कर दी गई ।

आयात और निर्यात

विदेशी मुद्रा की विकट स्थिति के कारण इस वर्ष भी इस्पात के आयात पर प्रतिबन्ध जारी रखा गया तथा उसमें कुछ कढ़ाई भी की गई । १९५८ में कुल ११ लाख ६० हजार टन इस्पात का आयात हुआ, जबकि १९५७ में १७ लाख ३० हजार टन इस्पात का आयात हुआ था ।

१९५८ में इस्पात की कतरनों, टुकड़ों आदि का निर्यात करने की नीति को उदार किया गया और कुछ किस्मों को, जिनका निर्यात करने की इससे पहले अनुमति नहीं थी, लाइसेंस-योग्य मदों में शामिल कर दिया गया । १९५८ के पहले

११ महीनों में १ करोड़ ६५ लाख रु० के मूल्य का लगभग १,१०,००० टन कतरनों आदि का निर्यात किया गया ।

कोयला धोने के कारखाने

अनुमान है कि सरकारी क्षेत्र के तीन इस्पात संयंत्रों तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के विकसित इस्पात संयंत्रों के लिए लगभग ८२ लाख ७० हज़ार टन धोए हुए कोयले की आवश्यकता पड़ेगी । इस्पात संयंत्रो के लिए धोया हुआ कोयला मुहैया करने के लिए हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड कोयला धोने के तीन कारखाने स्थापित करने का विचार कर रहा है । इनमें से एक कारखाना बिहार मे दुगडा नामक स्थान पर लगाया जाएगा । इस कारखाने के निर्माण के लिए आवश्यक सामान मंगाया जा रहा है ।

पुनर्बेलन (रि-रोलिंग) उद्योग

हालाकि देश में पुनर्बेलन कारखानों की संख्या पर्याप्त है, तो भी पुनर्बेलन उद्योग की जांच करने वाली समिति ने सिफारिश की थी कि जिन राज्यों में पुन-र्बेलन कारखाने नही है, वहां ऐसे कारखाने लगाए जाने चाहिए । इस वर्ष असम, आंध्र प्रदेश, बिहार (गंगा के उत्तर में) और केरल में एक-एक नया पुनर्बेलन कारखाना खोलने की स्वीकृति दी गई ।

फैरो-मैंगनीज़ उद्योग

यह उद्योग मुख्यतः निर्यात उद्योग है । इस वर्ष ५ संयंत्र चालू थे जिनकी कुल क्षमता ८६,००० टन है । ६७,००० टन की क्षमता वाले तीन अन्य संयंत्र लगाए जा रहे थे । इसके अतिरिक्त, एक और संयंत्र लगाने तथा एक वर्तमान संयंत्र का विस्तार करने पर भी विचार किया जा रहा है ।

मिश्रधातु और औज़ारी इस्पात संयंत्र

इस समय देश में स्टेनलेस स्टील बनाने की व्यवस्था नही है । ज्यो-ज्यों कच्चे इस्पात के उत्पादन में वृद्धि होती जाएगी, त्यों-त्यों विशेष एवं मिश्रधातु इस्पात की मांग में भी वृद्धि होने लगेगी । अतः मिश्रधातु और स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए एक संयंत्र लगाने का विचार किया जा रहा है । इस संयंत्र की क्षमता प्रतिवर्ष लगभग ४०,००० टन सिल्लियां बनाने की होगी । इसके अतिरिक्त, ऐसी व्यवस्था भी की जाएगी जिससे कि बाद में यह संयंत्र प्रति वर्ष लगभग ८०,००० टन सिल्लियां बनाने लगे । चार फर्मों से इस योजना की विस्तृत रिपोर्ट प्राप्त करने के अलावा, उनसे अन्य कार्यों पर आने वाली लागत के भाव भी प्राप्त कर लिए गए ।

१९५८ में कुल ४ करोड़ ५२ लाख टन कोयला निकाला गया तथा ४ करोड़ टन कोयले का लदान किया गया। इसके विपरीत, १९५७ में ४ करोड़ ३५ लाख टन कोयला निकाला तथा ३ करोड़ ७७ लाख टन कोयले का लदान किया गया था।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

दूसरी योजना में कोयले के उत्पादन में २ करोड़ २० लाख टन की वृद्धि की जाएगी—१ करोड़ २० लाख टन सरकारी क्षेत्र मे तथा १ करोड़ टन गैर-सरकारी क्षेत्र में। इस वर्ष इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति हुई। दिसम्बर १९५८ तक जटराज की मोटी तह (मध्य प्रदेश) में १२ लाख टन, कथरा (बिहार) में १४ लाख ३० हज़ार टन और सौंधा (बिहार) में १,८९,००० टन कोयला निकाला गया। घोरदेवा (मध्य प्रदेश) में २१,००० टन कोयला निकाला गया। इसके अतिरिक्त, बिहार में सौंधा में २९,००० टन और भुरकुण्डा में ७९,९२० टन कोयला निकाला गया। गिडि (बिहार) में भी १०,१०० टन कोयला निकाला गया।

वर्तमान खानें

१९६०-६१ तक ५ लाख टन और कोयला निकालने का जो लक्ष्य रखा गया था, वह इस वर्ष लगभग पूरा हो गया। १९५८ में ३४,८४,४०० टन कोयला निकाला गया, जबकि १९५७-५८ में ३३,५६,६९१ टन निकाला गया था। यह वृद्धि अधिकतर वर्तमान खानों में विस्तार करने से हुई।

कोयला धोने का कारखाना

कोयला धोने का एक बड़ा कारखाना कारगली में खोल दिया गया जो प्रति वर्ष २२ लाख टन कोयला धोएगा। नवम्बर १९५८ में ९,००० टन, दिसम्बर १९५८ में १४,००० टन तथा जनवरी १९५९ में ३७,००० टन कोयला धोया गया।

सिंगरेनी की कोयला-खानें

दूसरी योजना के अन्त तक सिंगरेनी की कोयला-खानों का उत्पादन-लक्ष्य २६ लाख ८० हज़ार टन रखा गया है। परन्तु १९५६ में वास्तविक उत्पादन १६ लाख ८० हज़ार टन, १९५७ में १९ लाख २० हज़ार टन और १९५८ में २१ लाख २० हज़ार टन हुआ।

गैर-सरकारी क्षेत्र

१९५८ में गैर-सरकारी क्षेत्र मे लगभग ३ करोड़ ९५ लाख टन कोयला निकाला गया (इसमें सिगरेनी का उत्पादन शामिल नहीं है, जो कि अब सरकारी क्षेत्र में है)। दूसरे शब्दों मे, १९५५ में जितना उत्पादन हुआ था, उसकी तुलना में प्रति वर्ष ५० लाख टन की वृद्धि हुई। उत्पादन की इस गति से स्पष्ट है कि दूसरी योजना के अन्त तक प्रति वर्ष १ करोड़ टन अधिक कोयला निकालने का लक्ष्य पूरा होना सम्भव होगा।

तीसरी पंचवर्षीय योजना

कोयले की तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिए प्रारम्भिक कार्य आरम्भ कर दिया गया। जिन क्षेत्रों से कोयला मिलने की सम्भावना है और जिनको तीसरी योजना में विकसित करने का विचार है, उन क्षेत्रों में भूगर्भीय सर्वेक्षण सम्बन्धी काम करने की प्राथमिकताएं निश्चित कर दी गई। भारतीय सर्वेक्षण विभाग तथा भारतीय खान विभाग ने भी भूगर्भीय सर्वेक्षण और अन्वेषण के अपने-अपने कार्यक्रम बना लिए।

आवश्यक उच्च तकनीकी कर्मचारी प्राप्त करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग में तथा बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की प्रवेश-संख्या में वृद्धि कर दी गई। इसके अतिरिक्त, ७ केन्द्र स्थापित करने का भी निश्चय किया गया जिनमें डिग्री स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनमें से ६ केन्द्र खुल चुके हैं। निम्न तकनीकी कर्मचारियों को भी प्रशिक्षण देने के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने चार स्कूल खोले। खानों की खुदाई और खानों के सर्वेक्षण के 'राष्ट्रीय प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम' आरम्भ करने के लिए वैज्ञानिक अनुसन्धान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ने १० संस्थान खोलने की स्वीकृति दी थी, जिनमें से अब तक ६ संस्थान खुल चुके है।

ईधन दक्षता समिति

ईंधन के साधनों और विशेषकर कोयले के साधनों के उपयोग में अधिकतम मितव्ययिता और दक्षता लाने के उद्देश्य से मई १९५८ में ईधन दक्षता समिति की स्थापना कर दी गई। यह समिति उद्योगवार 'स्टेंडर्ड' बनाने के लिए आंकड़े आदि एकत्र कर रही है।

भूरा कोयला (लिगनाइट)

संयुक्त नइवेली भूरा कोयला योजना का उद्देश्य प्रति वर्ष ३५ लाख टन भूरा कोयला निकालना और उसके उपयोग से २,५०,००० किलोवाट बिजली पैदा

करना, यूरिया के रूप में नाइट्रोजनयुक्त उर्वरकों का उत्पादन करना तथा शेष उत्पादन का ब्रिकेटिंग और कार्बनीकरण करके प्रतिवर्ष घरेलू तथा अन्य कार्यों के लिए ३,८०,००० टन कार्बनीकृत ब्रिकेटों का उत्पादन करना है ।

१९५८-५९ में भारत सरकार ने इस योजना के खुदाई सम्बन्धी भाग को क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी जिस पर १६ करोड़ ९० लाख रु० लागत आने का अनुमान है । दिसम्बर १९५८ तक २८ लाख ५० हज़ार घन गज मलबा आदि हटाया गया । दूसरे शब्दों में, इस अविध के लिए जो लक्ष्य निशिचत किया गया था, उससे ३ लाख ३० हजार घन फुट अधिक मलबा हटाया जा चुका है । मलबा हटाने का काम २० मई, १९५७ को आरम्भ किया गया था । तब से लेकर दिसम्बर १९५८ के अन्त तक कुल ५९ लाख ९० हज़ार घन फुट मलबा हटाया गया ।

२,५०,००० किलोवाट की क्षमता के नइवेली तापीय बिजलीघर (थर्मल पावर स्टेशन) की योजना की विस्तृत रिपोर्ट अक्तूबर १९५८ में मास्को की एक फर्म मेसर्स टेक्नो-एक्सपोर्ट ने पेश की । इस रिपोर्ट को 'भूरा कोयला निगम' ने स्वीकार कर लिया । बिजली घर की पहली इकाई का कार्य मार्च १९६१ में चालू हो जाएगा ।

प्रति वर्ष १,५२,००० टन यूरिया का उत्पादन करने के लिए भारत सरकार ने इस वर्ष नइवेली में अनुमानतः २१ करोड़ रु० की लागत से एक उर्वरक संयंत्र लगाने की स्वीकृति दी । १९५८ में जो लागत आदि के भाव प्राप्त हुए उनकी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

खनिज अन्वेषण

खनिज नीति

उड़ीसा में खनिज लोहे के भण्डारों के सम्बन्ध में एक विशेषज्ञ समिति ने अप्रैल १९५८ में अपनी रिपोर्ट पेश की । इस समिति की नियुक्ति इस उद्देश्य से की गई थी कि वह अनुसूची 'क' के उन खनिज पदार्थों के क्षेत्रों के बारे में सिफारिश करे जिन्हें वह राज्य द्वारा उपयोग किए जाने योग्य समझे । मैसूर, आंध्र प्रदेश, बिहार, बंगाल, बम्बई, राजस्थान और मध्य प्रदेश में तदर्थ समितियां भी बनाई गई । मैसूर की समिति ने मैंगनीज़ और खनिज लौह के भण्डारों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट पेश की ।

उड़ीसा माइनिंग कारपोरेशन लिमिटेड

सरकारी क्षेत्र में खनिजों का उपयोग करने के उद्देश्य से मई १९५६ में इस निगम की स्थापना की गई । उड़ीसा राज्य के दो खान-क्षेत्रों में से जून १९५८ के अन्त तक ४७,१८५ टन खनिज लोह निकाला गया ।

नेशनल मिनरल डेवलेपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

उपर्युक्त निगम की स्थापना १५ नवम्बर, १९५८ को १५ करोड़ रु० की अधिकृत पूंजी से की गई। यह निगम सरकारी क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस तथा कोयले के सिवा खनिजों का उपयोग करेगा। शुरू-शुरू में यह निगम राउरकेला मे किरीबुरू में हर साल २० लाख टन खनिज लौह निकालेगा जो जापान को निर्यात किया जाएगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने जापान सरकार के साथ एक करार किया। अमेरिकी सरकार के साथ भी २ करोड़ डालर के ऋण के लिए एक करार पर हस्ताक्षर हुए जिसका उपयोग इस क्षेत्र के खनिज लौह भण्डारों का विकास करने, खान तथा विशाखापटनम बन्दरगाह के बीच की सड़क बनाने तथा बन्दरगाह पर मशीनें आदि लगा कर विभिन्न सुविधाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। जापान सरकार ने जापान से खान उपयोगी साज-सामान तथा अन्य सामग्री खरीदने के लिए ८० लाख डालर की व्यवस्था करने का वचन दिया।

भारतीय खान विभाग

खनिज भण्डारों का विधिवत विकास करने, फिजूलखर्ची रोकने और खुदाई आदि की उन्नत विधियों का प्रचार करने के उद्देश्य से इस वर्ष बिहार, मध्य प्रदेश, बम्बई, आंध्र, मद्रास, मैसूर और राजस्थान में कुल ४१५ खानों का निरीक्षण किया गया। जिन इलाकों में खनिज लौह और मैंगनीज मिलने की सम्भावना है, उन पर निशान लगाने का काम मैसूर, बिहार, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बम्बई और राजस्थान मे आरम्भ कर दिया गया।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

आंध्र प्रदेश, बम्बई, केरल, मद्रास, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में विधिवत भूगर्भीय नक्शे आदि बनाने का काम शुरू कर दिया गया। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, मैसूर, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्रों के भी बड़े पैमाने पर नक्शे बनाए गए। देश के विभिन्न भागों में खनिज भण्डारों जैसे कोयला, भूरा कोयला, सोना, तांबा, सीसा-जस्ता, खड़िया मिट्टी, चूना, पत्थर, रेत आदि की भी खोज-बीन की गई।

इसके अतिरिक्त, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, आंध्र प्रदेश और बम्बई की सिंचाई और पन-बिजली योजनाओं से सम्बन्धित जांच और निर्माण-कार्य के विभिन्न पहलुओं की भूगर्भीय परीक्षा के बारे में

भी परामर्श दिया गया । बिहार, बम्बई, उत्तर प्रदेश, मद्रास, केरल और पंजाब में भी परीक्षण के रूप में भू-छेदन करके जांच-पड़ताल की जा रही है।

पेट्रोलियम

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग

१९५८-५९ में १८ भूगर्भीय सर्वेक्षण दलों, ६ आकर्षण तथा चुम्बक (ग्रैविटी-कम-मैगनेटिक) दलों, ३ भूकम्प सर्वेक्षण दलों तथा १ इलेक्ट्रोलागिंग दल ने ज्वालामुखी, जनौरी, मण्डी, जोगिन्दरनगर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, बड़ौदा, भड़ौच, चोगा, खम्भात, मथुरा तथा कच्छ में भूगर्भीय जांच-पड़ताल की।

भारत-स्टेनवैक पेट्रोलियम योजना

इस योजना के अन्तर्गत पश्चिम बंगाल में तेल की खोज पूर्ववत की जा रही है और तीसरे, चौथे तथा पांचवें परीक्षणात्मक कुएं की खुदाई की जा चुकी है। तेल या गैस के कोई चिन्ह अभी तक प्रकट नहीं हुए। राणाघाट के समीप छठे कुएं की खुदाई जनवरी १९५९ में आरम्भ करने का विचार था।

आयल इंडिया लिमिटेड

बर्मा आयल कम्पनी और असम आयल कम्पनी के साथ एक 'रुपया कम्पनी' अर्थात् आयल इंडिया (प्राइवेट) लिमिटेड, बनाने के लिए एक समझौता हुआ। यह कम्पनी पेट्रोलियम और कच्चे तेल का (प्राकृतिक गैस का भी) अन्वेषण और उत्पादन करेगी। भारत सरकार भी इस संयुक्त प्रयास में योग देगी। कम्पनी की प्रारम्भिक अधिकृत पूंजी ५० करोड़ रु० होगी। कम्पनी को १८ फरवरी १९५९ को निगमित कर दिया गया।

नाहरकटिया की प्राकृतिक गैस का उपयोग करने के लिए इस वर्ष सलाहकारों की एक इतालवी फर्म नियुक्त की गई जिसने अपनी प्रारम्भिक रिपोर्ट पेश कर दी।

तेल साफ करने के कारखाने

नाहरकटिया में उत्पादित कच्चा तेल साफ करने के लिए सरकारी क्षेत्र में इस वर्ष दो तेल साफ करने के कारखाने खोलने का निश्चय किया गया। एक कारखाना असम में खोला जाएगा जो प्रति वर्ष ७ लाख ५० हज़ार टन तेल साफ करेगा और दूसरा कारखाना बिहार में, जो प्रति वर्ष २० लाख टन तेल

साफ करेगा। उपर्युक्त पहले कारखाने के लिए रूमानिया सरकार ने ५ करोड़ २० लाख रु० और तकनीकी तथा अन्य सेवाएं प्रदान करना स्वीकार किया। इस सम्बन्ध में रूमानिया सरकार के साथ एक समझौते पर २० अक्तूबर, १९५८ को हस्ताक्षर किए गए। इसके अतिरिक्त, दूसरे कारखाने के लिए ऋण प्राप्त करने के उद्देश्य से रूसी सरकार के साथ बातचीत चलाने का निश्चय किया गया।

इंडियन रिफाइनरीज लिमिटेड नामक एक प्राइवेट कम्पनी २० अगस्त, १९५८ को निगमित की गई। इस पर सरकार का पूरा स्वामित्व है और सरकार ही इसे चलाएगी। इसकी अधिकृत पूंजी ३० करोड़ रु० है। अभी यह कम्पनी असम और बिहार के दो तेल साफ करने के कारखानो की ही प्रबन्ध-व्यवस्था करेगी।

१३. निर्माण, आवास और संभरण

निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय (१) केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण-कार्य, (२) दिल्ली, शिमला, बम्बई, और कलकत्ता मे रिहायश और कार्यालयो के लिए स्थान की व्यवस्था, (३) आवास, (४) अशोक होटल्स लि०, (५) हिन्दुस्तान हाउसिग फैक्टरी (प्राइवेट) लि०, (६) संभरण—जिसमें सामान का क्रय और विक्रय शामिल है, (७) छपाई और लेखन-सामग्री, (८) विस्फोटक पदार्थ, तथा (९) बायलरों से सम्बन्धित कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग

१९५८-५९ मे इस विभाग के पास भवन आदि बनाने का बहुत बड़ा कार्यक्रम था। इस विभाग ने केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो और औद्योगिक श्रमिकों के लिए मकान, कार्यालय, अदालतें, स्कूल, कालेज, पुस्तकालय, संग्रहालय (म्यूज़ियम), असेम्बली हाल, अस्पताल, दवाखाने, प्रसूतिका गृह, पुलिस चौकियां, जेलखाने, व्यापारिक इमारते जैसे दुकाने और बाज़ार, फैक्टरियों के कारखाने, छापेखाने, प्रयोगशालाएं तथा अनुसंधान केन्द्र, गोदाम (जैसे अनाज के गोदाम, खत्तिया, शेड, गराज और हैंगर), रेडियो स्टेशन, स्टूडियो, ट्रांसमिशन और रिसीविंग केन्द्र, चिड़ियाघर, नुमाइशें, हवाई अड्डे, टरमिनल भवन, रन-वे, टैक्सी-ट्रैक, सड़के, पुल और सुरंगे आदि बनवाई।

इस वर्ष जो कार्य पूरे किए गए, उनमे भारत के सर्वोच्च न्यायालय का भवन, 'भारत १९५८' प्रदर्शनी, जम्मू-कश्मीर मे जवाहर सुरंग का पश्चिमी

ट्यूब और सिक्किम मे गगटोक-नथूला सड़क उल्लेखनीय है। जवाहर सुरंग के पश्चिमी ट्यूब के बन जाने से जम्मू-कश्मीर और शेष भारत में हर मौसम मे आवागमन संभव हो जाएगा। 'भारत १६५८' प्रदर्शनी का काम निश्चित समय में पूर्ण किया गया।

इस वर्ष जो अन्य कार्य पूर्ण किए गए, उनमे आल इंडिया इस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइसेज का प्रि-क्लिनिकल ब्लाक, डाक-तार निदेशालय के लिए कई-मंजिली इमारत, टेलीफोन एक्सचेंज के लिए इमारत, जिला अदालतों और प्रशासन कार्यालयों के लिए इमारते, केन्द्रीय जेलखाना, दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियो के लिए ४,५०० रिहायशी मकान, उड़ीसा मे ब्राह्मणी नदी पर पुल, आय-कर और उत्पादन-शुल्क विभागो के कार्यालयो के लिए कोजीकोड और जालन्धर मे इमारतें, कलकत्ता मे नेशनल इंस्ट्रूमेंट फैक्टरी के लिए इमारत, सिक्किम मे गंगटोक-पक्योग सड़क, गोरखपुर, तिरूच्चिरापल्लि और कोयमुत्तूर मे टैक्सी-ट्रैक, बरेली मे रन-वेज़ का विस्तार तथा सुधार और साता क्रूज़ तथा मोहनवाड़ी मे टर्मिनल इमारते आदि बनाने का काम उल्लेखनीय है।

दिल्ली मे चालू कामों मे समुचित पानी की उपलब्धि के लिए वजीराबाद के निकट यमुना पर बाँध, राष्ट्रीय संग्रहालय के लिए इमारत, चिड़ियाघर, बुद्ध जयन्ती वाटिका, बाल-भवन, केन्द्रीय दुग्धशाला (डेरी), कार्यालयो के लिए कई-मंजिली इमारतों और ५,००० से ऊपर नये रिहायशी मकानो आदि का निर्माण उल्लेखनीय है।

दिल्ली से बाहर जो कार्य प्रगति कर रहे है, उनमे सुवर्ण-रेखा तथा चम्बल पर और उड़ीसा में कटरानाला और काधारी नाला पर पुल, धार-ऊधमपुर सड़क, उत्तर सिक्किम की सड़क, चंगलाग-खोंसा सड़क तथा नमदाई-चंगलांग सड़क (दोनों सड़के उत्तर-पूर्व सीमांत एजेंसी में है), जवाहर सुरंग का पूर्वी ट्यूब, रूपनारायणपुर में टेलीफोन कारखाना, नासिक में करेंसी नोटों के लिए छापाखाना तथा आयकर विभाग और केन्द्रीय उत्पादन-शुल्क विभाग के कार्यालयों के लिए अमृतसर, भटिंडा, अम्बाला, कानपुर, सिलचर, कूच-बिहार, दिनहाता, मद्रास, बम्बई, विजयवाडा, कोयमुत्तूर और रामपुर में इमारतें विशेष उल्लेखनीय है। इसके अतिरिक्त, देश के विभिन्न भागों में नागरिक विमानन सम्बन्धी अनेक महत्वपूर्ण कार्य भी प्रगति कर रहे है।

मुख्य तकनीकी परीक्षक का अनुभाग

मितव्ययिता और तकनीकी तथा वित्तीय नियंत्रण की सुचारु रूप से व्यवस्था करने के लिए उपर्युक्त अनुभाग जून १६५७ में खोला गया। यह

निश्चय किया गया कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा भारत सरकार के कुछ अन्य विभागो के कार्यो में अनियमितताओ और दुराचार के जो मामले विशेष पुलिस विभाग इस अनुभाग के सिपुर्द करे, उनकी यह आवश्यक जांच-पडताल करे । जांच-पड़ताल के बाद जिन अधिकारियों को अनियमितताओं के लिए दोषी पाया जाए, उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए । जिन ठेकेदारों ने घटिया दर्जे का काम किया था, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की गई ।

वर्क-चार्ज्ड कर्मचारी

वर्क-चार्ज्ड कर्मचारियो की कुछ समस्याओ पर विचार करने के लिए सरकार ने मई १९५८ में एक तदर्थ समिति नियुक्त की । इस समिति ने जो सिफारिशें की, उनके अनुसार ६ नवम्बर, १९५८ को आदेश जारी करके उन नियमों की परिभाषा निश्चित कर दी गई जो वर्क-चार्ज्ड कर्मचारियों के नियमित कर्मचारी वर्ग मे तबदील होकर आने पर उनकी नौकरी की शर्तो आदि पर लागू होंगे । इस वर्ष वर्क-चार्ज्ड कर्मचारियों को अर्द्ध-स्थायी बनाने, मकान और मुआवज़ा भत्ता आदि देने की अनेक सुविधाएं भी दी गई ।

भवन आदि

चूकि कार्यालयो के लिए स्थानों की बहुत कमी है, इसलिए नयी दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता मे कई-मंज़िली इमारतें बनाने का एक कार्यक्रम बनाया गया जिसके पूर्ण होने पर कार्यालयों के लिए नयी दिल्ली में लगभग ५ लाख वर्ग फुट, कलकत्ता में ३ लाख वर्ग फुट और बम्बई में २ लाख वर्ग फुट स्थान उपलब्ध हो जाएगा। परन्तु दिल्ली की स्थिति में विशेष सुधार होने की कोई आशा नही है, क्योंकि युद्धकाल में जो इमारतें बनाई गई थीं (जिनमें कार्यालयों के लिए लगभग २२ लाख वर्ग फुट स्थान है), उनकी आयु समाप्त हो चुकी है और निकट भविष्य में उन्हें गिराना पड़ेगा । इस समय दिल्ली मे लगभग ३९,००० रिहायशी मकानों की कमी है । आशा है कि नये रिहायशी मकान तैयार हो जाने पर भी लगभग २५,००० मकानों की कमी रह जाएगी ।

जिन १२ कार्यालयों को दिल्ली से बाहर भेजने का निश्चय किया गया था, उनमें से ७ कार्यालय जा चुके हैं । इससे लगभग ७५० सरकारी अधिकारी दिल्ली से बाहर चले गए । इस प्रकार कार्यालयों के लिए लगभग ५०,००० वर्ग फुट जगह खाली निकल आई । भारतीय खान विभाग भी (दिल्ली और कलकत्ता दोनों के अनुभाग) दिल्ली से जा रहा है । इस विभाग के तथा बाकी कार्यालयों के चले जाने से दिल्ली में कार्यालयों क लिए लगभग १ लाख २० हज़ार वर्ग फुट

स्थान और ३०० रिहायशी मकान खाली हो जाएंगे। गैर-सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों के परिवारों के चले जाने से भी कुछ जगह खाली निकल आएगी।

सार्वजनिक स्थान (बेदखैली) अधिनियम, १९५० के स्थान पर सार्वजनिक स्थान (बेदखली और अनधिकृत अधिकारी) अधिनियम, १९५८ लागू कर दिया गया। इस नये अधिनियम के अधीन इस्टेट आफिस अनधिकृत रूप से कब्ज़ा जमाने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई कर सकेगा।

आवास

आजकल नगरों मे जो विभिन्न आवास योजनाएं चालू हैं (जैसे राज-सहायता प्राप्त औद्योगिक योजना, कम आय-वर्ग के लिए आवास योजना तथा गन्दी बस्तियां हटाने की योजना) तथा गांवों मे जो योजनाएं चालू हैं (जैसे ग्राम आवास योजना, तथा बागान मज़दूर आवास योजना)—उनकी ओर भी ध्यान दिया जाता रहा। इस वर्ष दो और नयी योजनाएं बनाई गई तथा राज्य सरकारों से उनको क्रियान्वित करने के लिए कहा गया। पहली योजना के अन्तर्गत जीवन बीमा निगम के कोष में से राज्य सरकारों को ऋण देने की व्यवस्था की गई ताकि वे आगे ६,००० से १२,००० रु० प्रति वर्ष की आय वाले लोगों को मकान बनाने के लिए ऋण दे सकें। जीवन बीमा निगम ने १९५८-५९ में उपर्युक्त पहली योजना के लिए १ करोड़ रु० और दूसरी योजना के लिए ३ करोड़ रु० देना मंजूर किया। इसके अतिरिक्त, एक अन्य योजना विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत राज्यों को मकानों के लिए भूमि हस्तगत करने और उसका विकास करके मकान बनाने के इच्छुक लोगों के हाथ लागत मूल्य पर बेचने के लिए ऋण देने की व्यवस्था है।

विभिन्न योजनाओं को तेज़ी से क्रियान्वित करने के उद्देश्य से इस वर्ष दो महत्वपूर्ण निर्णय किए गए। एक तो यह कि वित्तीय सहायता देने की संशोधित विधि के अनुसार (जो १२ मई, १९५८ से लागू की गई) राज्य सरकारों की निर्धारित वार्षिक धनराशि का तीन-चौथाई भाग उन्हें कार्य चालू रखने के लिए मासिक किश्तों में यकमुश्त दे दिया गया जिसका हिसाब वित्तीय वर्ष के अन्त में जाकर किया जाएगा। इससे कोई कार्यक्रम केवल इसीलिए रुका नहीं रहा कि उसके लिए केन्द्र से सहायता प्राप्त नहीं हुई। दूसरे, राज्य सरकारों को यह भी अधिकार दे दिया गया कि राज-सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना और गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के अन्तर्गत जो कार्यक्रम वे स्वयं या उनके स्थायी निकाय या आवास बोर्ड बनाएं, उनकी

वे स्वयं जांच करके स्वीकृति दे सकती है। अन्य आवास योजनाओं के अन्तर्गत उनको यह अधिकार पहले से ही मिला हुआ है।

१९५८-५९ में मकान बनाने के इच्छुक केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ऋण देने के लिए ४० लाख रु० की व्यवस्था के अतिरिक्त, विभिन्न आवास योजनाओं के लिए १४ करोड़ ७५ लाख रु० की भी व्यवस्था की गई।

राज-सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना

यह योजना सितम्बर १९५२ में आरम्भ की गई थी। तब से लेकर दिसम्बर १९५८ तक लगभग १,०५,००० मकान बनाने के लिए लगभग ३१ करोड़ ६४ लाख रु० की वित्तीय सहायता देने की स्वीकृति दी गई। इनमें से लगभग ७८,५०० मकान नवम्बर १९५८ तक बन कर तैयार हुए।

यह योजना सुचारु रूप से प्रगति करे, इस उद्देश्य से इस वर्ष इस योजना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए। राज्य सरकारों को यह अनुमति दे दी गई कि वे निर्धारित कोष में से उपर्युक्त स्थानों को हस्तगत कर लें और उनका विकास करके उन पर या तो वे स्वयं मकान आदि बना सकती हैं, या उन स्थानों का विकास करके उनको औद्योगिक कर्मचारियों अथवा उनकी सहकारी संस्थाओं के हाथ लागत कीमत पर बेच सकती है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अन्तर्गत यह भी स्वीकृति दी गई कि नगरपालिकाएं भी मकान आदि बना कर उन्हें औद्योगिक मजदूरों को किराए पर चढ़ा सकती हैं। औद्योगिक कर्मचारियो की सहकारी संस्थाओ तथा गैर-सरकारी मालिकों को भी ऋण के रूप मे जो सहायता दी जाती है, उसकी मात्रा में भी वृद्धि की गई। वित्तीय सहायता देने की विधि को भी उदार कर दिया गया जिससे इन निर्माण-एजेंसियों को इस योजना मे लाभ उठाने की प्रेरणा मिले।

कम आय वाले लोगों के लिए आवास योजना

यह योजना नवम्बर १९५४ में आरम्भ की गई थी। तब से लेकर ३१ मार्च, १९५८ तक विभिन्न राज्यों को २३ करोड़ ६४ लाख रु० दिए गए। १९५८-५९ में राज्यों और संघीय क्षेत्रो के लिए ६ करोड़ २५ लाख रु० की व्यवस्था की गई। ३० सितम्बर, १९५८ तक ६०,००० मकान बनाने की अनुमति दी गई। इनमें से लगभग ३२,००० मकान बन कर तैयार हुए।

गंदी बस्तियां हटाने की योजना

यह योजना मई १९५६ में चालू की गई थी। इसके अन्तर्गत १८,८४८ मकान बनाने के लिए १०३ कार्यक्रम स्वीकृत किए गए तथा गंदी बस्तियों

में से हटाए गए परिवारों को बसाने के लिए ९,७४३ विकसित प्लाटों की व्यवस्था की गई जिन पर लगभग ८ करोड़ ९७ लाख रु० लागत आने का अनुमान था ।

इस योजना के अन्तर्गत केन्द्र से अधिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से योजना में हाल ही में कुछ परिवर्तन किए गए यथा अब केन्द्रीय सरकार २५ प्रतिशत की जगह ३७½ प्रतिशत सहायता देगी । इस परिवर्तन का एकमात्र उद्देश्य यह है कि इस योजना के अन्तर्गत गंदी बस्तियों में रहने वाले परिवार मकानो और विकसित प्लाटों के लिए जो किराया देते हैं, उनमें और भी कमी की जा सके । राज्य सरकारों द्वारा दी जाने वाली २५ प्रतिशत सहायता को मिला कर अब इस योजना के अन्तर्गत मकान की कुल स्वीकृत लागत का ६२½ प्रतिशत तक दिया जा सकता है । परन्तु यह अधिक राज-सहायता साधारणतया बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, कानपुर तथा अहमदाबाद के छः बड़े नगरों में ही दी जाएगी, क्योंकि देश की सबसे अधिक गंदी बस्तिया इन्ही नगरों मे है ।

बागान मजदूरों के लिए आवास योजना

यह योजना अप्रैल १९५६ में आरम्भ की गई थी । चूंकि बागान-मालिकों ने इसमें पर्याप्त रुचि नहीं दिखाई, इसलिए इसमें अधिक प्रगति नही हुई । ३० सितम्बर, १९५८ तक राज्य सरकारों ने ३०७ मकान बनाने के लिए ५ लाख ५० हज़ार रु० का ऋण स्वीकार किया था, परन्तु कुल २० मकान ही बन कर तैयार हुए । बागान-मालिको ने इस योजना में किन कारणों से रुचि नहीं दिखाई, इसकी जांच की जा रही है ।

ग्राम आवास योजना

यह योजना अक्तूबर १९५७ मे आरम्भ की गई । इसके अन्तर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में देश-भर मे लगभग ५,००० गावों में आवास योजनाएं आरम्भ की जाएंगी । १९५८-५९ में १,५०० गावों में काम शुरू हो जाने की आशा थी । इनमे वे ५०० गांव भी सम्मिलित है जो १९५७-५८ में राज्यों के जिम्मे लगाए गए थे । ३१ दिसम्बर, १९५८ तक विभिन्न राज्यों ने विकास के लिए लगभग ५०० गांव चुने ।

इस योजना का प्रधान उद्देश्य यह है कि खास-खास गावों में समान रीति से विकास किया जाए । इसलिए ग्राम विकास के लिए विभिन्न मंत्रालय जो कार्य कर रहे हैं, उनके कार्यों में समन्वय लाने के लिए एक अन्तर्-विभागीय

समिति बना दी गई । राज्य सरकारों से कहा गया कि वे भी इस प्रकार की समितियां बनाएं जिससे कि ग्राम विकास के लिए केन्द्रीय मंत्रालय जो सहायता प्रदान करते है, वह वस्तुतः पर्याप्त मात्रा में उन गांवों को प्राप्त हो जो इस योजना के अन्तर्गत लिए जाते है ।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को ऋण

यह योजना १९३७ में बन्द कर दी गई थी। अप्रैल १९५६ से इस योजना को पुनः आरम्भ कर दिया गया। तब से लेकर दिसम्बर १९५८ तक ऋण के लिए लगभग ६८८ अर्जियां प्राप्त हुई । इनमें से ५६३ अर्जियां (७२ लाख ६५ हज़ार रु० के ऋण के लिए) मंजूर की गई ।

राष्ट्रीय भवन संगठन

इस संगठन ने इस वर्ष भी अपना काम पूर्ववत् जारी रखा । व्यवसायी इंजीनियरों और शिल्पकारों (आर्किटेक्टों) के हित के लिए इस संगठन ने मार्च १९५८ में भारत में चूना बनाने के विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन किया। फिर सितम्बर १९५८ में एक गोष्ठी बिल्डिग डाक्युमेंटेशन विपय पर नयी दिल्ली मे तथा दिसम्बर १९५८ में एक अन्य गोष्ठी कार्यालयों के लिए कई-मंज़िली इमारते बनाने के विषय पर बम्बई मे आयोजित की गई। भारतीय इंजीनियरो को भवन निर्माण में लोहे और इस्पात की बचत करने की नयी विधि का प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से तीन अल्पकालिक पाठ्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इसके अतिरिक्त, इस संगठन ने विदेशी इंजीनियरों से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिग, गुम्बजदार भवन-निर्माण तथा ईंट उद्योग में मशीनों के प्रयोग पर भाषण भी करवाए।

डिज़ाइन बनाने के नये नियमों, भवन-निर्माण की नयी विधियों तथा नयी सामग्री का प्रचार करने के उद्देश्य से इस संगठन ने कई अनुसंधान योजनाएं आरम्भ कीं । मशीनों से ईंटे बनान के संयंत्र लगाने की भी योजना बनाई गई। इस योजना को बम्बई और पश्चिम बंगाल सरकारों ने क्रियान्वित करने की कोशिश की। कलकत्ता के भवन-निर्माण व्यवसाय के लिए चिकनी मिट्टी से हलके वज़न का 'एग्रेगेट' बनाने का एक संयंत्र लगाने की भी योजना बनाई गई । स्मरण रहे, कलकत्ता में पत्थर 'एग्रेगेट' बहुत महंगा पड़ता है । इसके अतिरिक्त, देहरादून के वन अनुसंधान संस्थान में भारत में उपलब्ध घटिया किस्म की इमारती लकड़ी का उपयोग और उसकी विशेषताओं का पता चलाने के लिए जांच-पड़ताल की गई । जोड़ों के लिए अब तक जितनी किस्मों कीं इमारती लकड़ियों की परीक्षा की जा चुकी है, उस पर भी एक रिपोर्ट तैयार की गई ।

हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्टरी (प्राइवेट) लिमिटेड

३१ जुलाई, १९५६ और ३१ जुलाई, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्षों मे ऋण पर ब्याज, सरकारी परिसम्पदों पर पट्टा धन और मूल्यह्रास आदि जैसी देनदारियों का खर्च निकाल कर इस कारखाने को क्रमशः ५,८१३.८१ रु० और ३८,९७१.५७ रु० का लाभ हुआ। ३१ जुलाई, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष का हिसाब-किताब किया जा रहा है और अनुमान है कि इस वर्ष पिछले वर्ष से भी अधिक लाभ निकलेगा।

३१ जुलाई, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में इस कारखाने ने ४० लाख १९ हज़ार रु० के मूल्य के आर्डर पूरे किए, जबकि १९५५-५६ और १९५६-५७ में इस कारखाने ने क्रमशः ३० लाख १२ हज़ार रु० और ३८ लाख २२ हज़ार रु० के मूल्य के आर्डर पूरे किए थे। १५ अगस्त, १९५८ से ३१ जुलाई, १९५९ की अवधि में पिछले वर्षों से भी अधिक उत्पादन हो चुका होगा।

इस कारखाने में इमारती लकड़ी को मज़बूत बनाने और उसका रासायनिक उपचार करने (सीज़निंग और कैमिकल ट्रीटमेंट) का एक संयंत्र लगाया गया जिस पर लगभग २ लाख ५० हज़ार रु० लागत आई। आशा थी कि अप्रैल या मई १९५९ में यह संयंत्र चालू हो जाएगा।

अशोक होटल्स लिमिटेड

अशोक होटल मे सरकार ने हिस्सा-पूंजी और ऋण के रूप में २,९९,४४,९००. रु० लगा रखा है। हिस्सा-पूंजी में जनता का १५,८५,१०० रु० लगा हुआ है।

३० सितम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष के तलपट (बैलेंस शीट) के अनुसार मूल्यह्रास, ऋण पर ब्याज, ज़मीन के मूल्य पर ब्याज और विकास बट्टे के लिए ३० लाख ५६ हजार रु० की व्यवस्था करने के बाद अशोक होटल को ३७ लाख ७६ हज़ार रु० का घाटा हुआ। ३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष का खाता अभी तैयार नही हुआ है।

३० सितम्बर, १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रति दिन औसतन २१४ व्यक्ति इस होटल में ठहरे, जबकि ३० सितम्बर, १९५७ को समाप्त होने वाले वर्ष में प्रति दिन औसतन ८० व्यक्ति ही ठहरे थे। इस होटल में ठहरने वाले व्यक्तियों मे ८० प्रतिशत से भी अधिक व्यक्ति विदेशी थे। अनुमान है कि इस होटल में यदि प्रति दिन औसतन २९० या इसके लगभग लोग रहने लगें, तो मूल्यह्रास और ऋणों पर ब्याज चुकता करने के बाद भी होटल का खर्च निकलने लगेगा। अक्तूबर, नवम्बर और दिसम्बर १९५८ में इस होटल में प्रति दिन २८६ लोग ठहरे।

संभरण और निपटान

भारत सरकार के लिए आवश्यक अधिकांश वस्तुओं की खरीद करने का काम निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के जिम्मे है। इसके लिए मत्रालय के तीन संगठन विद्यमान हैं : (१) संभरण और निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली; बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में इसके 'क्षेत्रीय संभरण और निपटान कार्यालय' हैं; (२) इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन—उत्तरी अमेरिका से सामान खरीदने के लिए; तथा (३) इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट, लंदन—यूनाइटेड किंगडम और यूरोप मे सामान खरीदने के लिए।

१९५७-५८ में भारत में और विदेश में कुल ३६५ करोड़ २ लाख रु० मूल्य का सामान खरीदा गया था। इस रकम में से १९८ करोड़ ५४ लाख रु० संभरण और निपटान महानिदेशालय तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने, ६७ करोड़ १४ लाख रु० इंडिया स्टोर डिपार्टमेंट लदन ने, तथा ९९ करोड़ ३४ लाख रु० इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिंगटन ने व्यय किए।

इस वर्ष मिल में बने कपडे की जगह केवल उपलब्ध खादी का कपड़ा ही खरीदा गया। इसके अलावा, यह भी निश्चय किया गया है कि अब से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों तथा वर्दी पाने के हकदार अन्य कर्मचारियों की वर्दी खादी (सूती) से ही बनाई जाया करेगी।

देश के उद्योगों को कुछ सामान प्राप्त करने मे बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इनके बदले जो अन्य चीज़ें इस्तेमाल की जा सकती हैं, उनकी विशेपताओं का मूल्यांकन सरकारी परीक्षणशाला कर रही है। इसके अतिरिक्त, सामग्री का परीक्षण करने के लिए यंत्रादिकों (जिनके लिए स्टैंडर्ड मशीनें उपलब्ध नहीं है) के डिजाइन बना कर उन्हें देश में ही बनाया जा रहा है।

छपाई और लेखन-सामग्री

सरकारी कार्यों में लगातार वृद्धि के कारण छपाई तथा लेखन-सामग्री (स्टेशनरी) की मांग भी १९५८-५९ मे उपलब्ध साधनों से बहुत अधिक रही।

फरीदाबाद में भारत सरकार के छापेखाने को बिजली देने का काम इस वर्ष पूरा किया गया। दिल्ली के 'यूनाइटेड प्रेस' को भी शीघ्र ही फरीदाबाद छापेखाने के साथ मिला दिया जाएगा। नासिक के 'फार्म्स विंग' के लिए तथा नीलोखेड़ी छापेखाने के लिए जो मशीनें प्राप्त हुई थी, उन्हे लगा दिया गया है।

अलीगढ़ और कलकत्ते के फार्म छापाखानों में भी विस्तार किया जा रहा है। गंगटोक में नए छापाखाने के लिए इमारत और कर्मचारियों के लिए मकान आदि बन रहे हैं।

विस्फोटक पदार्थ विभाग

यह विभाग भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम, १८८४, पैट्रोलियम अधिनियम, १९३४, तथा इनके अन्तर्गत बनाए गए विभिन्न नियमादि सम्बन्धी कार्यों का प्रशासन करने के लिए उत्तरदायी है।

जिन स्थानों पर विस्फोटक पदार्थों और पैट्रोलियम के भंडार हैं, तथा जहां ये पदार्थ आते-जाते रहते हैं, उनमें से अधिकांश स्थानों का इस वर्ष निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, उपर्युक्त तथा अन्य खतरनाक पदार्थों के कारण आग लगने और विस्फोट होने के कारणों की भी जांच-पड़ताल की गई।

इस विभाग ने १९५७-५८ में १४,००३ लाइसेंस दिए। इनमें से १०,३८९ लाइसेंस पैट्रोलियम, कारबाइड आफ कैलशियम और सिनेमेटोग्राफी फिल्म नियमों के अन्तर्गत तथा ३,६१४ लाइसेंस विस्फोटक पदार्थ नियमों के अन्तर्गत दिए गए।

१४. रेल

१९५७-५८ में भारतीय रेलों स यातायात से ३७९ करोड़ ७८ लाख रु० की सकल प्राप्ति हुई, जबकि संशोधित अनुमान के अनुसार ३८४ करोड़ ४० लाख रु० की प्राप्ति होनी चाहिए थी। दूसरे शब्दों में, ४ करोड़ ६२ लाख रुपए की कमी रही, जो कि यात्री और माल-परिवहन दोनों क्षेत्रों में हुई। जनवरी १९५८ के बीच से यातायात में उल्लेखनीय ह्रास हुआ। संचालन-व्यय २५९ करोड़ १६ लाख रु० के संशोधित अनुमानों से ५ करोड़ २ लाख रु० अधिक हुआ। संचालन-व्यय में यह वृद्धि अधिकतर मरम्मत और रख-रखाव की मद में हुई, जिसमें वह रकम भी शामिल है जो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए विभिन्न सुरक्षा उपायों पर खर्च की गई। अन्य छोटे-मोटे परिवर्तनों के लिए व्यवस्था करके के बाद, शुद्ध बचत १३ करोड़ ३८ लाख रु० हुई, जबकि संशोधित अनुमान के अनुसार बचत २१ करोड़ ६६ लाख रु० होनी चाहिए थी। इस वर्ष की सारी बचत विकास-निधि में जमा कर दी गई है।

१९५८-५९ में माल परिवहन से २४५ करोड़ ८३ लाख रु० की आय होने का अनुमान लगाया गया था—यानी २५० करोड़ ५० लाख रु० के बजट अनुमानों से ४ करोड़ ६७ लाख रु० कम। यात्री यातायात से ११६ करोड़ ३० लाख रु० आय होने का अनुमान था, जबकि बजट में इसके लिए १२४ करोड़ ७३ लाख रु० आय होने का अनुमान लगाया गया था। इसके फलस्वरूप १९५८-५९ के लिए सकल यातायात से ३९४ करोड़ ३८ लाख रु० की प्राप्ति होने का अनुमान लगाया गया था, यानी बजट अनुमानों से १३ करोड़ १० लाख रु० कम। इसके विपरीत, २ करोड़ ६३ लाख रु० की और प्राप्ति हुई, जिसका कारण यह था कि रेल कर्मचारियों के प्राविडेंट फंड (भविष्य निधि) में सरकार जो अंशदान और उस पर ब्याज देती थी, वह राजस्व खाते में जमा किया गया, क्योंकि जो रेल-कर्मचारी पहले भविष्य निधि का लाभ उठा रहे थे, उन्होंने उसके बदले पेंशन अथवा रिटायर होने पर मिलने वाले लाभ लेने का निश्चय किया।

संचालन-व्यय का संशोधित अनुमान २७४ करोड़ २२ लाख रु० था—यानी २६८ करोड़ ३५ लाख रु० के बजट अनुमान से ५ करोड़ ८७ लाख रु० अधिक। इसमें लगभग १ करोड़ रु० की वृद्धि कोयले की कीमतें बढ़ जाने के कारण हुई। इसके अतिरिक्त, इस वृद्धि का कारण यह भी है कि बिक्री-कर की बकाया रकम चुकाई गई; सुरक्षा के लिए तथा पटरियो और पुलों के पुनर्वास और रख-रखाव के लिए जो विभिन्न उपाय किए गए, उन पर तथा वर्कशापों और शेडों में अधिक संख्या मे रेल इजनों, डिब्बों आदि की मरम्मत पर भी अतिरिक्त व्यय हुआ।

अनुमान है कि १९५८-५९ की शुद्ध बचत १५ करोड़ रु० होगी, जो विकास-व्यय में जमा कर दी जाएगी। कारखानों, मशीनों और रेल-इंजनों, डिब्बों आदि पर व्यय का संशोधित अनुमान २४५ करोड़ २५ लाख रु० लगाया गया है—यानी बजट अनुमान से लगभग १४ करोड़ ७५ लाख रु० कम।

रेल योजना पर व्यय के लिए विकास-निधि से ९२ करोड़ रु० की व्यवस्था की गई। इसलिए दोनों वर्षो में लगभग १३ करोड़ रु० प्रतिवर्ष की वृद्धि के कारण, रेल विकास निधि का व्यय जुटाने के लिए सामान्य राजस्व से एक अस्थायी ऋण लेने के सिवा और कोई चारा नही। १९५८-५९ में लगभग ११ करोड़ रु० ऋण लेने की आवश्यकता थी और इसकी व्यवस्था रेलवे अभिसमय (कन्वेन्शन) समिति (१९५४) की सिफारिशों के अनुसार सामान्य राजस्व खाते से की गई।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

इस वर्ष रेल योजना में फिर से जोड़-तोड़ की गई जिससे कि १,१२१ करोड़ ५० लाख रु० के अन्दर रहते हुए ही साज-सामान और श्रम मूल्यों में वृद्धि तथा

विदेशी मुद्रा में कमी के लिए व्यवस्था की जा सके। जहां तक योजना पर व्यय का सम्बन्ध है, १९५७-५८ में व्यय-राशि २५१ करोड़ ४७ लाख रु० तक जा पहुंची, जबकि पहले वर्ष यह राशि १७९ करोड़ रु० ही थी। अनुमान है कि १९५८-५९ में २४५ करोड़ २५ लाख रु० व्यय होगा। १९५९-६० के लिए २५५ करोड़ रु० की व्यवस्था की जा रही है। इस प्रकार १९६०-६१, अर्थात योजना के अन्तिम वर्ष के लिए, २११ करोड़ रु० की रकम शेष रह जाएगी।

कार्य-संचालन में कुशलता

१९५७-५८ में कुल १३ करोड़ २० लाख टन माल ढोया गया, जबकि १९५६-५७ में १२ करोड़ ४० लाख टन माल ढोया गया था—यानी १९५७-५८ मे करीब ६.५ प्रतिशत वृद्धि हुई। १९५८-५९ में यातायात में ५० लाख टन से अधिक वृद्धि होने की आशा नहीं है, जबकि १९५७-५८ में प्रत्याशित वृद्धि १ करोड़ २० लाख टन थी। कोयले के यातायात में वृद्धि के अतिरिक्त, शेप माल यातायात में भी वृद्धि आशा के विपरीत कम हुई, और वास्तव में देखा जाए तो कमी कृषि उत्पादनों के यातायात में हुई।

यद्यपि १९५८-५९ में माल यातायात की वृद्धि में ह्रास हुआ, तथापि इस बात की पूरी संभावना है कि इस्पात कारखानों में उत्पादन आरम्भ होने, अच्छी फसले होने की आशा बंधने और गंगा पुल यातायात के लिए खुल जाने से १९५९-६० में लगभग १ करोड़ ४० लाख टन तक अतिरिक्त रेल-परिवहन की मांग और बढ़ जाएगी। सम्भवत: १९५९-६० के अन्त तक रेलों पर लगभग १५ करोड़ १० लाख टन तक माल ढोने की ज़िम्मेदारी आ पड़ेगी। इसलिए ऐसे आसार दिखाई देते है कि दूसरी योजना के अन्त में, यानी १९६०-६१ में, १६ करोड़ २० लाख टन का संशोधित अनुमान पूरा हो जाएगा।

१९५८-५९ में (दिसम्बर १९५८ के अन्त तक) बड़ी लाइन पर वैगनों द्वारा माल ढोने में लगभग २ प्रतिशत वृद्धि हुई, परन्तु छोटी लाइन पर ७ प्रतिशत से अधिक ह्रास हुआ। इस वर्ष (नवम्बर १९५८ तक) कोयले की कुल ढुलाई मे लगभग ७.२ प्रतिशत वृद्धि हुई।

इस वर्ष उत्तर बिहार में सूखे के कारण अभावग्रस्त क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में खाद्यान्न भी पहुंचाया गया। एक अलग रेल क्षेत्र बना देने से असम रेल मार्ग पर आवागमन में भी सुधार हुआ।

यातायात में जो ह्रास १९५८ के आरम्भ में शुरू हुआ था, वह नवम्बर क आसपास तक जारी रहा। इस दिशा में एक खास बात यह हुई कि रेलों का कुछ यातायात रेल के समानान्तर मार्गो पर के सड़क परिवहन ने ले लिया। १९५८-५९

में रेलों के संचालन में एक अन्य महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि कुछ चुने हुए रास्तो पर गाड़ियां डीज़ल से चलने लग गई ।

अधिक स्वावलम्बन

१९५८-५९ के दौरान में रेल के डिब्बे आदि बनाने की क्षमता में और वृद्धि हुई । इस अवधि में २६८ रेल इंजन और १,५३८ सवारी डिब्बे तैयार हो जाने की आशा है । १९५७-५८ में २४९ रेल इंजन और १,२४८ कोच (सवारी डिब्बे) तैयार हुए थे ।

१९५७-५८ में चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स ने १६४ रेल-इंजन बनाए, और आशा है कि १९५८-५९ में यह कारखाना १६८ रेल इंजन बनाएगा । इस कारखाने में ७,००० टन क्षमता वाली एक इस्पात फाउंडरी स्थापित की जा रही है । टाटा इंजीनियरिंग एंड लोकोमोटिव (टेल्को) वर्क्स ने १९५७-५८ में ८५ रेल-इंजन बनाए, और आशा है कि १९५८-५९ में यह कारखाना १०० रेल-इंजन बनाएगा । पैराम्बूर-स्थित इन्टेग्रेल कोच फैक्टरी का उत्पादन—जो १९५७-५८ में २२२ डिब्बे (बिना फरनीचर) था—आशा है १९५८-५९ में बढ़ कर २९५ हो जाएगा । औसत निर्माण लागत भी उत्तरोत्तर कम होती जा रही है । १९५७-५८ में एक सवारी डिब्बे (बिना फरनीचर) पर १ लाख २१ हज़ार रु० लागत आई थी । आशा है १९५८-५९ में यह लागत ९५,००० रु० आएगी । इस कारखाने में डिब्बों में फरनीचर लगाने वाली जो स्थायी टुकडी काम कर रही है, उसने नवम्बर १९५८ तक १७८ डिब्बों में फरनीचर लगाया ।

इसके अतिरिक्त, देश में ही रेलों का महत्वपूर्ण साज-सामान बनाने में उल्लेखनीय प्रगति हुई । कुछ सामान तो इस वर्ष पहली बार ही भारत में बनाया गया । इसके अतिरिक्त, कुछ वस्तुओं का आयात करना बिल्कुल बन्द कर दिया गया और जहां एसा करना संभव नहीं था, वहां केवल विशिष्ट प्रकार का रेल-सामान ही मंगाया गया । देश में डीज़ल के रेल-इंजन बनाने की क्षमता बढ़ाने के लिए भी उपाय किए जा रहे है ।

नई परियोजनाएं

योजना के तीसरे वर्ष में रेलों पर अधिकतम निर्माण कार्य हुआ । इस वर्ष पटरियां बदलने में और रेलवे के अन्य सामान्य कार्यो में लगे श्रमिकों के अतिरिक्त, लगभग १,५०० इंजीनियर और इंजीनियरी अधीक्षक तथा लगभग २,००,००० कर्मचारी विभिन्न कार्यो में लगे हुए थे । १,८४८ मील लम्बी नई

पटरियां तथा दुहरी पटरियां बिछाने का जो कार्यक्रम था, उसमें से १९५८-५९ में ४२३ मील लम्बी (१७३ मील लम्बी नई और २५० मील लम्बी दुहरी) पटरियां यातायात के लिए खोल दी गई । ५२५ मील लम्बी नई पटरियां और ६०० मील लम्बी दुहरी पटरियां बनाने का काम भी चल रहा है। उत्तर रेलवे पर रोहतक-गोहाना लाइन को ३१ अक्तूबर, १९५८ से माल यतायात के लिए और २९ दिसम्बर से यात्री यातायात के लिए खोल दिया गया है ।

असम रेल मार्ग को सुदृढ़ करने में भी अच्छी प्रगति हुई है। १९५७-५८ के पहले काम करने के मौसम में १७ पुल पुनः बनाए गए । तटबन्धों और पुलों की रक्षा करने वाले कार्यो में सुधार करने और उन्हें मजबूत बनाने के काम में भी पर्याप्त प्रगति हुई। १९५८-५९ के काम करने के मौसम में २० अन्य पुल पुनः बनाने और अन्य सहायक कार्यों को पूरा करने का भी विचार है।

आशा है कि मुकामा घाट पर गंगा पुल को अप्रैल १९५९ में यातायात के लिए खोल दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, ब्रह्मपुत्र पर पुल बाधने के कार्य में भी संतोषजनक प्रगति हो रही है ।

यात्रियों के लिए सुविधाएं

इस वर्ष उत्तर-पूर्व सीमा रेलवे पर भी तीसरे दर्जे के यात्रियों के लिए सोने के स्थान की व्यवस्था कर दी गई । रेलों में भोजन-व्यवस्था को और भी सुधारने के उद्देश्य से जांच की जा रही है ।

विभिन्न स्तरों पर बनाई गई रेल उपभोक्ता सलाहकार समितियां तथा अन्य सहायक समितियां रेल द्वारा उपलब्ध सेवाओं को सुधारने के उद्देश्य से रेलवे प्रशासन को उपयुक्त सहायता प्रदान करती रही है।

इस वर्ष खोए या हानिग्रस्त माल के लिए किए गए दावों की संख्या में कमी करने तथा उनका तुरन्त निपटान करने के भी प्रयत्न किए गए । मार्च १९५७ के अन्त में ५६,८९१ दावे विचाराधीन थे। मार्च १९५८ तक ऐसे दावों की संख्या ४४,८३७ रह गई । प्रत्येक दावे के निपटाने में औसतन जितना समय लगता था, उसमें भी कमी हुई ।

रेलगाड़ियों में भीड़भाड़

जिन इलाकों में रेलगाड़ियों में बहुत अधिक भीड़-भड़क्का रहता है, उन इलाकों में इस वर्ष भीड़ कम करने के प्रयत्न भी किए जाते रहे । भीड़-भड़क्का

कम करन के लिए एक उपाय यह भी किया गया कि पुराने इंजनों-डिब्बों आदि की मरम्मत करके उनसे काम लिया गया।

१९५८-५९ के दौरान में (१ दिसम्बर, १९५८ तक) बड़ी लाइन की ४५ और छोटी लाइन पर १३ नई सवारी गाड़ियां चालू की गई, तथा बड़ी लाइन की १६ और छोटी लाइन की २८ गाड़ियों की यात्रा की दूरी मे विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त, कुछ नई उपनगरीय गाड़ियां भी चालू की गई। इस वर्ष (१ दिसम्बर, १९५८ तक) बड़ी लाइन की ५२ नई गाड़ियां चालू की गई और ३६ गाड़ियों की यात्रा दूरी में विस्तार किया गया। इसके अतिरिक्त, १ दिसम्बर १९५८ तक पूर्व रेलवे पर बिजली से चलने वाली २८ नई गाड़ियां चालू की गई और १९५८-५९ में ८ गाड़ियों की यात्रा की दूरी बढ़ाई गई। १ अक्तूबर, १९५८ से दिल्ली और अहमदाबाद के बीच एक नई जनता एक्सप्रेस चालू कर दी गई है जो हफ्ते में तीन बार आया-जाया करेगी। इन सब नई गाड़ियों के चालू होने और यात्रा की दूरी में विस्तार कर देने से दैनिक रेल यातायात में १९५७-५८ तथा १९५८-५९ के दो वर्षों में लगभग १५,००० मील की वृद्धि हुई।

दुर्घटनाएं

"दुर्घटनाओं की तथ्यात्मक समीक्षा" (फैक्चुअल रिव्यू आफ एक्सीडेंट्स), जो पिछले बीस साल के आकड़ों के आधार पर तैयार की गई थी और गत वर्ष संसद-सदस्यों को दी गई थी, उससे पता चलता है कि दुर्घटनाओं की संख्या में कमी हो रही है। दुर्भाग्यवश, हाल में गाड़ियो के टकराने और पटरी से उतरने की घटनाओं में कुछ वृद्धि हुई है। रेल प्रशासन कुछ ऐसे उपाय कर रहा है जिससे आशा है कि कर्मचारियो में सुरक्षा के प्रति अधिक जागरूकता पैदा होगी। इसके अतिरिक्त प्रत्येक रेल क्षेत्र में सुरक्षा संगठन और अनुसंधान इकाइयां स्थापित कर दी गई है, जिनका कर्तव्य दुर्घटनाओं का विश्लेषण करना, सुरक्षात्मक पहलुओं की ओर ध्यान आकर्षित करना, निरीक्षण कार्य करना तथा सुरक्षा नियमों आदि का कड़ाई से पालन करवाना है।

प्रशिक्षण की सुविधाएं

आशा है कि अक्तूबर १९५९ तक भुसावल में ६५० प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने की क्षमता वाला एक प्रशिक्षण स्कूल खुल जाएगा जिसमें विभिन्न रेल सेवाओं के लिए नए भरती किए गए कर्मचारियों को उपयुक्त प्रशिक्षण देने तथा वर्तमान कर्मचारियों को प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम (रिफ्रेशर कोर्स) की सुवि-

धाएं प्रदान करने का प्रबन्ध किया जाएगा । इस वर्ष झांसी-स्थित तकनीकी संस्थान को उत्तर प्रदेश सरकार से ले लिया गया । मकेनीकल तथा बिजली के अप्रैंटिसों को प्रशिक्षण देने की इसकी वर्तमान क्षमता ३२ है, जिसको बढ़ा कर १५० कर देने की योजना विचाराधीन है । बंगलौर और लखनऊ से अस्थायी टेक्नीकल स्कूलों को स्थायी बनाने का काम भी जारी है । जैसा कि प्राक्कलन समिति ने सुझाव दिया था, विभिन्न वर्कशापों और शेडों में बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं । विभिन्न प्रशिक्षण स्कूलों की वर्तमान क्षमता में वृद्धि कर दी गई है और कुछ अन्य स्कूलों में विस्तार करने के बारे में भी विचार किया जा रहा है । रेल आरक्षण दल के कर्मचारियों के लिए एक नया प्रशिक्षण केन्द्र बुलसर में स्थापित कर दिया गया है । आशा है कि शीघ्र ही एक अन्य प्रशिक्षण स्कूल खड़गपुर में खोल दिया जाएगा ।

कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

इस वर्ष रेल कर्मचारियों व उनके परिवार वालों के लिए चिकित्सा की सुविधाओं में उत्तरोत्तर विस्तार हुआ । १९५८-५९ में अस्पतालों में ३३७ और शैयाओं की व्यवस्था की गई । इससे शैयाओं की संख्या ४,२८७ हो गई । क्षयपीड़ित रेल कर्मचारियों और उनके परिवार वालों के उपचार के लिए विशेष सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं । १९५७-५८ के अन्त में क्षयरोगियों के लिए ६८७ शैयाएं सुरक्षित थीं; १९५८-५९ में २११ शैयाएं और बढ़ा दी गईं, और आशा है कि शीघ्र ही ४० और शैयाएं उपलब्ध हो जाएंगी । छोटे रेलवे स्टेशनों और दूरस्थ स्थानों पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं का प्रबन्ध कर दिया गया है तथा चलती-फिरती औषधालय-गाड़ियों की संख्या ९ से बढ़ा कर १७ कर दी गई है ।

योजना के पहले दो वर्षो मे रेल कर्मचारियो के लिए लगभग २५,००० क्वार्टर बनवाए गए थे । आशा है १९५८-५९ में ११,००० क्वार्टर और बन कर तैयार हो जाएंगे । इसके अतिरिक्त, पुराने क्वार्टरों में सुधार करने तथा उन्हें और भी हवादार बनाने, उनमें बिजली, शौचालय और रसोईघर आदि बनवाने का काम भी आरम्भ कर दिया गया है ।

शिक्षा सुविधाओं में विस्तार करने के लिए आशा है कि जून १९५९ तक ५०० प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाएंगे । इसके अलावा, उन बच्चों के लिए मुफ्त वर्दी की व्यवस्था भी की जाएगी जिनके अभिभावकों की आय २०० रु० प्रति-मास से कम है ।

जिन कर्मचारियों को अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने के लिए अपने कार्यालय से बहुत दूर भेजना पड़ता है, उनकी कठिनाइयों को समझते हुए इस वर्ष मुख्य भाषायी क्षेत्रों में १३ सहायता-प्राप्त होस्टल बनाने की योजनाएं स्वीकृत की गई। अनुमान है कि अन्ततः इन होस्टलों में लगभग १,५०० विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

१ अप्रैल, १९५८ से 'कर्मचारी लाभ निधि' के लिए चंदा २ रु० की जगह ४ रु० कर दिया गया है। १९५७-५८ में इस निधि से कुल ४ लाख रु० की छात्र-वृत्तियां दी गई। चूंकि पाठ्यक्रम चार वर्ष के लिए होते है, इसलिए छात्रवृत्तियों की संख्या धीरे-धीरे ३,००० तक कर दी जाएगी।

तपासे समिति ने (जिसकी नियुक्ति गत वर्ष चौथी श्रेणी के कर्मचारियों की पदोन्नति तथा उससे सम्बद्ध कुछ बातों की समीक्षा करने के लिए की गई थी) अपनी रिपोर्ट मार्च १९५८ में पेश की। इस समिति ने जो सिफारिशें की हैं, उनमें से कुछ पर आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।

इस वर्ष तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिए उपयुक्त स्थानों पर अवकाश-गृह बनाने की व्यवस्था की गई। रेलवे कर्मचारियों के लिए कश्मीर में दो अवकाश-गृह—एक श्रीनगर में और दूसरा पहलगाम में—बनाने का निश्चय किया गया है।

सहकारिता आन्दोलन के प्रति रेल कर्मचारियों में उत्तरोत्तर रुचि बढ़ रही है। लगभग ६० प्रतिशत कर्मचारी सहकारी ऋण संस्थाओं के सदस्य हैं, जिनकी संचालन-पूंजी ३१ मार्च, १९५८ को २३ करोड़ ३७ लाख रु० थी। १९५७-५८ में १२० उपभोक्ता संस्थाएं काम कर रही थी जिन्होंने लगभग ८९ लाख रु० मूल्य का उत्पादन किया।

निगरानी संगठन

रेलों में भ्रष्टाचार की रोक-थाम करने के प्रयत्न भी किए जाते रहे। १९५७-५८ में १,३०१ मामलों में विभागीय कार्रवाई पूरी की गई, जबकि उससे पिछले वर्ष कुल ५११ मामले ही निपटाए गए थे।

रेल भाड़े का ढांचा

रेल भाड़े के ढांचे में परिवर्तन करने के लिए "रेल भाड़ा जांच समिति" ने जो सिफारिशें की थीं, उनके अनुसार संशोधित भाड़े का ढांचा १ अक्तूबर, १९५८ से लागू कर दिया गया। ९ वस्तुओं के भाड़े में काफी छूट देने की भी

घोषणा की गई । इसके अतिरिक्त, निर्यात यातायात के लिए भाड़े की दरों में कमी करने तथा इस दिशा में और क्या-क्या आवश्यक पग उठाए जाएं, उन पर विचार करने के उद्देश्य से एक छोटी-सी स्थायी समिति बनाने का निश्चय भी किया गया ।

विदेशी ऋण

रेलों के पुन:संस्थापन, आधुनिकीकरण तथा विस्तार के लिए विश्व बैंक से जो ९ करोड़ डालर का ऋण प्राप्त हुआ था, उसका पूर्ण सदुपयोग किया गया । रेलों ने विश्व बैंक से ८ करोड़ ५० लाख डालर का एक और ऋण भी प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त, अमेरिका में विकास-ऋण निधि के अधिकारियों ने ४ करोड़ और ३।। करोड़ डालर के दो ऋण देने मजूर किए । इन ऋणों के अलावा, भारत ने अमेरिकी टेकनीकल सहयोग कार्यक्रम तथा कोलम्बो योजना के अन्तर्गत भी सहायता प्राप्त की । २ करोड़ डालर का एक ऋण अमेरिका से और ८० लाख डालर का एक अन्य ऋण जापान से 'उड़ीसा खनिज लौह परियोजना' के लिए उपलब्ध हुआ । इसमें बन्दरगाहों और खानों के अलावा रेलों का भी हित निहित है ।

श्रम सम्बन्ध

इस वर्ष रेल कर्मचारियों के साथ बड़े सौहार्दपूर्ण एवं मधुर सम्बन्ध रहे । रेल कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय भारतीय रेल-कर्मचारी संघ तथा रेलवे बोर्ड के बीच नियमित बैठकें हुई । तदुद्देशीय न्यायाधिकरण ने, जिसकी पुन: बैठक उन दो मुद्दों पर विचार करने के लिए हुई थी जिन पर रेलवे बोर्ड तथा सघ मे समझौता न हो सका था, सरकार को अपनी जांच के परिणाम पेश कर दिए है। इन पर विचार किया जा रहा है ।

राष्ट्रीय भारतीय रेल कर्मचारी संघ तथा अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ को संयुक्त करने की जो बातचीत दोनों संघों में चल रही थी, उसमें अधिक प्रगति नहीं हुई । सरकार ने दोनों संघों को एक निष्पक्ष परिवेक्षक तथा पंच के रूप में उच्च न्यायालय के एक सेवा-निवृत्त न्यायाधीश की सेवाएं उपलब्ध कीं । इसी बीच अखिल भारतीय रेल कर्मचारी संघ दो बार रेलवे बोर्ड से मिला । यह संघ इस बात पर ज़ोर देता आ रहा है कि कोई ऐसा रास्ता निकाला जाए जिससे अपनी मांगों पर विचार करवाने के लिए वह रेलवे बोर्ड तक पहुंच सके ।

१५. परिवहन

परिवहन विभाग बड़े तथा छोटे बन्दरगाहों, समुद्री जहाज़रानी तथा नौकायन सम्बन्धी जहाज़निर्माण, प्रकाश-स्तम्भों तथा प्रकाशपोतों, अन्तर्देशीय जलपरिवहन, सड़क यातायात, पर्यटन, सड़क विकास (राष्ट्रीय राजपथ सहित) केन्द्रीय सड़क निधि तथा परिवहन व्यवस्थाओं के समन्वय से सम्बन्धित कार्यों के लिए जिम्मेदार है। परिवहन विभाग दो मुख्य शाखाओं में विभाजित है : (१) परिवहन शाखा, (२) सड़क शाखा। सड़क शाखा जहां एक ओर सडकों के निर्माण और उनके विकास के लिए उत्तरदायी है, वहां दूसरी ओर परिवहन शाखा पर्यटन और ऊपर बताए गए शेष अन्य सब कार्यों के लिए उत्तरदायी है।

सड़क विकास

सड़क विकास की नागपुर योजना मे, जो १९४३ मे बनाई गई थी, आगामी २० वर्षों में १ लाख २३ हजार मील लम्बी पक्की सड़कों और २ लाख ८ हजार मील लम्बी कच्ची सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया था। आशा है कि १९६१ तक देश में १ लाख ४४ हज़ार मील लम्बी पक्की सड़कें और २ लाख ३५ हजार मील लम्बी कच्ची सड़कें बन जाएंगी।

सड़क विकास योजना

मई १९५७ में सड़क विकास योजना तैयार करने के लिए एक समिति की स्थापना की गई थी। इस समिति ने सड़क विकास की एक दीर्घ-कालीन योजना तैयार की है, जिसके अनुसार १९८०-८१ तक देश में सड़कों की कुल लम्बाई ६ लाख ५७ हज़ार मील हो जाएगी। इस योजना पर ५२ अरब रुपये खर्च होने का अनुमान है। यह योजना सरकार के विचाराधीन है।

राष्ट्रीय राजपथ

आलोच्य वर्ष में धनबाद-जमशेदपुर सडक को राष्ट्रीय राजपथ घोषित किया गया। इस प्रकार देश में राष्ट्रीय राजपथों की संख्या बढ़ कर ४० हो गई है। इन राजपथों पर १९५८-५९ में ८ करोड़ ७० लाख रुपये व्यय किए जाने की आशा है। १९५८ में ४ बड़े और ४ छोटे पुलों का निर्माण किया गया। बिहार में मुज़फ्फरपुर और दलसिहसराय के बीच बनने वाले राष्ट्रीय राजपथ (नं० २८), जम्मू और कश्मीर राज्य में पठानकोट-जम्मू सड़क पर खदेरू खड के ऊपर बनने वाले पुल और उत्तर प्रदेश में गोरखपुर के निकट राप्ती नदी

पर और मऊ में टोंस नदी पर बनने वाले सड़क-पुलों के निर्माण का कार्य जारी है ।

आलोच्य वर्ष में पश्चिम बंगाल, बम्बई और आन्ध्र प्रदेश मे क्रमश: नागर नदी, अमला खादी नदी और पलैर तथा कृष्णा नदी के ऊपर पुलों का निर्माण-कार्य पूरा हुआ ।

अन्य सड़कें

संघीय क्षेत्रों मे, उत्तर-पूर्वी सीमान्त अभिकरण में, नागा पहाड़ी त्वेनसाग क्षेत्र तथा सिक्किम में सड़को के विकास के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना मे १४ करोड़ ३२ लाख रुपये की व्यवस्था है । इसमें से ३ करोड़ २६ लाख रुपये १९५८-५९ में खर्च किए जाएंगे ।

त्रिपुरा और शेष भारत को जोड़ने वाली असम-अगरतल्ला सड़क पर जुलाई १९५८ में ३ पुलों का निर्माण-कार्य पूरा हो गया । इस प्रकार अब त्रिपुरा और शेष भारत के बीच बारहों महीने सड़क यातायात सम्भव हो गया है ।

आलोच्य वर्ष में सड़क सम्बन्धी २० निर्माण-कार्य पूरे हुए जिन पर ७६ लाख २४ हज़ार रुपये खर्च हुए । इसी वर्ष २७ नए निर्माण-कार्यों की स्वीकृति दी गई जिन पर लगभग ८८ लाख ३१ हज़ार रुपये खर्च होंगे ।

ग्रामीण सड़क-विकास सहकारिता योजना

इस योजना के अन्तर्गत गावों में सहकारिता के आधार पर सड़कों के निर्माण-कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों को आर्थिक सहायता देती है । १९५३-५४ मे राज्य सरकारों को ६० लाख रुपये का अनुदान दिया गया था । १९५८-५९ तथा दूसरी योजना के अगले दो वर्षों के लिए भारत सरकार ने ६० लाख रुपये रखे है। इस योजना के अन्तर्गत सड़क-निर्माण का आधा खर्च केन्द्रीय सरकार देती है तथा आधा खर्च राज्य सरकार और उन गांवों के निवासी देते है जिन गांवों में सड़क बन रही है । इस खर्च में ग्रामीणों का हिस्सा श्रमदान, भूमिदान, अथवा नकद रुपये के रूप में होता है । असम, आन्ध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में चलने वाली कुल १६३ सड़क-निर्माण योजनाओं के लिए केन्द्रीय सरकार ने १९५८-५९ में ४ लाख ५२ हज़ार रुपये का अनुदान स्वीकार किया ।

भूटान-भारत सड़क

भारत सरकार ने भूटान को भारत से जोड़ने के लिए दो सड़कों के निर्माण का निश्चय किया है। एक सड़क, जिसका निर्माण-कार्य आरम्भ हो चुका है, असम और भूटान को जोड़ेगी। पश्चिम बंगाल और भूटान को जोड़ने वाली दूसरी सड़क के निर्माण का काम शीघ्र ही आरम्भ होगा।

जवाहर सुरंग

इस सुरंग मे दो रास्ते है। एक रास्ता दिसम्बर १९५८ में यातायात के लिए खोल दिया गया। इस प्रकार भारत और कश्मीर घाटी के बीच बारहों महीने यातायात सम्भव हो गया है। सुरंग के दूसरे रास्ते का निर्माण-कार्य जारी है।

केन्द्रीय सड़क निधि

इस निधि की स्थापना १९२९ में हुई थी। अब तक ५१ करोड़ ४१ लाख रुपये की सड़क-निर्माण योजनाएं स्वीकृत की गई है, जिनमे से ३६ करोड़ ८० लाख रुपये खर्च हो चुके हैं। १९५८-५९ में ३ करोड़ ३३ लाख ८४ हजार रुपये की योजनाएं स्वीकृत हुई। इसके अलावा, विभिन्न राज्यों की प्रमुख सड़क-निर्माण योजनाओं के लिए केन्द्रीय सड़क निधि की सुरक्षित राशि मे से ७ करोड़ २८ लाख रुपये स्वीकृत किए गए।

सड़क परिवहन

आलोच्य वर्ष में सड़क परिवहन निगम अधिनियम, १९५०, में संशोधन करने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दिया गया।

उक्त अधिनियम आलोच्य वर्ष मे मैसूर राज्य और हिमाचल प्रदेश में भी लागू कर दिया गया है। बिहार तथा मैसूर राज्य की सरकारों ने अपने राज्यों में सड़क परिवहन निगम स्थापित करने का निश्चय किया।

राज्यों द्वारा यात्री-परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करने का कार्यक्रम सन्तोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है।

माल-परिवहन सेवाओं को सुचारु रूप से चलाने के लिए परिवहन सहकारिता समितियों की स्थापना की एक योजना तैयार की गई। आरम्भ में बम्बई, पश्चिम बंगाल, मद्रास, केरल और दिल्ली में इस प्रकार की एक-एक समिति स्थापित की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य यह है कि अधिकाधिक गाड़िया

माल ढोने के काम में लगाई जाएं और ज्यादा से ज्यादा शिक्षित बेरोज़गार व्यक्तियों को रोजगार मिल सके।

जहाज़रानी

१९५८-५९ में भारतीय जहाज़रानी में निरन्तर प्रगति हुई। ३१ दिसम्बर, १९५७ तक भारत के पास ५ लाख ८२ हज़ार सकल टन के जहाज़ थे जो ३१ दिसम्बर, १९५८ तक बढ कर ६ लाख ३० हजार सकल टन हो गए।

तटीय जहाज़रानी

३१ दिसम्बर, १९५८ तक तटीय जहाज़रानी में लगे हुए भारतीय जहाज़ों की संख्या बढ़ कर ८५ हो गई। ३१ दिसम्बर, १९५७ को इनकी सख्या ८३ थी।

विदेशी व्यापार

भारतीय जहाज़ों की संख्या में वृद्धि होने के फलस्वरूप भारतीय जहाज़ी कम्पनियों की गतिविधि बढ़ी और व्यापार के नए क्षेत्रों में प्रवेश करना उनके लिए सम्भव हुआ। सिन्धिया जहाज़रानी कम्पनी ने १ जुलाई, १९५८ से भारत और अमेरिका के बीच एक नई व्यापारिक जहाज़रानी सेवा आरम्भ की। ३१ दिसम्बर, १९५७ तक विदेशी व्यापार में लगे हुए जहाजों की संख्या ४९ थी, जो ३१ दिसम्बर, १९५८ तक बढ़ कर ५६ हो गई।

जहाज़रानी कम्पनियों को ऋण

आलोच्य वर्ष में दो जहाज़रानी कम्पनियों को १ करोड़ ७ लाख रुपये का ऋण दिया गया।

जहाज़रानी विकास निधि

आलोच्य वर्ष मे एक नया 'व्यापारिक जहाज़रानी अधिनियम' पारित हुआ जिसका उद्देश्य एक जहाजरानी विकास निधि स्थापित करने की व्यवस्था करना है। इस निधि से भारतीय जहाज़रानी कम्पनियों को अपने विकास और विस्तार के लिए ऋण के रूप में आवश्यक आर्थिक सहायता प्राप्त हो सकेगी।

पूर्वी जहाज़रानी निगम

आलोच्य वर्ष में इस निगम को ४ लाख २४ हज़ार रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। निगम के पास अब ८ जहाज़ों का एक बेड़ा है। निगम ने हिन्दुस्तान

जहाज़-निर्माण कम्पनी को ३ जहाज और बनाने का आर्डर दिया है। आशा है ये जहाज़ १९६१ तक तैयार हो जाएंगे।

पश्चिमी जहाजरानी निगम

आलोच्य वर्ष में निगम को ३ लाख ४६ हजार रुपये का शुद्ध लाभ हुआ। इस निगम ने ६ नए जहाज़ों के आर्डर दिए है।

पालदार जलपोत संगठन

सरकार ने पालदार जलपोतों को यन्त्रचालित बनाने के लिए वित्तीय सहायता देने की एक योजना स्वीकार कर ली है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यन्त्रीकरण के लिए २५ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। नवम्बर १९५८ मे बम्बई राज्य के सौराष्ट्र और कच्छ बन्दरगाहो के लिए एक नया क्षेत्रीय कार्यालय (पालदार जलपोतों मे सम्बन्धित) खोला गया।

हिन्दुस्तान जहाज़-निर्माण घाट

१९५७-५८ में हिन्दुस्तान जहाज़-निर्माण घाट ने आधुनिक डिज़ाइन के जहाजों के निर्माण की पहली किश्त पूरी कर ली। जुलाई १९५८ तक १ लाख सकल टन के जहाज यहां बन चुके थे। माल ढोने वाले द्रुतगामी जहाजों के निर्माण की आरम्भिक तैयारी शुरू हो चुकी है।

अब तक इस जहाज-निर्माण घाट में २० बड़े जहाज और ३ छोटे जहाज बनाए गए।

आलोच्य वर्ष मे २ जहाज बन कर तैयार हुए और उन्हें पानी में उतार दिया गया। ४ अन्य जहाज़ों के निर्माण का काम शुरू किया गया। इन ४ जहाज़ों मे से एक जहाज भारतीय नौसेना के लिए होगा।

आलोच्य वर्ष में जहाज़-निर्माण में ३ करोड़ ४३ लाख ३१ हज़ार रुपये मूल्य का उत्पादन हुआ। १९५६-५७ में उत्पादन का मूल्य केवल २ करोड़ ९८ लाख ४ हजार रुपये था।

अप्रैल १९५८ मे एक ब्रिटिश प्राविधिक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत के तटों का सर्वेक्षण करने के बाद अपना प्रतिवेदन सरकार को दे दिया। प्रतिवेदन में सिफारिश की गई है कि दूसरा जहाज़-निर्माण घाट कोचीन में खोला जाए।

जहाजरानी दुर्घटनाएं

आलोच्य वर्ष में ३ बड़ी दुर्घटनाएं हुई। पहली दुर्घटना २६ अगस्त, १९५८ को सौराष्ट्र के तट से कुछ दूर हुई। इसमे कनाडा से भारत के लिए गेहूं लाद कर लाने वाला एक विदेशी जहाज़ दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जहाज़ का कोई आदमी हताहत नही हुआ। दूसरी दुर्घटना २१ जून, १९५८ को कच्छ के निकट हुई, जिसमें पाकिस्तान सरकार के लिए शस्त्रास्त्र लाद कर लाता हुआ एक डच जहाज़ चट्टान से टकरा कर क्षतिग्रस्त हो गया। तीसरी दुर्घटना बम्बई के निकट २० अक्तूबर, १९५८ को हुई, जिसमें एक अमेरिकी तेलवाहक जहाज़ में विस्फोट होने के कारण जहाज़ के २० कर्मचारियों की मृत्यु हो गई।

बन्दरगाहें

१९५७-५८ में भारतीय बन्दरगाहों पर यातायात का दबाव बहुत ज्यादा रहा। इस वर्ष ३ करोड़ १० लाख टन का भार लादा-उतारा गया।

१९५८-५९ में कण्डला बन्दरगाह निर्माण योजना के लिए २ करोड़ रुपये, गान्धीग्राम नगर निर्माण योजना के लिए २० लाख रुपये, विशाखापटनम बन्दरगाह के लिए ७० लाख रुपये, तथा कलकत्ता, बम्बई और कोचीन के बन्दरगाहों को सहायता के रूप में २ करोड़ ७० लाख रुपये देने की व्यवस्था की गई।

कलकत्ता बन्दरगाह के विकास के लिए २ करोड़ ९० लाख डालर और मद्रास बन्दरगाह के विकास के लिए १ करोड़ ४० लाख डालर के दो ऋण प्राप्त हुए।

कलकत्ता क्षेत्र में एक और बड़ा बन्दरगाह बनाने का प्रस्ताव है।

प्रकाश-स्तम्भ तथा प्रकाशपोत

आलोच्य वर्ष में पाइरोटन आइलैण्ड (बम्बई राज्य) तथा फाल्स प्वाइंट (उड़ीसा) में २ नए प्रकाश-केन्द्र निर्मित किए गए।

गोधा (बम्बई राज्य) के प्रकाश-स्तम्भ को और अधिक आधुनिक बनाने का कार्य पूरा किया गया। साथ ही, विभिन्न बन्दरगाहों के निकट बने हुए प्रकाश-स्तम्भों में आधुनिक यन्त्र और उपकरण लगाए गए। इस प्रकार

बन्दरगाह में आने-जाने वाले जहाजों के लिए रात में भी सुविधापूर्वक यात्रा करना सम्भव हो गया है ।

अन्तर्देशीय जल-परिवहन

अन्तर्देशीय जल-परिवहन समिति ने, जिसकी स्थापना फरवरी १९५७ में की गई थी, अपनी अन्तरिम सिफारिशों में कहा है कि उत्तर-पूर्वी भारत, उड़ीसा, मद्रास, केरल और मैसूर में अन्तर्देशीय जल-परिवहन के विकास के लिए सर्वेक्षण कराए जाएं । सरकार इन सिफारिशों पर विचार कर रही है ।

अन्तर्देशीय जल-मार्गो पर स्टीमर चलाने वाली कम्पनियों को ३० लाख रुपये की सहायता दी गई ।

आलोच्य वर्ष में गंगा-ब्रह्मपुत्र जल-परिवहन मण्डल ने पटना और छपरा के बीच नौकानयन सेवा आरम्भ की ।

पर्यटन उद्योग

मार्च १९५८ में भारत सरकार ने परिवहन तथा संचार मंत्रालय में एक पृथक पर्यटन विभाग की स्थापना की । यह विभाग भारत मे पर्यटन सम्बन्धी सब बातों के लिए जिम्मेदार होगा । इसके अलावा, फरवरी १९५८ में एक पर्यटन विकास परिषद की भी स्थापना की गई । इसी वर्ष भारत सरकार ने पर्यटन प्रोत्साहन समिति नामक एक उच्चस्तरीय समिति की स्थापना की, जिसका कार्य पर्यटन सम्बन्धी समस्याओं को हल करने में सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रयासों मे समन्वय स्थापित करना होगा ।

१९५८-५९ में केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न राज्यों को १५ लाख २७ हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की । राज्य सरकारें इस सहायता का उपयोग पर्यटकों की सुविधा के लिए विश्रामगृहों आदि का निर्माण कराने में करेंगी ।

१९५८ में भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या ९२,१९३ थी । इस संख्या में पाकिस्तानी और तिब्बती शामिल नहीं है । १९५७ में पर्यटकों से १० करोड़ ६० लाख रुपये की आय हुई ।

विदेशी पर्यटकों को अनावश्यक असुविधाओं से बचाने के लिए और पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए अनेक नियमों में ढिलाई कर दी गई है ।

हर सड़क घर तक जाती है
जी हां! लेकिन ऐसे घर कितने ह जिन
तक सड़कें जाती हैं।
ज़रा सोचिए तो कि इसका क्या मतलब हुआ
बाहरी दुनिया से बिल्कुल कट जाना;
कहीं भी जाना जान की मुसीबत, नये विचारो से,
नये प्रभावों से दूर. प्रगति से अछूते
दो-चार दिन शान्ति से काटने हों तो ठीक है लेकिन
अगर सारा जीवन भुगतना पड़े यह सब!
कोसों दूर इलाज की सुविधाओ से, डाक्टरों से,
स्कूलों से! निकट से निकट बाजार भी मीलो दूर—
हर चीज से, हर सुविधा से बहुत दूर।
आज भी भारत मे लाखो लोग ऐसा असुविधाजनक
जीवन बिताते हें।
इसी कारण सड़को को सबसे
अधिक महत्त्व मिलना चाहिए।
और इसीलिए सड़कों से सम्बन्धित हर काम का—
हर चीज का इतना महत्त्व है।
उदाहरण के लिए, बिटुमेन—सड़क बनाने के
काम में आनेवाली एक उत्तम और महत्त्वपूर्ण चीज।
और साथ ही साथ, कितनी सस्ती, इस्तेमाल करने में
कितनी सरल, टिकाऊ और कठिन से कठिन
काम के लिए उपयुक्त!
इतने अमूल्य गुणों से युक्त बिटुमेन
का वितरण
बर्मा-शेल करता है।
उत्तम सड़कों के निर्माण के लिए
बर्मा-शेल का बिटुमेन।

१६. संचार

परिवहन और संचार मंत्रालय के अन्तर्गत संचार तथा नागर विमानन विभाग (१) बेतार योजना और संयोजन, (२) डाक और तार, (३) नागर विमानन (विमान निगम सहित), (४) ऋतु विज्ञान, (५) समुद्र पार सचार, (६) रेलवे निरीक्षण तथा (७) भारतीय टेलीफोन उद्योग के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है।

डाक और तार विभाग

इस वर्ष भी डाक और तार विभाग के कार्यो मे निरन्तर विकास हुआ। अनुमान है कि ३१ मार्च, १९५९ को कर्मचारियों की सख्या ३,३३,००० से भी अधिक थी। १९५८-५९ में इस विभाग ने ३ अरब ५० करोड़ डाक वस्तुओ का आदान-प्रदान किया, लगभग ३ करोड़ ४० लाख तार लिए तथा लगभग २ करोड़ ५० लाख ट्रंक कालें मिलाईं।

डाकघर

३१ मार्च, १९५८ को देश में ६१,८८६ डाकघर थे। अप्रैल १९५८ से जनवरी १९५९ की अवधि में १,९४७ नए डाकघर खोले गए। ३१ मार्च, १९५९ तक १,४९१ डाकघर और खोलने का विचार था।

ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने की वर्तमान शर्तो को सरकार ने उदार कर दिया है। जिन गांवों में सामुदायिक विकास योजना या राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के मुख्यालय है, या जहां जिला-बोर्डो या स्थानीय बोर्डो के स्कूल अथवा राज्य सरकारों से मान्यता-प्राप्त स्कूल अथवा उनसे सहायता-प्राप्त करने वाले स्कूल है, उनमें दो-दो मील के अन्तर पर डाकघर खोले जाएंगे। इससे पहले तीन-तीन मील के अन्तर पर डाकघर खोला गया था। इसके अतिरिक्त, देहाती क्षेत्रों में जल्दी डाक बांटने के लिए भी कुछ कदम उठाए गए।

बचत बैंक

२ अप्रैल, १९५८ से बचत बैंक में रुपया जमा करवाने के लिए स्थानीय तथा बाहरी चेक समस्त प्रधान डाकघरों तथा विभागीय उप-डाकघरों मे स्वीकार किए जा रहे है, और अब इन चेकों के साथ 'भुगतान के लिए ठीक' (गुड फार पेमेंट) प्रमाण-पत्र देने की आवश्यकता नही है। वैयक्तिक बचत बैंक से तथा गैर-सरकारी फर्मो और कम्पनियों द्वारा खोले गए खातों मे से भी चेक द्वारा रुपया निकलवाने की प्रणाली आरम्भ कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, वैयक्तिक खाते में से भी सप्ताह

में दो बार उन सब डाकघरों से रुपया निकलवाने की सुविधा प्रदान कर दी गई है जिनमें बचत बैंक हैं ।

कालावधि संचयी जमा

२ फरवरी, १९५९ से कालावधि संचयी जमा (क्युमुलेटिव टाइम डिपाज़िट) नामक एक नई योजना आरम्भ की गई है । इस योजना के अन्तर्गत पांच और दस वर्षों के लिए खाते खोले जाएंगे, जिनमें ५, १०, २०, ५०, १०० अथवा २०० रु० की रकम जमा करवाई जा सकेगी, बशर्तेकि खाता खोलने के समय जमा कराई गई रकम में खाते की अवधि में परिवर्तन न किया जाए । रुपया हर महीने एक बार जमा करवाया जा सकेगा । ५ या १० वर्षों के बीत जाने पर, जैसी भी स्थिति हो, मूलधन और उस पर व्याज, जमा करवाने वाले व्यक्ति को लौटा दिए जाएंगे ।

विदेशों के साथ हवाई पार्सल व्यवस्था

१ जुलाई, १९५८ से भारत से घना के साथ सीधी हवाई पार्सल व्यवस्था शुरू कर दी गई है । भारत से बीमाशुदा हवाई पत्र सर्विस आस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया, जर्मनी (संघीय गणराज्य), नार्वे और सीरिया के डाकघरों के साथ, तथा बीमाशुदा हवाई पार्सल सर्विस अदन, आस्ट्रेलिया, बर्मा, ब्रिटिश, पूर्व अफ़्रीका, श्रीलंका, कनाडा, जर्मनी (संघीय तथा लोकतंत्रीय गणराज्य), जापान, स्विट्ज़रलैंड, यूनाइटेड किंगडम तथा फारस की खाड़ी के डाकघरों के साथ चालू कर दी गई है । इसके अतिरिक्त, बेल्जियम , डेन्मार्क, फ़्रांस, हांगकांग तथा स्वीडन के साथ बीमाशुदा हवाई डाक सर्विस तथा बीमाशुदा हवाई पार्सल सर्विस भी आरम्भ कर दी गई है ।

विस्थापितों के दावे

डाकघर बचत बैंक के हिसाब में रुपया जमा कराने वाले व्यक्तियों तथा डाक-पत्रों के उन मालिकों को जो देश के विभाजन से पूर्व के अपने खातों और सर्टिफिकेटों को पाकिस्तान से भारत बदलवाने के लिए दावे नहीं कर सके थे, उन्हें इस अवधि में एक और अवसर दिया गया कि वे १५ मई, १९५८ से १४ नवम्बर, १९५८ के बीच अपने दावे रजिस्टर करवा लें । इसी बीच जिन दावेदारों ने निर्धारित तिथि तक अपने दावे रजिस्टर करवा लिए थे और जिनके पास पासबुकें और सर्टिफिकेट थे, तथा जिन्होंने दो शोधक्षम जमानतों के साथ बंध-पत्र भर दिए थे, उन दावेदारों को पाकिस्तान से उनके दावों की पुष्टि करवाए बिना ही अदायगी की जाती रही । ३१ अगस्त, १९५८ तक लगभग ३२ लाख रु० के दावे निपटाए गए ।

३ अक्तूबर, १९५८ से तदर्थ समिति ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। यह समिति उन व्यक्तियों के दावों का निर्णय करने के लिए बनाई गई है जिन्होंने निर्धारित तिथि तक अपने दावे तो कर दिए हैं, परन्तु जिनके पास पास-बुक या सर्टिफिकेट नहीं हैं।

प्रमाणित सूचियों का आदान-प्रदान करने के लिए पाकिस्तान सरकार के साथ एक समझौता भी कर लिया गया है, ताकि एक-साथ प्रमाणित सूचियों के आदान-प्रदान के बाद जो दावे प्रमाणित होने रह गए हों, उन्हें भी प्रमाणित किया जा सके। इस समझौते के अनुसार अगस्त १९५८ में पाकिस्तानी सम्पर्क अधिकारी के साथ कुछ सूचियों का आदान-प्रदान किया गया। आशा है कि शीघ्र ही यह काम फिर चालू हो जाएगा।

गिरवी रखे डाक-सर्टिफिकेटों का पाकिस्तान से भारत और भारत से पाकिस्तान तबादला करने के लिए एक कार्य-विधि भी बना दी गई है और १ अगस्त, १९५८ से दावे रजिस्टर किए जा रहे हैं।

तारघर

अप्रैल से नवम्बर १९५८ की अवधि में १४२ तारघर खोले गए। १ दिसम्बर, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ तक १२५ तारघर और खोलने का विचार था। इस प्रकार ३१ मार्च, १९५९ को करीब ६,००० तारघर हो जाएंगे, जबकि ३१ मार्च, १९५८ को इनकी संख्या ५,७३२ थी।

तार को जल्दी पहुंचाने के लिए एक व्यवस्था यह की गई है कि तार भेजने वाले तार पाने वालों को अपने सन्देश टेलीफोन से भी भिजवा सकते हैं।

३१ मार्च, १९५८ को देवनागरी लिपि में तारों की व्यवस्था करने वाले तारघरों की संख्या १,२८६ थी, जिनमें रेलवे तारघर भी शामिल हैं। दिसम्बर १९५८ के अन्त मे ऐसे तारघरों की संख्या १,४०० हो गई। आशा है कि आलोच्य वर्ष की शेष अवधि में लगभग २०० और तारघरों से देवनागरी लिपि में तारों की व्यवस्था की जाने लगेगी।

१९५७-५८ में देवनागरी लिपि में कुल ८९,२०२ तार दिए गए, जबकि १९५६-५७ में यह संख्या ६६,९२७ थी। १९५८-५९ के पहले छः महीनों में ४८,९९९ तार दिए गए। इसके अतिरिक्त, रोमन लिपि के तारों के लिए जो सुविधाएं उपलब्ध है (यथा संक्षिप्त पतों की रजिस्ट्री, बधाई तथा डिलक्स तार, मानव जीवन सम्बन्धी तारों को प्राथमिकता, स्थानीय तथा प्रेस के तार, फोनोग्राम इत्यादि), वे सब सुविधाएं देवनागरी लिपि में लिखे तारों के लिए भी उपलब्ध कर दी गई।

टेलीफोन

अप्रैल से दिसम्बर १९५८ की अवधि में टेलीफोनों की संख्या मे २९,००० की वृद्धि हुई। अनुमान है कि ३१ मार्च, १९५९ को टेलीफोनों की कुल संख्या लगभग ३,८८,००० हो जाएगी, जबकि ३१ मार्च, १९५८ को यह संख्या ३,४७,००० थी ।

अप्रैल १९५८ से जनवरी १९५९ की अवधि में ४६ नए टेलीफोन एक्सचेंज खोले गए—इनमें अमृतसर और शिवाजी नगर के दो बड़े-बड़े स्वचालित एक्सचेंज भी शामिल है। अनेक स्वचालित तथा मानव-चालित एक्सचेंजों को बढ़ाया भी गया—इनमें बंगलोर, बम्बई, करौल बाग (दिल्ली), हैदराबाद, इन्दौर, लखनऊ, और त्रिवेन्द्रम के बड़े-बड़े स्वचालित एक्सचेंज भी शामिल हैं। आशा है कि ३१ मार्च, १९५९ तक २५ नए टेलीफोन एक्सचेंज और खुल जाएंगे।

अप्रैल से दिसम्बर १९५८ की अवधि में दूरवर्ती स्थानों में टेलीफोन करने के सार्वजनिक टेलीफोन-घरों की संख्या १,६०० से १,७२३ हो गई। आशा है कि ३१ मार्च, १९५९ तक १०० और टेलीफोन-घर खुल जाएंगे।

"अपना टेलीफोन योजना" (जो दिसम्बर १९४९ में आरम्भ की गई थी) कलकत्ता के कुछ इलाकों में, तथा अहमदाबाद, बम्बई, मद्रास और दिल्ली में चल रही है। इस वर्ष इस योजना में कानपुर, अमृतसर, नागपुर, हैदराबाद, बंगलोर, वेरावल, बम्बई, दिल्ली, मद्रास और कलकत्ते के कुछ इलाकों में ढील दी गई। इस योजना के अन्तर्गत ३१ अक्तूबर, १९५८ तक कुल ३३,४७५ आवेदकों ने ७,५९,६९,५०० रु० जमा करवाया। इसके अतिरिक्त, ३३,१४७ टेलीफोन कनेक्शन भी दिए गए ।

बेतार

इस वर्ष बाढ़ की चेतावनी देने के लिए भाखड़ा बाध के जलग्रहण क्षेत्रों में बेतार केन्द्र (वायरलेस स्टेशन) बनाए गए। बाढ़ के मौसम में ल्हासा से बाढ़ की चेतावनी के सन्देश दार्जिलिंग में पूर्ववत प्राप्त होते रहे और इन संदेशों को वहां से गोहाटी और डिब्रूगढ़ में भेजा जाता रहा।

बिना लाइसेंस के रेडियो रखने और उनका प्रयोग करने की रोकथाम करने के लिए १ नवम्बर, १९५८ से अनेक उपाय किए गए। एक स्थान पर एक से अधिक रेडियो सेटों को एक ही लाइसेंस से चलाने की जो छूट थी, वह वापिस ले ली गई।

सार्वजनिक टेलीफोन की मशीनें

१ जनवरी, १९५९ से सार्वजनिक टेलीफोन-घर से टेलीफोन करने की फीस १५ नए पैसे कर दी गई है। वर्तमान मशीन में आवश्यक परिवर्तन भी किया जा रहा है जिससे कि वे दो सिक्के (एक दस नए पैसे का तथा दूसरा ५ नए पैसे का) डाल कर चलाई जा सकें।

स्मारक-डाक टिकट

इस वर्ष (१) भारत में इस्पात उद्योग के ५० वर्ष, (२) भारतरत्न डा० कर्वे की जन्म-शताब्दी, (३) भारतीय वायु सेना की रजत जयन्ती, (४) स्व० बिपिन-चन्द्र पाल की जन्म-शताब्दी, (५) बाल दिवस (१९५८), (६) स्व० जगदीश-चन्द्र बोस की जन्म-शताब्दी तथा (७) भारत—१९५८ प्रदर्शनी के अवसर पर विशेष डाक-टिकट जारी किए गए।

इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज़ (प्राइवेट) लि०

इस कारखाने में विभिन्न प्रकार के दूर-संचार सामान के निर्माण में काम आने वाली आवश्यक सामग्री का आयात इस वर्ष और भी घटा दिया गया और उसके बदले देशी सामान का प्रयोग किया जाने लगा। इसके अतिरिक्त, नए डिज़ाइनों का निर्माण तथा नए विकास-कार्य भी आरम्भ किए गए।

उत्पादन में वृद्धि करने के अतिरिक्त, साज-सामान की लागत में कमी करने का भी प्रयास किया जा रहा है। १९५७-५८ में डाक और तार विभाग को एक टेलीफोन ८२ रु० में बेचा गया। इस वर्ष इस विभाग को यह टेलीफोन ७९ रु० में बेचा गया। मार्च १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष के खाते में ११ लाख ९ हज़ार रु० का शुद्ध लाभ निकला। १९५८-५९ में कुल ३ करोड़ ४५ लाख रु० की बिक्री होने का अनुमान था, जबकि १९५७-५८ में ३ करोड़ ८ लाख ८० हज़ार रु० की बिक्री हुई थी।

नागर विमानन

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन द्वारा मंगाए गए ५ वाइकाउंट विमानों का दूसरा बेड़ा इस वर्ष प्राप्त हो गया। दिसम्बर १९५८ के अन्त में कारपोरेशन के ६१ डकोटा, ६ स्काईमास्टर, ५ हेरॉन और १० वाइकाउंट किस्म के विमान चल रहे थे। वाइकाउंट विमान अब देश के मुख्य मार्गों पर तथा पड़ोसी देशों के मार्गों पर चल रहे है।

'वायु परिवहन परिषद' की सिफारिशों के अनुसार कारपोरेशन ने १५ जून, १९५८ से यात्री किराए की संशोधित दरें लागू कर दी हैं। इसके अतिरिक्त, निगम ने संशोधित मार्ग प्रणाली शुरू की। नई मार्ग-प्रणाली के अनुसार अब भुवनेश्वर और विशाखापटनम के मार्ग से कलकत्ता और हैदराबाद भी विमान आने-जाने लगे हैं। बम्बई और बंगलोर से तथा बंगलोर के रास्ते मद्रास से हैदराबाद को एक डकोटा सर्विस आरम्भ कर दी गई है।

१० अक्तूबर, १९५८ को हैदराबाद में एक केन्द्रीय प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई, जहां सब हवाई अड्डों के चालकों को ग्राउंड, लिंक और फ्लाइंग (उड़ान) सम्बन्धी ट्रेनिंग दी जाया करेगी।

एयर-इंडिया इंटरनेशनल

इस वर्ष कारपोरेशन ने तीन पुरानी डिज़ाइन के कांस्टेलेशन विमान बेच कर दो नई किस्म के सुपर कांस्टेलेशन विमान खरीदे। इस प्रकार इस कारपोरेशन के वर्तमान बेड़े में इस समय दस सुपर-कांस्टेलेशन विमान हैं। जिन ३ बोइंग जेट विमानों के लिए आर्डर दिए गए थे, वे जनवरी या मार्च १९६० में प्राप्त हो जाएँगे।

१५ अगस्त, १९५८ से कारपोरेशन ने दिल्ली और मास्को के बीच सप्ताह में एक बार की नियमित सर्विस आरम्भ कर दी है। बम्बई-टोकियो के बीच की सर्विस सप्ताह में दो बार के बजाय तीन बार कर दी गई है। इसके अलावा, १२ अक्तूबर, १९५८ से जकार्ता के मार्ग से सिडनी की वर्तमान साप्ताहिक सर्विस के साथ-साथ, बम्बई से जकार्ता को एक साप्ताहिक सर्विस भी आरम्भ कर दी गई है। मेसर्स सीबोर्ड एण्ड वेस्टर्न एयरलाइन्स के साथ एक समझौते के अनुसार १५ नवम्बर, १९५८ से भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच एक साप्ताहिक अनुसूचित फ्रेटर सर्विस भी आरम्भ कर दी गई है।

वैमानिकीय दूर-संचार सेवा

अन्तर्राष्ट्रीय वायु सेवाओं की उत्तरोत्तर बढ़ती हुई मांग को देखते हुए १९५८ में रेडियो संचार और वैमानिकीय (एयरो-नॉटिकल) सुविधाओं का विकास करने के कुछ उपाय किए गए। मंदसौर, उदयपुर, जमशेदपुर, मदुरई और बनिहाल में वैमानिकीय संचार केन्द्र की स्थापना कर दी गई। काज़ीकुंड में भी एक केन्द्र स्थापित किया गया।

प्रशिक्षण

१९५८ में इलाहाबाद के नागर विमानन प्रशिक्षण केन्द्र ने ३२९ छात्रों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण प्रदान किया तथा २०१ छात्र प्रशिक्षण पा रहे

थे। राजकीय सहायता-प्राप्त १४ फ्लाइंग क्लबों ने भी प्रशिक्षण की सुविधाएं उपलब्ध कीं। १९५८-५९ में फ्लाइंग क्लबों में प्रशिक्षण पाने के लिए सरकार ने ५० योग्य नवयुवकों को छात्रवृत्तियां भी दीं।

वायु-परिवहन समझौते

१९५८ में नई दिल्ली में भारत सरकार और लेबनान गणतंत्र, रूस, तथा इटली के गणतंत्र की सरकारों के बीच वायु-परिवहन सम्बन्धी समझौतों पर हस्ताक्षर हुए।

दुर्घटनाएं

१९५८ में भारत में ३२ बड़ी विमान दुर्घटनाएं हुईं। इनमें से ८ दुर्घटनाएं घातक सिद्ध हुईं, जिनमें ६९ व्यक्तियों की मृत्यु हुई।

योजना और बेतार संयोजन

इस वर्ष दिल्ली और नागपुर के २ मानिटरिंग केन्द्रों के अतिरिक्त, २ अस्थायी मानिटरिंग केन्द्र बम्बई और कलकत्ते में चालू किए गए। दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय मानिटरिंग केन्द्र की स्थायी इमारत में यंत्र आदि लगाने का काम जारी है। चारों केन्द्रों से मानिटरिंग सम्बन्धी उपयोगी आंकड़े भी एकत्र किए जा रहे हैं।

१९५८ में इस मंत्रालय ने बेतार के स्थावर (फिक्स्ड) और चलते-फिरते केन्द्र स्थापित करने और चलाने के २,७४१ लाइसेंसों का नवीकरण किया तथा ५४४ नए लाइसेंस दिए। १९५८ के भारतीय बेतार टेलीग्राफी (अमेच्योर सर्विस) नियमों की भी घोषणा कर दी गई है।

समुद्र-पार संचार

भारत तथा अन्य देशों के बीच दूर-संचार सेवाओं की व्यवस्था करने का काम 'समुद्र-पार संचार सेवा विभाग' के अधीन है। राष्ट्रीयकरण से पहले ६ सीधी रेडियो सेवाएं चल रही थीं। अब यह विभाग ५८ सीधी रेडियो सेवाओं की व्यवस्था कर रहा है, जिनके माध्यम से विदेशों के साथ भारत का सम्बन्ध स्थापित है।

यह विभाग २९ देशों के साथ सीधी रेडियो-टेलीग्राफ सेवाएं भी चला रहा है। इसके अतिरिक्त, विश्व के सब देशों के साथ अन्तर्राष्ट्रीय सब-मैरीन केबिल तथा रेडियो तार प्रणालियों के मार्ग से रेडियो-तार सेवाएं उपलब्ध हैं।

सीधी रेडियो टेलीफोन सेवाएं २२ देशों के साथ चल रही हैं। इसके अतिरिक्त भारत तथा ५ देशों के बीच तथा भारत और २९ समुद्रस्थ जहाजों के बीच रेडियो टेलीफोन सेवाएं भी उपलब्ध हैं।

सीधी रेडियो फोटो सेवा भारत और चीन, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी, जापान, पोलैंड, यूनाइटेड किंगडम (३ सरकिट), अमेरिका तथा रूस के बीच उपलब्ध है। लंदन के मार्ग से १७ देशों के साथ रेडियो फोटो-सेवा भी उपलब्ध है।

मौसम विभाग

भारतीय मौसम विभाग ने मौसम के सम्बन्ध में सूचनाएं आदि देने का काम इस वर्ष भी पूर्ववत जारी रखा।

तूफान की सूचना देने वाले राडर इस वर्ष दमदम सान्ताक्रूज (बम्बई) तथा नागपुर (सोनगाव) में स्थापित कर दिए गए हैं। एयर-इंडिया इंटरनेशनल ने दिल्ली-मास्को, तथा बम्बई-दिल्ली-दमिश्क के मार्गों पर जो विमान सेवा चालू की है, उनके लिए तथा इंडियन एयर-लाइन्स तथा अन्य एयर-लाइनों द्वारा चालू की गई विमान सेवाओं के लिए इस विभाग ने मौसम की सूचना सम्बन्धी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने की भी व्यवस्था की।

सिहोर (भूपाल) में एक नई भूकम्प वेधशाला स्थापित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश में सैक्रामेंट प्रकाशस्तम्भ में भी भूकम्प का पता चलाने के यंत्र लगा दिए गए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय भू-भौतिकी वर्ष (१९५७-५८) के सम्बन्ध में निरीक्षण कार्य भी किया गया और विश्व के उपयुक्त केन्द्रों को निरीक्षण सम्बन्धी आंकड़े भी भेजे गए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत निरीक्षण सम्बन्धी काम १९५९ में भी जारी रखे जाएंगे।

भारत के नए कैलेंडर के दूसरे वर्ष अर्थात, शकाब्द १८८० का राष्ट्रीय पंचाग अंग्रेजी और संस्कृत के अलावा, हिन्दी और ९ प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किया गया।

१७. शिक्षा

अप्रैल १९५८ मे शिक्षा मंत्रालय को दो भागों में बांट दिया गया : १. शिक्षा मंत्रालय; और २. वैज्ञानिक अनुसंधान और सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय ।

शिक्षा मंत्रालय में वह सारा काम आया जो पुराने मंत्रालय के 'शिक्षा विभाग' में होता था । इसके अतिरिक्त, शारीरिक शिक्षा, खेलकूद और युवक कल्याण से सम्बन्धित काम भी इसी मंत्रालय को मिला । छात्रवृत्तियों की विविध योजनाएं विषयों के अनुसार दोनों मंत्रालयों में बांट दी गई ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना

दूसरी पंचवर्षीय योजना पर पुनर्विचार के फलस्वरूप योजना में ३ अरब ७ करोड़ रुपये, अर्थात राज्यों के लिए २ अरब १२ करोड़ रुपये और केन्द्र के लिए ९५ करोड़ रुपये की जो राशि नियत की गई थी, उसमें पुनर्विचार करके कमी कर देनी पड़ी और उसके फलस्वरूप २ अरब ७५ करोड़ रुपये की राशि नियत की गई—२ अरब ७ करोड़ रुपये राज्यों के लिए और ६८ करोड़ रुपये केन्द्र के लिए । ६८ करोड़ रुपये की केन्द्रीय राशि में से ४५ करोड़ रुपये की व्यवस्था शिक्षा मत्रालय की शिक्षा विषयक योजनाओं के लिए की गई है । १९५८-५९ की अवधि के लिए ४९ करोड़ ६८ लाख रु० की व्यवस्था की गई है—३५ करोड़ ७३ लाख रु० राज्यों के लिए और १३ करोड़ ९५ लाख रु० केन्द्र के लिए ।

प्रारम्भिक शिक्षा

अनिवार्य और प्रारम्भिक शिक्षा को शीघ्र लागू करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने के हेतु जून १९५७ में अखिल भारतीय प्रारम्भिक शिक्षा परिषद की स्थापना की गई । इस अवधि में उसकी दो बैठकें हुई । इस परिषद की बहुत-सी सिफारिशों को केन्द्र और राज्य सरकारें कार्यान्वित कर रही है । इस मंत्रालय न प्राथमिक शिक्षा सम्बन्धी एक कानून का मसविदा तैयार किया है ।

शिक्षित बेरोज़गार

ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करने और शिक्षित बेरोज़गारों को सुविधा देने के उद्देश्य से १९५८-५९ में एक योजना लागू की गई जिसके अनुसार दूसरी योजना के अन्तिम तीन वर्षों में ६०,००० अध्यापक और १२,००० निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे और अध्यापिकाओं के लिए ६,००० क्वार्टर बनाए जाएंगे।

विज्ञान की शिक्षा

प्रारम्भिक स्तर पर विज्ञान की पढ़ाई में सुधार करने के लिए शुरू में दो वर्ष की एक योजना चालू की गई है जिसमें प्रत्येक राज्य के लिए एक-एक प्रायोजना की व्यवस्था है। विज्ञान की पढ़ाई में आवश्यक सुधार करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रायोजना के लिए एक विज्ञान-सलाहकार नियुक्त किया जाएगा।

बुनियादी शिक्षा

इस वर्ष पूर्व-प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा की उन्नति के लिए ६१ स्वैच्छिक संस्थाओं को ४ लाख ४८ हज़ार रुपये के अनुदान दिए गए। गैर-बुनियादी प्रारम्भिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदलने का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी कार्यान्वित किया गया। इस कार्यक्रम की विशेषता यह है कि इसके लिए न तो पूर्ण प्रशिक्षित कर्मचारियों की आवश्यकता है और न बहुत धन की। इस कार्य को तेज़ी से गति देने के उद्देश्य से इस वर्ष ४ गोष्ठियों का आयोजन किया गया।

उत्तर-बुनियादी संस्थाएं

वर्तमान उत्तर-बुनियादी संस्थाओं को सुधारने और माध्यमिक या उत्तर-बुनियादी स्तर पर नए बुनियादी स्कूल खोलने के लिए इस वर्ष राज्य सरकारों को १०० प्रतिशत और स्वैच्छिक संस्थाओं को ६० प्रतिशत वित्तीय सहायता देने की एक नई योजना बनाई गई, जिसके अन्तर्गत दिसम्बर १९५८ तक स्वैच्छिक संस्थाओं को ४३,००० रु० की स्वीकृति दी गई।

शिक्षा का सर्वेक्षण

१९५७-५८ में राज्य सरकारों के सहयोग से देश का शिक्षा सर्वेक्षण प्रारम्भ किया गया था। वह अब पूरा हो चुका है। अधिकांश राज्यों की ज़िले-

वार और राज्यवार सारिणियां और रिपोर्टें प्राप्त हो गई है, जिनके आधार पर अखिल भारतीय सारिणियां और रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं।

बाल साहित्य

द्वितीय योजना में बाल साहित्य तैयार करने की एक योजना प्रारम्भ की गई थी, जिसमें बच्चों के लिए पुस्तकों की पुरस्कार प्रतियोगिताएं, बच्चों की पुस्तकों के लेखकों को प्रशिक्षण देने के लिए साहित्य रचनालयों का संगठन तथा बच्चों के लिए आदर्श पुस्तकें तैयार करना शामिल है।

यह भी निश्चय किया गया कि असम, आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी रचनालय स्थापित किए जाएं। प्रत्येक रचनालय के लिए ११,००० रु० की स्वीकृति दी गई। इस वर्ष 'बौने की खेती' और 'अनोखे जानवर' नाम की दो नमूने की पुस्तकें भी प्रकाशित की गई। दो अन्य पुस्तकें छप रही हैं।

हिन्दी में बच्चों के लिए प्रकाशित पुस्तकों की एक सूची बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया। साथ ही एक 'चिलडरेन्स बुक ट्रस्ट' की भी स्थापना की गई जिसके लिए एक प्रेस खोलने के निमित्त सरकार ने ७ लाख रु० का ऋण देना स्वीकार किया।

शिक्षा यात्राएं

इस वर्ष अध्यापकों को शिक्षा यात्राओं के लिए अनुदान देने की एक योजना प्रारम्भ की गई।

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में १९५८-५९ में राज्य सरकारों को करीब ३ करोड़ ३० लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता दी गई, जिसका उपयोग माध्यमिक शिक्षा के पुनर्निर्माण में होगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक १,१८७ बहूद्देश्यीय स्कूल खोलने का निश्चय किया गया था जिनमें से सितम्बर १९५८ तक १,१०० स्कूल स्थापित किए गए। इसी प्रकार फरवरी १९५८ तक १,२५० उच्च माध्यमिक स्कूल भी स्थापित किए जा चुके है।

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद

अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद को, जो अब तक एक स्वायत्त संगठन के रूप में काम करती रही है, अब शिक्षा मंत्रालय से सम्बद्ध एक निदेशालय के रूप में पुनर्संगठित कर दिया गया है। माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को

नौकरी में रहते हुए प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करने के लिए परिषद ने प्रशिक्षण कालेजों में ५३ 'विस्तार सेवा विभाग' खोले है। इस वर्ष परिषद ने विज्ञान के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए माध्यमिक स्कूलों में २०० विज्ञान क्लबों का संगठन करने, ६ वर्कशाप स्थापित करने, माध्यमिक शिक्षा के नए आदेशों पर मुख्याध्यापकों, विषय-अध्यापकों और दूसरे अध्यापको के लिए सेमिनारों का संगठन करने और परीक्षा पद्धति मे सुधार करने के लिए एक प्रोजेक्ट प्रारम्भ करने आदि जैसे कार्य किए। परिपद के अधीन एक सुव्यवस्थित परीक्षा विभाग काम कर रहा है जिसमें १४ मूल्याकन अधिकारी है।

स्वैच्छिक शिक्षा संस्थाएं

फरवरी १६५६ तक २४ स्वैच्छिक सस्थाओं को अपने कार्य के विस्तार और पुनर्सगठन के लिए ६,८१,८५५ रु० की स्वीकृति दी गई। साथ ही माध्यमिक शिक्षा मे सम्बन्धित समस्याओं पर अन्वेपण करने के लिए २४ संस्थाओं को १,५७,४१२ रु० का अनुदान दिया गया।

केन्द्रीय अंग्रेजी संस्थान, हैदराबाद

१७ नवम्बर, १६५८ से एक स्वायत्त शासक मण्डल के नियन्त्रण और निरीक्षण में हैदराबाद मे एक केन्द्रीय अंग्रेज़ी सस्थान स्थापित कर दिया गया है, जिसका काम देश मे अंग्रेजी के अध्यापन के स्तर में सुधार करना है।

गांधी जी के उपदेश

प्राथमिक, माध्यमिक और विश्वविद्यालयो के स्तर के लिए महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गांधी जी के योगदान के बारे में वर्तमान साहित्य में से एक-एक पुस्तक चुनने के लिए सर्वेक्षण किया गया। राज्य सरकारो से यह भी कहा गया कि वे अपने अधीन सभी स्कूलों से प्रति वर्ष यथोचित रीति से गांधी सप्ताह मनाने को कहें।

केन्द्रीय ब्यूरो

इस वर्ष केन्द्रीय ब्यूरो ने विश्लेषणपत्रो और सारिणियों में टिप्पणियां देने और विज्ञान तथा इतिहास में तथ्य सामग्री की व्याख्या करने का काम पूरा कर लिया। साथ ही प्राथमिक और मिडिल स्तर के लिए अंग्रेजी, हिन्दी, गणित, सामाजिक विद्याओं और विज्ञान के वर्तमान बुनियादी और गैर-बुनियादी पाठ्यक्रमों को मिला कर एक नया पाठ्यक्रम तैयार किया गया।

उच्च शिक्षा

बनारस विश्वविद्यालय अधिनियम

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति की रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्र-पति ने १९५८ में बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश का प्रख्यापन किया। बाद में यह अध्यादश संसद के एक अधिनियम द्वारा निरसित कर दिया गया। जाच समिति की सिफारिशों की स्वीकृति तक अन्तरिम रूप से विश्वविद्यालय के प्रशासन में कुछ सुधार किए गए।

३–वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम

१९५८-५९ में दिल्ली और जादवपुर विश्वविद्यालयों के अलावा, १८ विश्वविद्यालयों ने इस वर्ष ३–वर्षीय डिग्री कोर्स चालू करने का निश्चय किया।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

आलोच्य वर्ष में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने विभिन्न कार्य जारी रखे तथा विश्वविद्यालय शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई योजनाएं प्रारम्भ कीं।

केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण

इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने विभिन्न विश्वविद्यालयो तथा दिल्ली विश्व-विद्यालयों से सम्बद्ध कालेजों को छात्रावास बनाने के लिए १३,७२,९०० रु० के ऋण की स्वीकृति दी।

सायंकालीन कालेज

इस वर्ष उच्च शिक्षा के क्षेत्र मे एक महत्वपूर्ण बात यह हुई कि दिल्ली में दिल्ली विश्वविद्यालय से सम्बद्ध चार सायंकालीन कालेज प्रारम्भ करने का निश्चय किया गया।

गृह-विज्ञान शिक्षा और अनुसन्धान

भारत में गृह-विज्ञान शिक्षा और अनुसन्धान को बढ़ावा देने के लिए २९ अप्रैल, १९५८ को भारत सरकार और अमेरिका के मध्य एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। इसके अनुसार अगले तीन वर्षो में अमेरिका में १६ भारतीय अध्यापकों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दी जाएंगी, भारत को ९ अमेरिकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त होंगी और ८०,००० डालर की पुस्तकें और अन्य

सामान प्राप्त होगा। इस करार के अन्तर्गत तीन अमेरिकी विशेषज्ञ अक्तूबर १९५८ में भारत आए।

ग्राम अपरेंटिस कार्यक्रम

१९५६-५७ में फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से प्रारम्भ किया गया ग्राम अपरेंटिसों के प्रशिक्षण का कार्यक्रम ३१ मार्च, १९५९ को समाप्त हो गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ४,८०० विद्यार्थियों और अध्यापकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। इनमें से २,५०० ने १९५८-५९ में प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस कार्यक्रम ने विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियो व अध्यापकों में समाज सेवा तथा ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं को उचित रूप से समझने की भावना उत्पन्न की।

शिक्षा विनिमय कार्यक्रम

२ फरवरी, १९५० के भारत-अमेरिकी करार के अधीन भारत में अमेरिकी शिक्षा फाउंडेशन द्वारा प्रारम्भ किए गए १९५८-५९ के विनिमय कार्यक्रम के अन्तर्गत ९ विश्वविद्यालय प्रोफेसर और अनुसन्धानकर्ता, १५ स्कूल अध्यापक तथा ७७ विद्यार्थी अमेरिका गए। अमेरिका से २३ विश्वविद्यालय प्रोफेसर और अनुसन्धानकर्ता, २ स्कूल अध्यापक और १६ विद्यार्थी भारत आए।

ग्राम उच्च शिक्षा

१९५६-५७ में उच्च शिक्षा के लिए स्थापित किए गए १० ग्राम संस्थानों मे भी प्रगति जारी रही। इनमें से कुछ संस्थानों ने तो इस वर्ष कुछ और ऐच्छिक विषय भी आरम्भ किए।

ग्राम्य संस्थानों द्वारा दिए जाने वाले ३–वर्षीय डिप्लोमा को भारत सरकार ने शुरू के पांच वर्ष के लिए मान्यता दी। इस डिप्लोमा को विश्व-विद्यालयों द्वारा मान्यता दिए जाने के प्रश्न पर अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड विचार कर रहा है।

एक नए समझौते के अनुसार अमेरिका का तकनीकी सहयोग मिशन खोज तथा विस्तार कार्यों के लिए भारत के ग्राम्य संस्थानों को २५,००० डालर का साज-सामान देगा। इसके अलावा, इन संस्थानों से २३ अध्यापक अमरिका में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाएंगे। ग्राम्य उच्च शिक्षा पर एक विशेषज्ञ की सेवाएं भी प्राप्त की जा रही हैं।

महिला शिक्षा

१९५७-५८ में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को अध्यापिकाओं को छात्रवृत्तियां देने, बिना किराए के क्वार्टर बनाने आदि के लिए ४८,७४,९७१ रु० स्वीकार किया था। स्त्रियों और लड़कियों की शिक्षा की समस्याओं पर विचार करने के लिए १९५८ में भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति ने जनवरी १९५९ में अपना प्रतिवेदन दे दिया जो विचाराधीन है ।

समाज शिक्षा

राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र

समाज शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य मई १९५६ में राष्ट्रीय आधारभूत शिक्षा केन्द्र की स्थापना था। इस वर्ष इस केन्द्र ने जिला समाज शिक्षा संगठनकर्ताओं के प्रशिक्षण का कार्य प्रारम्भ किया।

दिसम्बर १९५८ तक यूनेस्को से ८,८५० डालर मूल्य का सामान प्राप्त हुआ। इसके साथ ही दो विशेषज्ञों की सेवाएं भी प्राप्त हुई जिनमें से एक का क्षेत्र खोजबीन करना होगा और दूसरे का दृश्य-श्रव्य शिक्षा में सहायता करना। तकनीकी सहयोग मिशन ने भी प्रौढ़ शिक्षा के लिए एक विशेषज्ञ की सेवाओं के अलावा सामान, पुस्तकों और फिल्मों के रूप में सहायता प्रदान की।

श्रमिकों की शिक्षा

इस वर्ष यह तय किया गया कि इन्दौर में श्रमिकों की शिक्षा के लिए एक संस्थान की स्थापना की जाए। इस संस्थान का मुख्य कार्य सामान्य ज्ञान द्वारा श्रमिकों में ज्ञान की पिपासा उत्पन्न करना, सामाजिक और नागरिक उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करना तथा उनके दृष्टिकोण को विशाल बनाना है। इस वर्ष इस योजना की प्रारम्भिक कार्यवाही पूरी कर ली गई है और आशा है कि यह संस्थान शीघ्र ही प्रारम्भ हो जाएगा।

साहित्य प्रकाशन

समाज शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं पर प्रकाशित साहित्य के अलावा, इस वर्ष 'ज्ञान सरोवर' का द्वितीय भाग भी प्रकाशित किया गया। यह पुस्तक हिन्दी का विश्व-कोष है जिसमें विभिन्न विषयों पर रोचक सामग्री प्रस्तुत की गई है। इसके तीसरे भाग का संकलन भी लगभग पूरा हो गया है

और चौथे भाग का काम हाथ में ले लिया गया है। यूनेस्को द्वारा नव-साक्षरों के लिए उत्तम पुस्तकों के लेखकों को ४८० डालर (लगभग २,२०० रु०) के १० पारितोषिक वितरण करने की योजना को अंतिम रूप दिया गया।

राष्ट्रीय पुस्तक न्यास

सस्ते दामों पर लोगों को अच्छा साहित्य सुलभ कराने के लिए अगस्त १९५७ में राष्ट्रीय पुस्तक न्यास की स्थापना की गई। इस वर्ष फरवरी १९५९ तक सरकार ने न्यास के लिए ७५,००० रु० के अनुदान की स्वीकृति दी।

अशक्तों की शिक्षा

अशक्तों की शिक्षा के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य देहरादून में अंध विद्यालय की स्थापना है। इसके किंडरगार्टन और प्रारम्भिक विभागों का उद्घाटन ४ जनवरी, १९५९ को किया गया। इस वर्ष बम्बई में अशक्तों के बारे में एक नमूने का सर्वे किया गया जिसका प्रतिवेदन प्रकाशित हो चुका है। इसी प्रकार का एक सर्वे दिल्ली में किया जा रहा है। इस वर्ष राष्ट्रीय रोज़गार सेवा के एक भाग के रूप में बम्बई में अशक्तों का एक प्रायोगिक रोज़गार कार्यालय प्रारम्भ किया गया।

समाज कल्याण

१९५८-५९ में केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड ने ५० नए समाज कल्याण विस्तार खण्ड स्थापित किए। इस प्रकार अब इन खण्डों की संख्या ५३२ हो गई है। फरवरी १९५९ तक बोर्ड ने ५२५ स्वैच्छिक संस्थाओं को १५,५८,०६५ रु० का अनुदान दिया।

छात्रवृत्ति योजनाएं

भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष ४३ भारतीय छात्र विदेशों में और ५६३ विदेशी छात्र भारत में अध्ययन कर रहे थे। विदेशी संस्थाओं और सरकारों द्वारा दी गई छात्रवृत्तियों से विदेशों में पढ़ने वाले भारतीय विद्यार्थियों की संख्या इस वर्ष ८३ थी और विदेशी सहायता से भारत में पढ़ने वाले विदेशियों की संख्या १० थी। आलोच्य वर्ष में राजनीतिक

पीड़ितों के बच्चों को छात्रवृत्तियां तथा शिक्षा की अन्य सुविधाएं देने की एक योजना प्रारम्भ की गई ।

शारीरिक शिक्षा

श्रम और समाज सेवा योजनाएं

श्रम और समाज सेवा योजनाओं के अन्तर्गत इस वर्ष १,७६२ शिविर लगाए गए। इनके लिए सरकार ने ३२,७८,००० रुपये की स्वीकृति दी। इसके अतिरिक्त १७ विश्वविद्यालयों, १३ राज्य सरकारों और २ केन्द्रीय प्रशासनो को केन्द्रीय सरकार ने १२७ मनोरंजनघर और श्रवणघर, १८ स्टेडियम, १७ तैरने के तालाब, १३ खुले थियेटर, ८ पैविलियन और ३ सिण्डर ट्रैक बनाने के लिए १४,७६,००० रु० की स्वीकृति दी ।

शारीरिक शिक्षा और खेलकूद

इस वर्ष शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता आन्दोलन, तथा व्यायामशालाओं, अखाड़ों और योग सम्बन्धी संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता उल्लेखनीय है। इस वर्ष यह भी निश्चय किया गया कि राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेण्ट में जिन विश्वविद्यालयों मे अधिक से अधिक खिलाड़ी आएं, उन्हे एक रनिंग ट्राफी दी जाए। एशियाई और ओलम्पिक खेलों में भारतीय टीमों के गिरते हुए स्तर की जांच करने के लिए एक समिति भी नियुक्त की गई।

आलोच्य वर्ष में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए ८,७५,५८१ रु० की तथा भारत स्काउट और गाइड्स संस्था को २,१८,६४८ रु० की वित्तीय सहायता दी गई ।

युवक कल्याण

अप्रैल १९५८ से फरवरी १९५९ तक विद्यार्थियों द्वारा की जाने वाली यात्राओं को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने ७,३३,००० रु० का अनुदान दिया। युवक नेताओं के प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना और अन्तर्विश्वविद्यालय युवक समारोहों के आयोजन के अलावा, चार अन्तर्विद्यालय युवक समारोहों, युवक छात्रावासों और युवक कल्याण मण्डलों तथा समितियों के लिए भी वित्तीय सहायता दी गई। इस वर्ष विद्यार्थियों के रहन-सहन की स्थिति के बारे में एक प्रायोगिक सर्वे भी किया गया ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

शिक्षा मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत २१० विद्यालय और सस्थान आते है। इस योजना पर ३१ दिसम्बर, १९५८ तक ५,००,००० रु० व्यय किया गया।

हिन्दी और संस्कृत का विकास

हिन्दी के विकास के लिए राज्य सरकारो और संघीय क्षेत्रों को १,०४,८११ रु० का तथा स्वैच्छिक संस्थाओं को १,०६,८०० रु० का अनुदान दिया गया। इसके अलावा, विभिन्न अहिन्दी राज्यों और संघीय क्षेत्रों को १,७३,००० रु० की कीमत के छत्तीस-छत्तीस पुस्तकों के लगभग ११,००० सेट वितरण करने के लिए भेट किए गए।

हिन्दी के विश्वकोष के निर्माण का कार्य इस वर्ष भी जारी रहा। इसके पांचवें खंड की पाण्डुलिपि तैयार कर ली गई है।

इस वर्ष वैज्ञानिक शब्दावली बोर्ड के अन्तर्गत विभिन्न विषयो पर २३ विशेपज्ञ समितियों की बैठके हुईं। फरवरी १९५९ तक हिन्दी में १,४७,००० तकनीकी शब्द तैयार किए गए जिनमे से भारत सरकार ने ३३,६०० शब्दों को अपनी स्वीकृति दे दी है। इसी बोर्ड के अन्तर्गत वैज्ञानिक शब्दो का शब्दकोप बनाने के लिए एक शब्दकोष विभाग की स्थापना कर दी गई है।

संस्कृत आयोग की सिफारिशों के अनुसार संस्कृत के पुनरुत्थान के लिए स्वैच्छिक संस्थाओं को अनुदान देने की एक योजना आरम्भ की गई। इस दिशा में सरकार को सलाह देने के लिए एक केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड की स्थापना भी विचाराधीन है।

यूनेस्को

शिक्षा, विज्ञान और संस्कृत के क्षेत्र में यूनेस्को के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ सहयोग करने के लिए स्थापित किए गए भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने इस वर्ष भी अपना कार्य जारी रखा।

यूनेस्को की सहायता से जोधपुर में एक केन्द्रीय बंजर भूमि अन्वेषण संस्थान की स्थापना की गई। सांस्कृतिक क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण प्रायोजना 'पूर्वी और पश्चिमी सांस्कृतिक महत्वों की परस्पर गुणग्राहिता सम्बन्धी प्रमुख प्रायोजना' थी। आयोग ने जिन अन्य प्रायोजनाओं में अधिक दिलचस्पी

से भाग लिया, वे थे प्राचीन पुस्तकों का अनुवाद, विश्वविद्यालयों में प्रादेशिक संस्कृति के अध्ययन के लिए अनुदान, शिक्षा नेताओं की अध्ययन यात्राओं की योजना, और अमरिका तथा भारतीय नागरिकों के मध्य सद्भावनाओं की स्थापना। १९५८ में भारत सरकार ने अपने अंशदान के रूप में यूनेस्को को १३,९६,७२१ रुपए दिए।

भारत का राष्ट्रीय अभिलेख विभाग

विभिन्न माध्यमों से सामग्री प्राप्त करने के अलावा, राष्ट्रीय अभिलेख विभाग ने इस वर्ष महात्मा गांधी के ३३ स्वांकित पत्र, मौलाना अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा के दूसरे भाग की मूल पांडुलिपि और पेशवाओं के भूमि बन्दोबस्त से सम्बन्धित एलफिन्स्टन के विवरण की एक पाण्डुलिपि प्राप्त की। इसके अलावा, १७वी और १८वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास के कुछ पहलुओं से सम्बन्धित फ्रेंच प्रलेखों की माइक्रोफिल्म की एक रील, न्यूयार्क पब्लिक लाइब्रेरी से स्वर्गीय लाला लाजपतराय के कार्य और जीवन से सम्बन्धित एक माइक्रोफिल्म तथा जनता से १४२ फारसी प्रलेख और पाण्डुलिपियां भी प्राप्त की गई।

१८. वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय

पूर्ववर्ती शिक्षा मंत्रालय के दो विभागों में विभाजित हो जाने पर १० अप्रैल, १९५८ को वैज्ञानिक अनुसन्धान और संस्कृति मंत्रालय ने अपना कार्य प्रारम्भ किया। इसके अन्तर्गत वे सब कार्य हैं जो पहले वैज्ञानिक अनुसन्धान और तकनीकी शिक्षा विभाग, संस्कृति विभाग, विदेशी सम्बन्ध विभाग, गज़ेटियर यूनिट, कापी राइट यूनिट, स्वाधीनता आन्दोलन का इतिहास यूनिट और वैज्ञानिक, तकनीकी तथा सास्कृतिक विषयों की छात्रवृत्तियों से सम्बन्धित थे।

तकनीकी शिक्षा

तकनीकी सहायता

इस वर्ष तकनीकी सहयोग मिशन, यूनेस्को, कोलम्बो योजना आदि के विभिन्न कार्य-क्रमों के अन्तर्गत भारतीय संस्थानों के लिए तकनीकी सहायता प्राप्त हुई। ३० जून, १९५८ तक इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ६८,५४,५२३ रुपये का सामान प्राप्त हुआ था। इसके अतिरिक्त, ७७ विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त हुईं और ८८ व्यक्तियों को प्रशिक्षण की सुविधाएं दी गई।

इस वर्ष तकनीकी शिक्षा का विकास जारी रहा। दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कुछ नई योजनाओं के अनुसार डिग्री कोर्स के लिए १३,००० और डिप्लोमा कोर्स के लिए २५,००० विद्यार्थियों को शिक्षा देने का आयोजन किया गया है। १९५८-५९ तक विभिन्न इंजीनियरी और तकनीकी संस्थाओं के विकास के लिए १,३६,२०,००० रुपये का अनुदान दिए जाने की सम्भावना थी। आलोच्य वर्ष में तकनीकी शिक्षा की सभी योजनाओ पर लगभग २ करोड़ ९३ लाख रुपये के अनुदान स्वीकृत किए जाने की उम्मीद है। इसमें राज्य सरकार की वे योजनाएं भी शामिल हैं जिनके लिए केन्द्रीय सहायता देने का वादा किया गया था।

तकनीकी संस्थानों के विस्तार की योजना के अमल में आ जाने से १९५८-५९ में डिग्री और डिप्लोमा कोर्सों के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या क्रमशः २,३७८ और ३,९७४ रही, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या क्रमशः २,०९६ व ३,३९९ थी। अपनी मुक्तद्वार नीति के अनुसार केन्द्रीय सरकार ने डिग्री और डिप्लोमा कोर्सो के लिए संस्थान स्थापित करने में प्राइवेट संस्थानों को काफी बढ़ावा तथा सहायता दी। विभिन्न राज्यों की योजनाओं से सम्बद्ध ८ इंजीनियरिंग कालेजों में से जोरहाट को छोड़ कर बाकी सभी जगह कालेज खोले जा चुके हैं।

छात्रावासों का निर्माण

तकनीकी संस्थानों के विद्यार्थियों को आवास की सुविधाएं प्रदान करने के लिए केन्द्रीय सरकार १९४६ से बिना ब्याज का ऋण देती आ रही है। १९५८-५९ तक १ करोड़ ६ लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति दी जा चुकी है। इस ऋण की सहायता से, आशा है, तत्सम्बन्धित संस्थान ३,५०० और विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों का निर्माण करा सकेंगे।

फोरमैन और सुपरवाइजरों का प्रशिक्षण

इस वर्ष केन्द्रीय सरकार ने कलकत्ता और मद्रास में मेकैनिकल इंजीनियरिंग के 'नेशनल सर्टिफिकेट स्टैण्डर्ड' की ४ वर्ष की शिक्षा के लिए दो संस्थान स्थापित करने की स्वीकृति दी। इन संस्थानों पर व्यय होने वाले अनावर्तक और आवर्तक खर्चे का क्रमशः ६६$\frac{२}{३}$ प्रतिशत और ५० प्रतिशत भाग केन्द्रीय सरकार देगी। केन्द्रीय सरकार छात्रावासों के निर्माण के लिए भी ऋण देगी।

अनुसन्धान, छात्रवृत्तियां और फेलोशिप

इस वर्ष ४० राष्ट्रीय अनुसन्धान फेलोशिप और स्वीकार की गई। इस प्रकार फेलोशिप की कुल संख्या ८० हो गई जो कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना

का लक्ष्य है। आलोच्य वर्ष में अनुसन्धान प्रशिक्षण छात्रवृत्तियों की संख्या बढ़ा कर ८०० कर देने का विचार है जो कि दूसरी योजना का लक्ष्य है।

अध्यापकों का प्रशिक्षण

इस वर्ष तकनीकी संस्थानों के अध्यापकों को प्रशिक्षित करने की योजना को और अधिक विस्तृत स्वरूप दिया गया। इस विस्तृत योजना के अन्तर्गत योजनाकाल में ५०० सीनियर और २०० जूनियर फेलोशिप दिए जाने का विचार है। निश्चय यह किया गया है कि प्रारम्भ में इस वर्ष ७५ सीनियर और ५० जूनियर फेलोशिप दी जाएं।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ साइंस, बंगलोर

मई १९५८ में भारत सरकार ने उपर्युक्त संस्थान को विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया। संस्थान में प्राप्त विशाल सुविधाओं का लाभ उठाने की दृष्टि से ८० प्रतिशत अनुसंधान विद्यार्थियों को और ६० प्रतिशत स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने का प्रबन्ध किया गया।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी, बम्बई

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी, बम्बई ने, जो देश में उच्च तकनीकी संस्थानों की कड़ी में दूसरी है, जुलाई १९५८ से पूर्व-स्नातक व स्नातकोत्तर कोर्सों के लिए विद्यार्थियों को भर्ती करना शुरू कर दिया। अब तक रूस सरकार ने इस संस्थान को ३० लाख रुपये का सामान दिया है और ७० लाख रुपये के सामान के लिए आदेश दिया जा चुका है। १२ दिसम्बर, १९५८ को भारत सरकार और रूस सरकार के बीच एक समझौता हुआ, जिसके अनुसार रूस सरकार इस संस्थान को ३० लाख रूबल का साज-सामान देगी।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी, मद्रास

यह संस्थान भारत के उच्च तकनीकी संस्थानों में तीसरी संस्था है। यह संस्थान १,५०० पूर्व-स्नातक और ५०० स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को इंजीनियरिंग और तकनीकी सुविधाएं देगा। इस वर्ष इस संस्थान की आयोजना बनाने के लिए एक आयोजन समिति काम कर रही है। इसी बीच, भारत सरकार ने पश्चिम जर्मनी सरकार से तकनीकी सहायता के बारे में एक समझौता किया है।

इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलाजी, कानपुर

सरकारी समिति ने जिन ४ संस्थाओं के लिए सिफारिश की थी, इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी उनमें से एक है इसके लिए २ करोड़ रुपये की

व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना के सम्बन्ध में एक आयोजन समिति विस्तृत योजना तैयार कर रही है।

वैज्ञानिक अनुसन्धान और सर्वेक्षण

विभिन्न अनुसन्धान संस्थाओं, प्रयोगशालाओं और वैज्ञानिक संस्थाओं में विकास का कार्य इस वर्ष भी जारी रहा। सेंट्रल ग्लास एण्ड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट, कलकत्ता, ने चश्मे के शीशों के निर्माण के एक नए तरीके का विकास किया। जीलगोरा स्थित सेंट्रल फुएल रिसर्च इन्स्टीट्यूट ने खराब किस्म के कोयले के इस्तेमाल का एक नया तरीका निकाला। आलोच्य वर्ष में कुछ प्रमुख वैज्ञानिकों को अनुसन्धान सम्बन्धी विशेष कार्यों के निमित्त विदेश जाने के लिए आर्थिक सहायता भी दी गई। ३० नवम्बर, १९५८ को कलकत्ता में जगदीश चन्द्र बोस शताब्दी मनाई गई। जुलाई १९५८ में वैज्ञानिक नीति सम्बन्धी प्रस्ताव को लागू करने के बारे में विचार करने के लिए वैज्ञानिकों और शिक्षा शास्त्रियों का एक सम्मेलन किया गया। इस सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार वैज्ञानिक पेशों में काम करने वाले लोगों के वेतन में वृद्धि करने आदि के बारे में एक योजना लागू की गई। यह भी निश्चित किया गया कि योग्य भारतीय वैज्ञानिकों को उचित पदों पर रखने के लिए एक अखिल भारतीय समुच्चय (पूल) बनाया जाएगा।

राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रोफेसर

प्रोफेसर सी० वी० रमण (जो भौतिक विज्ञान के राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रोफेसर हैं) के अलावा, इस वर्ष राष्ट्रीय अनुसन्धान प्रोफेसरों के दो पद और बनाए गए जिनके लिए प्रोफेसर एस० एन० बोस और डा० के० एस० कृष्णन को चुना गया है।

राष्ट्रीय अनुसन्धान विकास निगम

इस निगम का मुख्य काम अनुसन्धान सस्थाओं तथा व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले अनुसन्धानों के कारण जो पेटेंट या खोजें सामने आती हैं, उनके विकास को बढावा देना है। यह विकास उद्योगों के सहयोग से बड़े पैमाने पर आज़माइश करके, प्रयोगशालाओं में होने वाली प्रायोगिक संयन्त्र पड़ताल के लिए वित्तीय सहायता देकर या उद्योगपतियों को बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए खोजो और पेटेंटों के लाइसेंस दे कर किया जाता है।

अप्रैल १९५८ से नवम्बर १९५८ तक २५ नई खोजों की सूचना मिली थी। इस प्रकार इन खोजों की सूचनाओं की संख्या ४७२ तक पहुंच गई है।

इसके अलावा, कुछ नए तरीकों के व्यापारिक विकास के लिए १७ लाइसेंस समझौते किए गए।

राष्ट्रीय एटलस संघटन

इस वर्ष भौतिक, राजनीतिक और जनसंख्या सम्बन्धी नक्शे बनाने के लिए सामग्री इकट्ठी की गई। जनसंख्या का नक्शा अपने तरीके का एक अनोखा नक्शा होगा, जिसमे भारत के प्रत्येक गांव की जनसंख्या दिखाई जाएगी।

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

आलोच्य वर्ष में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बगाल में बाढ़-नियंत्रण सर्वे किया। राजस्थान मे जस्ते और सीसे का सर्वे किया गया और दिल्ली में विकास सर्वे हुआ। अक्तूबर-नवम्बर, १९५८ मे एशिया और सुदूर-पूर्व के लिए टोकियो में होने वाले द्वितीय संयुक्त राष्ट्र प्रादेशिक कार्टोग्राफिक सम्मेलन मे भाग लेने के लिए एक प्रतिनिधि मण्डल भेजा गया।

भारत का वनस्पति सर्वेक्षण विभाग

आलोच्य वर्ष में ७,०८३ पौधों के नमूनों की पहचान की गई, अनुसन्धान के लिए विभिन्न जड़ीघरों (हर्बेरिया) को २,७१३ नमूने उधार दिए गए, ४७३ नए पौधे इकट्ठे किए गए, २०७ शीटें विनिमय के आधार पर प्राप्त की गई और पौधों के लगभग २०० नमूनों के नामों का संशोधन किया गया। इसके अलावा, पश्चिम क्षेत्र के जडीघर में पौधों के लगभग २ लाख नमूने और रखे गए। इस वर्ष असम, नेफा और नैपाल-हिमालय मे भी ४,१२७ पौधों के नमूने इकट्ठे किए गए। साथ ही उत्तर प्रदेश में कांगड़ा, जम्मू और कश्मीर तथा गढ़वाल मे पौधे सम्बन्धी खोज करने के लिए वन-यात्राओं का प्रबन्ध किया गया।

सांस्कृतिक गतिविधियां

इस वर्ष अनेक सांस्कृतिक और साहित्यिक संस्थाओं को देने के लिए ५,५४,५६० रुपये के अनुदान स्वीकृत किए गए। साथ ही साहित्य और कला मे प्रसिद्धि प्राप्त लगभग २०९ व्यक्तियों को, जिनकी स्थिति आजकल अच्छी नहीं है, वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

आधुनिक भारतीय भाषाएं

आधुनिक भारतीय भाषाओं के विकास के लिए एक योजना बनाई जा रही है। अन्य कार्यों के अलावा, इस योजना के अन्तर्गत विश्वकोषों, ज्ञान पुस्तकों, द्विभाषी अथवा कई भाषाओं के शब्दकोषों, पुरानी पाण्डुलिपियों या दुर्लभ पुस्तकों, सूची-पत्रों और ग्रन्थ-सूचियों, अंग्रेजी–भारतीय भाषाओं के शब्द-कोषों तथा विज्ञान और संस्कृति पर लोकप्रिय पुस्तकों का प्रकाशन किया जाएगा। अंग्रेजी में एक विश्वकोष तैयार करने का विचार किया जा रहा है जिसका अन्य भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा। भारत का इतिहास लिखने का भी विचार किया जा रहा है। इस वर्ष इस योजना को कार्यान्वित करने के लिए २ लाख ३२ हजार रुपये की व्यवस्था की गई है, जिसमे से ७५,४०० रुपये ३१ जनवरी, १९५९ तक दिए जा चुके थे।

संग्रहालय

इस वर्ष हैदराबाद का सालारजंग संग्रहालय एक राष्ट्रीय संग्रहालय मे परिवर्तित कर दिया गया। राष्ट्रीय संग्रहालय मे प्रदर्शनीय वस्तुओं को सजाने के लिए भारत सरकार ने एक अमरीकी विशेषज्ञ, डा० लोथर विट्टे बोर्ग, की सेवाएं प्राप्त कर ली हैं। आशा है कि इस संग्रहालय की इमारत ३० जून, १९५९ तक पूरी हो जाएगी।

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास

स्वतन्त्रता आन्दोलन का इतिहास लिखने का कार्य डा० ताराचन्द के सुपुर्द किया गया है। प्रस्तावित पुस्तक के तीन खंडों में से प्रथम खंड इस वर्ष प्रकाशित होने की आशा है।

टैगोर जन्म-शताब्दी समारोह

मई १९६१ में कवि रवीन्द्रनाथ टैगोर की जन्म-तिथि को उचित ढंग से मनाने के लिए साहित्य अकादेमी ने टैगोर जन्म-शताब्दी समिति की स्थापना की है। साहित्य अकादेमी टैगोर साहित्य को ८ खंडों मे प्रकाशित करने का कार्य पहले ही अपने हाथ मे ले चुकी है।

पुरातत्व

आलोच्य वर्ष मे बहुत-से उत्कीर्ण लेखों का परीक्षण और कितने ही मन्दिरों का सर्वेक्षण किया गया। उड़ीसा में रत्नगिरी, बम्बई में लोथल और

मेरठ के पास उखलीना में खुदाई के काम को बढ़ाने का प्रबन्ध किया गया है। नागार्जुनकोण्डा में भी खुदाई के कार्य मे प्रगति जारी रही।

राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची

भारतीय राष्ट्रीय ग्रन्थ सूची का प्रथम अंक १५ अगस्त, १९५८ को प्रकाशित हो गया जो अक्तूबर १९५७ से दिसम्बर १९५७ तक की अवधि से सम्बन्धित है। इसका दूसरा अंक भी, जो जनवरी १९५८ से मार्च १९५८ तक की अवधि से सम्बन्धित है. प्रकाशित हो गया है।

वैदेशिक सांस्कृतिक सम्बन्ध

इस वर्ष भारत और अन्य देशों के मध्य अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए इस मंत्रालय के सांस्कृतिक वैदेशिक प्रभाग ने अनेक कार्य किए। संयुक्त अरब गणराज्य के साथ सास्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने की दृष्टि से एक समझौता किया गया तथा ईरान, पोलैण्ड और रूमानिया के साथ पहले किए गए समझौतों का अनुसमर्थन किया गया। विदेशों में स्थित सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ाने का काम करने वाली लगभग २४ संस्थाओं को वित्तीय सहायता भी दी गई।

जापान के हिन्दी तथा संस्कृत के दो विद्यार्थियों को इस वर्ष भारत की मुफ्त यात्रा के रूप में पुरस्कार दिए गए। इसी प्रकार के पुरस्कार रूस, पोलैण्ड, मंगोलिया, चीन और चेकोस्लोवेकिया के ५ भारतीय भाषा सीखने वाले विद्यार्थियों को दिए गए। एक इजराइली छात्र को भी पूना विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति दी गई।

दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय विद्यार्थी-गृह के निर्माण के लिए ३ लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है। इस बीच, दिल्ली और कलकत्ते में किराए के मकानों में अन्तर्राष्ट्रीय छात्रावास बना दिए गए है। आलोच्य वर्ष में रूस, पोलैण्ड, चेकोस्लोवेकिया, युगोस्लाविया, नेपाल और अफगानिस्तान को सास्कृतिक प्रतिनिधि मण्डल भेजे गए तथा अन्य देशों से भी प्रख्यात विद्वान, पत्रकार, विश्वविद्यालय प्रोफेसर, कलाकार, नर्तक और गायकों के प्रतिनिधि मण्डल भारत आए।

वैज्ञानिक, तकनीकी और सांस्कृतिक छात्रवृत्तियां

वैज्ञानिक अनुसन्धान और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए तथा देश में सांस्कृतिक कार्यों को प्रोत्साहित करने के निमित्त इस वर्ष भी

छात्रवृत्तियां दी जाती रही। विदेशी सरकारों और संस्थाओं द्वारा सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी और इंजीनियरी के विषयों पर दी गई छात्रवृत्तियों का भी उपयोग किया गया। साथ ही भारत सरकार ने भी कुछ विदेशियों को छात्र-वृत्तियां दी।

पारस्परिक छात्रवृत्ति योजनाएं

१९५८-५९ में इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न देशों के छात्रों को विज्ञान, तकनीकी शिक्षा और ललित कलाओं के अध्ययन के लिए २० छात्रवृत्तियां दी गई। इसके अलावा, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशो के ८४ विद्यार्थियों ने, जिन्हें छात्रवृत्तियां दी गई थीं, भारत मे विभिन्न संस्थानों में प्रवेश लिया।

केन्द्रीय समुद्र-पार छात्रवृत्ति योजना

इस योजना का उद्देश्य देश में अध्यापन और अनुसन्धान का स्तर ऊचा करना है। इसके अन्तर्गत १९५८-५९ में १७ छात्रवृत्तियां दी गई।

संघीय क्षेत्र समुद्र-पार छात्रवृत्ति योजना

६ संघीय क्षेत्रों के विद्यार्थियों को ५ छात्रवृत्तिया देने की योजना इस वर्ष भी जारी रही। इनमें से दो विद्यार्थी फरवरी १९५९ में बाहर गए।

भारत-जर्मन औद्योगिक सहयोग योजना

इस योजना के अन्तर्गत जर्मनी में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करने के लिए चुने गए २५ विद्यार्थियों में से २३ विदेश जा चुके है। २५ विद्यार्थियों को जर्मनी में बिना फीस दिए पढ़ने की सुविधा दी गई है। १९५६-५७ में इस योजना के अन्तर्गत जर्मन उद्योगों में शिक्षण प्राप्त करने के लिए ८० स्थान प्रस्तावित किए गए थे जिनके लिए ३५ व्यक्तियों का चुनाव किया गया था। इनमें से ३१ जर्मनी जा चुके है और ४ प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस वर्ष बाकी की ४५ छात्रवृत्तियो के लिए भी चुनाव कर लिया गया है।

सांस्कृतिक क्षेत्रों के लिए छात्रवृत्तियां

इस योजना के अन्तर्गत भारत की विभिन्न नृत्य प्रणालियों, नाटक, फिल्म और ललित कलाओं जैसे सांस्कृतिक विषयों के लिए छात्रवृत्तियां दी जाती है। इस वर्ष विभिन्न सांस्कृतिक विषयों के अध्ययन के लिए ४६ व्यक्तियों को चुना गया।

सूचना और प्रशासन

पूर्ववर्ती शिक्षा और अनुसन्धान मंत्रालय के विभाजन के बाद एक ब्यूरो पुस्तकालय की स्थापना की गई। विभागीय प्रकाशनों से सम्बद्ध एक प्रकाशन यूनिट भी प्रारम्भ किया गया है जिसने सांस्कृतिक विषयों पर कई पुस्तिकाएं प्रकाशित की हैं।

आणविक शक्ति

आणविक शक्ति आयोग

१ मार्च, १९५८ को भारत सरकार द्वारा एक नए आणविक शक्ति आयोग की स्थापना की गई जिसने २३ जून, १९५८ से अपना कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

आणविक बिजली कार्यक्रम

१९५७-५८ में भारत में आणविक बिजली के आर्थिक पहलू पर प्रारम्भ किया गया अध्ययन इस वर्ष भी जारी रहा। आणविक शक्ति के शान्तिकालीन उपयोगों को ध्यान में रखते हुए तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक १ लाख किलोवाट क्षमता का एक आणविक बिजली घर बनाने की योजना है। इस कार्यक्रम पर लगभग २५० करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है। २,५०,००० किलोवाट क्षमता के एक आणविक बिजली घर के अविलम्ब निर्माण का भी निश्चय किया गया है।

आणविक शक्ति प्रतिष्ठान, ट्राम्बे

इस वर्ष कनाडा-भारत रिएक्टर के पूर्वी भाग पर किए जाने वाले कार्य में काफी प्रगति हुई। रिएक्टर को रखने के लिए एक बड़ी इमारत के निर्माण का कार्य भी प्रारम्भ किया गया। कुछ अन्य इमारते भी बन कर तैयार हुई।

इस प्रतिष्ठान के लिए वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियो की भर्ती जारी रही। १५२ प्रशिक्षार्थियों में से १४६ को विशेष प्रशिक्षण समाप्त करने के बाद काम पर लिया गया। अगस्त १९५८ मे प्रतिष्ठान के प्रशिक्षण स्कूल मे १७३ नए प्रशिक्षार्थी भर्ती किए गए, जिनमे से दो बर्मा से आए है। इस समय इस प्रतिष्ठान मे वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों की सख्या लगभग ९५० है।

आणविक भट्ठियां

अप्सरा

अप्सरा भारतवर्ष की प्रथम आणविक भट्ठी है। इसमें इस वर्ष २,६१,००० किलोवाट बिजली पैदा करने का कार्य पूरा किया गया। कम समय तक रहने वाले 'आइसोटोपों' के अलावा इस वर्ष रेडियो-फास्फोरस और रेडियो-आयोडीन का भी निर्माण किया गया। साथ ही भौतिक विज्ञान से सम्बन्धित कई अन्य प्रयोगों में भी मनोरंजक परिणाम प्राप्त किए गए।

ज़ीरो आणविक भट्ठी (ज़रलीना)

इस वर्ष इस भट्ठी पर भी सफल कार्य हुआ। इसकी इमारत १९५९ के मध्य तक पूरी हो जाने की सम्भावना है।

कनाडा-भारत आणविक भट्ठी

इस भट्ठी का फौलादी खोल मई १९५८ में बन कर तैयार हो गया। आशा है कई अन्य भाग भी मार्च १९५९ तक बन कर तैयार हो जाएंगे तथा यह भट्ठी मार्च १९६० तक चालू हो जाएगी।

यूरेनियम धातु संयन्त्र

इस वर्ष एक यूरेनियम धातु संयन्त्र बन कर तैयार हो गया है। इस संयन्त्र का उत्पादन ९० करोड़ टन कोयले से पैदा होने वाली शक्ति के बराबर होगा।

ईंधन उत्पादन संयन्त्र

इस संयन्त्र की इमारत इस वर्ष लगभग बन कर तैयार हो गई है। आशा है यह संयन्त्र १९५९ के अन्त तक चालू हो जाएगा।

आणविक खनिज पदार्थ विभाग

इस वर्ष यूरेनियम के भण्डार का पता लगाने तथा उसकी सम्भावनाओं के विकास कार्य में पर्याप्त सफलता मिली। अरावली और सिहभूमि स्थित तांबे की पट्टियों का वैमानिक सर्वेक्षण किया गया। अन्य कई राज्यों में भी यह काम जारी रहा तथा कश्मीर राज्य में पहली बार प्रारम्भ किया गया। आशा है कई राज्यों में यूरेनियम की पट्टियां मिलेंगी।

दक्षिण भारत के कई स्थानों पर मोनेज़ाइट, र्‍यूटाइल, इलमेनाइट और जिरकोन मिश्रित खनिज पदार्थ प्राप्त हुए है। उड़ीसा और छतरपुर में भी काफी मात्रा में खनिज पदार्थों का पता लगा है।

कॉस्मिक किरण प्रयोगशाला

बहुत दिनों से कश्मीर के गुलमर्ग-अफरवात क्षेत्र में एक कॉस्मिक किरण प्रयोगशाला बनाने पर विचार किया जा रहा था। हाल ही में दो जेक इंजीनियरों ने एक रस्मी की पुल बनाने के लिए इस क्षेत्र का मर्वेक्षण किया। उनकी सर्वेक्षण रिपोर्ट पर विचार किया जा रहा है। आशा है कि 'बेस' प्रयोग-शाला १९५९ मे बन कर तैयार हो जाएगी।

१९. सूचना और प्रसारण

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अन्तर्गत अनेक इकाइया हैं जिनके माध्यम मे यह अपना कार्य करता है। प्रचार कार्य करने के अलावा, यह मंत्रालय जन-साधारण को प्रशिक्षित और जानकारी सुलभ करता है। १९५८-५९ मे इस मंत्रालय की विभिन्न इकाइयों की गतिविधियों मे विस्तार हुआ।

आकाशवाणी (आल इंडिया रेडियो)

विस्तार कार्य

१९५८-५९ में कई योजनाएं पूरी हुई और कई अन्य योजनाओं के सम्बन्ध मे कार्य आरम्भ किया। इस वर्ष लखनऊ मे १० किलोवाट शक्ति का एक शार्ट वेव ट्रांसमीटर, कटक में २० किलोवाट शक्ति का एक मीडियम वेव ट्रांसमीटर तथा हैदराबाद और भोपाल में १० किलोवाट शक्ति का एक-एक शार्ट वेव ट्रांसमीटर चालू किया गया। इनसे क्रमशः उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश मे कार्यक्रम सुनने में बड़ी सुविधा होगी। ये सभी ट्रांसमीटर कोलम्बो योजना के अन्तर्गत आस्ट्रेलिया से प्राप्त हुए थे। सितम्बर १९५८ में मद्रास (द्वितीय चरण) और कलकत्ता (प्रथम चरण) केन्द्रो मे बनाए गए स्थायी स्टूडियो से ब्राडकास्ट शुरू हो गए। भोपाल में भी समाचार बुलेटिन तथा दूसरे अखिल भारतीय कार्यक्रमों को ग्रहण और रिले करने के उद्देश्य से एक स्थायी रिसीविंग सेंटर स्थापित किया गया।

इस वर्ष जो और महत्व के कार्य पूरे हुए, उनमें एक तो दिल्ली मे आकाश-वाणी से विदेशों के लिए कार्यक्रमों के प्रसारण हेतु १०० किलोवाट शक्ति के एक शार्ट वेव ट्रांसमीटर तथा समाचार तथा विदेशी श्रोताओ के कार्यक्रम के प्रसा-रण के लिए दो २० किलोवाट शक्ति के शार्ट वेव ट्रांसमीटर की स्थापना उल्लेख-नीय है।

टेलीविजन

दूसरी योजना के अन्तर्गत दिल्ली में एक परीक्षणात्मक टेलीविजन यूनिट स्थापित करने की योजना है, जिसका उद्देश्य जन-सम्पर्क की दृष्टि से इस माध्यम के महत्व का मूल्यांकन करना, कतिपय तकनीकी अनुसंधान करना तथा इस कार्य के लिए आकाशवाणी के कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस परीक्षणात्मक टेलीविजन यूनिट के लिए जिन यन्त्रों आदि की आवश्यकता है उनमे से अधिकांश इस वर्ष प्राप्त हुए, और उनके सम्बन्ध में परीक्षण जारी है।

वाद्य-वृन्द संगीत

आकाशवाणी वाद्य-वृन्द ने इस वर्ष भी परम्परागत रागों, लोक-धुनों और भाव-संगीत के आधार पर संगीत-रचना का कार्य जारी रखा। भाव-सगीत के क्षेत्र में इस वर्ष की दो प्रमुख संगीत रचनाएं है 'ज्योतिर्मय' तथा 'शाकुन्तलम्'। 'ज्योतिर्मय' में भगवान बुद्ध का जीवन अभिव्यंजित है तथा दूसरी रचना का आधार कालिदास का प्रसिद्ध नाटक 'अभिज्ञान शाकुन्तलम्' है। इस वर्ष की एक उल्लेखनीय बात यह रही कि नई वाद्यवृन्द रचनाएं प्रस्तुत करने के लिए अतिथि आमन्त्रित किए गए

विविध भारती

आकाशवाणी के इस पंचरंगी कार्यक्रम को अक्तूबर में पूरा एक साल हो गया। इसी अवसर पर विविध भारती में कर्नाटक संगीत की एक सभा का प्रसारण भी प्रारम्भ किया गया।

संगीत सम्मेलन

यह वार्षिक सम्मेलन १९५८ में २ से ८ नवम्बर तक मनाया गया। इस संगीत सम्मेलन में १७० कलाकारों ने भाग लिया। सब मिला कर हिन्दुस्तानी संगीत की ५ सभाएं तथा कर्नाटक संगीत के २४ कार्यक्रम हुए।

इस वर्ष रेडियो संगीत सम्मेलन के बाद सुगम संगीत की भी अनेक बैठकें हुई। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के सभी स्टेशनों द्वारा विशेष रूप से तैयार की गई रचनाओं के आधार पर प्रस्तुत किए गए। इसके अतिरिक्त, नवोदित कलाकारों के लिए भी एक संगीत प्रतियोगिता हुई। इस वर्ष इसमें १,३०० कलाकारों ने भाग लिया। इनमें २१ बालकों और बालिकाओं को पारितोषिक दिए गए।

भाषित कार्यक्रम

आकाशवाणी से प्रति वर्ष अंग्रेजी और प्रादेशिक भाषाओ में दस हज़ार से अधिक वार्ताएं प्रसारित की जाती हैं। इन वार्ताओं के विषय स्थानीय, प्रादेशिक और राष्ट्रीय महत्व के होते हैं। इसमें 'भविष्य के निर्माता' शीर्षक वार्ताक्रम विशेष उल्लेखनीय है, जिसमें आज के भारतीय युवक को प्राप्त अवसरों का विचारपूर्ण विश्लेषण किया गया। इसी प्रकार 'भारतीय भाषाएं : एक संगति' क्रम में भारत की भाषाओं की आधारभूत एकता की ओर ध्यान दिलाया गया। तीसरे वार्ताक्रम 'इतिहास की चेतावनी' में इतिहास की उन सीखों की चर्चा की गई जो आज की समस्याओ के प्रसंग में महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार 'पटेल स्मारक व्याख्यानमाला' में भारत में 'शिक्षा सम्बन्धी पुनर्निर्माण' विषय पर तीन भाषण हुए। 'लाड स्मारक व्याख्यानमाला' के अन्तर्गत बम्बई केन्द्र से मराठी सन्त-साहित्य के विभिन्न पहलुओं की विवेचना प्रसारित की गई।

आकाशवाणी और पंचवर्षीय योजना

आकाशवाणी के भाषित कार्यक्रमों में पंचवर्षीय योजना के प्रचार-कार्य को भी समुचित महत्व दिया गया। सब मिला कर इस वर्ष योजना के बारे में २,०१७ वार्ताएं, ४८५ संवाद, १९१ भेंट-वार्ताएं, ७९ कविताएं, ३३ परि-सवाद, ५७ नाटक और प्रहसन, ५०६ मनोरंजक कार्यक्रम, और ७६० वाद-विवाद विभिन्न भाषाओं में प्रसारित किए गए।

नाटकों, रूपकों और गेय नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम

आकाशवाणी के सभी केन्द्रों से नाटकों, रूपको और गेय नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इन कार्यक्रयों में 'सामुदायिक विकास' 'हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी', 'कंडला बन्दरगाह', 'चित्तरंजन रेल इंजन कारखाना' आदि विषय उल्लेखनीय हैं। इनके अतिरिक्त, 'कश्मीर—देश और जनता' शीर्षक से कई रूपक प्रसारित किए गए। त्यागराज-कृत 'नौका चरितम्' के अतिरिक्त, इस वर्ष 'रासलीला', 'शिल्पाधिकारम्' और 'गीत शंकरम्' आदि गेय नाटक भी प्रसारित किए गए।

शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रम

इस वर्ष विश्वविद्यालयों के लिए प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की पुनर्व्यवस्था की गई। विश्वविद्यालयों को समूहों में बांट कर क्षेत्रीय इकाइयां बना दी गई है। इन कार्यक्रमों के आयोजन और प्रसारण में आकाशवाणी को

सलाह देने के लिए परामर्श मंडल भी बना दिए गए है, जिनके अध्यक्ष प्रत्येक समूह के विश्वविद्यालयों के उपकुलपति है ।

स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए अब २१ स्टेशनों से कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं । ३१ अगस्त, १९५८ को स्कूल लाइसेंसों की संख्या १०,७४१ थी । इस प्रकार एक वर्ष में १,२६५ सेटों की वृद्धि हुई ।

समाचार प्रसारण (न्यूज़ सर्विस)

इस वर्ष के दौरान उर्दू के बुलेटिन दिल्ली, लखनऊ और इलाहाबाद केन्द्रो से भी रिले किए जाने लगे । हिन्दी समाचार बुलेटिनों में सुधार करने के उद्देश्य से इस वर्ष दो महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं । अब हिन्दी के बुलेटिन एक हिन्दी सम्पादक, समाचार सामग्री से सीधे तैयार करता है । इन बुलेटिनों मे जो शब्द आम तौर पर व्यवहार में आते हैं, उनके हिन्दी पर्यायों का एक शब्दकोष तैयार किया जा रहा है, जो अब पूरा होने ही वाला है ।

रेडियो रखनेवालों की संख्या में वृद्धि

३१ अक्तूबर, १९५८ को देश भर के रेडियो लाइसेंसों की संख्या १४,७६,४८२ थी । यह संख्या पिछले वर्ष से लगभग १,९४,००० अधिक है । प्रति मास औसतन जितने लाइसेंस दिए गए, उनमे भी उत्तरोत्तर वृद्धि हुई । जहां १९५१ मे प्रति मास १२,५०० लाइसेंस दिए जाते थे, वहां १९५६, १९५७ और १९५८ में प्रति मास क्रमशः १६,०००, १९,००० और २२,००० लाइसेंस दिए गए।

१ नवम्बर, १९५८ से लाइसेंसो की एक नई व्यवस्था लागू की गई, जिसके अनुसार अब प्रत्येक सेट के लिए अलग-अलग लाइसेंस लेना जरूरी हो गया है । इससे पहले एक श्रवण स्थान पर एक से अधिक सेटो के लिए एक ही लाइसेंस काफी होता था ।

कम आमदनी वाले लोगों के लिए श्रवण सुविधाएं सुलभ करने की एक योजना नई दिल्ली में सेवानगर में प्रयोग में लाई गई । प्रयोग के रूप में १०० घरों को एक-एक लाउड-स्पीकर दिया गया, जिस पर एक केन्द्रीय रिसीविंग स्टेशन से कार्यक्रम पहुंचता है । इसके अतिरिक्त, इस योजना को लोदी कोलोनी तथा उसके आस-पास के इलाकों मे भी चालू करने का निश्चय किया गया।

सामुदायिक श्रवण योजना

केन्द्रीय सरकार की सामुदायिक श्रवण योजना के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९५८ तक विभिन्न राज्यों और केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों को ३६,६६१ सामुदायिक

रेडियो सेट दिए जा चुके हैं। १९५८-५९ में इसी तरह के १०,८६० और सेट देने की व्यवस्था की गई। इनमें से ६,१७० सेट १५ जनवरी, १९५९ तक प्रदान किए गए।

स्टाफ ट्रेनिंग स्कूल

इंजीनियरिंग ट्रेनिंग स्कूल स्थापित करने के कार्यक्रम को इस वर्ष कार्यान्वित किया गया। यह स्कूल आकाशवाणी में स्थापित किया गया है, जिसका उद्देश्य एक तो नए भरती होने वाले ऐसे कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना है जिन्हें रेडियो इंजीनियरिंग का पर्याप्त व्यावहारिक और सैद्धांतिक ज्ञान नहीं है, तथा दूसरे, इंजीनियरों के लिए रिफ्रेशर कोर्सों की व्यवस्था करना है।

गीत और नाटक विभाग

गीत और नाटक विभाग का कार्य नाटक, नृत्य-नाटक (बैले) और लोक-गीत के माध्यम से पंचवर्षीय योजना का प्रचार करना है। १९५८ में देश के विभिन्न भागों में ६२४ नाटक अभिनय, ७५ कवि-सम्मेलन और लोकनृत्य तथा ४०३ हरिकथा, बड़-कथा, दस-कथिया, कठपुतली नाच, गेय नाटक और कव्वाली आदि के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मई-जून, १९५८ में तृतीय ग्रीष्म नाटक समारोह हुआ। इस अवसर पर प्रसिद्ध व्यवसायी कलाकार मंडलियों तथा शौकिया कलाकारों के दलों ने विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के नाटक और व्यंग्य रूपक प्रस्तुत किए। इस वर्ष गीत और नाटक विभाग का एक और महत्वपूर्ण काम नृत्य-समारोह 'गंगावतरण' का प्रस्तुत करना था, जिसमें पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय प्रयास का सजीव चित्रण हुआ। प्रचार के उद्देश्य से एक नए कठपुतली नाटक 'गगन सवारी' का प्रयोग शुरू किया गया।

चलचित्र विभाग (फिल्म्स डिवीज़न)

जन-साधारण को शिक्षित करने के उद्देश्य से चलचित्र विभाग भारत सरकार की ओर से समाचार-चित्र (न्यूज़ रीलें) और वृत्त चित्र (डाकुमेंटरी फिल्में) बनाने और वितरित करने की व्यवस्था करता है। यह विभाग अधिकांश फिल्म स्वयं बनाता है लेकिन कुछ फिल्में गैर-सरकारी निर्माताओं से भी बनवाई जाती हैं। महत्वपूर्ण और सामयिक बातों के समाचार-चित्र तैयार करने आदि का महत्वपूर्ण कार्य भी इसी विभाग के ज़िम्मे है।

अप्रैल-दिसम्बर, १९५८ की अवधि में इस विभाग ने अपनी टुकड़ियों द्वारा ५६ फिल्में तथा स्वीकृत निर्माताओं द्वारा १३ फिल्में ठेके पर तैयार करवाई। ३१ दिसम्बर, १९५८ को चलचित्र विभाग में ११० फिल्में बन रही थी तथा ३८ फिल्में स्वीकृत निर्माताओं से ठेके पर तैयार करवाई जा रही थी।

चलचित्र विभाग ने १ नवम्बर, १९५८ से गांधी जी पर भी फिल्मे तैयार करने का काम आरम्भ कर दिया है और एक पूरी फिल्म बन रही है।

केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड

अप्रैल-दिसम्बर, १९५८ तक की अवधि में केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड ने २,१२० फिल्मों की जांच की। बोर्ड ने १,४०४ विदेशी फिल्मों को 'यू' प्रमाण-पत्र और १०१ विदेशी फिल्मों को 'ए' प्रमाण-पत्र दिए। ५७ फिल्मों को प्रमाण-पत्र देने से इन्कार कर दिया गया। इनमें से ४० फिल्में विदेशी और १७ भारतीय थीं। बोर्ड ने ९४७ फिल्मों को शिक्षाप्रद फिल्में करार दिया।

बाल फिल्म संस्था

१९५८ में इस संस्था ने 'स्काउट कैम्प' तथा 'हरिया' नामक दो फीचर फिल्में तथा 'गंगा की लहरें' और 'गुलाब का फूल' नामक दो संक्षिप्त फिल्में बनाईं।

इस संस्था ने पंचतन्त्र की कथा पर एक फिल्म तैयार करने और 'यात्रा' पर एक पूरी फिल्म तैयार करने का काम भी हाथ में लिया।

फिल्म समारोह

१९५८ में अनेक अन्तर्राष्ट्रीय फिल्म समारोहों में भारतीय फिल्में भी दिखाई गई। इनमें से पाथेर पांचाली, दो आंखें बारह हाथ, मदर इण्डिया, अपराजित, आपरेशन खेड्डा, स्टार्स मैन हैज़ मेड, तथा बिज़ी हैण्ड्स चित्रों को पुरस्कार मिले।

फिल्मों को राजकीय पुरस्कार

अप्रैल १९५८ में जिन फिल्मों को राजकीय पुरस्कार मिले उनमें ये उल्लेखनीय हैं: दो आंखें बारह हाथ (हिन्दी), आंधारे आलो (बंगाली), मदर इण्डिया (हिन्दी), ए हिमालयन टैपेस्ट्री, मांडू, धरती की झंकार, हम पंछी एक डाल के (हिन्दी) तथा जन्म तिथि (बंगला)।

फिल्म इंस्टीट्यूट

इस वर्ष सरकार ने एक फिल्म इंस्टीट्यूट की स्थापना करने की स्वीकृति दी। आशा है कि यह इंस्टीट्यूट १९५९ में कार्य आरम्भ कर देगा। फिल्म इंस्टीट्यूट फिल्म निर्माण के विभिन्न पहलुओं के सम्बन्ध में प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।

फिल्म निर्यात वृद्धि

इस वर्ष फिल्मों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक फिल्म निर्यात वृद्धि समिति की स्थापना की गई। फिल्म निर्यात को बढ़ावा देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत नई दिल्ली में होने वाली 'भारत १९५८' प्रदर्शनी में एक फिल्म पैविलियन की भी स्थापना की गई।

पत्र सूचना कार्यालय

पत्र सूचना कार्यालय भारतीय और विदेशी अखबारों और पत्रकारों को भारत सरकार की गतिविधियों के बारे में सूचनाएं आदि उपलब्ध करने की व्यवस्था करता है। ये सूचनाएं अंग्रेज़ी और १२ भारतीय भाषाओं में दी जाती हैं। इसके अतिरिक्त, यह कार्यालय सरकार को भी उसकी नीतियों और कार्यों के बारे में समाचार-पत्रों की राय और टीका-टिप्पणियों की जानकारी कराता है।

पत्र सूचना कार्यालय की रक्षा शाखा, रक्षा मंत्रालय और सेनाओं के सम्बन्ध में प्रचार-कार्य के लिए इस कार्यालय के एक अंग के रूप में काम करती है। इसके अतिरिक्त, ९ भाषाओं में 'सैनिक समाचार' का प्रकाशन तथा सेनाओं के लिए रेडियो कार्यक्रम चलाना भी इस शाखा का काम है। कार्यालय की एक टुकड़ी सामुदायिक योजना प्रशासन के लिए जन-सम्पर्क कार्य की देखरेख करती है और अन्य माध्यमों द्वारा उसका जो प्रचार होता है, उसमें मेल मिलाती है। इसी प्रकार कार्यालय की जो टुकड़ियां खाद्य और कृषि मंत्रालय तथा योजना आयोग से सम्बद्ध हैं, वे विभिन्न माध्यमों द्वारा होने वाले उनके प्रचार कार्यों में समन्वय करती हैं। जो टुकड़ी रेल मंत्रालय से सम्बद्ध है, वह 'इंडियन रेलवेज़' नामक पत्र के प्रकाशन की देखरेख भी करती है।

पत्र-संवाददाता

वर्ष के अन्त में दिल्ली में भारतीय और विदेशी पत्रों के १६५ संवाददाताओं को भारत सरकार से मान्यता प्राप्त थी। इनमें ८१ संवाददाता भारतीय समाचार-

पत्रों के, ७३ संवाददाता विदेशी समाचार-पत्रों, समाचार एजेंसियों और फीचर सिंडीकेटों तथा ८ टेलीविज़न ब्राडकास्टिंग संस्थाओं के प्रतिनिधि थे ।

इस वर्ष मलय, पोलैण्ड, स्विट्जरलैंड और दक्षिण वियतनाम के पत्र-प्रतिनिधि भी भारत में काम करने लगे । इसके अतिरिक्त, इस वर्ष १२३ विदेशी पत्रकार भारत आए, जिन्हें सुविधाएं दी गई ।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

इस वर्ष भारत में कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुए । इनमें अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम की बैठकें उल्लेखनीय हैं । ये सम्मेलन पहली बार एक एशियाई देश में हुए और इन सम्मेलनों में पिछड़े देशों को और अधिक आर्थिक सहायता देने पर जोर दिया गया । इन सम्मेलनों के महत्वपूर्ण निश्चयों का काफी प्रचार किया गया ।

भारतीय भाषाओं में सूचनाएं

इस वर्ष जयपुर में एक शाखा कार्यालय खोला गया, जिससे इस कार्यालय द्वारा हिन्दी में सूचनाएं देने के काम में और विस्तार हुआ ।

इस वर्ष दिल्ली की हिन्दी टुकड़ी ने ६,०१५ तथा उर्दू टुकड़ी ने ४,९८५ सूचनाएं समाचार-पत्रों को भेजीं ।

विशेष लेख

इस वर्ष ३२८ विशेष लेख वितरित किए गए । इनमें से १७७ लेख विकास और संस्कृति सम्बन्धी गतिविधियों के बारे में थे । इस वर्ष दो नई लेखमालाएं भी आरम्भ की गईं—(१) 'भारत के जीवन की झांकी' और (२) 'योजना की सफलता आपकी सफलता हैं' ।

सूचना केन्द्र

इस वर्ष बम्बई, नागपुर और राजकोट में ३ नए सूचना केन्द्र खोले गए । एर्नाकुलम और शिलांग में सूचना केन्द्र खोलने की स्वीकृति भी दी गई ।

प्रकाशनीय सामग्री का वितरण

पत्र सूचना कार्यालय ने इस वर्ष राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के ३० अवसरों पर विशेषांक निकालने के लिए समाचार-पत्रों की सहायता की और उन्हें बहुत-से विषयों पर अनेक प्रकार की सामग्री दी, जिनमें सचित्र लेख भी

थे। इस वर्ष ५३५ सरकारी प्रकाशन और नीली पुस्तकें (ब्ल्यू बुक) समाचार-पत्रों की जानकारी और संदर्भ तथा संपादकीय समीक्षा के लिए दी गईं।

प्रकाशन विभाग

प्रकाशन विभाग लोकप्रिय पुस्तिकाओं, पत्रिकाओं, चित्र-संग्रहों आदि के निर्माण, प्रकाशन, वितरण और विक्रय के लिए उत्तरदायी है। इनसे देश तथा विदेश दोनों में सामान्य जनता को भारतवासियों तथा उनकी संस्कृति, सरकार की गतिविधियों, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थानों और देश के विभिन्न विकास कार्यक्रमों की प्रगति के विषय में अधिकृत जानकारी उपलब्ध होती है। ये प्रकाशन अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशित किए जाते हैं।

पत्रिकाएं

प्रकाशन विभाग ने १९५७ में जो २० पत्रिकाएं प्रकाशित कीं, उनमें से 'ए० आई० आर० सेलेक्शन्स' (अंग्रेज़ी) तथा 'प्रसारिका' (हिन्दी) नामक दो त्रैमासिक पत्रिकाओं का प्रकाशन खर्च कम करने की दृष्टि से १९५८ की प्रथम तिमाही से बन्द कर दिया गया। इन दो त्रैमासिक पत्रिकाओं के स्थान पर अंग्रेज़ी तथा हिन्दी में आकाशवाणी की चुनी हुई वार्ताओं के वार्षिक संग्रह प्रकाशित करने का निश्चय किया गया है। पहली तिमाही में तीन नई पत्रिकाओं का प्रकाशन आरम्भ किया गया : 'इंडियन इन्फर्मेशन', 'भारतीय समाचार' तथा 'मेट्रिक मेज़र्स'। प्रथम दो पत्रिकाओं में सरकार की मुख्य गतिविधियों तथा नीति विषयक घोषणाओं का संक्षेप में उल्लेख रहता है जिनमें देश के विकास कार्य भी सम्मिलित रहते हैं। तीसरी पत्रिका में भारतीय माप-तोल के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला जाता है और इसके द्वारा सामान्य जनता को माप-तोल की पुरानी प्रणाली के स्थान पर नई प्रणाली के उपयोग आदि के विषय में विस्तार के साथ समझाया जाता है। इसी तिमाही में इस विभाग ने विदेशी श्रोताओं के लिए अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी, पश्तो, तिब्बती, चीनी तथा बर्मी भाषा में 'इण्डिया कालिंग' शीर्षक से ७ कार्यक्रम-पत्रिकाओं का प्रकाशन भी आरम्भ किया।

जुलाई १९५८ से 'मेट्रिक मेज़र्स' (अंग्रेज़ी) के हिन्दी संस्करण 'मेट्रिक माप-तौल' का प्रकाशन आरम्भ हुआ। दिसम्बर १९५८ से 'इण्डिया कालिंग' शीर्षक कार्यक्रम-पत्रिकाओं में इण्डोनेशियाई भाषा में भी प्रकाशन आरम्भ हुआ। 'ट्रैवलर इन इण्डिया' का (जिसका प्रकाशन पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए

१९५७ में आरम्भ किया गया था) विस्तार किया गया और इसमें वाणिज्यिक विज्ञापन भी दिए जाने लगे।

पुस्तकें तथा पुस्तिकाएं

अप्रैल-दिसम्बर, १९५८ की अवधि में इस विभाग ने विभिन्न भाषाओं में १४३ पुस्तक-पुस्तिकाएं प्रकाशित कीं। इसके अलावा, अन्य १२५ पुस्तिकाएं छपी तथा ८० पुस्तिकाएं तैयार हो रही थी।

इस विभाग द्वारा प्रकाशित निम्न तीन पुस्तकों पर दिसम्बर १९५८ में श्रेष्ठ मुद्रण तथा आकल्पन के लिए राजकीय पुरस्कार प्राप्त हुए—(१) इण्डिया : ए सूविनेर; (२) जवाहरलाल नेहरूज़ स्पीचेज (भाग ३); तथा (३) इण्डिया १९५८ (सन्दर्भ ग्रन्थ)।

सामान्य प्रकाशन

'सम्पूर्ण गांधी वाङमय' पुस्तकमाला का अंग्रेज़ी में प्रथम खण्ड जनवरी १९५८ में प्रकाशित हुआ। अक्तूबर १९५८ में इस खण्ड का हिन्दी संस्करण भी प्रकाशित हो गया। अधिक मांग को देखते हुए प्रथम खण्ड का अंग्रेजी संस्करण पुनर्मुद्रित हुआ। इस पुस्तकमाला का द्वितीय खण्ड अंग्रेज़ी तथा हिन्दी दोनों प्रेस में हैं, तथा तृतीय और चतुर्थ खण्ड तैयार किए जा रहे हैं।

आलोच्य अवधि में प्रकाशित महत्वपूर्ण प्रकाशनों में ये उल्लेखनीय हैं : (१) जवाहरलाल नेहरूज़ स्पीचेज़ (भाग ३); (२) इण्डिया १९५८ (सन्दर्भ ग्रन्थ); (३) न्यूक्लियर एक्सप्लोज़न्स ऐण्ड देयर एफेक्ट्स (परिशोधित संस्करण); (४) मौलाना आज़ाद—ए होमेज; (५) भारत के पक्षी; (६) ए पाकेट कम्पेण्डियम आफ इण्डियन स्टेटिस्टिक्स; तथा (७) दि ग्रेट राइज़िंग आफ १८५७।

योजना सम्बन्धी प्रचार

अप्रैल-दिसम्बर, १९५८ की अवधि में पंचवर्षीय योजना पर अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में ६४ पुस्तिकाएं प्रकाशित हुईं, जिनकी ५,००० से लेकर १,३०,००० तक प्रतियां छापी गई।

'योजना की सिद्धि, आपकी समृद्धि' शीर्षक पुस्तकमाला की पुस्तिकाओं में से दो अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में तैयार की जा रही हैं। ये पुस्तिकाएं जनता को यह अवगत कराने के लिए प्रकाशित की जा रही हैं कि योजना के कार्यान्वित किए जाने से उन्हें क्या-क्या लाभ होंगे।

पर्यटन सम्बन्धी प्रचार

अप्रैल-दिसम्बर, १९५८ की अवधि में मध्य प्रदेश, दिल्ली, कुल्लू तथा कांगड़ा, ग्वालियर, माण्डू तथा अमृतसर सम्बन्धी मार्गदर्शिकाएं प्रकाशित की गईं।

आकाशवाणी के प्रकाशन

आलोच्य अवधि में अंग्रेज़ी, हिन्दी तथा प्रादेशिक भाषाओं में प्रसारित वार्ताओं के जो संकलन प्रकाशित किए गए, उनमें 'यूनिटी ऐण्ड डाइवर्सिटी आफ लाइफ'—लेखक, जे० बी० एस० हाल्डेन; 'बेतार नाटक' (बंगला) तथा 'साहित्य संभव' (मराठी) महत्वपूर्ण है।

नई गतिविधियां

सामुदायिक विकास तथा सहकारिता मंत्रालय की ओर से नवसाक्षरों के लिए बुनियादी तथा सांस्कृतिक महत्व का साहित्य तैयार करने तथा उसके वितरण का काम प्रकाशन विभाग को सौंपा गया है। आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ग्राम पुस्तकालयों को १०० विभिन्न पुस्तकें दी जाएंगी जो हिन्दी तथा क्षेत्रीय भाषाओं में छपेंगी। अनुमान है कि सभी भाषाओं में प्रत्येक पुस्तक की लगभग ६०,००० प्रतियां छापी जाएंगी।

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय भारत सरकार की विज्ञापन और दृश्य प्रचार सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक केन्द्रीय संगठन के रूप में कार्य करता है।

प्रेस विज्ञापन

देश में जीवन के सभी क्षेत्रों के अधिकाधिक व्यक्तियों तक अपनी बात पहुंचाने के उद्देश्य से भारतीय भाषाओं की पत्र-पत्रिकाओं का प्रयोग करने की नीति को भी इस वर्ष कार्यान्वित किया गया। ३१ दिसम्बर, १९५८ तक कुल ७५१ समाचारपत्रों व पत्रिकाओं को विज्ञापन दिए गए। इनमें से ५३६ समाचारपत्र भारतीय भाषाओं के थे। इस संख्या में विशेष सूविनेरों, टेलीफोन डाइरेक्टरियों व वार्षिक पत्रिकाओं को दिए गए विज्ञापन सम्मिलित नहीं हैं जिनकी संख्या लगभग १४० है।

समाचार-पत्रों व पत्रिकाओं में इस वर्ष पंचवर्षीय योजना, माप-तौल की मेट्रिक प्रणाली, अल्प-बचत योजना आदि के सम्बन्ध में सजावटी विज्ञापन

छपवाए गए। इन विज्ञापनों में विभिन्न वर्गों के व्यक्तियों, जैसे किसानों, औद्योगिक श्रमिकों, गृहिणियों को बताया गया है कि वे योजना की सफलता में किस प्रकार हाथ बंटा सकती हैं और इससे उन्हें क्या-क्या लाभ पहुंचेगा।

अप्रैल-दिसम्बर, १९५८ की अवधि में ४३७०सजावटी विज्ञापन दिए गए, जिनकी १०,९९२ आवृत्तियां हुई और जो २,५६,७०३ कालम-इंचों में छपे। इसी अवधि में ३,२९८ विज्ञापन १६,४९५ आवृत्तियों के लिए १५,७०२ प्रकाशनों में दिए गए। इस प्रकार औसतन प्रति सप्ताह लगभग ४०३ प्रकाशनों में ८५ विज्ञापन निकले।

दृश्य प्रचार

दृश्य प्रचार का महत्व और उपयोगिता दिन-दिन बढ़ती जा रही है। अतः प्रचार सामग्री तैयार करने में भी वृद्धि होना स्वाभाविक है। अप्रैल-दिसम्बर, १९५८ की अवधि में १,७४,९०,१०० प्रचार की चीज़ें छपीं या उन्हें तैयार करने का काम हाथ में लिया गया। इस वर्ष राष्ट्रीय स्तर पर जो प्रमुख प्रचार अभियान शुरू किए गए वे दूसरी पंचवर्षीय योजना से सम्बन्ध रखते थे; और इनमें सामुदायिक योजनाएं, माप-तौल की मेट्रिक प्रणाली, अल्प बचत योजना, हथकरघा वस्त्र, हस्तशिल्प की वस्तुएं, परिवार नियोजन, खाद्य और कृषि तथा छुआछूत विरोधी अभियान भी सम्मिलित थे।

बाल दिवस (१४ नवम्बर, १९५८) के अवसर पर एक विशेष पोस्टर छापा गया, जिसमें इस बात को प्रमुखता दी गई कि परिवार नियोजन से परिवार को सुखी बनाया जा सकता है। इसी प्रकार, खाद्य और कृषि मंत्रालय के रबी फसल आन्दोलन के अवसर पर भी विशेष पोस्टर निकाला गया।

इस निदेशालय द्वारा प्रकाशित 'प्रेस्टिज' और 'यूटिलिटी' डायरियां अधिकाधिक लोकप्रिय हुई हैं। १९५८ में ४७,००० 'प्रेस्टिज' डायरियां और १३,००० 'इंगेजमेण्ट' डायरियां छापी गईं।

प्रदर्शनियां

१९५८ में इस निदेशालय के प्रदर्शनी विभाग की गतिविधियों में काफी वृद्धि हुई। इसकी विशेष सफलताओं में 'भारत १९५८' प्रदर्शनी में स्थापित मण्डप 'भारत की झांकी' उल्लेखनीय है। अप्रैल-दिसम्बर, १९५८ में देश के विभिन्न भागों में ६७ प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

पुस्तकों व सजावटी सामग्री की प्रदर्शनी

पुस्तकों और अन्य सजावटी सामग्री के मुद्रण व उत्तम आकल्पन (डिज़ाइनिंग) के चतुर्थ राज-पुरस्कार समारोह में प्रधान मंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू

ने १९ दिसम्बर को पुरस्कार बांटे। १९५८ में पुरस्कार की २ श्रेणियां और बढ़ा दी गई थीं। ये श्रेणियां डिब्बा बन्दी करने और दुकानों में लगाने व सजाने के इश्तहारी चित्रों की हैं। इस प्रकार कुल २५ श्रेणियों पर पुरस्कार बांटे गए। इस निदेशालय ने भी कुछ पुरस्कार प्राप्त किए।

क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय

पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत संयुक्त प्रचार कार्यक्रम के एक अंग के रूप में १९५३ के अन्त में क्षेत्रीय प्रचार संगठन की स्थापना की गई थी। इस संगठन ने जनता में योजना का प्रचार करने और उसे सफलता के साथ पूरा करने के लिए लोगों में उत्साह पैदा करने के अपने कार्य-कलापों में बिस्तार किया है। क्षेत्र में प्रभावशाली ढंग से कार्य करने और संगठन का निरीक्षण करने के लिए क्षेत्रीय प्रचार का एक पृथक् निदेशालय स्थापित कर दिया गया है। राज्य में टुकड़ियों का निरीक्षण करने और राज्य सरकारों के साथ घनिष्ठ सम्पर्क बनाए रखने के लिए प्रत्येक राज्य के मुख्यालय में प्रादेशिक अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं।

क्षेत्रीय प्रचार की चलती-फिरती टुकड़ियां १५,०७२ कस्बों और गांवों में गईं। इन्होंने योजना के अधीन कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यों, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के लिए लागू की गई योजनाओं और जन-कल्याण और जनता की स्थिति सुधारने के लिए बनाई गई योजना के उद्देश्य के सम्बन्ध में लोगों को जानकारी कराई। इन टुकड़ियो ने लोगों को यह भी बताया कि वे भी योजना में हाथ बंटा कर उसे सफल बना सकते हैं। दिसम्बर १९५८ के अन्त में इन टुकड़ियों की संख्या ६२ थी। अप्रैल-दिसम्बर, १९५८ के दौरान चलती-फिरती टुकड़ियां १३,१४८ स्थानों पर गईं। इन्होंने १०,०९७ बार फिल्में दिखाईं, १३,५७४ सार्वजनिक सभाएं और परिवहन-संवाद आदि किए। इन्होंने गीत और नाटक विभाग की ओर से हरि-कथा, बड़-कथा, कवि-सम्मेलन और मुशायरे आदि करने के अतिरिक्त, ५८४ बार नाटक दिखाए। अनुमान है कि इन नाटकों आदि में कुछ मिलाकर १ करोड़ १८ लाख दर्शक सम्मिलित हुए।

गवेषणा और संदर्भ विभाग

गवेषणा और संदर्भ विभाग का मुख्य कार्य सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा उसके विभिन्न विभागों को प्रचार कार्य के लिए सामयिक विषयों के बारे में संदर्भ सामग्री उपलब्ध करना है।

"भारत" नामक वार्षिक संदर्भ ग्रन्थ का छठा वार्षिक संस्करण मई १९५८ में प्रकाशित हुआ। सातवा वार्षिक ग्रन्थ तैयार किया जा रहा है। इसमें १९५८-५९ वर्ष के सम्बन्ध में जानकारी रहेगी। आशा है कि यह मई १९५९ मे प्रकाशित हो जाएगा।

यह विभाग एक संदर्भ पुस्तकालय तैयार कर रहा है। १९५८ में विविध विषयों की १ हज़ार से अधिक नई पुस्तकें इस पुस्तकालय में आईं। सितम्बर १९५८ के अन्त में पुस्तकों की कुल संख्या १४,९०० थी।

भारत के अखबारों का रजिस्ट्रार

भारत के अखबारों का रजिस्ट्रार एक अनुविहित अधिकरण है और १९५५ के प्रेस और किताबों के रजिस्ट्री (संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत देश में अखबारों के सम्बन्ध में आंकड़ों का संकलन करता है। अखबारों के रजिस्ट्रार की दूसरी रिपोर्ट सितम्बर १९५८ में संसद में पेश की गई। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि दिसम्बर १९५७ के अन्त में देश में ५,९३२ दैनिक और अन्य पत्र निकल रहे थे। इनके अतिरिक्त, ९७१ ऐसे और पत्र थे जिनके चालू रहने या बन्द होने के बारे में कोई निश्चित जानकारी नहीं मिल सकी।

अखबारों के रजिस्ट्रार ने समाचारपत्रों के स्वामित्व और प्रकाशन-संख्या के उपलब्ध आंकड़ों का भी अध्ययन किया। इससे पता चला कि सब तरह के पत्रों की कुल प्रकाशन-संख्या (सर्कुलेशन) में इस वर्ष वृद्धि हुई। १९५७ में कुल औसत प्रकाशन-संख्या १,१२,६०,००० रही। १९५७ में दैनिक पत्रों की प्रकाशन-संख्या ३१ लाख ४९ हज़ार अर्थात् कुल प्रकाशन–संख्या की २७.९ प्रतिशत रही। १९५६ में यह संख्या २९ लाख ९ हज़ार थी। अंग्रेज़ी के समाचार-पत्रों की प्रकाशन संख्या सबसे अधिक अर्थात २४ लाख ९७ हज़ार या कुल संख्या की २२.३ प्रतिशत रही। इसके बाद हिन्दी समाचार-पत्रों का स्थान रहा, जिनकी प्रकाशन-संख्या २० लाख २५ हज़ार या १८ प्रतिशत रही।

अधिनियम पर अमल

इस वर्ष अखबारों के रजिस्ट्रार ने प्रेस और किताबों के रजिस्ट्री कानून को अमल में लाने के लिए राज्य सरकारों के साथ प्रबन्ध पक्का किया। इसके लिए एक समन्वित प्रणाली बना दी गई है जिसके द्वारा समस्त राज्यों में यह कानून एक ही प्रकार से लागू किया जा सकेगा।

अन्य गतिविधियां

जन-सहयोग

योजना के प्रचार कार्य को संगठित करने के लिए यह मंत्रालय गैर-सरकारी संस्थाओं का सहयोग लेता रहा। इस वर्ष भारत सेवक समाज को अनुदान दिया गया, जिससे कि वह जन-सम्पर्क द्वारा योजना का प्रचार जारी रखे, अपने जन-सहयोग केन्द्रों को चलाता रहे तथा पत्र-पत्रिकाएं और बुलेटिन आदि प्रकाशित करे। कुछ विश्वविद्यालयों तथा योजना गोष्ठियों को भी वित्तीय सहायता दी गई, जिससे कि वे सितम्बर १९५८ में राष्ट्रीय योजना दिवस मना सकें।

केन्द्रीय सूचना सेवा

केन्द्रीय सूचना सेवा के नियम राजपत्र (गज़ट) में प्रकाशित हो गए हैं और इस सेवा के प्रारम्भिक संगठन के लिए विभागीय उम्मीदवारों की जांच करने के सम्बन्ध में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

२०. स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सम्बन्धी ज़िम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों की है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का काम अन्तर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्बन्धों का विकास करना, बन्दरगाहों पर रोग-निरोधक नियम (क्वारेन्टाइन) लागू करना और केन्द्रीय स्वास्थ्य संस्थाओं का प्रबन्ध करना है। औषधि-शोध, और औषधियों के उत्पादन तथा दन्तचिकित्सा और परिचायिका सेवा की व्यवस्था भी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ही करता है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय औषधियों के मानक निर्धारित करता है और खाद्य-पदार्थों में मिलावट रोकने की व्यवस्था करता है। केन्द्र-शासित क्षेत्रों की जनता के स्वास्थ्य के लिए भी यही मंत्रालय ज़िम्मेदार है तथा राज्य सरकारों को जन-स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रश्नों पर परामर्श और विशेषज्ञों को प्राविधिक सहायता भी देता है।

जल-उपलब्धि तथा सफाई

राष्ट्रीय जल-उपलब्धि तथा सफाई योजना अगस्त-सितम्बर, १९५४ में आरम्भ की गई थी। १९५८-५९ में शहरी क्षेत्रों की जल-उपलब्धि योजना

के लिए ८ करोड़ ५० लाख रुपये और ग्रामीण क्षेत्रों में जल-उपलब्धि योजना के लिए २ करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। वर्ष के अन्त में विभिन्न राज्यों में २७५ शहरी और २०६ ग्रामीण जल-उपलब्धि योजनाएं कार्यान्वित की जा रही थीं।

भारत और अमेरिका के बीच हुए समझौते के अन्तर्गत राष्ट्रीय जल-उपलब्धि तथा सफाई योजना के लिए ६४ लाख २५ हजार डालर की सहायता भारत को प्राप्त हुई है। १९५७-५८ तक भारत को अमेरिका से ५९ लाख ४३ हज़ार रु० मूल्य के उपकरण प्राप्त हुए थे। इसके अलावा, अमेरिका ने केन्द्रीय जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी संस्था को उपकरण खरीदने के लिए १५ हज़ार डालर की एक रकम दी।

जन-स्वास्थ्य

द्वितीय योजना में जन-स्वास्थ्य इंजीनियरी का प्रशिक्षण देने के लिए ३० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण-प्राप्त कर्मचारी राष्ट्रीय जल-उपलब्धि तथा सफाई योजना को कार्यान्वित करेंगे। १९५८-५९ के दौरान १९५ इंजीनियर, १८० सहायक इंजीनियर, १०० सैनेटरी इन्स्पेक्टर तथा १०० आपरेटर प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।

राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम

यह कार्यक्रम अप्रैल १९५८ में आरम्भ किया गया। इसके लिए द्वितीय योजना की अवधि में ४३ करोड़ रुपये खर्च करने की व्यवस्था है। १९५८-५९ में अमेरिकी प्राविधिक सहायता मिशन ने भारत को १०,६७९ टन डी० डी० टी०, ६४० ट्रक और १७५ जीपें दीं। इसके अलावा, विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से भी २,४३५ टन डी० डी० टी० प्राप्त हुई।

अक्तूबर १९५८ के अन्त में देश के विभिन्न राज्यों में २२·३५० मलेरिया-नियन्त्रण यूनिटें काम कर रही थीं। मार्च १९५८ तक १६ करोड़ ३५ लाख ४० हज़ार व्यक्तियों की मलेरिया से रक्षा की गई।

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम को और तेज़ी से बढ़ाने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर समितियां स्थापित की गई हैं। इन समितियों पर इस बात की ज़िम्मेदारी है कि वे मलेरिया के उन्मूलन की दिशा में होने वाले काम को यथाशक्ति जल्दी से जल्दी पूरा कराएं।

फाइलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम

अब तक फाइलेरिया नियन्त्रण की दिशा में सर्वेक्षण का कार्य, जो १९५५-५६ में आरम्भ किया गया था, काफी प्रगति कर चुका है। लगभग २ करोड़ ८४ लाख व्यक्तियों की परीक्षा की जा चुकी है और लगभग २० लाख ४० हज़ार व्यक्तियों को फाइलेरिया से बचाने वाली दवाएं दी जा चुकी हैं। मच्छरों का उन्मूलन करने के लिए प्रयास जारी है। लगभग ७० लाख घरों में डीलड्रिन का छिड़काव किया गया। ७० मेडिकल अफसरों और १०९ इन्स्पेक्टरों को फाइलेरिया-विरोधी कार्यवाही की विशेष शिक्षा दी गई।

क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम

बी० सी० जी० कार्यक्रम

भारत में बी० सी० जी० के टीके लगाने का कार्यक्रम १९४८ में आरम्भ किया गया था। अक्तूबर १९५८ तक ४ करोड़ ७ लाख ३० हज़ार व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए और ११ करोड़ ६१ लाख ७० हज़ार व्यक्तियों की परीक्षा की गई।

बी० सी० जी० टीका प्रयोगशाला, गिण्डी

नवम्बर १९५८ तक इस लेबोरेटरी ने ३९,२०,२४० घन सेण्टीमीटर बी० सी० जी० के टीके भारत की आवश्यकता की पूर्ति के लिए और ७,०१,८७० घन सेण्टीमीटर टीके मलाया, सिंगापुर, बर्मा, श्रीलंका, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भेजने के लिए तैयार किए।

क्षय केन्द्र, अस्पताल और चिकित्सालय

नई दिल्ली, त्रिवेन्द्रम, पटना और मद्रास में विश्व स्वास्थ्य संगठन की सहायता से क्षय रोग का निरोध करने का प्रशिक्षण देने वाले केन्द्र खोले गए। १९५८-५९ में नागपुर और हैदराबाद में २ नए केन्द्र और खोले गए।

१९५८-५९ में क्षय के अस्पतालों में १,०५५ रोगियों के लिए शय्याओं की व्यवस्था करने की योजना बनाई गई।

द्वितीय पचवर्षीय योजना की अवधि में २०० नए क्षय-चिकित्सालय खोलने का विचार है। १०० चिकित्सालय पहले ही खोले जा चुके हैं। लक्ष्य यह है कि प्रत्येक जिले में कम से कम १ क्षय-चिकित्सालय अवश्य हो जाए। क्षय नियन्त्रण योजना के अधीन भारत सरकार राज्यों में खोले गए प्रत्येक चिकित्सालय को एक एक्स-रे यन्त्र और अन्य उपकरण प्रदान करेगी।

१९५८-५९ के दौरान भारत सरकार ने ६० चिकित्सालयों को ये यन्त्र दिए। प्रत्येक यन्त्र और उससे सम्बन्धित उपकरणों का मूल्य ५० हज़ार रुपये होता है।

उपचारोपरान्त देख-रेख केन्द्र

भारत सरकार राज्य सरकारों को उपर्युक्त प्रकार के केन्द्रो की स्थापना के लिए आर्थिक सहायता देती है जिनमें क्षय रोग के मरीज़ों के उपचार के बाद भी देख-रेख की सुविधा प्राप्त होती रहे। इन केन्द्रों में क्षय रोग के मरीज़ों को उपयुक्त दस्तकारी की शिक्षा भी दी जाती है। १९५८-५९ में विभिन्न राज्यों में ऐसे ९ केन्द्रों की स्थापना करने की योजना स्वीकार की गई।

क्षय सर्वेक्षण

सितम्बर १९५५ में आरम्भ की गई यह सर्वेक्षण योजना मई १९५८ में पूरी हो गई। इसके अधीन देश के कुछ चुने हुए और अलग-अलग हिस्सों में लगभग ३,०६,०४९ व्यक्तियों की एक्स-रे परीक्षा की गई और यह अनुमान लगाने का प्रयास किया गया कि देश के विभिन्न भागों में क्षय रोग का कितना ज़ोर है। सर्वेक्षण से यह पता चला है कि (१) विभिन्न क्षेत्रों में क्षय रोग के शिकार होने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रति हज़ार पीछे ७ से लेकर ३० तक है; (२) जहां तक जनसंख्या के अनुपात में इस रोग के बाहुल्य का प्रश्न है, यह अनुपात विभिन्न क्षेत्रों में बहुत भिन्न नहीं है; (३) पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां इस रोग से कम पीड़ित होती हैं; और (४) ५ वर्ष से ३४ वर्ष वाले आयु वर्ग के लोगों की अपेक्षा ३५ या ३५ वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों में क्षय रोग अधिक व्यापक है।

१९५८-५९ में पश्चिम पाकिस्तान से आने वाले उन अनाथ विस्थापितों के लिए, जो क्षय रोग से पीड़ित थे और जिनकी देख-भाल करने वाला कोई नहीं था, देश के विभिन्न क्षय अस्पतालों और सैनीटोरियमों में ५१८ जगहें सुरक्षित रखी गई। इसके अलावा, इन रोगियों को १,१३,२०० रुपये सहायता के रूप में देने की स्वीकृति दी गई।

परिवार-नियोजन

१९५८-५९ में परिवार-नियोजन कार्यक्रम में उल्लेखनीय प्रगति हुई। इस कार्यक्रम के लिए ४६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई। मार्च १९५९

तक ६६८ परिवार-नियोजन चिकित्सालय खोले गए। इनमें से ४६७ ग्रामीण क्षेत्रों में और २०१ शहरी क्षेत्रो में खोले गए।

आलोच्य वर्ष में रामनगरम (मैसूर) में एक केन्द्र खोला गया, जहां ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। बम्बई में भी इसी प्रकार का एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया।

१९५८-५९ में परिवार-नियोजन के सम्बन्ध मे ३ लाख ९० हज़ार पोस्टर, १ लाख १० हज़ार पुस्तिकाएं, और १० लाख फोल्डर प्रकाशित किए गए और ३७७ सिनेमा स्लाइडें तैयार की गई। आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से भी परिवार-नियोजन सम्बन्धी कार्यक्रम प्रसारित किए गए।

कुष्ठ रोग

१९५८-५९ में देश भर में ४ कुष्ठ चिकित्सालय तथा अध्ययन केन्द्र और ६३ उपकेन्द्र थे। केन्द्रीय सरकार ने इन केन्द्रों को सहायता के रूप में ३५ लाख रुपये दिए। राज्य सरकारों को इस बात की अनुमति दी गई कि वे २८ नए चिकित्सालय और खोलें। इसके अलावा, २० नए केन्द्र और खोलने की योजना है। १९५८-५९ में नागपुर के मेडिकल कालेज में प्रतिवर्ष ६० डाक्टरों को कुष्ठ चिकित्सा का विशेष प्रशिक्षण देने की एक योजना स्वीकार की गई। कुष्ठ नियन्त्रण योजना के अन्तर्गत एक 'कुष्ठ परामर्श समिति' की स्थापना भी की गई जो कुष्ठ निवारण की सम्पूर्ण योजना के सुचारु कार्यान्वियन पर विशेष ध्यान रखेगी।

यौन रोग

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यौन रोगों पर नियन्त्रण करने की जो योजना सम्मिलित की गई है, उसके अन्तर्गत मैसूर, आन्ध्र प्रदेश, मद्रास और हिमाचल प्रदेश में १७ ज़िला चिकित्सालय खोले गए। निकट भविष्य में ६ नए चिकित्सालय और खोलने का प्रस्ताव है।

आंख के रोहे (ट्रेकोमा) पर नियन्त्रण

भारतवर्ष में प्रतिवर्ष जितने लोग अंधेपन के शिकार होते हैं, उनमें से अधिकांश ट्रेकोमा के कारण अंधे होते हैं। आंख का यह रोग अत्यन्त भयंकर होता है। ट्रेकोमा के कारणों और उसके रोकने के उपायों का अध्ययन करने के लिए 'विश्व स्वास्थ्य संगठन' की सहायता से भारत में एक आरम्भिक अध्ययन-

योजना आरम्भ की गई है। उत्तर प्रदेश में अध्ययन का काम समाप्त हो चुका है और बम्बई, उड़ीसा तथा पंजाब में अभी जारी है। अब इस अध्ययन-योजना को असम, बिहार, केरल, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में भी आरम्भ करने का विचार है।

मेडिकल कालेज

आलोच्य वर्ष में दिल्ली में 'मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज' की स्थापना की गई। इस कालेज में दिल्ली तथा अन्य केन्द्र-प्रशासित क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को डाक्टरी की शिक्षा दी जाएगी। १९५८-५९ में ८९ छात्रों को स्नातकोत्तर शिक्षा की सुविधा प्रदान की गई और इन्हें वृत्ति के रूप में २,१८,०५७ रुपये देने की स्वीकृति दी गई। देश के ८ मेडिकल कालेजों को शोधकार्य के लिए आवश्यक उपकरण खरीदने के निमित्त ८,३४,८३६ रुपये अनुदान के रूप में दिए गए।

देशी चिकित्सा प्रणालियां

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आयुर्वेद, यूनानी, होमियोपैथिक और प्राकृतिक चिकित्सा प्रणालियों के विकास के लिए १ करोड़ रुपये की व्यवस्था रखी गई है। विभिन्न राज्यों की द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं में भी कुल मिला कर ५ करोड़ २१ लाख ८३ हज़ार रुपये की व्यवस्था है।

उक्त चिकित्सा प्रणालियों की विकास-योजना के लिए अब तक ३२,६०,११७ रुपये स्वीकार किए जा चुके हैं। आलोच्य वर्ष में एक समिति नियुक्त की गई जिसका काम यह पता चलाना है कि इस सम्बन्ध में सरकारी सहायता के रूप में जो रुपया दिया गया, उसका उपयोग किस हद तक हो चुका है। इस समिति ने सारे देश का दौरा किया। समिति का प्रतिवेदन शीघ्र ही प्रकाशित होने की आशा है।

सामुदायिक विकास क्षेत्र

स्वास्थ्य सर्वेक्षण

आलोच्य वर्ष में ९ राज्यों के ९ विकास खण्डों में स्वास्थ्य सर्वेक्षण का काम पूरा हुआ।

सहायक उपचारिका-धात्री तथा दाइयां

अप्रैल १९५६ से दिसम्बर १९५८ तक ऐसे ६१ नए केन्द्र खोले गए जिनमें सहायक उपचारिका-धात्रियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था है।

सितम्बर १६५८ तक ६३५ सहायक उपचारिका-धात्रियों तथा ११५ धात्रियों को प्रशिक्षण दिया गया।

दाइयों को प्रशिक्षण देने के लिए भी छः महीने का एक पाठ्यक्रम चलाया जा रहा है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आन्ध्र प्रदेश, बिहार, बम्बई, मद्रास, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, पाण्डिचेरी, अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप, मिनीकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह में आरम्भ किए गए। जून १६५८ तक ६६१ दाइयों को प्रशिक्षण दिया गया और १,७७५ दाइयां प्रशिक्षण पा रही थीं।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

इन केन्द्रों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को रोगों से बचाना और चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करना है। १६५८-५६ में राज्य सरकारों द्वारा इस प्रकार के २६१ केन्द्र खोलने का विचार था।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन केन्द्रों की स्थापना में राज्य सरकारों को सहायता देने के उद्देश्य से ३ करोड़ रुपये की व्यवस्था की है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजनाकाल में १,१६० स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की योजना है।

अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना

दिल्ली तथा नई दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए चलाई गई अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना को स्थायी करने के बाद इस योजना का विस्तार और उसके पुनर्गठन का काम आलोच्य वर्ष में आरम्भ किया गया। इस समय २६ डिस्पेंसरियां खुली हुई हैं और वर्ष के अन्त तक ५ डिस्पेंसरियां और खुल जाने की आशा है। अक्तूबर १६५८ तक ३१,३५,४४४ व्यक्तियों ने इस योजना से लाभ उठाया।

नगर आयोजना संगठन

यह संगठन बृहत्तर दिल्ली नगर की एक विस्तृत योजना बनाने में व्यस्त है। इस संगठन ने अपना एक अन्तरिम प्रतिवेदन सरकार को दिया है जिसमें बृहत्तर दिल्ली नगर की भावी रूपरेखा के विषय में उल्लेख किया गया है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहायता

विश्व स्वास्थ्य संगठन

विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना १९४८ मे हुई थी। भारत आरम्भ से ही इस संगठन का सदस्य है। १९५८-५९ के वित्तीय वर्ष में भारत ने इस संगठन को १६,०१,४९९ रुपये अपने हिस्से के रूप में दिए। दूसरी तरफ, इस संगठन ने भारत को उसकी विभिन्न स्वास्थ्य योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए ३७,७६,८६० रुपये दिए।

राष्ट्रसंघीय अन्तर्राष्ट्रीय बाल संकट कोष (युनिसेफ)

१९५८ में भारत ने इस कोष में १८ लाख रुपये चंदे के रूप में दिए। बदले में इस कोष से भारत को ३२ लाख ८४ हज़ार ५ सौ डालर सहायता के रूप मे प्राप्त हुए। यह सहायता सामुदायिक विकास, बी० सी० जी० के टीके, दुग्ध-चूर्ण तथा रोग-निरोध के लिए दी गई।

छात्रवृत्ति तथा अध्ययन-यात्राएं

कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठन विभिन्न प्राविधिक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत भारतीय नागरिकों को चिकित्सा सम्बन्धी विषयों में प्रशिक्षण प्राप्त करने की सुविधाएं प्रदान करते हैं। कोलम्बो योजना के अन्तर्गत २९ भारतीयों को कनाडा, ब्रिटेन और आस्ट्रेलिया भेजा गया और एक अन्य योजना के अधीन ४० भारतीय अमेरिका भेजे गए। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक योजना के अन्तर्गत ३० भारतीयों को अमेरिका, ब्रिटेन, मिस्र और रूस भेजा गया।

२१. पुनर्वास

१९५८ में पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों के पुनर्वास का नया दौर आरम्भ हुआ। १९५७-५८ में प्रव्रजन को नियमित करने के लिए जो कदम उठाए गए थे, उनके कारण पूर्वी इलाके में यह समस्या कुछ स्थिर हो गई। सरकार ने सहायता देने की नीति में भी थोड़ा परिवर्तन किया और सहायता के स्थान पर पुनर्वास पर ज़ोर दिया जाने लगा। पिछले एक वर्ष में ६०,००० से भी अधिक व्यक्तियों को शिविरों से विदा करके उन्हें बसाया गया। इसके अलावा, यह भी तय किया गया कि जुलाई १९५९ तक पश्चिम बंगाल के सब शिविरों को समाप्त कर दिया जाए। इन शिविरों के लगभग ४५,०००

विस्थापित परिवारों में से लगभग १०,००० को पश्चिम बंगाल में और ३५,००० को दण्डकारण्य क्षेत्र तथा अन्य राज्यों मे बसाया जाएगा। परिवारों का दण्डकारण्य जाना प्रारम्भ हो चुका है। पूर्व पाकिस्तान के विस्थापितों को काम पर लगाने के लिए एक पुनर्वास उद्योग निगम की स्थापना की जा रही है।

जहां तक पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों का प्रश्न है, उनके पुनर्वास की समस्या लगभग पूरी हल हो गई है। केवल कुछ मुआवजा देना तथा पाकिस्तान से वार्तालाप करना बाकी है। पाकिस्तान से लाकर्स व सेफ डिपाज़िटों के स्थानान्तरण, ज्वाइंट स्टाक कम्पनियों की मिल्कियत वापस करने, विस्थापितों के स्वर्ण ऋण खाते, ठेकेदारों के क्लेम और कचहरियों मे जमा रुपयों के मामलो पर फैसला होना बाकी है।

इस वर्ष पश्चिमी इलाके में इस मंत्रालय की गतिविधियों को धीरे-धीरे समाप्त करने का काम जारी रहा। स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, प्राविधिक प्रशिक्षण, आश्रयगृहों तथा अशक्तगृहों का कार्य तत्सम्बन्धित मंत्रालयों को सौपा जा रहा है। आवास कार्य निकट भविष्य में निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया जाएगा। इस प्रकार पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों को बसाने की समस्या १९५९-६० तक हल हो जाएगी।

दिसम्बर १९५८ तक पाकिस्तान से ८८ लाख ५७ हजार विस्थापित भारत आए—४७ लाख ४० हजार पश्चिम पाकिस्तान से और ४१ लाख १७ हज़ार पूर्व पाकिस्तान से। १९५८-५९ के अन्त तक इन पर ३ अरब २९ करोड़ ९८ लाख रु० खर्च होने का अनुमान है—१ अरब ८१ करोड़ ९२ लाख पश्चिम पाकिस्तान से आए विस्थापितों पर और १ अरब ४८ करोड़ ६ लाख पूर्वी पाकिस्तान से आने वालों पर। मुआवज़े के लगभग ३ लाख ६० हज़ार मामले तय किए जा चुके है और बाकी आशा है कि १९५९-६० तक तय कर दिए जाएंगे।

पूर्व पाकिस्तान

शिविर

१९५८ में २८ शिविर समाप्त कर दिए गए और लगभग ६१,००० शिविरवासियों को बसा दिया गया। इस प्रकार वर्ष के अन्त तक इन शिविरों में रहने वाले विस्थापितों की संख्या घट कर २ लाख ७ हजार रह गई। पूर्वी क्षत्र में इस समय १४० शिविर बाकी है, जिनमें से १२४ पश्चिम बंगाल में, १४ त्रिपुरा में और एक-एक बिहार और उड़ीसा में है।

आश्रयगृह तथा अशक्तगृह

इस वर्ष आश्रयगृहों तथा अशक्तगृहों की संख्या ६०,००० से घट कर ५८,००० रह गई। १ मई, १९५८ तक इनमें नए प्रवेश करना बन्द कर दिया गया।

पश्चिम बंगाल स्थित आश्रयगृहों तथा अशक्तगृहों को तीन संस्थाओं के रूप में पुनर्संगठित किया जा रहा है : (१) बूढ़े और अशक्तों के लिए, (२) निराश्रित स्त्रियो के लिए और (३) बच्चों वाली स्त्रियों के लिए। इन संस्थाओं मे कार्य, प्रशिक्षण और शिक्षा की विभिन्न योजनाएं चालू की जाएंगी।

ऋण

आलोच्य वर्ष में लगभग १७,८०० विस्थापित कुटुम्बों के पुनर्वास के लिए ३ करोड़ २९ लाख ९६ हजार रु० के ऋण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार अब तक ५३ करोड़ ३० लाख रु० का ऋण दिया जा चुका है।

ग्रामीण पुनर्वास

यह प्रयत्न किया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल के बाहर पुनर्वास के लिए अधिक से अधिक ज़मीन प्राप्त की जाए। लगभग १,१०० परिवारों को बिहार मे और ५७३ को उड़ीसा मे बसाने के लिए इन्ही राज्यों के शिविरों से भेजा जा चुका है। पश्चिम बंगाल से ९३१ परिवारों को पुनर्वास के लिए मध्य प्रदेश मे, २३२ को राजस्थान में और १९३ को उत्तर प्रदेश में भेजा गया है। अब तक इन तीनों राज्यों मे २,९५९ परिवारों को बसाया जा चुका है और स्वीकृत योजनाओं के अनुसार आशा है २,७०५ परिवारो को और बसाया जाएगा। पश्चिम बंगाल के शिविरों के २०० परिवारों के लिए मिदनापुर जिले में सीसल और धान की मिली-जुली खेती की एक प्रायोगिक योजना की स्वीकृति दी गई है जिसके लिए राज्य सरकार ने २३ लाख रुपया स्वीकृत किया है। सुन्दरबन के हरोभंगा खण्ड में २,७५० एकड़ भूमि पर ७७० परिवारों को बसाने की एक योजना भी स्वीकृति की गई है।

शहरी पुनर्वास

इस वर्ष शहरी क्षेत्र में ६,६३१ परिवारों को मकान बनाने के लिए १ करोड़ ४३ लाख १४ हज़ार रुपये और ५,११५ परिवारों को व्यापार करने के लिए ४६ लाख ८८ हज़ार रुपये के ऋण की स्वीकृति दी गई। असम मे होजाई और पश्चिम बगाल में गायेशपुर में बाज़ार बनाने के लिए तथा बस्तियों के विकास के लिए योजनाएं स्वीकार की गई जिन पर ७ लाख ८९ हज़ार रुपया व्यय होने का अनुमान है।

इस वर्ष ३ अनधिवासी बस्तियों को नियमित करार दिया गया। इस प्रकार इन बस्तियों की संख्या १४० हो गई। इसके अलावा, ५३ ग्रामीण और शहरी बस्तियो में सड़कें बनाने तथा पानी का प्रबन्ध करने के लिए ५० लाख ६४ हजार रुपये की लागत की योजनाएं स्वीकार की गई।

अब तक लगभग २ लाख १३ हजार विस्थापितों को नौकरियों पर लगा दिया गया है।

व्यावसायिक तथा प्राविधिक प्रशिक्षण

जून १९५८ तक लगभग ३६,००० विस्थापितो को विभिन्न कार्यों और कलाओं का प्रशिक्षण दिया गया। और लगभग ६,००० प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे। जनवरी १९५९ तक शिविरों के बाहर रहने वाले ५,५०० विस्थापितों को प्रशिक्षित करने के लिए ७० लाख १९ हजार रु० लागत की ९८ प्रशिक्षण योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई तथा शिविरों में रहने वाले ५५० व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिए ६,०५० लाख रु० लागत की चार योजनाओं को स्वीकृति दी गई। १ अप्रैल, १९५८ तक इन योजनाओं पर २ करोड़ २८ लाख रु० व्यय हुआ।

औद्योगिक योजनाएं

अब तक मध्यम दर्जे के उद्योगों की २३ योजनाओ को स्वीकृति दी जा चुकी है। इन पर लगभग २ करोड़ ९६ लाख रु० व्यय हुआ। ये उद्योग लगभग १२,००० विस्थापितों को काम देंगे। अब तक उद्योगपतियों को १ करोड़ ९० लाख रु० दिया जा चुका है और लगभग ३,५०० विस्थापितों को इन उद्योगों मे काम मिल चका है।

बीच के दर्जे के उद्योगों के अलावा, छोटे पैमाने के उद्योगों और कुटीर उद्योगों तथा उत्पादन केन्द्रों की २९ योजनाओं को इस वर्ष स्वीकृति दी गई। इन पर ४१ लाख ८ हज़ार रुपया व्यय होगा और अनुमान है कि इनमें २,०७० विस्थापितों को काम मिल जाएगा। अब तक १२६ योजनाओं को स्वीकृति दी जा चुकी है जिनमें लगभग १४ हज़ार विस्थापितों को काम पर लगाए जाने की क्षमता है।

शिक्षा सुविधाएं

इस वर्ष एक डिग्री कालेज तथा ४१ प्रारम्भिक विद्यालयों को स्वीकृति दी गई। इस प्रकार अब विस्थापितों के लिए सरकार द्वारा खोले गए कालेजों

की संख्या २१, माध्यमिक विद्यालयों की २२ और प्राइमरी स्कूलों की १,५६७ हो गई है। इसके अलावा, एक बहूद्देश्यीय स्कूल और एक डिग्री कालेज रामकृष्ण मिशन द्वारा खोला जा चुका है।

१९५८-५९ में विस्थापित विद्यार्थियों के लाभ के निमित्त साज-सामान खरीदने और अन्य प्रकार के विकास के लिए १३ कालेजों व ५३ स्कूलों को ३६ लाख ४० हज़ार रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। इस वर्ष पूर्वी क्षेत्र के विद्यार्थियों की शिक्षा सुविधाओं पर कुल मिला कर लगभग १ करोड ९४ लाख ३५ हज़ार रुपये व्यय किया गया।

चिकित्सा सुविधाएं

इस वर्ष विस्थापितों के लिए क्षय के अस्पतालों और सैनेटोरियमों मे ७१३ शय्याओ तथा चलने-फिरने वाली ७ चिकित्सा इकाइयों का प्रबन्ध किया गया। कुछ प्रमुख संस्थाओं को भी इस काम के लिए वित्तीय सहायता दी गई। इन सबके परिणामस्वरूप इस समय अस्पतालो में विस्थापितों के लिए १७१ रोगी-शय्याएं सुरक्षित है जिनमें से ६६ ज़च्चाओं के लिए और ५६ बच्चों के लिए सुरक्षित है। इसके अलावा, सरकार ने विस्थापितों के लिए ६२ डिस्पेंसरियों की इमारतों तथा ३ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्रो की स्वीकृति दी है। शिविरो मे भी ६०० रोगी-शय्याओं और चार एम्बुलेन्स गाड़ियों का प्रबन्ध किया गया है।

इस वर्ष शिविरों मे तथा शिविरों के बाहर चिकित्सा सुविधाओं पर लगभग ७५ लाख रु० व्यय हुआ।

दण्डकारण्य योजना

दण्डकारण्य योजना को ठीक ढंग से चलाने के लिए दण्डकारण्य विकास अथारिटी की स्थापना की गई। यह संस्था १९५९-६० में लगभग ४५,००० एकड़ भूमि प्राप्त करने, ५,००० ग्रामीण मकान बनाने, प्राविधिक और व्यापारिक प्रशिक्षण केन्द्र खोलने, सहकारी समितियां स्थापित करने तथा बहूद्देश्यीय फार्म खोलने का प्रबन्ध कर रही है। दण्डकारण्य में बसने के लिए विस्थापितो का पहला जत्था फरवरी १९५९ में वहां पहुंच गया।

पुनर्स्थापित उद्योग निगम

इस वर्ष एक पुनर्स्थापित उद्योग निगम बनाने का निश्चय किया गया है जो कि सरकारी क्षेत्रों में अथवा गैर-सरकारी उद्योगों में हिस्सेदार बन कर

कुछ औद्योगिक कारखाने स्थापित करेगा। द्वितीय योजना मे निगम को इस कार्य के लिए ५ करोड़ रुपया दिया जाएगा।

पश्चिम पाकिस्तान

पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए विस्थापितों में से लगभग ५० प्रतिशत को ग्रामीण क्षेत्रों में तथा बाकी को शहरी क्षेत्रों में बसाया जा चुका है। ३१ दिसम्बर, १९५८ तक लगभग २ लाख २ हज़ार विस्थापितों को काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा नौकरियों पर लगाया गया। पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा राज्य सरकारों को ३२ करोड़ ४७ लाख रु० का ऋण दिया गया।

१९५८-५९ के अन्त तक शिक्षा, चिकित्सा और सांस्कृतिक संस्थाओं को विस्थापितों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए २ करोड़ १७ लाख रुपय का अनुदान दिया गया। विस्थापित बस्तियों में रोज़गार की सुविधाएं मुहैया करने के लिए मध्यम दर्जे के तथा छोटे और कुटीर उद्योग धंधों के लिए ४५ योजनाएं स्वीकार की गई। इन पर सरकार का २ करोड़ ७ लाख रुपये व्यय हुआ। इनसे ११ हजार विस्थापितों को कार्य मिलने की आशा है।

मुआवज़ा

३१ जनवरी, १९५९ तक ४ लाख ६८ हजार दावेदारों में से ३ लाख ६० हजार को १ अरब ५६ लाख रु० का भुगतान किया गया। इसमें से ५१ करोड ५६ लाख नकद दिया गया, ३२ करोड़ ४७ लाख जायदाद के रूप में और १६ करोड़ ५३ लाख अन्य भुगतानों के समन्वय से।

अन्य सुविधाएं

इस वर्ष मुआवज़ा योजना के अन्तर्गत कुछ और सुविधाए भी दी गई। दिल्ली, जालन्धर और पटियाला के क्षेत्रीय कार्यालयो के फार्मो का भी विकेन्द्रीकरण कर दिया गया और मुआवज़े के मामलों का जल्दी फैसला करने के लिए इन क्षेत्रों में १२ विभागीय कार्यालय स्थापित किए गए। विभागीय अधिकारियों को मामलों को निपटाने तथा नकद भुगतान की सिफारिश करने का अधिकार दिया गया।

ग्रामीण पुनर्वास

३१ दिसम्बर, १९५८ तक पंजाब में २,६०,०९१ विस्थापितों को १९,११,७१८ एकड़ भूमि पर स्थायी अधिकार हस्तान्तरित कर दिए गए।

इसके अलावा, भूमि के साथ दिए गए ८२,४२४ मकानों पर भी मालिकाना अधिकार दे दिए गए ।

पंजाब में १ करोड़ रुपए कीमत के लगभग ५० हजार ग्रामीण मकान विस्थापित हरिजनों और अनुसूचित जातियों के लोगों के कब्ज़े में हैं। इन लोगों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह निश्चय किया गया है कि ३० रु० प्रति मकान के हिसाब से ये मकान उनको ही दे दिए जाएं।

शहरी पुनर्वास

राजपुरा और नीलोखेड़ी की औद्योगिक बस्तियां इस वर्ष पंजाब सरकार को हस्तान्तरित कर दी गई। फरीदाबाद और हस्तिनापुर की बस्तियां भी पंजाब तथा उत्तर प्रदेश सरकारों को शीघ्र ही हस्तान्तरित की जा रही हैं।

पुनर्वास मंत्रालय छोटे तथा कुटीर उद्योगों को स्थापित करने के लिए उद्योगपतियों को वित्तीय सहायता देता आ रहा है । पश्चिमी क्षेत्र में मई १९५८ तक ४५ मध्यम दर्जे के उद्योगों की योजनाओं तथा ५० कुटीर उद्योगों की योजनाओं को स्वीकृति दी गई। इन पर सरकार का २ करोड़ ७ लाख रु० व्यय होगा। आशा है कि इन योजनाओं से १०,००० विस्थापितों को कार्य मिलेगा। जून १९५८ में यह कार्य वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया ।

शिक्षा संस्थाएं

इस वर्ष शिक्षा, चिकित्सा और सास्कृतिक संस्थाओं को विस्थापितों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए २७ लाख ४४ हज़ार रुपये का अनुदान दिया गया। अब तक इस प्रकार की संस्थाओं को कुल मिला कर २ करोड़ १७ लाख रु० दिया जा चुका है ।

प्रशिक्षण

मई १९५८ में पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापितों के व्यावसायिक और प्राविधिक प्रशिक्षण का कार्य श्रम मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दिया गया। इस समय तक ८६,००० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका था ।

चल और अचल सम्पत्ति

अचल सम्पत्ति की समस्या हल होनी अभी बाकी है। चल सम्पत्ति करार के लागू होने में भी कोई विशेष प्रगति नही हुई। करार के अनुसार दोनों देशों मे पड़े लाकरों और सेफ डिपाजिटों की अदल-बदल ५ जुलाई, १९५८ तक

हो जानी चाहिए थी। पर पाकिस्तान द्वारा ऐसी कठिनाइयां उपस्थित कर दी गई है कि ऐसा न हो सका। फिर भी कस्टोडियन अथवा पुनर्वास अधिकारियों के अधिकार में पड़ी १ लाख ७३ हजार रु० की सम्पत्ति १९५८ में अधिकार में ले ली गई। अब तक इस प्रकार से ७२ लाख ७३ हज़ार रु० की सम्पत्ति अधिकृत की जा चुकी है।

दावों की जांच

१९५० से अब तक किए गए सब दावों की जाच कर ली गई है। दिसम्बर १९५८ के अन्त तक ४७,४२५ अपीलों का फैसला किया गया।

जायदादों का निपटारा

दिसम्बर १९५८ तक निष्क्रमणार्थियों की तथा सरकार द्वारा निर्मित ९६,००० इमारतों को नीलाम किया गया और ८०,००० से अधिक इमारत एलाटमेट द्वारा हस्तान्तरित की गई।

निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति

१ जनवरी, १९५९ को कस्टोडियनों की अदालतो में १,९३५ मामले दायर थे। दिसम्बर १९५८ के अन्त तक ३,८०६ मामलों में २ करोड़ ६० लाख रुपये मूल्य की निष्क्रमणार्थी जायदाद को पुनः प्राप्त करने की आज्ञा जारी की गई। अब इस प्रकार के कुल मामलों की संख्या १०० है। पंजाब को छोड़ कर बाकी सब राज्यों में ट्रस्टों से सम्बन्धित सब सम्पत्ति वापस कर दी गई। पंजाब मे भी जहां उचित मुतवल्ली मिले वहां सम्पत्ति लौटा दी गई।

गड़ा हुआ धन

३१ मार्च, १९५८ तक पाकिस्तान से ६९ लाख रु० का गड़ा हुआ धन प्राप्त हुआ। दिसम्बर १९५८ के अन्त तक बैंक ड्राफ्ट और बैंकों का १६ लाख ६५ हजार रुपया प्राप्त हुआ।

पेंशन, प्राविडेंट फण्ड आदि

केन्द्रीय क्लेम संगठन को विस्थापित सरकारी नौकरों की पेंशन, प्राविडेंट फण्ड, वेतन तथा सिक्योरिटी डिपाज़िट के २३,३२५ दावे मिले। इनमें से १२,४११ की पाकिस्तान सरकार ने जांच कर ली है और १,१०,०८६ रु० (आवर्तक) और ४,६३,०१७ रु० (अनावर्तक) के भुगतान का अधिकार दे दिया गया है।

२२. श्रम और नियोजन

औद्योगिक सम्बन्ध

औद्योगिक विवाद

जनवरी से सितम्बर १९५८ में काम बन्द रहने के कारण ५३,६१,८८८ मानव-दिनों की हानि हुई, जबकि १९५७ में इसी अवधि में ४९,८०,८७२ मानव-दिनों की हानि हुई थी। जनवरी से लेकर सितम्बर १९५८ तक ९७० नए विवाद उठे, जबकि १९५७ में इसी अवधि में ऐसे विवादों की संख्या १,१८६ थी।

श्रमजीवी पत्रकारों की वेतन समिति

श्रमजीवी पत्रकार (वेतन-दर निर्धारण) अध्यादेश, १९५८—जिसके स्थान पर श्रमजीवी पत्रकार (वेतन-दर निर्धारण) अधिनियम, १९५८ लागू हो चुका है—के अधीन श्रमजीवी पत्रकारों के वेतन आदि निर्धारित करने के लिए एक समिति बना दी गई है।

कार्य समितियां (वर्क्स कमेटियां)

कार्य समितियां बनाने का उद्देश्य यह है कि मजदूरो की दिन-प्रतिदिन की शिकायतों पर विचार करके उनका निपटारा किया जाए तथा मज़दूरों और मालिकों के बीच सद्भावना बढे। ३० सितम्बर, १९५८ तक केन्द्र के १,२२२ प्रतिष्ठानों को कार्य समितियां बनाने के लिए कहा गया। इस समय ७०१ प्रतिष्ठानों में कार्य समितियां कार्य कर रही है।

यूनिट उत्पादन समितियां

केन्द्र के कुछ प्रतिष्ठानों में भी यूनिट उत्पादन समितिया बना दी गई है। अन्य बातों के अलावा ये समितिया उत्पादन की उन विशिष्ट समस्याओं पर भी विचार करती है जिनका सीधा सम्बन्ध मजदूरों से होता है। ३० सितम्बर, १९५८ को इस प्रकार की १०२ समितियां विद्यमान थीं।

श्रमिक शिक्षा योजना

श्रमिक शिक्षा योजना को कार्यान्वित करने की दिशा में इस वर्ष और भी प्रगति हुई। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण, अर्थात् शिक्षक-प्रशासकों को प्रशिक्षण देने का कार्य, जो मई १९५८ से आरम्भ किया गया था नवम्बर १९५८ में

पूरा हो गया। इन शिक्षक-प्रशासको को देश के दस केन्द्रों में नियुक्त किया जाएगा, जहा वे कामगर-शिक्षकों को प्रशिक्षण देंगे। अनुमान है कि दूसरी योजना के अन्त तक लगभग ४ लाख श्रमिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेंगे ।

प्रबन्ध में मजदूरों का हिस्सा

भारतीय श्रम सम्मेलन के १५वें अधिवेशन के निर्णय के अनुसार, १६ प्रतिष्ठानों के प्रबन्ध में मजदूरों द्वारा हिस्सा लेने की योजना आरम्भ की गई है। इसके अतिरिक्त, २० अन्य प्रतिष्ठानों ने वचन दिया कि वे भी इस योजना की परख कर देखेंगे ।

मूल्यांकन और क्रियान्वयन विभाग

स्थायी श्रम समिति ने १९५७ के सोलहवें अधिवेशन मे जो सिफारिशें की थी, उनके अनुसार भारत सरकार ने एक मूल्याकन और क्रियान्वयन विभाग की स्थापना कर दी है जो यह देखेगा कि श्रम कानूनों और पंच-फैसलों का कितना पालन किया गया है और उनके क्या परिणाम निकले है। एक केन्द्रीय क्रियान्वयन और मूल्यांकन समिति भी बना दी गई है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों से कहा गया है कि वे भी इसी प्रकार की समितियां बना ले। पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बगाल सरकार ने तो इस प्रकार की समितिया बना ली है। मैसूर, उड़ीसा और मध्य प्रदेश की सरकारें इस प्रश्न पर विचार करने का कार्य अपने-अपने राज्य की श्रम सलाहकार समितियों या बोर्डो को सौंप रही है। हिमाचल प्रदेश ने इस कार्य के लिए एक अधिकारी नियुक्त कर दिया है।

पंचाटों आदि पर कहा-कहा अमल नहीं किया गया, इसकी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से उपर्युक्त विभाग ने जनवरी १९५८ में राज्य सरकारों तथा मालिकों और मजदूरों के अखिल भारतीय संगठनों के पास एक परिपत्र (सर्क्युलर) भेजा, जिसके उत्तर में यह सूचना मिली कि अक्तूबर १९५८ तक श्रम कानूनों, पंचाटो आदि के ९३४ मामलों पर या तो अमल नही किया गया, या उन पर अमल करने मे कुछ देर हुई या उन पर ठीक ढंग से अमल नही किया गया। इनमें से ४०२ मामले श्रम कानूनों तथा ५३२ मामले पंचाटों, करारों और समझौतों से सम्बन्ध रखते है।

अनुशासन संहिता

उद्योग में अनुशासन बनाए रखने के लिए भारतीय श्रम सम्मेलन द्वारा नियुक्त त्रिदलीय उप-समिति ने एक अनुशासन सहिता बना कर कुछ सिद्धात

निश्चित कर दिए है, जिन पर मालिकों और मजदूरों के संगठनो को आचरण करना होगा। यह अनुशासन सहिता १ जून, १९५८ से लागू कर दी गई है। अक्तूबर १९५८ के अन्त तक अनुशासन भंग करने के लगभग ७० मामलों की सूचना मिली ।

श्रम कल्याण

कोयला-खानें

इस वर्ष भी कोयला खानों में काम करने वाले मजदूरों के रहन-सहन और सामाजिक अवस्था में सुधार करने का काम पूर्ववत् किया जाता रहा। इस दिशा मे एक उल्लेखनीय बात यह है कि मकान बनाने की एक नई योजना आरम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत 'कोयला खान मज़दूर कल्याण निधि संगठन' कोयला-खानों मे काम करने वाले मजदूरों के लिए ३०,००० मकान बनाएगा।

इस निधि में १९५७-५८ में १,४६,६३,४१० रु० प्राप्त हुआ था। अनुमान है कि इस वर्ष इस निधि को लगभग १,६४,९७,३५१ रु० प्राप्त होगा। इस वर्ष के बजट मे कल्याण कार्यो के लिए ९६,५६,३५० रु० तथा मकान बनाने के लिए १,५६,४०,९५० रु० रखे गए।

चिकित्सा की सुविधाएं प्रदान करने के लिए लगभग ४५,५०,००० रु० की व्यवस्था की गई। इस वर्ष अस्पताल और जच्चा-बच्चा कल्याण केन्द्र खोले गए तथा तपेदिक का उपचार किया गया और दवाए बांटी गई। करनपुर-रायगढ़ कोयला खानों में नई सराय नामक स्थान पर एक अस्पताल बनाया गया, जिसमें ३० शय्याओं की व्यवस्था है। आशा है कि बोकारो कोयला-खान में फुसरो नामक स्थान पर भी ५० शय्याओं का एक अस्पताल शीघ्र खुल जाएगा। धनबाद और आसनसोल के केन्द्रीय अस्पतालों में तपेदिक के रोगियों के लिए सौ-सौ शय्याओं के ब्लाक बनाने का निश्चय किया गया ।

कोयला खानों के कुष्ठ-रोगियों के इलाज के लिए तेंतुलमढ़ी कुष्ठ अस्पताल में १५ अगस्त, १९५८ से एक और वार्ड खोल दिया गया है, जिसमें १० शय्याएं है। उपर्युक्त निधि में से कोयला खानों के कुष्ठ रोगियों के इलाज के लिए ४६ शय्याओं की व्यवस्था की जा रही है।

इसके अतिरिक्त, अब यह भी फैसला किया गया है कि कोयला खानों में जिन कर्मचारियों को ३०० रु० से कम मासिक वेतन मिलता है, उनकी चिकित्सा मुफ्त की जाएगी तथा एक्सरे और अन्य मंहगी दवाइया भी उहें मुफ्त ही दी जाया करेंगी ।

मलेरिया की रोक-थाम करने के प्रयत्न भी किए जा रहे है। दिसम्बर १९५८ तक मलेरिया से पीड़ित लगभग ८,२१३ लोगों को मलेरिया-निरोधक औषधि दी गई।

इस वर्ष खान श्रमिको के लिए पढ़ाई-लिखाई और मनोरजन के कार्य-क्रम भी पूर्ववत जारी रहे। इन कार्यो में ४९ खान संस्थानों, ५४ महिला कल्याण और बाल शिक्षा केन्द्रों तथा ५६ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्रों ने योग दिया। जब से यह योजना आरम्भ हुई है, तब से लेकर दिसम्बर १९५८ तक ६,११७ श्रमिकों को लिखना-पढ़ना सिखाया जा चुका है।

दूसरी पंचवर्षीय योजना मे कल्याण कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने का एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसका उद्देश्य ऐसे व्यक्तियों को प्रशिक्षण देना है जो आगे चल कर कल्याण और समाज-सेवा के कार्यो का आयोजन कर सकेंगे। २ अगस्त, १९५८ से भूली में एक प्रशिक्षण केन्द्र खुल गया है, जिसमें इस समय ५४ व्यक्ति प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे है।

एक अन्य योजना के अन्तर्गत कोयला-खानों में दुर्घटनाओं के कारण मरने वाले श्रमिकों के आश्रितों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। १९५८ में इस योजना के अन्तर्गत श्रमिकों की विधवाओं और उनके बच्चों को लगभग ३२,२२० रु० देने की स्वीकृति दी गई।

उपर्युक्त निधि में से सहायता तथा ऋण देने के कार्यक्रम के अन्तर्गत ४,०३७ मकान बनाने की मंजूरी दी गई थी। उनमें से ३१ दिसम्बर, १९५८ तक १,७५९ मकान बन कर तैयार हुए तथा ३९४ मकान बन रहे थे। इसके अतिरिक्त, मकान बनाने की एक नई योजना के अन्तर्गत विभिन्न कोयला-खानों में १०,००० मकान बनाने का निश्चय किया गया, तथा ३१ अक्तूबर, १९५८ तक ८,८५२ मकानों के स्थान स्वीकृत किए गए। इसके अतिरिक्त, २,४९४ मकान बनाने का काम चल रहा है।

अभ्रक-खानें

अभ्रक-खान श्रम कल्याण निधि में से बिहार के लिए १२,४७,४०० रु०, आन्ध्र के लिए ३,६०,३०० रु० तथा राजस्थान के लिए २,४३,५०० रु० व्यय करने की व्यवस्था की गई।

करमा (बिहार) का केन्द्रीय अस्पताल, जिसमें ५० शय्याएं है, खान-श्रमिकों की चिकित्सा कर रहा है। एक अस्पताल टिसरी (बिहार) में तथा एक अस्पताल कालीचेढ़ू (आन्ध्र) में बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, राजकीय औष-

धालय, चलती-फिरती चिकित्सा यूनिटें तथा जच्चा-बच्चा कल्याण केन्द्र भी श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। बिहार और आन्ध्र की अभ्रक-खानों में मलेरिया की रोकथाम करने के भी उपाय किए गए।

खान श्रमिकों तथा उनके बच्चों को पढ़ना-लिखना सिखाने के लिए बिहार में ६ प्रौढ़ शिक्षा तथा महिला कल्याण केन्द्र, राजस्थान में ११ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, ३ प्राइमरी स्कूल तथा १ मिडिल स्कूल, और आन्ध्र प्रदेश में ६ बुनियादी स्कूल और १ मिडिल स्कूल है। बच्चों को वजीफे तथा मुफ्त दोपहर का खाना, दूध, पुस्तकें तथा स्लेटें भी दी गई।

सितम्बर १९५८ के अन्त में कोयला-खानों को छोड़ कर अन्य खानों में १८३ शिशुगृह थे, तथा २६ और शिशुगृहों का निर्माण हो रहा था। इसके अतिरिक्त, १६ संयुक्त शिशुगृह तथा २१४ अस्थायी शिशुगृह भी चल रहे हैं। खानों मे पीने के पानी, प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड), सफाई, तथा आराम-घर आदि की व्यवस्था की ओर भी उचित ध्यान दिया गया। अपेक्षतया बड़ी खानों से प्रार्थना की गई कि वे अपनी खानों में श्रमिकों के लिए कैंटीनें खोलें और योग्यता-प्राप्त कल्याण अधिकारी नियुक्त करें।

बागान कर्मचारी

इस वर्ष यह सूचना मिली कि कुछ बागान मालिक अपने बागानों के छोटे-छोटे टुकड़े कर रहे हैं, जिससे कि बागान श्रम अधिनियम के अधीन उन पर जो उत्तरदायित्व आ पड़ेगा उससे वे बच जाएं। इसलिए इस अधिनियम में ऐसा संशोधन करने का विचार है जिससे कि राज्य सरकारों को यह अधिकार मिल जाए कि वे इस अधिनियम को २५ एकड़ से छोटे तथा ३० से कम मज़दूर लगाने वाले बागानों पर लागू कर सकें। राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके प्रस्तावित संशोधन को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

सामाजिक सुरक्षा

कर्मचारी राज्य बीमा योजना

इस योजना के अन्तर्गत जो व्यक्ति बीमा करवा लेते है, उनको बीमारी, प्रसूति तथा काम करते हुए चोट लग जाने की हालत में नकद रुपया तथा चिकित्सा की सुविधाएं दी जाती है। इस वर्ष यह योजना राजस्थान में सवाई-माधोपुर, उत्तर प्रदेश में हाथरस, अलीगढ़, बरेली, तथा शिकोहाबाद, मैसूर में बंगलोर, केरल में त्रिवेन्द्रम, असम में गोहाटी, ढुबरी, डिब्रूगढ़, तिन-सुखिया माकुम, तथा मद्रास में सलेम, त्रिरुप्पुर, मैत्तूर, उदमालपेट में भी लागू

कर दी गई। इसके अतिरिक्त, इस वर्ष राजस्थान, बिहार, मैसूर, पंजाब और असम के अनेक इलाकों मे बीमा-शुद व्यक्तियों के परिवारों को भी इस योजना का लाभ पहुंचाया गया। आशा है कि १९५८-५९ में यह योजना पंजाब में धारीवाल, केरल में कोज़ीकोडे, कन्नानोर और फिरोक, मद्रास में त्रिची, कोयल-पट्टी, शिकाशी तथा उन अन्य क्षेत्रों में लागू हो जाएगी जहां बीमा करवाने योग्य व्यक्तियों की संख्या १,५०० या अधिक होगी।

इस योजना के अन्तर्गत अब ७३ केन्द्रों से लगभग १३ लाख ५५ हज़ार कर्म-चारी लाभ उठा रहे है। अनुमान है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक लगभग ८६ लाख ७० हजार कर्मचारी तथा उनके परिवार वाले इस योजना से लाभ उठाने लगेंगे।

कर्मचारी भविष्य निधि योजना

कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम, १९५२, को आरम्भ में केवल ६ उद्योगों पर ही लागू किया गया था। परन्तु अब वह ३८ उद्योगों पर लागू है, और इसके अन्तर्गत सितम्बर १९५८ तक २४ लाख ४ हज़ार कर्मचारी तथा ७,१८९ कारखाने आ चुके है। सितम्बर १९५८ के अन्त तक भविष्य निधि में १ अरब २१ करोड़ ५० लाख रु० जमा हुआ। इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया जिससे कि इसे सरकारी तथा स्थानीय निकायों, कारखानों तथा प्रतिष्ठानों पर भी लागू किया जा सके।

कोयला-खान भविष्य निधि योजना

यह योजना असम (आदिमजातीय क्षेत्रों को छोड़ कर), पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बम्बई की सब कोयला-खानों पर लागू है। इसी प्रकार आन्ध्र प्रदेश कोयला-खान भविष्य निधि योजना आन्ध्र प्रदेश की कोयला-खानो पर लागू है। फरवरी १९५८ में राजस्थान में पालना कोयला-खानों मे एक अन्य योजना लागू की गई, जिसे राजस्थान कोयला खान भविष्य निधि योजना कहते हैं।

अप्रैल से लेकर अक्तूबर १९५८ तक ४२,४५८ कर्मचारी इस निधि के सदस्य बनाए गए, तथा इस वर्ष २,००,२७,२४८ रु० २५ नए पैसे एकत्र हुए। इस धनराशि को मिलाकर कुल १३,००,७४,२३७ रु० जमा हो चुका है।

इस वर्ष १६,५३,२६६ रु० ३३ नए पैसों के ८,५४३ दावों का भुगतान किया गया। इस प्रकार जब से यह निधि बनाई गई है, तब से लेकर अक्तूबर १९५८ तक ६३,७१२ मामलों मे ७९,७६,७८९ रु० ७३ नए पैसे दिए जा चुके है।

आरम्भ मे इस निधि मे चन्दा देने की दर एक समान नही थी। जनवरी १९५८ मे इस योजना मे संशोधन किया गया। अब प्रत्येक राज्य मे (राजस्थान को छोड़ कर) हर वर्ग के कर्मचारी से उसकी कुल आय का ६$\frac{3}{4}$ प्रतिशत चंदा लिया जाता है।

कोयला-खानों की बोनस देने की योजनाएं

कोयला-खान बोनस योजना, १९४८, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बम्बई की कोयला खानो पर लागू है। इसी प्रकार की तीन अन्य योजनाएं आन्ध्र प्रदेश, राजस्थान और असम मे लागू है। इस वर्ष ये योजनाएं ८३८ कोयला खानों पर लागू थी, जिनमें ३ लाख ६५ हजार कर्मचारी काम करते है।

नियोजन सेवा

रोज़गार केन्द्र (एम्प्लायमेंट एक्सचेंज)

दूसरी पचवर्षीय योजना के आरम्भ मे १३५ रोजगार केन्द्र थे। १५ नवम्बर, १९५८ तक स्वीकृत ९६ रोज़गार केन्द्रों में से ७२ केन्द्र खुले है।

खानों में काम करने वाले श्रमिकों के सहायतार्थ १९५८-५९ में दो खान नियोजन केन्द्र खोले गए—१ रानीगंज (पश्चिम बगाल) में और १ झरिया (बिहार) में। इसी प्रकार, विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए भी दिल्ली, बम्बई, अलीगढ, केरल और बनारस विश्वविद्यालयों में नियोजन कार्यालय (ब्यूरो) खोल दिए गए है।

रोज़गार की स्थिति

रोज़गार केन्द्रों ने जितने लोगों को रोज़गार दिलवाया है, उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष रोज़गार की स्थिति में कुछ सुधार हुआ। हर महीने अनेक मालिकों ने रोज़गार केन्द्रों की सेवाओं का उपयोग किया, तथा इस वर्ष उन्होंने पिछले वर्ष की तुलना मे अधिक खाली स्थानों की सूचना दी। परन्तु केन्द्रों के चालू रजिस्टरों से पता चलता है कि रोजगार ढूंढ़ने वाले लोगों की संख्या मे वृद्धि हुई। यह संख्या दिसम्बर १९५७ में ९,२२,०९९ थी जो नवम्बर १९५८ मे ११,५९,०३१ तक जा पहुंची।

रोज़गार के आंकड़े

रोजगार सम्बन्धी आंकड़े आदि एकत्र करने का काम सरकारी क्षेत्र मे सब राज्यों में तथा गैर-सरकारी क्षेत्र मे कोयमुत्तूर, बंगलोर, कानपुर, कटक और गोहाटी में शुरू किया गया।

व्यवसाय अनुसन्धान

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि मे १३ व्यवसाय सूचना यूनिटे स्थापित करने का विचार था। इनमें से १० यूनिटों ने पहले दो वर्षो में काम आरम्भ कर दिया था। १९५८-५९ मे शेष तीनों यूनिटें भी स्थापित करने का विचार था। इनमें से एक यूनिट केरल मे स्थापित करने की स्वीकृति दी गई। बाकी एक यूनिट मैसूर में तथा दूसरी राजस्थान मे स्थापित करने विचार किया जा रहा है।

छंटनी से निकाले गए कर्मचारी

शस्त्रास्त्र बनाने वाले कारखानो में से छटनी के कारण जो व्यक्ति बेरोजगार हो गए थे, उनमे से २,७३६ व्यक्तियों को नवम्बर १९५८ तक दूसरे कामो पर लगवाया गया। इसके अतिरिक्त, दामोदर घाटी निगम से छंटनी मे आए ४,५४४ श्रमिकों मेंसे ३,७९५ श्रमिको को नवम्बर १९५८ तक अन्य कामों में लगाया गया। जमशेदपुर में टाटा आयरन ऐण्ड स्टील कम्पनी का एक और संयंत्र लग जाने से कैसर इंजीनियर्स ऐण्ड ओवरसीज कारपोरेशन ने जिन कर्मचारियो को काम से अलग कर दिया था, उनको भी नौकरी दिलवाने में मदद दी गई। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन में जो २०० व्यक्ति फालतू हो गए थे, उनमे से ८० व्यक्तियो को दूसरे कामों पर लगाने का प्रस्ताव किया गया।

केन्द्रीय मितव्ययता बोर्ड के निर्णय के अनुसार पुनर्वास और नियोजन महानिदेशालय मे एक विशेष शाखा बना दी गई है, तथा केन्द्रीय सरकार के सब विभागो को यह हिदायत कर दी गई है कि उनके यहां जो जगहे खाली हों तथा जो कर्मचारी फालतू हो जाएं, उनकी सूचना वे इस विभाग को दें, ताकि ऐसे व्यक्तियों को कही और काम दिलवाने की व्यवस्था की जा सके। जिन १२३ फालतू व्यक्तियों के बारे मे इस शाखा को सूचित किया गया था, उनमे से ६१ को नवम्बर १९५८ तक काम दिलवाया गया।

शिक्षित बेरोजगार

पढ़े-लिखे बेरोजगारों के लिए केरल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल मे एक-एक केन्द्र खोलने का निश्चय किया गया। केरल (कालमश्री) तथा दिल्ली (पूसा) के केन्द्रों ने मार्च-अप्रैल, १९५७ से तथा पश्चिम बंगाल (कल्याणी) के केन्द्र ने मई १९५८ से कार्यारम्भ कर दिया। इन केन्द्रों में जो शिक्षा दी जाती है, उसका उद्देश्य यह है कि शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियो को विभिन्न

व्यवसायों की आवश्यक जानकारी प्रदान की जाए जिससे कि वे कुटीर उद्योगों और छोटे पैमाने के उद्योगों तथा सहकारी समितियों का आयोजन करना सीख जाएं अथवा छोटे-मोटे ठेके, या व्यापार या छोटी-मोटी पूजी से अपना कोई व्यवसाय जमा ले। नवम्बर १९५८ को समाप्त होने वाले वर्ष में केरल और दिल्ली के केन्द्रो में दो समूहों ने प्रशिक्षण पूर्ण कर लिया तथा पश्चिम बंगाल में एक समूह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है।

उपर्युक्त योजना के अतिरिक्त, राष्ट्रीय शागिर्दी योजना के अन्तर्गत पढ़े-लिखे बेरोजगारो को विभिन्न सरकारी विभागों तथा प्रतिष्ठानो मे शागिर्द रख कर काम सिखलाने की व्यवस्था है। उदाहरण के लिए, रक्षा मंत्रालय ने प्रति वर्ष ५० शिक्षित बेरोजगारों को शस्त्रास्त्र के ९ कारखानों में लेना स्वीकार कर लिया है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों मे विभिन्न योजनाओ के लिए प्रशिक्षित कर्मचारियो की जितनी आवश्यकता है, उसको पूरा करने की दृष्टि से सरकार ने यह निश्चय किया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि में दस्तकारों को प्रशिक्षण देने का जो लक्ष्य रखा गया है उसको कम से कम तिगुना कर दिया जाए। जो संस्थान और केन्द्र दस्तकारों को प्रशिक्षण देते हैं, उनमे इस समय १०,५०० व्यक्तियों को काम सिखाने की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त, दूसरी योजना की अवधि मे २६,००० और व्यक्तियों के लिए व्यवस्था करने का विचार है। इसी प्रकार, राष्ट्रीय शागिर्दी योजना तथा औद्योगिक श्रमिको के प्रशिक्षण की योजना (सायंकालीन कक्षा) के अन्तर्गत नवम्बर १९५८ तक क्रमशः १,४६१ तथा १,४५२ व्यक्तियों को काम सिख-लाने की स्वीकृति दी गई।

अक्तूबर १९५८ के अन्त तक दस्तकारों को प्रशिक्षण देने वाले केन्द्रों की कुल संख्या १०६ थी, जिनमें २८ तकनीकी तथा २० व्यावसायिक धंधों का काम सिखाया गया। अक्तूबर १९५८ तक ७,९६८ व्यक्तियो को काम सिखाया गया। अब तक ३८,०९५ व्यक्तियों को काम सिखाया जा चुका है।

संशिक्षक (इंस्ट्रक्टर) संस्थान

कोनी-बिलासपुर तथा औंध (पूना) के केन्द्रीय संशिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों से अक्तूबर १९५८ तक ३१० प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण लेकर निकले। इस अवधि तक कुल २,१६७ संशिक्षकों या निरीक्षकों (सुपरवाइजरो) को प्रशिक्षण दिया गया।

महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली, में महिलाओं को दस्तकार संशिक्षिकाओं के रूप में प्रशिक्षण देने की योजना १९५५-५६ में आरम्भ की गई थी। यह योजना इस वर्ष भी चालू रही। इस योजना के अन्तर्गत महिलाओं को कटाई, सिलाई, कसीदाकारी तथा कढ़ाई का काम सिखाया गया। अक्तूबर १९५८ तक इस संस्थान में ११५ महिलाओं को काम सिखलाया गया।

साज-सामान

तकनीकी सहयोग करार के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत जनवरी से नवम्बर १९५८ की अवधि में विभिन्न औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों अथवा संस्थानों को तथा केन्द्रीय संशिक्षक प्रशिक्षण संस्थान, औंध (पूना) को लगभग ७,०५,९०० रु० मूल्य का साज-सामान प्राप्त हुआ। इस प्रकार, इस सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग २९,६८,५०० रु० मूल्य का सामान प्राप्त हो चुका है। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और तट कर करार के सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत रूस से भी लगभग १,९२,७०९ रु० मूल्य का साज-सामान प्राप्त हुआ।

औद्योगिक आवास

राजसहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत लोगों को मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भारतीय श्रम सम्मेलन ने (जिसका अधिवेशन मई १९५८ मे नैनीताल मे हुआ था) सिफारिश की कि मालिकों को ऋण देने का प्रतिशत ३७½ से बढ़ा कर ५० प्रतिशत कर दिया जाए, सहायता देने के नियम उदार कर दिए जाएं तथा मालिकों से आय-कर लेने में रियायत की जाए। इनमें से पहली सिफारिश को सरकार ने मान लिया है तथा शेष सिफारिशें विचाराधीन हैं।

तकनीकी सहायता

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के विस्तृत तकनीकी सहायता कार्यक्रम तथा 'चार-सूत्री कार्यक्रम' के अन्तर्गत इस वर्ष विभिन्न योजनाओं के लिए साज-सामान आदि प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त, उत्पादकता, रोजगार सूचना और व्यवसाय विश्लेषण, अंधो को व्यवसाय प्रशिक्षण, शिक्षा पद्धति, अर्ध-बेरोजगारी और औद्योगिक सम्बन्धों के क्षेत्र मे ७ विदेशी विशेषज्ञों की सेवाओं का उपयोग किया गया। कुल मिला कर २२ प्रशिक्षणार्थियों को ट्रेड

यूनियन, श्रम-प्रशासन और प्रबन्ध तथा खान-निरीक्षण के सम्बन्ध मे प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए विभिन्न देशों में भेजा गया। इसके अतिरिक्त, संयुक्त राष्ट्र के विस्तृत तकनीकी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत इस मंत्रालय ने भारत में इंडोनेशिया, थाइलैंड, श्रीलंका और पेरू के अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन मे वज़ीफे पाने वाले चार व्यक्तियों को श्रम विधान और प्रशासन, हस्तशिल्प, औद्योगिक कलाएं, ग्राम उद्योग, सहकारी आवास आदि विषयों पर प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की।

पुनर्वास और नियोजन महानिदेशालय

इस वर्ष रोज़गार केन्द्रों मे संकलित आकड़ों के आधार पर स्कूल शिक्षकों की उपलब्धि तथा माग का अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से मालूम हुआ कि सबसे अधिक कमी हाई स्कूल शिक्षकों की, विशेषकर विज्ञान के विषय पढ़ाने वाले शिक्षको की है। इसके अतिरिक्त, रोजगार केन्द्रों के आकड़ों पर आधारित काम ढूढ़ने वाले व्यक्तियों की संख्या तथा उन्हें किस प्रकार का काम चाहिए, इसका भी अध्ययन किया गया। इस अध्ययन से पता चला कि यद्यपि रोजगार केन्द्रों के चालू रजिस्टरों में नाम दर्ज करवाने वाले व्यक्तियों की सख्या बढती जा रही है, तथापि १९५५ की तुलना मे १९५७ में वृद्धि की दर कम रही। इससे प्रतीत होता है कि १९५७ तक पंचवर्षीय योजनाओं ने रोज़गार के जितने अवसर उपलब्ध किए, उनसे बेरोज़गारी घटी।

इसी प्रकार, पुनर्वास और नियोजन महानिदेशालय की दस्तकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत जिन लोगों ने प्रशिक्षण पाया, वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद क्या काम कर रहे है, इस सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अक्तूबर १९५७ में जाच आरम्भ की गई थी। यद्यपि यह जाच केवल दिल्ली के प्रशिक्षण केन्द्रों में ही की गई, तथापि इससे पता चला कि ६० प्रतिशत से अधिक व्यक्ति उपयुक्त काम-धन्धों में लगे हुए है।

श्रम कार्यालय (लेबर ब्यूरो)

श्रम कार्यालय रोज़गार, काम की दशाओं, कल्याण कार्यो आदि के सम्बन्ध में इस वर्ष भी आंकड़े एकत्र करने तथा इनके बारे में जानकारी देने का काम करता रहा। इस वर्ष सारे देश में आकड़े एकत्र करने की व्यवस्था की गई, जबकि इससे पूर्व भूतपूर्व 'क' भाग के राज्यों तथा कुछ 'ग' भाग के राज्यों से ही आंकड़े एकत्र किए गए थे।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत श्रम कार्यालय को ५० औद्योगिक केन्द्रों में परिवार-बजट की पुनः जांच करने तथा अखिल भारतीय आधार पर

वेतनों का अध्ययन करने, श्रम उत्पादकता के अस्थायी सूचक अंक तैयार करने तथा असंगठित उद्योगों में श्रमिकों की दशाओं का सर्वेक्षण करने का भी काम सौंप दिया गया है।

श्रम कानून

इस वर्ष जो महत्वपूर्ण कानून बनाए गए, उनमें श्रमजीवी पत्रकार (वेतन-दर निर्धारण) अधिनियम, १९५८; वेतन देने का (संशोधन) अधिनियम, १९५७––जो अप्रैल १९५८ मे लागू हुआ; औद्योगिक विवाद (बैंकिंग कम्पनियां) निर्णय (संशोधन) अधिनियम, १९५८; तथा औद्यौगिक विवाद (केन्द्रीय) नियम, १९५७ के संशोधन उल्लेखनीय है। कर्मचारी क्षतिपूर्ति (संशोधन) विधेयक, १९५८, लोक-सभा में है। राज्य-सभा ने इसे २७ नवम्बर, १९५८ को पास कर दिया था।

राज्य

असम

खाद्य

पशु-पालन

आलोच्य वर्ष में पशु-पालन के विकास के लिए कुल मिला कर १९ योजनाएं कार्यान्वित की जा रही थी। पशुओं के रोगों पर नियंत्रण करने की योजनाओं को भी इस वर्ष कार्यान्वित किया गया।

राज्य-भर में ६० कृत्रिम गर्भाधान प्रयोगशालाए खोलने की योजना के अन्तर्गत आलोच्य वर्ष में १० प्रयोगशालाएं खोली गई। गोहाटी, बोरपेटा, तेजपुर, जयसागर और डिब्रूगढ़ में प्रमुख ग्राम केन्द्रो का विस्तार किया गया।

मुर्गी-पालन के क्षेत्र मे भी काफी काम गिया गया। दो मुर्गी-पालन विस्तार केन्द्रों की स्थापना की गई। १५ पशु-चिकित्सालयों के निर्माण का काम चल रहा है। इसके अलावा, ६ पशु-चिकित्सालयों के निर्माण की तैयारी की जा रही है। अब तक १२ लाख मवेशियों को खुर-रोग से बचाने के लिए टीके लगाए जा चुके हैं।

सहकारिता

जून १९५८ तक इस राज्य में २,७९८ ग्रामीण ऋण समितियां थीं जिनकी कुल सदस्य संख्या ७७,९२० थी। अब तक २०० से अधिक बड़ी ऋण समितियां और ६६ प्राथमिक हाट समितियां स्थापित की जा चुकी है। इनके अतिरिक्त, एक 'केन्द्रीय भूमि-बन्धक बैंक' और एक 'राज्य गल्ला-गोदाम निगम' की स्थापना भी की गई। उक्त बैंक अब तक अपने सदस्यों को ऋण के रूप में ९ लाख ७८ हज़ार रुपये दे चुका है।

डेरगांव-स्थित असम सहकारी चीनी मिल मे दिसम्बर १९५८ से उत्पादन आरम्भ हो गया। इसी प्रकार गोहाटी में दूध को कीटाणु-मुक्त करने का एक यन्त्र, और नौगांव में एक जूट विक्रय सहकारी समिति की स्थापना हुई। डीफू में एक सहकारी सूती मिल स्थापित करने का काम चल रहा है।

पंचायत

आलोच्य वर्ष में ४२२ पंचायतें काम करती रही। इनसे पहले २,६५७ पंचायतों की स्थापना हो चुकी थी। इन पंचायतों के अन्तर्गत १७,५९८ गांव है। इस तरह पंचायतों ने ६० लाख २५ हज़ार व्यक्तियों की सेवा की। इसके अलावा, आलोच्य वर्ष में ३७ पंचायत अदालतें स्थापित की गई। राज्य विधान सभा मे एक विधेयक पारित किया गया है जिसके द्वारा इन पंचायत अदालतों को फौजदारी और दीवानी मामलों में काफी अधिकार दे दिए गए है।

अगस्त १९५९ तक प्राथमिक पंचायतों के लगभग २०० सचिवों को पंचायत अधिनियम का विशेष अध्ययन कराया जा चुका होगा। इस प्रकार आलोच्य वर्ष में पंचायत अधिनियम में विशेष योग्यता-प्राप्त सचिवों की संख्या ४०० हो जाएगी। बम्बई-स्थित टाटा समाज विज्ञान संस्थान में ग्राम कल्याण का प्रशिक्षण लेने वाले ५ विकास अधिकारियों ने जनवरी १९५९ में अपना पाठ्यक्रम पूरा कर लिया।

बलवन्तराय मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी कि शासन प्रबन्ध का जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण किया जाना चाहिए। इस सिफारिश को अमल में लाने की दृष्टि से असम ग्राम पंचायत विधेयक, १९५९ पास किया गया। इस नए अधिनियम की व्यवस्थाओं के अन्तर्गत अब तक ३,००० गांव सभाएं, १०८ आंचलिक पंचायतें और १६ मोहकमा परिषदें होंगी।

असम राज्य में २,००० एकड़ से अधिक भूमि में शहतूत की खेती होती है। १९५८-५९ में ५०० शहतूत उगाने वालों को आर्थिक सहायता दी गई ताकि वे शहतूत के बागानों का विस्तार कर सकें।

भूमि-सुधार

आलोच्य वर्ष में गोलपाड़ा ज़िले में ज़मीदारी की जायदादों पर कब्ज़ा करने का काम पूरा हो गया। अब तक अन्तरिम मुआवज़े के रूप में २ लाख रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

राज्य सरकार ने हाल ही में एक भूमि-सुधार मण्डल की स्थापना की है। यह मण्डल भूमि-सुधार सम्बन्धी कार्यों को लागू करने के लिए प्रयत्नशील है। भूमि को छोटी-छोटी जोतों में बंटने से रोकने और चकबन्दी के लिए एक विधेयक पर विचार किया जा रहा है।

उद्योग

जुलाई १९५८ मे उद्योग विकास सम्मेलन हुआ, जिसमे राज्य मे उद्योगों के विकास के तरीकों पर विचार किया गया। इस वर्ष उद्योग विभाग का पुनर्गठन भी किया गया और एक उद्योग निदेशालय की स्थापना की गई। मई १९५८ मे बड़े उद्योगों का एक निदेशक नियुक्त किया गया।

राज्य में लगभग १०० नए उद्योग स्थापित किए जा रहे है। कंटीले तार, तागे की जालियां, कील आदि बनाने वाले कई कारखानों में तो उत्पादन आरम्भ भी हो गया है। कई कारखाने बन कर लगभग तैयार हो चुके है और कुछ कारखानों का निर्माणकार्य आरम्भ किया जा चुका है।

आलोच्य वर्ष मे एक विकास परिषद, एक प्राविधिक समिति और अनेक अन्य समितियां नियुक्त की गई जिनका काम विभिन्न उद्योगो का अध्ययन करना है।

गोहाटी में औद्योगिक बस्ती का उद्घाटन ५ नवम्बर, १९५८ को हुआ। ५२ भवनो के निर्माण का प्रस्ताव है, जिनमे से ४० भवन विभिन्न प्रकार के लघु उद्योगों को दिए जाएंगे। अभी तक इस बस्ती की स्थापना पर १२ लाख ५० हजार रुपये खर्च किए जा चुके है।

आवास-व्यवस्था

कम आय वालो के लिए आवास की व्यवस्था करने की योजना के अन्तर्गत १५ अगस्त, १९५८ से ३१ मार्च, १९५९ के दौरान मे २७४ मकानो के निर्माण के लिए १७ लाख ८५ हजार रुपये ऋण के रूप मे दिए गए। १५ अगस्त, १९५९ तक निर्माणकार्य के लिए १० लाख रुपये और स्वीकृत होने की आशा है। भंगियो के रहने की व्यवस्था करने के लिए स्थानीय निकायों को ७७,४०० रुपये दिए गए। इस धन से ३२ मकान बनेंगे।

राज्य की सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत १५ अगस्त, १९५९ तक ६ लाख रुपये व्यय होने की आशा थी। ३०३ क्वार्टरों के निर्माण का काम हाथ में लिया जा चुका है जिन पर अनुमानतः १० लाख रुपये लागत आएगी। इनमें से १३६ क्वार्टर तो बन कर तैयार हो चुके हैं और ५० क्वार्टर १५ अगस्त, १९५९ तक तैयार हो जाएंगे।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

सहकारी हाट समिति द्वारा कृषि उत्पादन को जमा करने के लिए मैबोंग में १ गोदाम बनाया गया। ४ गोदामों का निर्माणकार्य जारी है। शिलांग में एक ज़िला हाट समिति की स्थापना की गई। कृषि उत्पादनों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का प्रबन्ध करने के लिए ९ समितियों को

५३,७४७ रुपये दिए गए। मछलियों की बिक्री की व्यवस्था करने वाली ५ हाट समितियों की स्थापना भी की गई।

मद्य-निषेध

१ अप्रैल, १९५९ से राज्य में अफीम खाने पर बिल्कुल प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। अफीम के आदी चन्द पंजीकृत व्यक्तियों की चिकित्सा विभिन्न केन्द्रो में की जा रही है। १५ अगस्त, १९५८ से अब तक १७२ अफीमचियों को अफीम की लत से मुक्त किया जा चुका है। मार्च १९५९ में अफीम के आदी लोगों की चिकित्सा के लिए डिब्रूगढ़ सब-डिवीजन के ढेमाजी नामक स्थान पर एक और चिकित्सा-केन्द्र खोला गया।

१ अप्रैल, १९५९ से गांजे पर भी पूर्णरूप से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। गांजे की सब दूकाने बन्द कर दी गई हैं।

लघु बचत योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षो मे राज्य में ६ करोड ३० लाख ७५ हजार रुपये एकत्र किए गए, जिनमें से २ करोड़ ६५ लाख ५३ हजार रुपये १९५८-५९ में जमा किए गए।

आन्ध्र प्रदेश

खाद्य और कृषि

१९५८ में ५ लाख ३९ हजार टन अतिरिक्त खाद्यान्न का उत्पादन होने की आशा थी। इस समय एक लाख एकड़ से अधिक भूमि में जापानी पद्धति से धान की खेती की जा रही है।

सिंचाई

बड़े योजनाकार्यो में से नागार्जुनसागर योजनाकार्य का काम जारी है। राजोलीबाण्डा योजना, मूसी योजनाकार्य तथा अन्य योजनाओं का काम भी सन्तोषजनक रूप से चल रहा है। राज सरकार का वंशधारा योजनाकार्य सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय जल और बिजली आयोग के विचाराधीन है।

सहकारिता

फरवरी १९५९ तक १३२ बड़ी तथा ९०७ छोटी समितियां स्थापित की गई। ३१ दिसम्बर, १९५८ को कृषि ऋण सहकारी समितियों के कार्यक्षेत्र में ७० प्रतिशत गांव थे।

सामुदायिक विकास

इस समय राज्य मे २३५ सामुदायिक विकास खण्ड है । १ जुलाई, १९५८ को २० ज़िलों मे २० तदर्थ पंचायत समितियां स्थापित की गई । पंचायत समितियों तथा ज़िला परिषदो की स्थापना के लिए राज्य की विधान सभा में एक विधेयक भी रखा जा चुका है ।

भूमि-सुधार

'आन्ध्र प्रदेश कृषि जोत सीमा-निर्धारण विधेयक', १९५८ में राज्य की विधान सभा में रखा गया। इस समय प्रवर समिति इस पर विचार कर रही है। इस विधेयक में वर्तमान जोतों तथा भविष्य के लिए जोतों के सीमा-निर्धारण के लिए व्यवस्था की गई है । वर्तमान लगान प्रणाली तथा दरों की जांच के लिए नियुक्त की गई समिति ने जनवरी १९५९ में अपना प्रतिवेदन दे दिया ।

शिक्षा

शिक्षित लोगों की बेरोजगारी दूर करने के लिए इस वर्ष १,१४० अध्यापकों की और आन्ध्र तथा तेलंगाना क्षेत्रों में क्रमश: ८८० तथा ८६४ प्राथमिक अध्यापकों की नियुक्ति के लिए स्वीकृत दी गई ।

आन्ध्र तथा तेलंगाना क्षेत्रों में १६८ मिडिल तथा ८८ हाई स्कूल खोले गए । आन्ध्र तथा तेलंगाना मे क्रमश: १० तथा २ हाई स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उन्हें उन्चतर माध्यमिक तथा बहूद्देश्यीय स्कूल बना दिया गया ।

पाठ्यपुस्तकों के राष्ट्रीयकरण के लिए हैदराबाद में जनवरी १९५९ से एक मुद्रणालय का काम आरम्भ हो गया ।

सरकार ने नालगोण्डा के नागार्जुन कालेज और आदिलाबाद के कला तथा विज्ञान कालेज को अपने अधिकार में ले लिया । कुरनूल नें दो नए महिला कला कालेज खोले गए ।

हैदराबाद की सरकारी बहुधन्धी संस्था में दूर-सचार के विषय का अध्यापन आरम्भ किया गया । आन्ध्र, काकिनाडा, विशाखापटनम तथा हैदराबाद की बहुधन्धी संस्थाओं मे २५० अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था की गई ।

१९५८-५९ में अनन्तपुर तथा काकिनाडा के इंजीनियरी कालेजों में इंजीनियरी के पूर्व व्यवस्थापक पाठ्यक्रम के अध्यापन की व्यवस्था की गई । वारंगल की बहुधन्धी संस्था में मशीनी तथा विद्युत् इंजीनियरी पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की गई ।

स्वास्थ्य

राज्य में ३७६ अस्पताल तथा ६२१ दवाखाने थे। काकिनाडा में एक नया गैर-सरकारी मेडिकल कालेज खोला गया। कई गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भी स्थापित किए जा चुके हैं।

उद्योग

इस वर्ष राजमुन्द्री की आन्ध्र कागज़ मिल का विस्तार करने का निर्णय किया गया। गुडूर की सरकारी कुम्हारी-काम कारखाने का भी विस्तार किया जा रहा है। सरकार ने तिरुपति की श्री वेंकटेश्वर कागज़ तथा गत्ता मिल अपने नियंत्रण में ले ली है।

सयालकोट तथा हैदराबाद की औद्योगिक बस्तियों का उद्घाटन किया गया और अन्य बस्तियां नन्दयाल, वारंगल, विजयवाडा तथा विशाखापटनम में स्थापित की जा रही हैं।

हैदराबाद मे 'औद्योगिक सुरक्षा तथा उत्पादन क्षमता संस्था' स्थापित की जा रही है। इस वर्ष उद्योगों में अपने आप निरीक्षण करने की एक योजना आरम्भ की गई। एक सुरक्षा प्रतियोगिता मे पश्चिम तथा पूर्व गोदावरी ज़िलो की ६० प्रतिशत मिलों ने भाग लिया।

नियोजन

१६५८-५६ मे नियोजन सेवा महबूब नगर तथा मेडक को छोड़ कर राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में भी लागू कर दी गई। इसी अवधि में १,४१,३३६ व्यक्तियों ने अपने नाम दर्ज कराए और १४,४६५ व्यक्तियों को रोज़गार प्राप्त हुआ।

परिवहन

११ जनवरी, १६५८ को एक राज्यीय सड़क परिवहन निगम स्थापित किया गया। निगम ने कृष्णा जिले के कुछ मार्ग अपने अधिकार मे कर लिए है।

गौतमी तथा तुंगभद्रा नदियों पर पुल बनाने का काम जारी है। कृष्णा नदी पर रंगपुरम-गडवाल पुल का इस वर्ष शिलान्यास किया गया।

बिजली

मचकुण्ड पनबिजली योजना के अधीन २१,२५० किलोवाट की क्षमता के चौथे बिजली उत्पादन संयत्र का काम जनवरी १६५६ से आरम्भ हो गया। पाचवा तथा छठा संयंत्र लगाए जा रहे हैं।

३१ मार्च, १९५९ के अन्त तक आन्ध्र क्षेत्र में २८० से अधिक अतिरिक्त गांवों तथा छोटे नगरो और तेलंगाना क्षेत्र में लगभग १०० गांवों मे बिजली की व्यवस्था पूरी हो जाने की आशा थी ।

समाज कल्याण

जिन क्षेत्रों मे अनुसूचित आदिमजातियां रहती है, उनमे स्कूल खोले जा रहे है तथा मलेरिया विरोधी कार्यवाही की जा रही है । बस्तिया बनाने का काम भी आरम्भ कर दिया गया है । चेचू, येनाडि, येरकुल तथा सोगलि लोगों के कल्याण की योजनाओं का काम सुचारु रूप से चल रहा है ।

हरिजनो तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लोगों को छात्रवृत्तियां तथा अन्य रियायते देकर शिक्षा की अधिक सुविधाएं दी जा रही है । हरिजनो को गृह-निर्माण के लिए नि शुल्क भूमि देने के लिए भूमि खरीदी जा रही है । हरिजनों के लिए कुटीर उद्योग प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्र और औद्योगिक सहकारी समितियां स्थापित की जा रही है ।

प्रशासन

राज्य सरकार द्वारा नियुक्त 'मितव्ययिता समिति' ने अपनी सिफारिशें तैयार कर ली हैं, जिनमें प्रति वर्ष ३३ लाख ७० हजार रुपये की बचत का लक्ष्य रखा गया है । कम वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों की सेवा की शर्तो तथा उनके वेतन-स्तरों की जांच के लिए नियुक्त वेतन समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी है । इन सिफारिशों के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के सरकारी कर्मचारियों और लोअर डिवीज़न क्लर्को का न्यूनतम वेतन क्रमशः ५६ रुपये तथा ८४ रुपये प्रति मास निर्धारित किया गया है । अधीक्षकों तथा अपर डिवीज़न क्लर्को के लिए उच्चतर वेतन की सिफारिश की गई है । इन सिफारिशों को १ नवम्बर, १९५८ से कार्यरूप दे दिया गया है ।

उड़ीसा

खाद्य और कृषि

मौसम अनुकूल होने के कारण खरीफ की फसल के लिए निर्धारित किए गए लक्ष्य अनुमान से अधिक प्राप्त कर लिए गए । १९५८-५९ में ४३,९२५ मन धान के उन्नत बीज बाटे गए । जापानी पद्धति से धान की खेती का क्षेत्रफल दूने से अधिक हो गया ।

नवम्बर १६५८ के अन्त तक हीराकुड बांध योजनाकार्य से २,४१,६८३ एकड़ भूमि सीची गई। द्वितीय योजना में ६ करोड़ ४७ लाख ३० हज़ार रुपये की लागत से ११ मध्यम सिंचाई योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार किया गया है। भूमि के नीचे पानी का पता लगाने का काम किया जा रहा है।

सरकार ने १४ करोड़ ६२ लाख रुपये की लागत की मुहाना सिचाई योजनाओं को द्वितीय योजना में कार्यान्वित करने के लिए स्वीकृति दे दी है। मुण्डाली बाध की बनावट का अन्तिम रूप से निश्चय कर लिया गया है। इस वर्ष ६२ ५० एकड़ अतिरिक्त भूमि मे सिचाई की व्यवस्था होने की आशा है।

१६५८-५६ की छोटी सिंचाई योजनाओं के लिए ४६ लाख २४ हज़ार रुपये की व्यवस्था की गई। इन योजनाओं की देखभाल के लिए एक पृथक निदेशालय स्थापित कर दिया गया है।

भूमि-संरक्षण

भूमि-संरक्षण का कार्य अंगुल, कोरापुट, राजगंगपुर तथा लारम्भा मे आरम्भ हुआ। चिल्का नदी क्षेत्र में २५० एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया गया।

सहकारिता

राज्य की लगभग ३० प्रतिशत जनसंख्या को सहकारिता का लाभ मिलने लगा है। ३४६ बड़ी ऋण समितिया स्थापित की जा चुकी है। इस वर्ष एक पटसन हाट व्यवस्था समिति का काम आरम्भ हुआ। इस वर्ष चिल्का झील के चारों ओर बसे मछुओं की भी सहकारी संस्थाएं बनाई गईं।

सहकारी समितियों ने कम आय वाले लोगों के लिए शहरी क्षेत्रो मे गृह-निर्माण के लिए २१ लाख ३७ हज़ार रुपये दिए। ३७३ मकान बनवाए जा चुके हैं।

हाट व्यवस्था की उत्तम सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिए द्वितीय योजना में १५ नियन्त्रित बाजार स्थापित करने का विचार किया गया है। एक राज्यीय गोदाम निगम भी स्थापित किया जा चुका है।

३१ दिसम्बर, १६५८ को राज्य मे १,६०३ अनाज के गोल थे जिनमें २,७०,१६६ मन धान संगृहीत किया गया और इनमें से २३,६०१ मन बीज बांटे गए।

पशुपालन

इस वर्ष कटक में दो उपकेन्द्रों के साथ एक कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र और बारी क्षेत्र में एक केन्द्र-ग्राम विस्तार केन्द्र खोले गए।

वन

वनों के विकास के लिए १९५८-५९ में १२ लाख ७६ हज़ार रुपये व्यय किए जाने की आशा थी। ४,००० एकड़ से अधिक भूमि मे वृक्ष लगाए गए।

शोधकार्य

भुवनेश्वर में राज्यीय कृषि शोध संस्था की प्रयोगशालाएं खोली गई और विभिन्न प्रकार की फसलों के सम्बन्ध में प्रयोग आरम्भ किए गए। सम्भलपुर के कृषि शोध केन्द्र मे हीराकुड सिंचित क्षेत्र-उपयोगी फसल मालूम करने के लिए परीक्षण किए गए। कई व्यापारिक फसलों की शोध योजनाओं का भी काम आरम्भ किया गया।

भूमि-सुधार

सरकार अब तक १८,९४९ जागीरे अपने अधिकार मे ले चुकी है। अनुमान लगाया गया है कि इन जागीरों के बदले मे लगभग ९ करोड़ रुपये की क्षति-पूर्ति देय होगी।

कालाहण्डी सदर, धर्मगढ़ तथा सोनपुर सब-डिवीज़नों में गौण्टिया लोगों के स्थान पर लगान वसूल करने के लिए पूरे समय के सवैतनिक कर्मचारी नियुक्त किए जा चुके है। इन सब-डिवीज़नो में भोगरा भूमि बाटे जाने का काम जारी है।

भूमि सुधार सम्बन्धी उपयुक्त उपाय सुझाने के लिए नियुक्त समिति का प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है।

सामुदायिक विकास

राज्य में इस समय २४ सामुदायिक विकास खण्ड तथा १८ पूर्व-विस्तार खण्ड है। दिसम्बर १९५८ तक इन पर ३ करोड़ २४ लाख ६४ हज़ार रुपये व्यय हुए।

इस वर्ष एक पंचसूत्री कृषि कार्यक्रम कार्यान्वित किया गया। हरी खाद-उपयोगी वृक्षों के बीज भी बोए गए। राज्य-भर में जापानी पद्धति से खेती करने का अभियान आरम्भ किया गया।

मुर्गीपालन को लोकप्रिय बनाने के लिए एक विशेष विकास योजना तैयार की गई। कृत्रिम मछलीपालन के लिए तालाबों के जीर्णोद्धार के लिए ग्राम पंचायतों को ऋण दिए गए। मछलीपालन के विकास के लिए ५ करोड़ ६८ लाख रुपये की लागत के कई योजनाकार्य आरम्भ किए गए।

बिजली

हीराकुड बाध के मुख्य बिजलीघर का चौथा संयंत्र मार्च १९५८ में चालू हो गया। सम्प्रेषण तार लगाए जाने का कार्य जारी है। चिपलिना में बिजलीघर के लिए नींव की खुदाई का कार्य पूरा हो गया।

मचकुण्ड पनबिजली योजनाकार्य की कुल प्रस्थापित क्षमता १,१५,५०० किलोवाट है। १७,२५०-१७,२५० किलोवाट के ३ बिजली उत्पादन यन्त्र लगाए जा चुके हैं। चौथा तथा पांचवां यन्त्र लगाए जा रहे हैं।

दुधमा सम्प्रेषण योजना के अधीन बिजली की कई लाइनें लगाने का कार्य पूरा हो गया है।

हीराकुड बिजली उपयोग योजना के अधीन १९५८-५९ में ३७,५०० किलोवाट बिजली के उत्पादन की आशा थी।

द्वितीय योजना में गांवों मे बिजली लगाने की योजनाओं के लिए १ करोड़ ५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। बड़े गांवों तथा छोटे नगरों में बिजली उपलब्ध करने के लिए कई डीज़ल केन्द्र स्थापित किए जा चुके है तथा कुछ अन्य केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं।

शिक्षा

इस वर्ष १,००० प्राथमिक स्कूल अध्यापक नियुक्त किए गए। द्वितीय योजना के प्रथम ३ वर्षो में २७ प्रारम्भिक प्रशिक्षण स्कूल खोले गए। महिला शिक्षा के विस्तार की योजना के अधीन गरीब परिवारों की बालिकाओं को उपस्थिति के आधार पर छात्रवृत्तियां दी गई। महिलाओ द्वारा अध्यापन का व्यवसाय अपनाए जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए प्रशिक्षण संस्थाओं में शिष्यवृत्तियों की संख्या बढ़ा दी गई।

दूसरी योजना के पहले ३ वर्षो में १५० मिडिल अंग्रेज़ी स्कूलों में दस्तकारियों की शिक्षा देना आरम्भ किया गया था। ७ जूनियर बुनियादी स्कूलों का स्तर बदल दिया गया और ८९ बेसिक ट्रेनिंग-प्राप्त मैट्रिक पास व्यक्तियो तथा ११५ बेसिक ट्रेनिंग-प्राप्त ग्रजुएटों को अध्यापक नियुक्त किया गया।

१९५७-५८ मे नियुक्त किए गए अंग्रेजी तथा सामान्य विज्ञान के दो विशेषज्ञों के अलावा इस वर्ष एक अन्य सामान्य विज्ञान विशेषज्ञ नियुक्त किया गया।

वर्तमान परीक्षा प्रणाली मे सुधार करने के लिए एक परीक्षा शोध कार्यालय स्थापित किया गया ।

द्वितीय योजना के प्रथम ३ वर्षो में १५ मिडिल अंग्रेजी बालिका स्कूल और १०३ बालक स्कूल खोले गए। १९५८-५९ में ४ हाई स्कूलों में उच्चतर माध्यमिक बहूद्देश्यीय शिक्षा की व्यवस्था की गई।

हाई स्कूल में दस्तकारी की शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है। दस्तकारी के अध्यापकों के प्रशिक्षण के लिए एक कला तथा दस्तकारी स्कूल खोला गया। सुन्दरगढ़ ज़िले में एक नया माध्यमिक प्रशिक्षण स्कूल खोला गया और राधानाथ प्रशिक्षण कालेज में एम० एड० के वर्ग लगाए जाने लगे।

इस वर्ष ५ जिला समाज शिक्षा संगठनकर्त्ता नियुक्त किए गए। राज्य के तेरहों जिलों में ऐसा एक-एक अधिकारी है। गावों के पुस्तकालयों को पुस्तकें तथा समाचारपत्र खरीदने के लिए अनुदान दिए गए। प्रौढ व्यक्तियों के लिए भी साहित्य तैयार किया जा रहा है।

स्वास्थ्य

१९५८ में राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय १ रुपया ३ नये पैसे रहा।

इस समय १० मलेरिया तथा ५ फाइलेरिया नियन्त्रण टुकड़ियां और ९ बी० सी० जी० टीका टुकड़िया है। अब तक १७,०४,५११ व्यक्तियों को टीके लगाए जा चुके है और ४४,२५,६१४ व्यक्तियों की क्षय रोग की जांच की जा चुकी है।

इस वर्ष १३ सहायक कोढ़ उपचार केन्द्र खोले गए। दो अंग्रेज़ी दवाखाने, दो आयुर्वेदिक दवाखाने, चांदपुर में १५० रोगी शय्याओं वाला एक क्षय अस्पताल, बरीपदा में एक क्षय रोग उपचारालय और शहरों मे २८ तथा ग्रामीण क्षेत्रों में २५ परिवार नियोजन केन्द्र खोले गए।

श्रीरामचन्द्र भंज चिकित्सा कालेज में प्रवेशार्थियों के स्थानों की संख्या बढ़ा कर १०० कर दी गई। बडला में भी एक चिकित्सा कालेज स्थापित किया जा रहा है। दाइयों आदि के प्रशिक्षण की योजनाएं भी कार्यान्वित की जा रही हैं।

जल व्यवस्था करने की चार योजनाएं, जो प्रथम योजनाकाल में अथवा इससे पूर्व आरम्भ की गई थीं, अब द्वितीय योजनाकाल में पूरी की जा रही हैं। इस सम्बन्ध में १९५८-५९ में व्यय करने के लिए १३ लाख रुपये की स्वीकृति दी गई।

उद्योग

राउरकेला-स्थित हिन्दुस्तान इस्पात संयंत्र में सर्वप्रथम धमन-भट्ठी का कार्य ३ फरवरी, १९५९ को आरम्भ हो गया। कोक-ओवन संयंत्र में भी कार्य आरम्भ हो चुका है।

२ करोड़ रुपये की अधिकृत पूंजी से कार्य आरम्भ करके उड़ीसा वित्त निगम ने १३ लाख ८० हज़ार रुपये के ऋण के प्रार्थनापत्र स्वीकार किए तथा इस वर्ष ६ लाख रुपये दिए। 'उद्योगों को सरकारी सहायता अधिनियम' के अधीन निर्धारित किए गए १ लाख रुपये का पूरा उपयोग किए जाने की आशा थी। एक ग्रामीण बस्ती की स्थापना करने के अलावा, छोटे पैमाने के उद्योगों के विकास के लिए ४ औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का निश्चय किया गया। इसके लिए १८ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है। कटक की औद्योगिक बस्ती में लोगों को कारखाने दिए जा चुके हैं। इनमें से कुछ में उत्पादनकार्य आरम्भ भी हो चुका है।

३१ दिसम्बर, १९५८ तक लघु उद्योगों के विकास के लिए १८ योजनाओं को कार्यान्वित करने की सिफारिश की गई। इनमें से एक योजना को स्वीकृति मिल चुकी है और अन्य विचाराधीन हैं।

औद्योगिक कारीगरों को आधुनिक तरीकों का अच्छा ज्ञान कराने की दृष्टि से बढ़ईगीरी, लोहागीरी, दर्ज़ीगीरी तथा चमड़े के काम के काम-घर स्थापित करने का निश्चय किया गया। उद्योगों के विकास के लिए राज्य के विभिन्न क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने का भी निश्चय किया गया। राज्यीय खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल के नियन्त्रण में २ अम्बर विद्यालय, २३ परीक्षणालय और २७ अम्बर तथा १७ परम्परागत खादी उत्पादन केन्द्र हैं। १९५ शिक्षकों तथा ६,६४१ कताई करने वालों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। राज्य में ४,०५५ अम्बर चर्खे बांटे जा चुके हैं।

इस वर्ष औद्योगिक स्कूलों को आधुनिक रूप देने का कार्य आरम्भ किया गया तथा राज्यीय प्राविधिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण परिषद स्थापित की गई।

श्रम

अब तक २४२ मज़दूर संघ पंजीकृत किए जा चुके हैं। 'न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम' के अनुसार स्थापित परामर्श मण्डल का कार्य पूरा हो गया। २१ सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

दूकान तथा वाणिज्यीय संस्थान अधिनियम, १९५८, १५ अगस्त, १९५८ को लागू कर दिया गया और १ जनवरी, १९५९ को 'उड़ीसा मकान किराया

नियन्त्रण अधिनियम, १९५८' कटक, बरहामपुर तथा सम्बलपुर में लागू कर दिया गया।

१९५८-५९ में पंजीकृत कारखानों के ३१ व्यवस्थापकों तथा व्यवस्था कर्मचारियों को श्रम कानूनों के सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया।

विभिन्न ज़िलों में ९ नियोजन कार्यालय खोले गए और ६,७७१ व्यक्तियों को इनके द्वारा काम मिला।

आवास

सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन ९४६ मकानों (द्वितीय योजनाकाल का लक्ष्य) में से ३७४ मकान बनवाए जा चुके है। 'कम आय वर्ग आवास योजना' के अधीन भारत सरकार ने इस वर्ष ८ लाख ५० हजार रुपये दिए। भुवनेश्वर में अब तक ५६७ नये मकान बनवाए जा चुके हैं।

ग्राम आवास योजना के अधीन चुने हुए गांवों का सर्वेक्षण करने तथा उनके लिए योजना बनाने के लिए एक ग्रामीण आवास विभाग स्थापित किया गया। यह योजना ६० गांवों में कार्यान्वित की जा रही है। मार्च १९५९ के अन्त तक २ लाख ६५ हज़ार रुपये का ऋण स्वीकार किए जाने की आशा थी।

द्वितीय योजना में १२ लाख रुपये की लागत की गन्दी बस्ती उन्मूलन योजनाओं का कार्य आरम्भ करने का निश्चय किया गया है। इस योजना के अधीन भुवनेश्वर में ३० एक-मंजिले मकान बनवाए जा चुके है। १९५८-५९ के लिए ३ लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

परिवहन

इस वर्ष प्रदीप बन्दरगाह का उद्घाटन किया गया। इस बन्दरगाह से एक-दो लाख टन लोहा तथा कुछ अन्य वस्तुओं का निर्यात किए जाने की आशा है।

सहायता तथा पुनर्वास

दिसम्बर १९५८ के अन्त तक ३,२५४ विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास केन्द्रों में बसाया गया और २१३ व्यक्ति बेतिया (बिहार) भेज दिए गए। इनके पुनर्वास के लिए ४५ बस्तियां स्थापित की गई। कृषि बस्तियों की स्थापना के लिए कोरापुट में भूमि परीक्षण का कार्य पूरा हो गया और सीमा-सर्वेक्षण जारी है।

चांदपुर के बसन्त मंजरी स्वास्थ्य निकाय में क्षय रोगियों के लिए २० रोगी-शय्याओं की व्यवस्था विचाराधीन है।

४३ विस्थापित बालक तथा ३० बालिकाएं विभिन्न व्यवसायों तथा दस्तकारियों का प्रशिक्षण ले रही थीं। कुछ बालक-बालिकाओं ने अम्बर चर्खा, दर्ज़ीगीरी तथा बुनाई का भी प्रशिक्षण लिया।

उत्तर प्रदेश

खाद्य और कृषि

सूखा पड़ने तथा बाढ़ के परिणामस्वरूप १९५८-५९ में खाद्य उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में काफी कम रहा। इसलिए सरकार ने सस्ते खाद्यान्नों की दुकानों द्वारा खाद्यान्न बांटा। १४ मार्च, १९५९ तक ऐसी दुकानों से जनता को ५,९१,२४९ टन खाद्यान्न दिया गया।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने मूल्यों में वृद्धि न होने देने के लिए कई उपाय किए। आटा मिलों द्वारा खुले बाज़ार में देसी गेहूं खरीदे जाने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। चावल, धान तथा ज्वार-बाजरा के निर्यात पर भी रोक लगा दी गई। व्यापार पर और कड़ा नियन्त्रण रखने के लिए अन्त में 'उत्तर प्रदेश खाद्यान्न व्यापारी लाइसेंस आदेश, १९५८' लागू किया गया।

इस वर्ष ६.५७ लाख एकड़ भूमि में जापानी पद्धति से धान की खेती की गई और ५२,००० एकड़ से अधिक भूमि में पौधा-संरक्षण सम्बन्धी उपाय किए गए। मार्च १९५९ तक ४९,७२२ एकड़ भूमि में फलों के लिए बाग लगाए गए और २१,९२९ एकड़ भूमि में पुराने बागों को फिर से ठीक-ठाक किया गया।

गन्ने के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए इस वर्ष २९५ नलकूप लगाए गए तथा २,३४३ पक्के कुएं बनवाए गए और ९९९ रहट तथा १३२ पंपिंग सेट्स लगाए गए।

इस वर्ष राज्य के गन्ना उत्पादकों को १०.४५ लाख मन उर्वरक, ३४ लाख मन खाद, ६२.१२ लाख मन बीज तथा ११,७८८ उन्नत कृषि औज़ार दिए गए। १८.७२ लाख एकड़ भूमि में गन्ना बोया गया और ७० करोड़ मन गन्ना पैदा हुआ। मिलों ने २५.८१ करोड़ मन गन्ना पेरा, तथा २.५६ करोड़ मन चीनी का उत्पादन हुआ।

सिंचाई

१९५८-५९ में सिंचाई योजनाओं के लिए ७ करोड़ ८१ लाख रुपये निर्धारित किए गए। पिछड़े क्षेत्रों मे सिचाई की सुविधाओं के विस्तार तथा पश्चिमी ज़िलों में पानी की निकासी की उत्तम व्यवस्था के लिए ८० लाख रुपए रखे गए।

इस वर्ष बाल्मीकि जलाशय और टाण्डा तथा दोहरीघाट नहरों का उद्घाटन किया गया। नोगढ़ बांध मे फाटक लगाने की योजनाओं, शारदा सागर (प्रथम चरण) तथा नारायणी गण्डक पोखरा नहर का काम पूरा होने को है।

द्वितीय योजनाकाल में जो १,५०० नलकूप लगाए जाने थे, उनमें से इस वर्ष ७७० नलकूपों की खुदाई का कार्य पूरा हो गया।

बाढ़ सुरक्षा कार्य

१० करोड़ रुपये की लागत की बाढ़ सुरक्षा योजनाएं कार्यान्वित की जा चुकी है, जिसक फलस्वरूप १० लाख एकड़ से अधिक कृषि भूमि तथा ५,००० एकड़ निचली भूमि में बसे गांवों को बाढ़ के संकट से मुक्त कर दिया गया है। ४,००० गांवों की सतह ऊंची कर दी गई है और ४९० मील लम्बी नालियां बनवाई जा चुकी हैं।

पशु-पालन

राज्य में इस समय १६ 'केन्द्र ग्राम' खण्ड है। इस वर्ष ३ भेड़-पालन केन्द्र और १५ गोसदन खोले गए।

मछली-पालन

इस वर्ष मछली संवर्धन तालाबों मे ११ लाख छोटी मछलियां डाली गई और इस उद्योग के विकास के लिए ४० तालाब खरीदे गए।

पंचायत

इस वर्ष पंचायतों ने गांव सभाओं की ३ लाख से अधिक बैठकों का आयोजन किया और ग्राम सहायक प्रशिक्षण शिविरों के संचालन में सहायता दी। पंचायतों के पदाधिकारियों को पंचायत राज्य अधिनियम तथा नियमों का प्रशिक्षण देने के लिए १०,००० पंच सम्मेलन किए गए।

पंचायतों ने ५,८४८ पक्के तथा ५७१ कच्चे कुएं खोदे, ३१४ मील 'लम्बी नालियां बनाईं, १५१ मील पक्की सड़कें तथा ८४५ मील कच्ची सड़कें बनाईं

और ४६२ रेडियो सेट लगाए, ५४२ पुस्तकालय खोले तथा इस प्रकार के कई निर्माणकार्य किए।

अप्रैल-नवम्बर, १६५८ में न्याय पंचायतों ने २२,३०,५६७ विवाद निपटाए। ग्रामीण क्षेत्रों में शान्ति तथा व्यवस्था बनाए रखने में इनका कार्य सन्तोषजनक होने के परिणामस्वरूप इन न्याय पंचायतों के दीवानी सम्बन्धी अधिकारक्षेत्र का ८ सितम्बर, १६५८ से विस्तार कर दिया गया।

वन

१६५८-५६ में वन विकास योजनाओं का कार्य आरम्भ किया गया। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष आरम्भ की गई ८ योजनाओं का भी काम जारी रहा।

गंगा तथा यमुना के जलक्षेत्रों में वन लगाए जाने के कार्यक्रम के अधीन कुल ४,७२४ एकड़ भूमि में वन लगाए गए। कुमाऊं क्षेत्र में १३,००० से अधिक फलों के वृक्ष लगाए गए। उत्तम वनों का विकास करने के लिए सड़कें तथा भवन बनाए गए और ६७४ एकड़ भूमि में वृक्ष लगाए गए।

लगभग १२,००० एकड़ भूमि में दियासलाई के काम में आने वाली लकड़ी तथा औद्योगिक उपयोग के वृक्ष लगाए गए। ३,००० एकड से अधिक भूमि में फैले 'साल' के वनों का पुनरुद्धार किया गया।

लाख की खेती की एक योजना के अधीन १,०६,३६६ वृक्षों की कलमें की गईं और १८६ मन लाख पैदा हुआ।

भूमि-सुधार

इस वर्ष 'उत्तर प्रदेश भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनियम, १६५८' तथा 'उत्तर प्रदेश चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १६५८' लागू किए गए। 'उत्तर प्रदेश भूमि-सुधार (संशोधन) अधिनियम, १६५६' में संशोधन करके उसे शेष ग्रामीण मैदानी क्षेत्रों में लागू कर दिया गया।

'कुमाऊं ज़मींदारी उन्मूलन तथा भूमि सुधार विधेयक, १६५६' इस वर्ष विधानमण्डल को वापिस भेज दिया गया। इस विधेयक का उद्देश्य कुमाऊं डिवीज़न के ४ ज़िलों में ज़मींदारी की व्यवस्था समाप्त करना है।

अप्रैल १६५४ से आरम्भ चकबन्दी का कार्यक्रम इस वर्ष अन्य ८ तहसीलों में भी लागू किया गया। दिसम्बर १६५८ तक यह कार्यक्रम ६,४७७ गांवों में लागू किया जा चुका है। जिन गांवों में चकों की अदला-बदली की गई, उन गांवों में कृषि उत्पादन १०–३० प्रतिशत बढ़ गया।

शिक्षा

१९५८-५९ में नार्मल स्कूलों में शिशु वर्ग खोलने की योजना का कार्य जारी रहा। ५ अन्य पूर्व-प्राथमिक स्कूलों को सहायता अनुदान देने का निश्चय किया गया और कई शिशु पाठशालाओं तथा किण्डरगार्टन स्कूलों को ५०,००० रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया गया।

इस वर्ष लगभग १,२५० जूनियर तथा ५७ सीनियर बुनियादी स्कूल और ११ बुनियादी तथा ३ जूनियर बुनियादी प्रशिक्षण कालेज खोले गए। ३३० स्कूलों में दस्तकारी; ४० स्कूलों में कृषि; १२५ स्कूलों में सामान्य विज्ञान तथा ४ स्कूलों में संगीत का अध्यापन आरम्भ किया गया।

इस वर्ष अन्य उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को बहुधन्धी स्कूलों में बदल दिया गया। ६८ उच्चतर माध्यमिक स्कूलों को सहायता अनुदान देने का निश्चय किया गया। सहायता-प्राप्त उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों के वेतन में वृद्धि करने के लिए २६ लाख रुपये की व्यवस्था की गई।

इस वर्ष वाराणसी के संस्कृत विश्वविद्यालय का कार्य आरम्भ हो गया। आगरा, इलाहाबाद, गोरखपुर तथा लखनऊ विश्वविद्यालयों और उनसे सम्बद्ध कई डिग्री कालेजों को सहायता अनुदान दिए गए।

समाज शिक्षा के लिए इस वर्ष ४ चल प्रशिक्षण टुकड़ियां स्थापित की गई। चलचित्र प्रदर्शन संयन्त्र खरीदने के लिए ज़िला समाज शिक्षा संगठन को ६०,००० रुपये देना स्वीकार किया गया।

स्वास्थ्य

ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा-सहायता की व्यवस्था करने के लिए ५० प्राथमिक स्वास्थ्य विभाग स्थापित किए गए। ७२ लाख रुपये के व्यय से ४० मलेरिया उन्मूलन विभाग भी खोले गए।

क्षय रोगियों की चिकित्सा के बाद उनकी देखभाल तथा पुनर्वास की एक योजना आरम्भ की गई। राज्य में एक कुष्ठ अधिकारी की नियुक्ति की गई तथा एक कुष्ठ-नियंत्रण विभाग और स्थापित किया गया।

एक परिवार नियोजन अधिकारी भी नियुक्त किया गया, जो पूरे समय यही कार्य करेगा। इसके अलावा, २३ नये परिवार नियोजन केन्द्र भी खोले गए।

कानपुर के मेडिकल कालेज का काम आरम्भ हो गया। राज्य सरकार ने होमियोपेथिक चिकित्सा प्रणाली को मान्यता दी।

राज्य के १२ नगरों में जल-व्यवस्था योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए ६५ लाख रुपये की राशि स्वीकार की गई।

४ ज़िलों में ग्रामीण जल-व्यवस्था योजना के लिए १८ लाख ७७ हज़ार रुपये दिए गए। ६७५ ग्रामीण स्कूलों की जल-व्यवस्था तथा सफाई कार्य के लिए एक योजना तैयार की गई जिसके अन्तर्राष्ट्रीय बाल-संकट कोष की सहायता से कार्यान्वित किए जाने की आशा है।

उद्योग

राज्य को ५ औद्योगिक क्षेत्रों में बांट दिया गया है। इस व्यवस्था के फलस्वरूप विभिन्न औद्योगिक योजना के प्रशासन में सामान्य रूप से सुधार हुआ।

इस वर्ष २४० प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्रों का काम जारी रहा। इन केन्द्रों में ४,००० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

१६ फरवरी, १९५९ को बाज़पुर में सर्वप्रथम सहकारी चीनी कारखाने में कार्य आरम्भ हो गया जिसमें प्रतिदिन १५० टन चीनी तैयार की जाती है। नए चीनी कारखानों की स्थापना अथवा वर्तमान कारखानों के विस्तार के लिए १९५८ में ४० लाइसेंस दिए गए।

६० लाख एवरेडी टार्च प्रतिवर्ष तैयार करने के लिए भारत तथा अमेरिका ने मिल कर ८० लाख रुपये की लागत से लखनऊ में एक कारखाना स्थापित किया।

सार्वजनिक क्षेत्र में लखनऊ-स्थित सरकारी सूक्ष्म औज़ार कारखाने में उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के साथ होने लगा।

इलाहाबाद के निकट नैनी की औद्योगिक बस्ती के ३८ कारखाने उद्योग-पतियों को दे दिए गए और उनमें से कुछ का काम आरम्भ हो गया। आगरा तथा कानपुर की औद्योगिक बस्तियों का निर्माणकार्य जारी है।

इस वर्ष 'उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम' पंजीकृत किया गया। लघु तथा कुटीर उद्योगों और रेशम के कीड़े पालने तथा दस्तकारियों के विकास के लिए ३ करोड़ १ लाख ५२ हज़ार रुपये की लागत की ८० से अधिक योजनाओं का काम जारी हैं।

श्रम

१९५८-५९ में लगभग १२ मज़दूर संघों को १०,००० रुपये की वित्तीय सहायता दी गई। फरवरी १९५९ के अन्त तक १,०१७ मज़दूर संघ पंजीकृत किए गए।

इस वर्ष तीन कल्याण केन्द्र खोले गए। कानपुर में मज़दूरों के लिए एक अतिरिक्त क्षय उपचारालय की स्थापना करने के लिए राज्य सरकार ने २ लाख २५ हज़ार रुपये देना स्वीकार किया।

फरवरी १६५६ के अन्त तक मज़दूरों के लिए २०,६०७ मकान बनवाए गए। इस अवधि में चीनी कारखाना-मालिकों ने भी १,३१० मकान बनाए।

कारखाना-मालिकों तथा मज़दूरों के बीच अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए स्थापित ४ त्रिदलीय समितियों का कार्य आरम्भ हुआ। ३,१४८ औद्योगिक विवादों को समझौतों द्वारा निपटाया गया।

कालीन तथा शाल उद्योगों में न्यूनतम मज़दूरी लागू करने तथा अनुसूचित उद्योगों की मज़दूरी की वर्तमान दरों पर विचार करने के लिए २ समितियां स्थापित की गई। 'न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम' को नैनीताल ज़िले के तराई भाबर क्षेत्र के खेतों के लिए भी लागू कर दिया गया है।

'दुकान तथा वाणिज्यीय संस्थान अधिनियम' को २० अन्य नगरों में भी लागू कर दिया गया। कर्मचारी राज्य बीमा योजना को भी ४ अन्य नगरों में लागू कर दिया गया।

१३ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में लगभग ५,००० शिक्षार्थियों ने विभिन्न व्यावसायिक तथा प्राविधिक उद्योगों का प्रशिक्षण लिया।

परिवहन

सड़क तथा पुल

दिसम्बर १६५८ तक लगभग २१६ मील लम्बी पक्की सड़कें बनाई गई और २३ पुलों के निर्माण का काम पूरा हुआ। ११ अन्य पुल भी यातायात के लिए शीघ्र ही खोल दिए जाएंगे।

सड़क परिवहन

सितम्बर १६५८ में राज्य में ६,६८१.७ मील की लम्बाई में ५०७ मार्गों पर सरकारी यात्री-बसें चल रही थी। हाल ही में अन्तर्प्रादेशिक मार्गों पर भी बसों का चलना आरम्भ हुआ।

प्रशिक्षित प्राविधिक कर्मचारियों के अभाव की पूर्ति के लिए इंजीनियरों की २ टुकड़ियां ६ महीने के प्रशिक्षण के लिए ब्रिटेन भेजी गईं और १४ प्राविधिक पश्चिम जर्मनी भेजे गए

समाज कल्याण

महिला कल्याण योजना के अधीन राज्य के ६३० गांवों में ३१६ कल्याण केन्द्र स्थापित किए गए। दिसम्बर १९५८ के अन्त तक ३४,८०० से अधिक महिलाओं तथा ४०,००० बच्चों ने क्रमश: साक्षरता वर्गों तथा बालबाड़ी वर्गों में भाग लिया। लगभग ५८,००० रोगियों की चिकित्सा की गई। उत्तर प्रदेश महिला तथा शिशु संस्थान (नियंत्रण) अधिनियम को इलाहाबाद, लखनऊ तथा वाराणसी ज़िलों में लागू कर दिया गया। अन्य ७ ज़िलों में 'महिला तथा बालिका अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम' लागू किया गया।

सुधार संस्थानों से निकले पुरुषों तथा महिलाओं के प्रशिक्षण के लिए २१ रक्षागृह तथा ५ देखभाल-गृह स्थापित किए गए।

हरिजन कल्याण

इस वर्ष हरिजन विद्यार्थियों की शिक्षा पर ८२ लाख रुपये व्यय किए गए। लगभग ३७,२५६ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां दी गईं, ५ लाख ९५ हज़ार विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा की सुविधाएं दी गईं और ६,००० विद्यार्थियों को अनावर्तक सहायता दी गई। स्कूलों, छात्रावासों तथा पुस्तकालयों के संचालन के लिए सरकारी संस्थाओं को ५ लाख ५४ हज़ार रुपये दिए गए और प्राविधिक शिक्षा के लिए १ लाख ३६ हज़ार रुपये की व्यवस्था की गई।

हरिजनों के रहन-सहन की स्थिति सुधारने के प्रयास जारी रहे। तदनुसार, कृषि विकास पर २ लाख रुपये, मकानों के निर्माण तथा बंजारा परिवारों के पुनर्वास पर ३ लाख ९० हज़ार रुपये, कुटीर उद्योगों की स्थापना पर २ लाख ६२ हज़ार रुपये, पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर १ लाख ५२ हज़ार रुपये और कुओं के निर्माण और मरम्मत पर २ लाख रुपये व्यय किए गए। १५ लाख २२ हज़ार रुपये की केन्द्रीय सहायता भी मिली।

आवास

सहायता-प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन ६५८ मकान बनवाए गए। 'कम आय वर्ग आवास योजना' के अधीन सितम्बर १९५८ तक ३३६ मकान बनवाए गए और मार्च १९५९ तक अन्य ७०० मकान तैयार होने की आशा थी। 'गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना' के अधीन भी फरवरी १९५९ तक ११६ मकान बनवा दिए गए और ६४६ बनवाए जा रहे हैं।

३७ नगरपालिकाओं के भंगियों के लिए राज्य सरकार की २९ लाख ६७ हज़ार रुपये की योजना के अधीन अब तक २,१५० मकान बनवाए जा चुके हैं।

'ग्राम आवास योजना' के अधीन सर्वेक्षण तथा २२५ गांवों को ऋण देने के लिए १७ लाख ४० हजार रुपये की व्यवस्था की गई ।

'चीनी कारखाना मज़दूर आवास योजना' के अधीन अब तक ५६ चीनी कारखाना-मालिकों को ३२ लाख ४२ हज़ार रुपये दिए जा चुके हैं । १,२०० मकान बनवाए जा चुके हैं और अन्य ३०० मकान शीघ्र बनवाए जाएंगे ।

सहायता तथा पुनर्वास

राज्य सरकार अब तक १,२४० किसान परिवारों को नैनीताल-तराई क्षेत्र में और १६६ परिवारों को पीलीभीत जिले के नेवरिया गांव में बसा चुकी है । १,३५६ परिवारों से अधिक को ३१,०८,१५८ रुपये का ग्रामीण ऋण दिया जा चुका है । पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को १,३३,१०० रुपये का शहरी ऋण दिया जा चुका है ।

६,१८६ विस्थापित परिवारों को ६६,५०४ एकड भूमि दी जा चुकी है । इनको ५०,४६,७५१ रुपये का ग्रामीण ऋण दिया गया ।

शहरी क्षेत्रों में रहने वाले २६,३१७ विस्थापित परिवारों को व्यापार-धन्धे से लगाने के लिए १,२४,६१,२५६ रुपये दिए गए । छोटे उद्योगों की स्थापना के लिए १,१५१ विस्थापित व्यक्तियों को २३,७०,४७१ रुपये दिए गए । पुनर्वास तथा वित्त प्रशासन ने भी १ करोड़ ८४ लाख ५० हज़ार रुपये की सहायता दी ।

केन्द्रीय सरकार की शिक्षा योजनाओं के अधीन पश्चिम पाकिस्तान तथा पूर्व पाकिस्तान के विस्थापित विद्यार्थियों को कुल मिला कर ६७,४८० रुपये की शिष्यवृत्तिया दी गईं तथा २८ संस्थानों को ३ लाख ३१ हज़ार रुपये के सहायता अनुदान दिए गए ।

बिजली

राज्य सरकार ने १ अप्रैल, १६५६ को राज्यीय बिजली मण्डल स्थापित करने का निश्चय किया ।

इस वर्ष २४ नगरों तथा ४०२ सरकारी नलकूपों में बिजली लगाई गई ।

पुलिस तथा जेल

पुलिस और लोगों के बीच अधिक सम्पर्क स्थापित करने पर विशेष बल दिया जाता रहा । लगभग प्रत्येक ज़िले में राइफल क्लब स्थापित किए जा चुके हैं ।

ग्रामीणों से सम्पर्क बनाए रखने के लिए पुलिस अधिकारियों तथा सिपाहियों ने सभी ज़िलों में पद-यात्रा की। ६० प्रतिशत गांवों में ग्राम रक्षा समितियां भी स्थापित की जा चुकी हैं।

केरल

खाद्य और कृषि

इस वर्ष ७२,००० टन अतिरिक्त चावल पैदा हुआ। लगभग १०,००० टन अमोनिया सल्फेट, ३,००० टन फास्फेटयुक्त उर्वरक, ८,००० टन हड्डी चूरा, ८,००० टन खाद तथा ५,००० टन खली का उपयोग किया गया।

लगभग ३२० टन उन्नत बीज बांटे गए। स्थापित किए गए ८ बीज केन्द्रों में से ६ का काम आरम्भ हो गया है।

जापानी पद्धति से धान की खेती करने की प्रक्रिया के अध्ययनार्थ एक अधिकारी जापान भेजा गया है।

सिंचाई

१९५८-५९ में विभिन्न प्रकार की सिंचाई योजनाओं से कुल मिला कर लगभग ५१,२०९ एकड़ भूमि में सिंचाई आरम्भ होने की आशा थी। जनवरी १९५९ में एक 'छोटी सिचाई सप्ताह' मनाया गया।

पशु-पालन

४ पशु-पालन चिकित्सा अस्पताल, ६ पशु-चिकित्सा दवाखाने, ५ केन्द्र-ग्राम केन्द्र तथा ६ विस्तार केन्द्र खोले गए। कोट्टयम ज़िले में मनारकुड मे एक मुर्गीपालन केन्द्र स्थापित किया गया। ओल्लुक्कारा में एक पशु-चिकित्सा कालेज स्थापित किया गया।

बाढ़-नियन्त्रण कार्य

बाढ़-नियन्त्रण कार्यक्रम के अधीन १९ योजनाओं का निर्माण कार्य इस वर्ष आरम्भ किया गया जिन पर ४० लाख रुपये से अधिक व्यय होंगे।

अन्तर्देशीय नौकानयन

१ करोड़ ७५ लाख रुपये की लागत से १४ योजनाओं का निर्माण-कार्य इस वर्ष जारी रहा। समुद्र के किनारे लगभग २ मील लम्बी दीवार बनवाई गई और १९$\frac{3}{4}$ मील लम्बी दीवार बनवाई जा रही है।

शोध योजनाएं

इस वर्ष स्वीकृत ८ शोध योजनाओं में से ५ का कार्य आरम्भ हो गया है। इसके अतिरिक्त, चावल, केला तथा अनन्नास सम्बन्धी शोध योजनाओं का भी कार्य आरम्भ किया गया।

शिक्षा

जून, १९५९ से राज्य में ऐसी बुनियादी शिक्षा लागू किए जाने की आशा थी जिसमें मौखिक शिक्षा के साथ-साथ व्यावहारिक शिक्षा भी हो। प्राथमिक शिक्षा का शिक्षा-काल ८ वर्ष से घटा कर ७ वर्ष कर दिया गया है।

इस वर्ष राज्य में १३६ माध्यमिक स्कूल खोले गए। मलाबार ज़िला मण्डल तथा विभिन्न नगरपालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों को सरकार ने अपने अधीन कर लिया। माध्यमिक स्कूलों के अध्यापकों को वेतन सीधे दिए जाने की व्यवस्था की गई।

एरणाकुलम में एक समुद्र-विज्ञान संस्था स्थापित की गई। कई विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू किए गए। मलाबार क्षेत्र में ४ कालेज खोले गए।

एक राज्यीय प्राविधिक शिक्षा मण्डल स्थापित किया गया। त्रिवेन्द्रम के इंजीनियरिंग कालेज में विद्यार्थियों की प्रवेश-संख्या दूनी कर दी गई और इंजीनियरिंग सम्बन्धी कई विषयों के स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू किए गए। क्विलोन तथा त्रिचूर में २ इंजीनियरिंग कालेज खोले गए। माध्यमिक स्कूलों में प्राविधिक कामों की शिक्षा दिए जाने की व्यवस्था की गई।

स्वास्थ्य

स्वास्थ्य सेवाओं के उपचार विभागों तथा निरोध विभागों को मिला कर एक ही विभाग में संगठित करने के अलावा प्रशासन की क्षेत्रीय प्रणाली भी लागू की गई।

फरवरी १९५९ में राज्य में १७६ दवाखाने तथा ८ विशेष संस्थान थे। इनके अतिरिक्त, राज्य में ६८ प्राथमिक तथा ८ माध्यमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ६ कोढ़-नियन्त्रण केन्द्र, ५५२ परिवार नियोजन केन्द्र और १४४ मातृ तथा शिशु कल्याण केन्द्र थे। दो यौन रोग उपचारालय तथा दो कोढ़-नियन्त्रण केन्द्र और खोले गए।

इस वर्ष मलाबार क्षेत्र में भी बी० सी० जी० टीका योजना लागू कर दी गई। राज्य में कुल १०,५४७ रोगी शय्याओं की व्यवस्था थी। फरवरी १९५९ में

मलेरिया-नियन्त्रण तथा फाइलेरिया-नियन्त्रण टुकड़ियों की संख्या क्रमशः १२½ तथा ८½ थी।

त्रिवेन्द्रम चिकित्सा कालेज में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम लागू किए गए। कोज़ीकोड में एक चिकित्सा कालेज खोला गया।

होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को प्रोत्साहन देने के लिए त्रिचूर तथा त्रिवेन्द्रम में एक-एक सरकारी दवाखाना खोला गया।

उद्योग

मार्च १९५८ में कालीकट में स्थापित कारखाने में उत्पादन-कार्य आरम्भ हो गया। कालीकट के सरकारी तेल कारखाने तथा त्रिवेन्द्रम के शार्क लिवर आयल कारखाने के पुनस्संगठन के लिए एक योजना तैयार की गई। साइकिल रिम कारखाना स्थापित करने की योजना का काम जारी है। नीलाम्बर-बेपुर क्षेत्र में लकड़ी की लुगदी का एक कारखाना स्थापित करने के लिए राज्य सरकार तथा ग्वालियर की रेयन रेशम कम्पनी के साथ एक समझौता हुआ।

राज्य में २६ लघु उद्योग उत्पादन-प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा चुके हैं। इनके अतिरिक्त, ८७ औद्योगिक केन्द्र भी स्थापित किए गए।

१९५८-५९ में ४३ बुनकर सहकारी समितियां, ४ औद्योगिक सहकारी समितियां तथा हथकरघा-वस्तुएं समय पर बेची जाने के लिए ६ भण्डार खोले गए।

श्रम

इस वर्ष 'केरल औद्योगिक संस्थान (राष्ट्रीय तथा पर्व सम्बन्धी छुट्टियां) अधिनियम, १९५८' लागू किया गया। इसके अतिरिक्त, कई अन्य विधेयक भी प्रकाशित किए गए।

हथकरघा, ईट उद्योग, ताड़ी उद्योग, सिगार उद्योग तथा बैंकिंग कम्पनियों के लिए न्यूनतम मज़दूरी निर्धारित कर दी गई। काजू तथा हथकरघा उद्योगों के लिए मज़दूरी समितियां भी स्थापित कर दी गई।

इस वर्ष ७१० कारखाने तथा २८० मजदूर संघ पंजीकृत किए गए। सरकार ने कारखाना-मालिकों द्वारा निकाले गए मज़दूरों को वित्तीय सहायता देने की एक योजना तैयार की। इस योजना के अधीन इस अवधि में ११,६७३.७५ रुपये मज़दूरों को दिए गए।

समझौते, करार, श्रम कानून आदि कार्यान्वित किए जाने के कार्य का मूल्यांकन करने के लिए इस वर्ष एक समिति तथा एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया।

आवास

दिसम्बर १९५८ तक विभिन्न योजनाओं के अधीन, १,४२४ मकान बनवाए गए और ५३९ व्यक्तियों को भूमि दी गई।

वायनाड बस्ती योजना के अधीन २,९४० व्यक्ति बसाए जा चुके हैं। सहकारी बस्ती योजना के अधीन ४८६ परिवारों को ऋण दिए गए।

परिवहन

जनवरी १९५९ तक २७ छोटे-बड़े पुल तथा १९५ मील लम्बी सड़कें बनवाई गईं। ७८ छोटे-बड़े पुलों तथा २०२ मील लम्बी सड़कों का निर्माण-कार्य जारी है।

केन्द्रीय सड़क निधि कार्यों के अधीन १५ बड़े पुल तथा ११ सड़कें बनवाई जा रही हैं।

बिजली

वर्ष के आरम्भ में ५ नयी पनबिजली योजनाओं का काम जारी था जिनमें से दो योजनाओं का काम प्रगति कर रहा है।

१२ जुलाई, १९५८ को सेनगुलम-पल्लोम तथा कुण्डारा सम्प्रेषण तार (लाइन) चालू कर दिया गया।

फरवरी १९५९ तक १५,३२९ उपभोक्ताओं के घरों में तथा सड़कों पर १५,८४८ अतिरिक्त स्थानों में बिजली लगाने के अलावा, १८८ वितरण केन्द्र स्थापित किए गए। नवम्बर १९५८ में राज्य में 'बिजली सप्ताह' मनाया गया जिसमें गावों में बिजली लगाने की योजनाओं को कार्यान्वित करने में लोगों ने श्रमदान दिया।

जम्मू और कश्मीर

खाद्य और कृषि

आलोच्य वर्ष में राज्य की खाद्य स्थिति संतोषजनक रही। किसानों से कश्मीर क्षेत्र में ७ लाख २ हज़ार मन से अधिक धान और २६ हज़ार मन मक्का तथा जम्मू क्षेत्र में ४ लाख मन धान की वसूली की गई।

सिंचाई

रावी नहर योजना और प्रताप नहर योजना के निर्माणकार्य की प्राविधिक और आर्थिक सम्भावनाओं की जांच-पड़ताल की जा रही है । इन दोनों योजनाओं के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप १७ हजार एकड़ भूमि में सिंचाई हो सकेगी । आलोच्य वर्ष में अनेक नलकूप भी लगाए गए । राज्य में बाढ़-नियन्त्रण और बाढ़ से सुरक्षा की योजना भी तैयार की गई । इस पर भारत सरकार विचार कर रही है ।

सामुदायिक विकास

सम्पूर्ण राज्य में सामुदायिक विकास खण्डों का जाल बिछ गया है । प्रत्येक पटवार हल्के को ग्राम-पुनर्निर्माण कार्य के लिए मूल इकाई मान लिया गया है । ये इकाइयां गांवों के विकास के लिए काम करती हैं । ग्राम-विकास की जितनी भी योजनाएं हैं, वे सब पंचायतों की देख-रेख में पूरी की जा रही हैं ।

शिक्षा

आलोच्य वर्ष में ३३६ बुनियादी स्कूल खोले गए, ५० प्राइमरी स्कूलों को बुनियादी स्कूल बना दिया गया तथा ५३ जूनियर स्कूलों को सीनियर बुनियादी स्कूल बनाया गया । इसके अलावा, आठ स्कूलों को बढ़ा कर हायर सेकण्डरी स्कूल कर दिया गया ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने द्वितीय योजनावधि में जम्मू-कश्मीर विश्वविद्यालय के विकास कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया है और इसको कार्यान्वित करने के लिए २८ लाख ६६ हज़ार रुपये का अनुदान दिया गया है । राज्य सरकार ने भी अपनी सहायता की रकम ४ लाख से बढ़ा कर १२ लाख रुपये कर दी है ।

स्वास्थ्य

आलोच्य वर्ष में सामुदायिक विकास खण्डों में १० स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की गई । ५ ज़िला अस्पतालों में एक्स-रे यन्त्र लगाए गए । इसके अलावा, १९५९ के आरम्भ में राज्य सरकार ने श्रीनगर में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की । २२ यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सालय आरम्भ किए गए ।

उद्योग

आलोच्य वर्ष में राज्य सरकार ने भारत सरकार और विदेशी फर्मों के परामर्श से एक राजकीय ऊन कारखाना स्थापित करने की योजना की रूप-

रेखा तैयार की। एक सीमेंट कारखाना और एक काच का कारखाना खोलने की भी योजना है।

राज्य में ईंट और टाइल तैयार करने वाले कारखाने का निर्माणकार्य भी शीघ्र ही आरम्भ होने की आशा है। एक चमड़ा कमाने वाला कारखाना और एक ऊन-कारखाना भी जल्दी ही बनना शुरू होगा। ज़िला हेडक्वार्टरों में और राज्य के प्रमुख नगरों में दस्तकारी की शिक्षा देने वाले प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए जा रहे हैं। औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने की दिशा में जम्मू तथा श्रीनगर में सन्तोषजनक प्रगति हुई।

बिजली उत्पादन

जम्मू तथा कश्मीर के शहरी क्षेत्रों में बिजली पहुंचाने का काम भी आलोच्य वर्ष में सन्तोषजनक रूप से जारी रहा। पर्यटकों को आकृष्ट करने वाले कुछ महत्वपूर्ण स्थानों पर और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बिजली पहुंचाई गई। बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए मोहरा-स्थित बिजलीघर के विस्तार की योजना कार्यान्वित की जा रही है। साथ ही, गांदरबल विस्तार योजना भी पूरी की जा रही है। जम्मू और पठानकोट के बीच बिजली के तारों की दूसरी लाइन बिछाने का काम भी जारी है। रियासी में सलाल नामक स्थान पर पनबिजली उत्पन्न करने की योजना के अधीन एक बिजलीघर के निर्माण के लिए सर्वेक्षण का काम चल रहा है।

परिवहन और संचार

बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग के दो रास्तों में से पश्चिमी रास्ते का काम पूरा हो चुका है। यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण काम है। राज्य सरकार अब चनानी और काज़ीगुण्ड के बीच एक रस्सा-पुल बनाने की सम्भावना पर विचार कर रही है। करगिल और लेह को जोड़ने वाली सड़क का निर्माणकार्य और तेज़ी से किया जा रहा है ताकि यह सड़क यथाशीघ्र बन कर तैयार हो जाए। आलोच्य वर्ष में ९ छोटे पुल बनाए गए। इसके अलावा, कुछ बड़े पुल भी बनाए गए जिनकी कुल लम्बाई १,१८३ फुट है।

पंजाब

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १ अरब ६२ करोड़ ६८ लाख रुपये के खर्च की व्यवस्था है। इसमें से ३२ करोड़ ७६ लाख रुपये १९५८-५९ के दौरान खर्च किए गए।

खाद्य और कृषि

१९५८-५९ के दौरान ५५ लाख ८९ हजार टन खाद्यान्न, ७ लाख ४६ हज़ार कपास की गाठें, ७ लाख ५ हज़ार टन चीनी और १ लाख ८२ हजार टन तिलहन का उत्पादन होने की आशा है। गत दो वर्षों की अपेक्षा कपास के उत्पादन मे कुछ गिरावट हुई जिसका कारण राज्य में तीन बार बाढ़ आना है ।

सिंचाई

अगस्त १९५८ तक भाकड़ा बांध ३९० फुट ऊंचा कर लिया गया ; पूरा बन जाने पर बांध की कुल ऊंचाई ७४० फुट होगी। ४ लाख ७१ हज़ार एकड़ जल संचित किया गया जिससे रबी की फसल में सिंचाई की गई। इस संचित जल के उपयोग से २ लाख एकड़ नई भूमि खेती के काम मे लाई जाने लगी । इसी वर्ष एक कानून बना कर खुशहाली कर वसूलने की व्यवस्था की गई ।

राजस्थान सरकार के एवज में पंजाब सरकार जो राजस्थान नहर बनवा रही है उसकी खोदाई में भी काफी प्रगति हुई ।

वर्ष के अन्त तक राज्य-भर मे १,४४२ नलकूपों के लिए बिजली उपलब्ध हुई । इसके अलावा, अनेक बड़े और छोटे सिंचाई योजनाकार्य पूरे किए जा रहे है ।

बीज फार्म

द्वितीय योजनावधि में राज्य-भर में २२८ बीज फार्म खोले जाने है जिनमें से १०० फार्म खुल चुके हैं। प्रत्येक फार्म में २५ एकड़ भूमि है और हरेक फार्म एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड की बीज की आवश्यकता पूरी करता है। १९५८-५९ के दौरान १ लाख २८ हजार मन कपास के बीज और १ लाख मन गेहूं के बीज वितरित किए गए।

द्वितीय योजना में ७२,५१० एकड़ परती भूमि को फिर मे खेती के योग्य बनाने का लक्ष्य है। सितम्बर १९५९ तक ३८,२१० एकड़ परती भूमि को खेती के काम में लिया गया।

चकबन्दी

चकबन्दी कार्यक्रम में पंजाब राज्य देश के सब राज्यों से आगे है । १९५८-५९ तक कुल २ करोड़ १९ लाख ५२ हज़ार एकड़ भूमि में से १० लाख एकड़ भूमि का पुनर्विभाजन किया गया। चकबन्दी का काम तेज़ी से चल रहा है।

हाट सुविधाएं

१६५८-५६ में भाकड़ा नंगल नहर से सींचे जाने वाले क्षेत्र को हाट की सुविधा प्रदान करने की योजना में और प्रगति हुई । राज्य की विभिन्न मंडियों के विकास का काम शुरू किया जा चुका है।

सहकारिता

आलोच्य वर्ष में राज्य मे २ हजार नयी सहकारी समितियां पंजीकृत हुई । इस प्रकार इन समितियो की कुल संख्या बढ़ कर २६,००० हो गई है। इन समितियों के कार्य क्षेत्र मे राज्य के ८० प्रतिशत गांव और ४० प्रतिशत जनसख्या आ जाती है।

इसी वर्ष राज्य में लगभग १०० ग्रामीण सहकारी ऋण-बैंक स्थापित किए गए। इनकी कुल संख्या अब ४१० है। सहकारी ऋण आन्दोलन को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने इन समितियों में १ लाख ८ हजार रुपये के शेयर लिये है । एक राज्य सहकारी भूमि-बन्धक बैंक की स्थापना भी हुई। यह बैंक अपने सदस्यों को दीर्घ अवधि के लिए ऋण देगा। कृषि उत्पादन की समुचित बिक्री के लिए एक राज्य गोदाम निगम की भी स्थापना की गई।

विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों की संख्या में वृद्धि हुई । श्रमिक और निर्माण सहकारी समितियों की संख्या ७००, खेती और सिंचाई सहकारी समितियों की संख्या ६००, कुटीर उद्योग सहकारी समितियों की संख्या २,००० और महिला सहकारी समितियों की संख्या ६५० हो गई ।

सामुदायिक विकास

१६५८-५६ के दौरान ७ विकास खण्ड खोले गए । इनमे १५७ गांव आते है और इनकी कुल जनसंख्या ४ लाख १० हज़ार है। इस प्रकार राज्य मे १२७ विकास खण्ड खुले है जिनके अन्तर्गत १७,५३३ गांव आते है जिनकी कुल जनसंख्या ८८ लाख ८० हज़ार है। दूसरे शब्दों में, राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या का ६७.६ प्रतिशत अब सामुदायिक विकास कार्यक्रम से लाभ उठा रहा है।

बिजली

१ फरवरी, १६५६ को राज्य में एक 'राज्य बिजली मण्डल' की स्थापना हुई । आलोच्य वर्ष में और ५०० गांवों में बिजली पहुंचाई गई जिससे बिजली वाले गांवों की संख्या २,२४० हो गई ।

उद्योग

औद्योगिक विकास की कई योजनाएं इस वर्ष हाथ मे ली गई। इन योजनाओं पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना के पहले तीन वर्षो में २ करोड़ ३७ लाख रुपये खर्च हुए। इसके अलावा, लघु उद्योगों और ग्रामोद्योगों पर इसी अवधि में २ करोड़ ४ लाख ६० हज़ार रुपये और मध्यम और बड़े उद्योगों पर ३२ लाख रुपये खर्च हुए। औद्योगिक विकास के लिए ३८ लाख रुपये ऋण के रूप में दिए गए।

लुधियाना में औद्योगिक बस्ती खोलने का जो काम चल रहा है, उसमें संतोषजनक प्रगति हुई। इस बस्ती में ५० कारखाने जल्दी ही बन कर तैयार हो जाएंगे। मलेरकोटला और बटाला में भी औद्योगिक बस्तियां खोलने का काम हाथ में लिया जा चुका है।

खादी उद्योग में भी रोज़गार और उत्पादन की दृष्टि से आलोच्य वर्ष में काफी प्रगति हुई। अम्बर चर्खे की लोकप्रियता निरन्तर बढ़ रही है।

स्वास्थ्य

अब तक राज्य भर मे ४३ प्रारम्भिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किए जा चुके है। प्रत्येक केन्द्र ६,००० व्यक्तियों की सेवा करता है।

बी० सी० जी० का टीका लगाने वाले दल ने अपने पहले दौरे में राज्य मे ४० लाख व्यक्तियों को टीका लगाया था और १ करोड़ ३० लाख व्यक्तियों की परीक्षा की थी। अब दल का दूसरा दौरा शुरू हुआ है। तरनतारन, अम्बाला, पालमपुर और सबाथू के कुष्ठ-चिकित्सालयों को १ लाख ३७ हज़ार रुपये अनुदान के रूप में दिए गए। रोगियों की अधिक संख्या को देखते हुए अमृतसर के मानसिक रोगों के चिकित्सालय का विस्तार किया जा रहा है ताकि और अधिक मरीज भर्ती किए जा सके।

पटियाला और अमृतसर के मेडिकल कालेजों में एम० बी० बी० एस० के पाठ्यक्रम में ८० और ५० छात्रों की जगह अब १०० और ८० छात्रों की भर्ती की व्यवस्था की गई है। अगले वर्ष से ५० नये आयुर्वेदिक चिकित्सालय आरम्भ करने के लिए १ लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

शिक्षा

आलोच्य वर्ष में सभी राजकीय स्कूलों में ६ठी कक्षा तक शिक्षा नि:शुल्क कर दी गई। कांगड़ा और मोहिन्दरगढ़ जिलों में और नारायणगढ़ तहसील

की मोरनी पहाड़ियों और हिसार ज़िले के लोहारू सब-तहसील में मिडिल तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। बाढ़पीड़ित क्षेत्रो में राजकीय स्कूलों में हाई स्कूल तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई। १३६ हाई स्कूलों को उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में परिवर्तित किया गया।

बेसिक शिक्षा के अध्यापकों की कमी को पूरा करने के लिए धर्मशाला में एक स्नातकोत्तर बेसिक और ट्रेनिंग कालेज की स्थापना की गई। हरियाणा क्षेत्र और चण्डीगढ़ में एक-एक पालिटेकनीक कालेज और खोला जाएगा।

श्रम

आलोच्य वर्ष में 'पंजाब दुकान और व्यापारी संस्था अधिनियम, १९५८' पारित किया गया। इस नये अधिनियम के अनुसार अब दुकाने १० घंटे खुली रह सकती हैं। १४ वर्ष से कम उम्र के लड़कों को नौकर रखने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया गया है।

राज्य में १९५७ में २,२८५ पंजीकृत कारखाने थे। १९५८ में इनकी संख्या बढ़ कर ३,१९० हो गई। १९५८ में इन कारखानों में केवल १२ हड़तालें हुईं, जबकि १९५७ में ३२ हड़तालें हुई थीं।

राज्य सरकार की सहायता से श्रमिकों के लिए मकान बनाने की योजना के अन्तर्गत अब तक १,०९२ मकान बनाए गए हैं और १,०४४ मकानों का निर्माणकार्य चल रहा है।

राजकीय कर्मचारी बीमा योजना की सुविधाएं १ नवम्बर, १९५८ से कर्मचारियों के परिवारों को भी प्रदान की जाने लगी जिसके कारण सरकार को प्रतिवर्ष अनुमानतः ३ लाख ५० हज़ार रुपये अधिक व्यय करने पड़ेंगे। यह योजना धारीवाल, खन्ना, सोनीपत, फरीदाबाद, हिसार, राजपुरा, फगवाड़ा कपूरथला, गोबिन्दगढ़, और पटियाला में लागू करने से पहले सर्वेक्षण का जो काम चल रहा था वह पूरा हो गया।

पिछड़े वर्गों के कल्याण के कार्य

आलोच्य वर्ष में अनुसूचित जातियों, पिछड़ी जातियों और विमुक्त जातियों को शिक्षा की और ज्यादा सुविधाएं दी गई और शिक्षा, प्राविधिक तथा विभिन्न संस्थाओं में स्थान सुरक्षित रखे गए। इन जातियों को खेती के लिए भूमि खरीदने, मकान बनाने, कुएं खोदने और सामुदायिक केन्द्र खोलने के लिए आर्थिक सहायता भी दी जाती है।

पश्चिम बंगाल

खाद्य और कृषि

१९५८-५९ के दौरान प्रतिकूल मौसम के कारण अमन चावल की पैदावार सामान्य से बहुत कम हुई। १९५९ मे मुख्य खाद्यान्नों की पैदावार राज्य की आवश्यकता से ७ लाख ६० हज़ार टन कम हुई, जबकि १९५७ मे यह कमी केवल ३ लाख टन की थी। इसी प्रकार, १९५८ में दूसरे राज्यों से पश्चिम बंगाल में ९ लाख ३० हज़ार टन खाद्यान्न का आयात किया गया जब कि १९५७ में केवल ६ लाख ७० हज़ार टन खाद्यान्न का आयात किया गया था।

चावल और धान की बढ़ती हुई कीमतें रोकने के लिए १ जनवरी, १९५९ को पश्चिम बंगाल चावल और धान मूल्य-नियन्त्रण आदेश लागू किया गया। इस आदेश द्वारा चावल और धान के भाव की उच्चतम सीमा नियत कर दी गई। इसके अलावा, सरकार ने अपनी संशोधित राशनिग योजना के अधीन खाद्यान्नों का मुक्त रूप से वितरण किया। सरकार ने कृषकों के हित की रक्षा के लिए कानून द्वारा धान का निम्नतम भाव नियत कर दिया है जिसके नीचे धान का भाव नहीं गिराया जा सकता। इस प्रकार किसानों को अपनी धान की फसल से काफी लाभ हुआ है।

किसानों को अच्छे बीज मिल सकें इसके लिए अभी तक विभिन्न ज़िलों में ९४ बीज फार्म स्थापित किए गए हैं। प्रत्येक फार्म में २५ एकड़ भूमि है जिस पर उन्नत किस्म के बीज उगाए जाते हैं। १९५९ के अन्त तक इन फार्मों में २५ हज़ार मन धान के बीज उत्पन्न होने की आशा है। हरी खाद उगाने के लिए किसानों मे २,६५,०९४ पैकेट ढेंचे के बीज बांटे गए।

खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाने के लिए २,००० एकड़ परती भूमि को खेती योग्य बनाया गया है। १९५९ के अन्त तक ४,००० एकड़ भूमि और खेती योग्य बनाई जाएगी।

सिंचाई

आलोच्य वर्ष में ३३ बड़ी सिंचाई योजनाओं को हाथ में लिया गया। इन पर ५७ लाख ३७ हज़ार रुपये खर्च होने का अनुमान है। इनमें से १७ योजनाएं १९५८-५९ के अन्त तक पूरी हो चुकी थी जिनसे ४५,००० एकड़ भूमि में सिंचाई की सुविधा हो गई है।

१९५८ में दामोदर घाटी बांध से ४ लाख ४० हज़ार एकड़ भूमि की सिचाई की गई। इस प्रकार दामोदर घाटी निगम योजना में

जितनी भूमि की सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था करने का लक्ष्य है उसकी एक-चौथाई भूमि १९५८ के खरीफ के मौसम में सींची जा चुकी है। खरीफ का मौसम समाप्त होने तक मयूराक्षी जलाशय योजना के अधीन १३ लाख ६२ हज़ार एकड़ भूमि की सिंचाई की गई। इसके अर्थ हुए कि १ लाख ३८ हज़ार एकड़ ऐसी नयी भूमि, जिसकी सिचाई की व्यवस्था पहले नहीं थी, अब नहरों से सींची जाने लगी है। इसके अलावा, अन्य बहुत-सी सिंचाई-योजनाएं पूरी की गई और कुछ और शीघ्र ही पूरी होने वाली हैं।

छोटे सिंचाई कार्य

'बंगाल तालाब सुधार अधिनियम' इस वर्ष चौबीस परगना, नाडिया तथा हावड़ा ज़िलों में भी लागू कर दिया गया। १९५८-५९ के अन्त तक २ लाख ८८ हज़ार एकड़ भूमि में फैले ६,०१८ तालाब इस अधिनियम के अन्तर्गत आ चुके थे। इसके फलस्वरूप अधिक उत्पादन होने की आशा है।

इस वर्ष १,६० तालाबों का सुधार किया गया।

बाढ़-नियन्त्रण

१९५८-५९ के दौरान बाढ़-नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यों पर कुल ४४ लाख रुपये खर्च किए गए। १९५८ के आरम्भ में राज्य के उत्तरी ज़िलों में अल्पकालीन बाढ़ संरक्षण योजनाएं शुरू की गई थीं और उसी वर्ष बाढ़ का मौसम आने से पहले ही उन्हें पूरा कर दिया गया। इन योजनाओं से १०० वर्गमील क्षेत्र बाढ़ से सुरक्षित हो गया। इसी प्रकार विभिन्न ज़िलों मे बांध बनाए गए और बाढ़ से सरक्षण प्रदान करने का प्रबन्ध किया गया।

पशु-पालन

आलोच्य वर्ष मे लगभग १२,७५१ पशुओ को कृत्रिम रूप से गर्भाधान कराया गया और ४०,१९,२०३ पशुओं को खुर के रोग मे बचाने के लिए टीके लगाए गए।

मछलीपालन

१९५८-५९ के दौरान कुल ४१६ एकड़ जल मे मछलीपालन आरम्भ किया गया। ७६७ एकड़ के दो जलाशय बनाए गए जिन पर १ लाख १० हज़ार रुपये खर्च हुए।

निजी तौर पर मछली पालने वाले व्यक्तियों को सरकारी सहायता दी गई और २४ प्रदर्शन केन्द्र स्थापित किए गए जहां मछली पालने के उन्नत

तरीके समझाए और बताए जाते हैं। पश्चिम बंगाल के तटवर्ती क्षेत्रों मे समुद्र मे मछली मारने वाली नौकाओ का यन्त्रीकरण किया जा रहा है और मछुओं को यन्त्रों की सहायता से मछली मारने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राज्य के मछलीपालन विभाग की यन्त्रचालित नौकाओं ने आलोच्य अवधि में समुद्र मे ६,३७२ मन मछली पकड़ी।

सहकारिता

१९५७-५८ मे राज्य भर मे १८,३३७ सहकारी समितियां थी जो १९५८-५९ में बढ़ कर १९,०३० हो गई। इनकी सदस्य-संख्या १४,०२,४६८ थी और पूंजी ३९ करोड़ २५ लाख रुपये। जमा की जाने वाली धन-राशि भी १५ करोड़ ८ लाख रुपये मे बढ़ कर २० करोड़ ८५ लाख रुपये हो गई।

सहकारी समितियों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए स्थापित ३ संस्थानो ने १९५८-५९ के अन्त तक ६०७ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया।

पंचायत

१९५८-५९ में ६० अंचल पंचायते और ३४२ ग्राम पचायतें संगठित की गई। इन पचायतों में चुनाव कराने की तैयारी भी की गई। राज्य सरकार ने यह व्यवस्था की है कि अंचल पंचायतों के सचिव-पद के लिए जो व्यक्ति निर्वाचित हों उन्हें उपयुक्त प्रशिक्षण दिया जाए। इन सचिवों का पहला जत्था प्रशिक्षण प्राप्त कर चुका है।

वन

१९५८-५९ के दौरान ४,५०० एकड़ भूमि में वन के लिए पेड़ लगाए गए। इस प्रकार अब तक राज्य में ३४,७३० एकड़ नयी भूमि में वन लगाए जा चुके हैं। इन वनों से जनता को ईधन के लिए और इमारती लकड़ी प्राप्त हो सकेगी। राज्य के अन्य भागों मे भी वन-संरक्षण के लिए अनेक कार्य किए गए। १९५८ में वन महोत्सव के अवसर पर रोपाई के लिए ७,६९,७७७ पौध वितरित किए गए।

सहायता कार्य

१९५८-५९ के दौरान ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था अत्यन्त खराब हो गई। फसल अच्छी न होने के कारण खेतिहर मजदूरों को काम बहुत कम ही मिला। जनवरी, १९५८ के मध्य ही से बेरोज़गार खेतिहर मज़दूरो को रोज़गार देने के लिए सहायता कार्य आरम्भ करना पड़ा। अनेक जिलों में लगातार बाढ़ आने के

कारण स्थिति और भी खराब हो गई। ९८,६०० टन खाद्यान्न (५,२१,६०,००० रु० के मूल्य का) और ४२,२३३ मकान नष्ट हुए। संचार साधन भी क्षतिग्रस्त हुए। इसलिए सरकार ने किसानों को तकावी के रूप में सहायता दी। नवम्बर, १९५७ से दिसम्बर, १९५८ के बीच १६,४४८ मील लम्बी सड़कों की मरम्मत की गई, ३,०८९ मील लम्बी नई सड़कें बनाई गई और ७३९ नहरें तथा २,९४१ तालाब खोदे गए।

भूमि-सुधार

'पश्चिम बंगाल भू-सम्पत्ति अर्जन अधिनियम, १९५३' के कार्यान्वित किए जाने की कठिनाइयों को दूर करने के लिए १९५९ मे राज्यीय विधानमण्डल के बजट अधिवेशन मे एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। यह विधेयक विधानमण्डल की संयुक्त समिति के विचाराधीन है।

भूमि-सीमा निर्धारित की जा चुकी है। निर्धारित सीमा से अधिक १ लाख ५१ हज़ार भूमि को सरकार अपने अधीन कर चुकी है।

क्षति पूर्ति की मात्रा के सम्बन्ध में निश्चय होने तक मध्यवर्ती लोगों को १९५८-५९ में अंतरिम रूप से १,४५,३३,७४५ रु० दिए गए।

भू-सम्पत्तियों पर सरकार द्वारा अधिकार किए जाने के पूर्व बहुत से मध्यवर्ती लोगों ने अपने खेतों में बाढ़ का पानी भर कर उनको मछलीपालन-शालाओं में बदल दिया। ऐसी भूमि का पुनरुद्धार किए जाने के लिए इस वर्ष 'पश्चिम बंगाल कृषि भूमि तथा मछलीपालन-शाला (अर्जन तथा पुनर्वास) अधिनियम, १९५८' पास किया गया।

शिक्षा

१९५८-५९ के दौरान १४ नर्सरी स्कूलो, २२५ जूनियर स्कूलों और ४५ सीनियर बेसिक स्कूलों को खोलने की स्वीकृति दी गई और इसी अवधि में पुरुषों के दो सीनियर बेसिक ट्रेनिंग कालेजों में पढ़ाई शुरू हुई।

आलोच्य वर्ष में ६९१ प्राइमरी स्कूलों में भी पढ़ाई शुरू हुई जिनमें कुल १,००० अध्यापक काम करते है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापिकाओं के लिए ८१ क्वार्टर बनवाने और स्कूलों के २० सब-इंस्पेक्टर नियुक्त करने की व्यवस्था भी की गई।

बिहार के जो हिस्से पश्चिम बंगाल में मिला दिए गए हैं उनमें १,७०० प्राइमरी और बेसिक स्कूल हैं। इन स्कूलों के कुल २,८०० अध्यापकों को १

अप्रैल, १९५८ से पश्चिम बंगाल में लागू वेतन-क्रम के अनुसार बढ़ी हुई तनख्वाहे दी जाने लगीं। इसमे राज्य सरकार पर ६ लाख ४६ हज़ार रुपये का नया बोझ पड़ा।

आलोच्य वर्ष ही में ११ से १४ वर्ष तक की बालिकाओं को निःशुल्क शिक्षा दी जाने लगी।

१९५८-५९ मे नदिया, हावड़ा और हुगली में तीन डिग्री कालेज तथा राज्य मे ३ टीचर्स ट्रेनिग कालेज और खोले गए।

राज्य में डिप्लोमा कोर्स वाले जितने इंजीनियरिंग कालेज थे उनमें १९४९ में कुल ९२० छात्र भर्ती हो सकते थे। इन कालेजों का विस्तार किया गया और क्रमशः इनकी क्षमता इतनी बढ़ गई कि १९५८-५९ में ६,८४० छात्र शिक्षा प्राप्त कर सके।

कलकत्ता मे एक नयी पालिटेकनीक संस्था की स्थापना की जा रही है जिसमें ५४० छात्र भर्ती हो सकेंगे।

उच्चतर शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए सरकार ने इसी वर्ष दो नये विश्वविद्यालय खोलने का फैसला किया—एक बर्दवान मे और एक कल्याणी-हरीनघाट में।

स्वास्थ्य

मलेरिया नियन्त्रण कार्यक्रम के परिणामस्वरूप इस रोग से मरने वालों की संख्या १९५८ में १९४८ की अपेक्षा ३६० से घटकर २० व्यक्ति प्रति लाख रह गई। इस वर्ष मलेरिया नियन्त्रण का कार्य ३३,६२४ वर्गमील के क्षेत्र मे किया गया जिसमें २ करोड़ ३० लाख व्यक्तियों को सुरक्षा प्राप्त हुई। कोण्टई में मलेरिया-फाइलेरिया के नियन्त्रण तथा शोध का एक केन्द्र भी खोला गया।

१९५८-५९ में बी०सी०जी० के टीका लगाने वाली १६ टुकड़ियां थी जिन्होंने १,०५,७७,१०९ व्यक्तियों की परीक्षा की तथा ४२,६६,७८८ व्यक्तियों को टीके लगाए। ९ चलती-फिरती टुकड़ियां भी काम करती रही।

गौरीपुर की राज्यीय कुष्ठ बस्ती में १०० अतिरिक्त रोगीशय्याओं की व्यवस्था की गई। बाहरी रोगियों के लिए ६ उपचारालय भी खोले गए।

ग्रामीण जल व्यवस्था योजना के अधीन २,३७२ नलकूप लगाए गए। ७४९ पुराने नलकूपों की फिर से खुदाई की गई और ३१३ नये कुएं बनवाए गए।

राज्य सरकार ने एक कानून बना कर कलकत्ता नगर में गन्दी बस्तियों की सफाई करने की व्यवस्था की है।

उद्योग

कलकत्ता मे हथकरघा वस्त्र की बिक्री के लिए एक और डिपो खोला गया। तीन बिक्री-डिपो पहले ही से खुले हुए हैं। १९५८-५९ के दौरान इन बिक्री-डिपो से १ करोड़ रुपये का हथकरघा-वस्त्र बेचा गया।

राज्य सरकार ने द्वितीय योजनाकाल में १०,००० अम्बर चर्खे बनवाने का प्रबन्ध किया। इनमें से ३,५०० अम्बर चर्खे बनाए गए, १,६२६ चर्खे सूत कातने वालों में वितरित किए गए और १,५०० चर्खे ४७ परिश्रमालयों को दिए गए। इन परिश्रमालयो ने ३,५०,००० मन सूत तैयार किया है। गांवो मे क़ताई सिखाने के लिए प्रशिक्षण-केन्द्र खोले जा रहे हैं। १९५८-५९ में १८ करोड़ ५ लाख १० हज़ार गज कपड़ा तैयार होने की आशा है।

दस्तकारी के अन्य उद्योगों में भी ग्रामीण शिल्पियों और कारीगरों को नये ढंग के औज़ारों और आधुनिक उपकरणों के उपयोग का प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है ताकि ग्रामोद्योग और कुटीर उद्योग का समुचित विकास हो।

श्रम

१९५८ के दौरान औद्योगिक विवाद के फलस्वरूप काम न होने के कारण २० लाख मानव-दिनों की हानि हुई। इनमें से ७९ प्रतिशत मामले समझौते से हल हो गए।

औद्योगिक विवादों की समस्या को हल करने की दृष्टि से सम्पूर्ण राज्य को ८ क्षेत्रों में विभाजित कर दिया गया है।

राज्य में पंजीकृत कारखानों की संख्या १९५८ में बढ़ कर ३,९०० हो गई जिनमें कर्मचारियों की कुल संख्या ७ लाख है।

इसी वर्ष उत्तरी कलकत्ता, दक्षिणी कलकत्ता, कल्याणी, पुरुलिया, दुर्गापुर और सिलीगुड़ी में ६ नये रोज़गार दफ़्तर खोले गए। कर्मचारी राज्य बीमा निगम की योजना के अधीन दिसम्बर, १९५८ तक चिकित्सा की सुविधा प्राप्त करने वालों की संख्या २,८९,०६८ थी।

आवास

आलोच्य वर्ष में सरकारी सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन आसनसोल, आलमबाज़ार और बैद्यबती में ६८८ क्वार्टर बनाने का काम पूरा हो गया। घुसुरी, बेलूर और टीटागर में १,३५६ मकानों के निर्माण

का काम भी करीब-करीब पूरा हो चुका है तथा सेरामपुर और सुंडिया में १,१८२ मकानों का निर्माणकार्य जारी है। २,१२६ मकान और बनाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है और मकानों के लिए भूमि प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है।

पारवहन

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों मे राज्य में १,२०० मील लम्बी राजकीय सड़कों और १०० मील लम्बे राष्ट्रीय राजपथों का निर्माण किया गया इनमें से ४५० मील लम्बी सड़कों का निर्माण १९५८-५९ के दौरान हुआ और इन पर ४ करोड़ रुपये खर्च हुए। जलंगी, दामोदर और रूपनारायण नदियों पर बड़े पुलों का निर्माणकार्य जारी है।

१९५८-५९ के दौरान कलकत्ते में चार रूटों पर चलने वाली बस-सेवा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

अन्तर्देशीय जल-परिवहन के लिए उपयुक्त योग्यता प्राप्त भारतीय कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए कलकत्ता में १ अप्रैल, १९५८ को एक प्रशिक्षण केन्द्र खोला गया।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना

पश्चिम बंगाल की राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना का चौथा प्रशिक्षण केन्द्र अप्रैल, १९५९ में कुरसिआंग में खोला गया। इन चारों प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रतिवर्ष ४,००० स्वयंसेवकों को प्रशिक्षण दिया जा सकता है। मार्च, १९५९ तक लगभग ३१,७९७ लड़कों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त स्वयं-सेवकों को अनिवार्य रूप से ३ वर्ष तक राज्य सरकार की सेवा में माना जाता है।

आदिवासियों सम्बन्धी कल्याणकार्य

१९५८-५९ के दौरान अनुसूचित आदिमजातियों, अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी हुई जातियों के लोगों के कल्याण की विभिन्न योजनाओं पर २५ लाख १४ हजार रुपये खर्च किए गए।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

१९५८-५९ में केवल ३,९२९ विस्थापित व्यक्ति पश्चिम बंगाल आए जबकि १९५७-५८ में ५,६९३ व्यक्ति और १९५६-५७ में १,४६,९६६ व्यक्ति आए थे।

१९५८-५९ के आरम्भ में राज्य में विस्थापितों के लिए मकानों और शिविरों की संख्या १९६ थी, किन्तु वर्ष का अन्त होते न होते यह घट कर १४५ हो गई। इन मकानों और शिविरों में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या भी २,५२,९१९ से घट कर २,१७,०२७ रह गई। इसी अवधि मे २०,७७३ व्यक्तियों को शिविरों से निकाल कर राज्य में विस्थापितों के लिए बनाई गई बस्तियों में बसाया गया और ४,५४४ व्यक्तियों को अन्य राज्यों में बसाया गया।

१९५८-५९ के दौरान प्राइमरी स्कूलों के विस्थापित छात्रों को पुस्तकें खरीदने के लिए और छात्रवृत्ति के रूप में ४ लाख रुपये दिए गए। माध्यमिक स्कूलों के ७० हज़ार छात्रों को ६१ लाख रुपये की वृत्तियां और कालेजों तथा प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं के छात्रों को २५ लाख रुपये की वृत्तियां दी गई।

इसी अवधि में ४,०५९ विस्थापितों को प्राविधिक और विभिन्न दस्तकारियों की शिक्षा दी गई। ३६,२०७ विस्थापितों को अलग प्रशिक्षण दिया गया जिनमें से १,८०० विस्थापितों को २२ उत्पादन केन्द्रों में रोजगार मिल गया।

बम्बई

खाद्य और कृषि

१९५८-५९ मे राज्य में सस्ते अनाज की ५,६०० दुकानें खुली हुई थीं। पहली नवम्बर, १९५८ से 'बम्बई खाद्यान्न विक्रेता लाइसेंसिग आदेश' लागू किए जाने के कारण धान, चावल, ज्वार, बाजरा और मक्का के व्यवसाय और ज़खीरेबाज़ी पर पूरा-पूरा नियन्त्रण रखा गया।

१९५७ में ८०,००० एकड़ क्षेत्र के ५ खण्डों में धान की विस्तृत खेती की जो नमूने की योजना प्रारम्भ की गई थी उसे इस वर्ष ७२,००० क्षेत्र के चार और खण्डों में लागू किया गया।

सिंचाई

प्रथम योजना मे प्रारम्भ की गई बड़ी योजनाओं में से रेनाण्ड टैंक, रेहनागिरी और गंगापुर (प्रथम चरण) योजनाएं लगभग पूर्ण हो गई। ककरापार और माही योजनाओं पर कार्य पूर्ण वेग से चालू है। माही नहर नवम्बर, १९५८ में सिंचाई के लिए खोल दी गई। इससे २१,००० एकड़ क्षेत्र में सिंचाई होगी। ककरापार दक्षिण तटीय नहर भी चालू कर दी गई जिससे दक्षिण और वाम तटीय नहरों द्वारा लगभग १,५०,००० एकड़ भूमि पर सिंचाई की सुविधाएं

उपलब्ध हो गई। घोड वाम तटीय नहर जुलाई, १९५८ में सिंचाई के लिए चालू कर दी गई। शतरंज योजना भी समय से पूर्व पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

द्वितीय योजना मे सम्मिलित ५९ मध्य वर्गीय सिचाई योजनाओं में से १० पूर्ण हो गईं, २२ प्रगति के मार्ग पर हैं और बाकी का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

मछलीपालन

इस वर्ष जालों में नाइलोन के प्रयोग तथा मछली पकड़ने के अन्य आधुनिक साधनों के प्रयोग द्वारा मछली उद्योग के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाए गए। १९५८-५९ मे ५ लाख ६५ हज़ार रुपये की सहायता और ११ लाख ८८ हज़ार रुपये का ऋण दिया गया। आलोच्य वर्ष में २५९ मछुओं को मशीनी नाव चलाना सिखाया गया, जल्दी बढ़ने वाली ३० लाख बच्चा मछलियों का आयात किया गया तथा बेदी में एक बरफखाना और एक कोल्ड स्टोरेज प्लांट स्थापित किए गए।

पंचायत

अब तक ७५ प्रतिशत ग्रामीण जनता और ६० प्रतिशत गाव पंचायतों के अन्तर्गत आ गए हैं। इस वर्ष राज्य की विधान सभा ने पंचायतों के प्रशासन से सम्बन्धित एक विधेयक भी पारित किया जिसके अनुसार पंचायतों के सामाजिक और आर्थिक कल्याण सम्बन्धी कार्यों के क्षेत्र को विस्तृत कर दिया गया है और उन्हें अधिकार दिया गया है कि वे अपने आय साधनों को और बढ़ा सकें। साथ ही उनके न्यायिक अधिकार भी बढ़ा दिए गए है।

सहकारिता

इस वर्ष राज्य में २ अरब ५० करोड़ रुपये की पूजी की ३२ हज़ार सहकारी समितियां कार्य कर रही थी। इनकी सदस्य संख्या ५० लाख थी। इन समितियों ने किसानों को ३४ करोड़ रुपये का ऋण दिया।

शिक्षा

१९५८-५९ के अन्त तक प्रारम्भिक शिक्षा पर योजनाकाल के कुल उपबन्ध का ८०.२ प्रतिशत व्यय हुआ। भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में खोले जाने वाले नये प्रारम्भिक स्कूलों के लिए १,५०० अध्यापकों को स्वीकृति दी।

आलोच्य वर्ष में आशा की जाती है कि ६–११ वर्ष आयु वर्ग के ४० लाख २३ हज़ार बच्चे स्कूल जाते थे। मुख्यत: प्रारम्भिक स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का पता लगाने तथा नये स्कूल आरम्भ करने से पूर्व उपलब्ध सुविधाओं

के पूर्ण उपयोग की दृष्टि से राज्यों के ४३ जिलो का शैक्षिक सर्वेक्षण किया गया। बुनियादी शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी प्रगति हुई ।

राज्य मे पोलिटेकनिक स्कूलों की संख्या बढ़ाई जा रही है तथा वर्तमान इजीनियरिंग कालिजों और पोलिटेकनिक स्कूलों में प्राप्त सुविधाओं को और अधिक बढ़ाया गया। इस वर्ष करड में एक नये पोलिटेकनिक स्कूल की आधारशिला रखी गई ।

स्वास्थ्य

इस वर्ष अहमदाबाद सिविल अस्पताल में बिस्तरों की संख्या ३५३ से बढ़ा कर ५२० कर दी गई। पूना के सैसून अस्पताल मे भी ९५ बिस्तरे और बढा दिए गए। नवसारी में एक नया अस्पताल चालू हो गया। भारपुर (कच्छ) के टी० बी० सेनेटोरियम को भी और विकसित किया गया । चिकित्सा सम्बधी सुविधाओं को ग्रामीण जनता तक पहुंचाने के निमित्त गांव में आंख, दांत और शल्य शिविर आयोजित किए गए। विदर्भ में राज्य सरकार के अनुदान से जनपद सभाओं के अन्तर्गत दस नये चिकित्सालय स्थापित किए गए। इस वर्ष कोढ़ उन्मूलन के लिए एक योजना बनाई गई तथा कोढ़ियों की सहायता के लिए बहुत से केन्द्र, स्थापित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में इस रोग को समाप्त करने की दृष्टि से कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओ को प्रशिक्षित करने के लिए कदम उठाए गए । इस वर्ष राज्य सरकार ने मलेरिया नियन्त्रण के स्थान पर मलेरिया उन्मूलन का कार्यक्रम अपनाया ।

बम्बई स्थित हाफकिन रिसर्च इंस्टीट्यूट की रजत जयन्ती इस वर्ष की एक प्रमुख घटना रही । सरकार ने इस संस्था के विकास के लिए एक विशेष कोष की स्थापना की है जिसमें संस्था से प्राप्त होने वाले लाभ का ५० प्रतिशत प्रतिवर्ष जमा किया जाएगा ।

आलोच्य वर्ष में छुट्टी शिविर योजना की ओर भी विशेष ध्यान दिया गया तथा अमरावती, कोल्हापुरं, अहमदनगर, पूना और सूरत ज़िलों में नये शिविरो की स्थापना की गई। सरकार की नीति यह है कि छुट्टी मनाने की सुविधाएं जनसाधारण के लिए इतनी सस्ती बना दी जाएं कि कम आय वाले लोग भी उनका पूरा-पूरा लाभ उठा सकें ।

श्रम

२५ जुलाई, १९५८ की आम हड़ताल तथा कुछ अन्य छोटी-मोटी हड़तालों को छोड़ कर इस वर्ष राज्य में श्रम की स्थिति शान्तिपूर्ण रही। नरसिंहगिरजी

मिल के अलावा सरकार ने बेकारी दूर करने के लिए सेक्सरिया मिल को भी अपने हाथ में ले लिया । विदर्भ प्रदेश मे बीड़ी कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के न्यूनतम वेतन की दरें फिर से तय की गई । मराठवाडा मे भी वेतन दरों को दोहराने पर विचार किया जा रहा है ।

यातायात

मराठवाडा मे सड़के बनाने का एक नया कार्यक्रम बनाया गया जिस पर ३ लाख १७ हज़ार रुपया खर्च किया जाएगा । इसके अलावा इस वर्ष कोलाबा जिले में धर्मतार पुल और मध्य प्रदेश को महाराष्ट्र से मिलाने के लिए तार्प्ती पर सवखेड़ा पुल का उद्घाटन किया गया । साथ ही बुलढाना को औरंगाबाद से जोड़ने के लिए एक नयी सड़क का निर्माण किया गया ।

निर्माण

द्वितीय योजना के अन्तर्गत मार्च, १९५९ में ५ करोड़ १८ लाख ८३ हज़ार रुपये की लागत के १२,४३० मकान पूर्ण हो जाने की आशा थी । ७,००० मकान और बनाए जा रहे हैं । कम आय वर्ग मकान योजना के अन्तर्गत इस वर्ष ३ करोड़ २२ लाख रुपये के ऋण दिए गए । सरकारी नौकरों के लिए भी कुछ मकानों का निर्माण किया गया ।

समाज कल्याण

समाज कल्याण का कार्य करने वाली संस्थाओं में सम्बन्ध स्थापित करने के लिए एक राज्य समाज कल्याण परिषद की स्थापना की गई । बच्चे और स्त्रियों से सम्बन्धित अवांछनीय संस्थाओ पर नियन्त्रण रखने के लिए १ अप्रैल, १९५९ से 'स्त्रियों और बच्चों की संस्थाओं का लाइसेंसिग ऐक्ट' लागू कर दिया गया । बम्बई नगर मे बच्चों के लिए एक सम्मिलित अजायबघर और थियेटर स्थापित करने का भी निश्चय किया गया । इसके लिए मैरीनड्राइव पर तारपोर-वाला एक्वेरियम के पास एक स्थान भी छांट लिया गया है ।

पिछड़ी जाति कल्याण

इस वर्ष पूना, अहमदाबाद और नागपुर स्थित सरकारी पिछड़ी जाति होस्टलों का पुनस्संगठन किया गया तथा अस्पृश्यता विरोधी आन्दोलन पर खास तौर पर ज़ोर दिया गया । इस वर्ष एक अनुसूचित जाति के विद्यार्थी को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी भेजा गया ।

हरिजनों को मुफ्त कानूनी सहायता देने की एक योजना स्वीकृत की गई ।

छोटी बचत आंदोलन

नवम्बर १९५८ तक छोटी बचत आन्दोलन के अन्तर्गत ११ करोड़ १२ लाख रुपया जमा किया गया तथा इस योजना को सब वर्गों में सफल बनाने के लिए पैसा लगाने के कुछ नये तरीके प्रारम्भ किए गए।

बिहार

कृषि

राज्य के छोटा नागपूर और सन्थाल परगना क्षेत्रो में, जहां मुख्य रूप से धान की खेती होती है, किसानो को गेहूं के बीज ऋण के रूप मे दिए गए। यह ऋण ब्याज-मुक्त होगा। दिसम्बर, १९५८ तक किसानों द्वारा १२,४०८ टन फास्फेट और हड्डी का चूरा, ३७,०२० टन एमोनियम सल्फेट और ४३,१७३ टन कम्पोस्ट खरीदा गया। गन्धी कीड़े और दूसरे कीटाणुओं के विरुद्ध विशेष सुरक्षात्मक तरीके अपनाए गए।

सिंचाई

सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरम्भ होने से लेकर सितम्बर, १९५८ तक ९९ मझले दर्जे की और ५,९३३ छोटी सिंचाई योजनाएं पूरी की गई। इसके अलावा, २९,७३१ पक्के कुएं खोदे गए और ९४८ नलकूप लगाए गए। आलोच्य वर्ष में १,१२,५८० एकड़ भूमि मे सिंचाई की व्यवस्था की गई।

हनुमान नगर बैरेज का आरम्भिक निर्माणकार्य पूरा हो चुका है। मशीन की मरम्मत के लिए एक वर्कशाप भी खोला गया। पूर्वी कच्चे बांध का निर्माणकार्य सन्तोषजनक रूप से प्रगति कर रहा है और नहर की खोदाई जारी है। आलोच्य वर्ष में गण्डक नदी बांध योजना का काम शुरू किया गया।

बाढ़-नियन्त्रण कार्य

नवम्बर, १९५८ तक बाढ़ से सुरक्षा करने वाले ७९६.१३ मील लम्बे बांधों का निर्माण किया गया। कोसी नदी के दोनों किनारों पर भी बाढ़ रोकने के लिए बांध बन कर तैयार है। बांध बनाने और खोदाई करने का जितना भी काम हुआ उसका ४२ प्रतिशत भारत सेवक समाज द्वारा किया गया।

सहकारिता

आलोच्य वर्ष में राज्य में २४,१४२ सहकारी समितियां काम कर रही थी। १९५८-५९ में ८० बहूद्देश्यीय सहकारी समितियां संगठित की गई। केन्द्रीय

भूमि बन्धक बैंक और राज्य गोदाम निगम की स्थापना भी की गई। चार भिन्न स्थानों मे भी एक-एक गोदाम खोला गया। १९५८-५९ के दौरान सहकारी ऋण एजेंसियों द्वारा किसानों को २०,१४९ टन एमोनियम सल्फेट बेचा गया।

पंचायत

१९५८-५९ के दौरान ५५७ ग्राम पंचायतें सगठित की गई। अब तक ९,०१७ ग्राम पंचायतों की स्थापना की जा चुकी है। इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य के तीन-चौथाई भाग में पचायतों का संगठन किया जा चुका है।

भूमि-सुधार

आलोच्य वर्ष मे पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और धनबाद, इन चार जिलों में जोतों की चकबन्दी का काम सन्तोषजनक रूप मे चलता रहा। पूर्णिया जिले में भूमि सम्बन्धी विवादों का निपटारा किया जा चुका है और भागलपुर और शाहाबाद जिलो में विवाद निपटाने का काम शुरू किया गया।

सामुदायिक विकास

इस समय बिहार राज्य में ३०८ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड हैं। इस कार्यक्रम का आरम्भ होने के समय से लेकर सितम्बर, १९५८ तक जनता द्वारा ९ करोड़ ३९ लाख रुपये का योग प्राप्त हुआ। अधिकाधिक सिचाई सम्बन्धी सुविधाओं, खाद के वितरण, बढ़िया बीजों की उपलब्धि और पशुओं और मवेशियों की रोगों से रक्षा, इन तरीकों से कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में निरन्तर प्रगति हो रही है। जन-स्वास्थ्य, शिक्षा और गांव की सफाई के लिए सुविधाएं सुलभ की गई। इनके अलावा, विस्तार खण्ड वाले क्षेत्रों में सहकारी समितियों और ग्रामीण उद्योगों का संगठन किया गया।

शिक्षा

राज्य में ६ से १४ वर्ष की आयु के बालकों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रत्येक जिले के एक-एक खण्ड में प्रयोगात्मक रूप से शिक्षा-योजना लागू की गई। प्राइमरी शिक्षा के सुधार और विस्तार के लिए २,७९० प्राइमरी अध्यापकों की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई। नब पुरानी पद्धति वाले स्कूलों को एक ही सांचे में ढालने के लिए एक ही पाठ्यक्रम स्वीकार किया गया जो सभी स्कूलों में समान रूप से लागू किया जाएगा। ३० हाई स्कूलों को बहूद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक स्कूल बना दिया गया और दो जनता कालेज चलाए गए। दरभंगा में एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना करने का निश्चय

किया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियो के छात्रो को उन्ही की मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की दृष्टि से कुछ और सुविधाएं दी गई।

स्वास्थ्य

आलोच्य वर्ष में प्रत्येक खण्ड मे स्वास्थ्य-केन्द्र खोले गए। जन-स्वास्थ्य इंस्टीट्यूट का विस्तार किया गया और नामकुम-स्थित वैक्सीन इंस्टीट्यूट ने अपनी उत्पादन-क्षमता में वृद्धि की। १९५८-५९ में ६० जच्चा-बच्चा कल्याण केन्द्र और १४ कुष्ठ चिकित्सा केन्द्र चल रहे थे। सरायकेला सिमडेगा, कोडरमा, मधुवनी, अररिया और धनबाद के सबडिविजनल अस्पतालो में क्षय-वार्ड खोले गए। आलोच्य वर्ष में आयुर्वेदिक कालेज का भवन बन कर तैयार हो गया और आयुर्वेदिक तथा यूनानी औषधियों क शोध-विभाग ने काम करना शुरू कर दिया।

उद्योग

प्राविधिक शिक्षा प्राप्त कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए सिदरी-स्थिर बिहार इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी तथा अन्य प्राविधिक स्कूलों और कालेजों का आलोच्य वर्ष में विस्तार किया गया। साथ ही, धनबाद में एक इंजीनियरिंग स्कूल तथा कोडरमा और झरिया में खान की खोदाई सम्बन्धी प्राविधिक शिक्षा देने वाला एक-एक इंस्टीट्यूट खोला गया। जमशेदपुर में एक नया इंजीनियरिग स्कूल आरम्भ करने के लिए भी आवश्यक कार्यवाही की गई।

इसी वर्ष सिदरी-स्थित सुपर फास्फेट कारखाने में भी उत्पादन शुरू हुआ। बोकारो में तीसरा इस्पात कारखाना खोलने की सम्भावना की जाच की जा रही है।

परिवहन

१ मई, १९५९ से राज्य मे एक सडक परिवहन निगम की स्थापना हुई और निगम का कार्य शुरू हुआ। आलोच्य वर्ष मे ५,५४५ मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई गई।

आवास

दूसरी योजनावधि में राज्य में २,१७२ मकानो का निर्माण करने का लक्ष्य है जिसमें से १,७७७ मकान अब तक बन कर तैयार हो चुके है। पटना में ६६६ एकड़ भूमि कम आय वालों क लिए मकान बनाने क हेतु प्राप्त की गई। राजन्द्र नगर कालोनी में मकान बनाने के अलावा पटना इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट ने बोरिग रोड पर

१५० मकान बनवाए। इसी वर्ष पटना में गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना भी स्वीकार की गई ।

श्रम

कटिहार, डालमियानगर, कोडरमा, कुमारधोबी, मुक्तापुर और मढ़ोरा में श्रमिक कल्याण केन्द्रों के भवन के निर्माण का काम पूरा हो गया। श्रमिकों के स्वास्थ्य के सम्बन्ध मे भी जांच-पड़ताल जारी है।

पिछड़े वर्गों का कल्याण कार्य

१९५८-५९ के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिमजाति के छात्रो के लिए २० छात्रावास खोले गए। अनाज के ६० गोले खोले गए और राज्य के ६५ प्रशिक्षण और उत्पादन केन्द्रों में १,५०० प्रशिक्षणार्थियों को विभिन्न प्रकार की दस्तकारियां सिखाई गईं। हरिजनों के लिए ९६३ कुएं खोदे गए।

विस्थापितों का पुनर्वास

आलोच्य वर्ष में पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले ७६,३५४ विस्थापितो को सहायता देने और उनके पुनर्वास की समस्या को हल करने के लिए प्रयास किए गए। १,५२६ किसान परिवारों को खेती के लिए भूमि प्रदान की गई। किसानी न करने वाले परिवारों को बसाने के लिए उपयुक्त कार्य किए जा रहे है।

मद्रास

कृषि

सिंचाई

जनवरी १९५९ के अन्त तक १,२६१ सिंचाई कार्यों का काम पूरा किया जा रहा था। इन पर ६५ लाख ३३ हजार रुपये खर्च होंगे। चिंगलपेट ज़िले में १९५८-५९ के दौरान बंजर भूमि को खेती योग्य बनाने की योजना के अधीन ५ सिचाई योजनाकार्य चल रहे थे। जनवरी १९५९ के अन्त तक इन पर १ लाख ६१ हजार रुपये खर्च किए जा चुके है।

पशुपालन

आलोच्य वर्ष मे राज्य भर में २८ कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र थे। इनमें से १३ केन्द्र सामुदायिक विकास खण्डों में थे। इनके अलावा, २८ प्रमुख ग्राम केन्द्र और

१६६ उपकेन्द्र थे । द्वितीय योजना में ४१ पूरक विस्तार केन्द्र स्थापित करने का लक्ष्य है, जिनमें से १७ केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। १६५८-५६ में ऐसे ४ केन्द्र खोले गए ।

द्वितीय योजना के अन्तर्गत चिन्नासलेम में एक भेड़-फार्म खोला गया। चिगल-पेट ज़िले के कवानूर वन में भी एक भेड़-पालन केन्द्र खोला गया ।

मछलीपालन

१६५८-५६ के दौरान में १,१३,५८७ टन मछली पकड़ी गई। मोती के सीप निकालने का काम मार्च-मई, १६५८ में किया गया और इससे ४ लाख ७४ हज़ार रुपये की आय हुई। फरवरी १६५६ में मोती वाले सीप निकालने से २ अप्रैल, १६५६ तक ५ लाख रुपये की आय हुई।

मछली पकड़ने वाली नौकाओं में सुधार करने की योजना के अन्तर्गत २३ नौकाएं बनाई गई । इस प्रकार मछली पकड़ने वाली यन्त्रचालित नौकाओ की संख्या ६५ हो गई। इन नई यन्त्रचालित नौकाओं और नये प्रकार के जालों का समुचित उपयोग करने के लिए ६० मछुओं को नागपट्टिनम और तूतीकोरिन प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षित किया गया ।

वन

१६५८-५६ के दौरान हर प्रकार के पेड़ों को बड़े पैमाने पर लगाने का काम किया गया ताकि इमारती लकड़ी और ईंधन के काम आने वाली लकड़ी समुचित मात्रा में प्राप्त होती रहे। कुल ३०,८६४ एकड़ भूमि मे पेड़ लगाए गए। नदियों और नहरों के किनारे भी करीब १,०१७ एकड भूमि में टीक के पेड लगाए गए।

सहकारिता

१६५८ के अन्त तक राज्य भर में कुल १३,३६१ सहकारी संस्थाए थीं। इनके अलावा, ४८६ प्राथमिक सहकारी स्टोर भी थे जिनकी सदस्य-संख्या २ लाख ३० हज़ार थी। दिसम्बर १६५८ मे खत्म होने वाले वर्ष में इन स्टोरों ने ६ करोड़ २७ लाख ८४ हजार रुपये का माल बेचा ।

भूदान यज्ञ

आलोच्य वर्ष में मद्रास भूदान यज्ञ अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम के अन्तर्गत एक मद्रास राज्य भूदान यज्ञ मण्डल की स्थापना की जाएगी । यह मण्डल भूदान में प्राप्त होने वाली भूमि, सर्वोदय पंचायतों और ग्राम-दान में मिलने

वाले गांवों का प्रबन्ध करेगा। सरकार ने एक कानून यह भी बनाया है कि ग्राम-दान वाले गांवों के निवासियो पर एक वर्ष तक कर्ज़ के सिलसिले में किसी किस्म की अदालती कार्रवाई नहीं की जा सकती।

मदुरई जिले के ग्राम-दान वाले १० गांवों में पुराने कुएं गहरे करवाने, नए कुएं बनवाने, पानी खीचने वाले पम्प खरीदने, कृषि के काम में आने वाले यन्त्र खरीदने या बैल खरीदने के लिए तथा हथकरघा उद्योग और मुर्गीपालन उद्योग आरम्भ करने के लिए राज्य सरकार ने ६ लाख २८ हज़ार रुपये ऋण और सहायता के रूप में सर्वोदय सहकारी समितियों को प्रदान किया। ये समितिया उक्त १० ग्राम-दान वाले गावो मे काम कर रही हैं। १९५८-५९ में इन गांवों के किसानों को ३१ हज़ार रुपये की तकावी भी दी गई।

उद्योग

आलोच्य वर्ष में राज्य में गहन खादी योजना, विस्तृत खादी योजना (विकास खण्ड के बाहर वाले क्षेत्रों मे), सर्वांग खादी योजना (खण्ड वाले क्षेत्रों में) और अम्बर चर्खा योजना, ये चार खादी विकास योजनाएं जारी थीं। पहली योजना के अन्तर्गत ३,१९,३८२ ९३ रुपये का खादी रेशम तैयार हुआ, दूसरी योजना के अन्तर्गत ३,६६,२५१ ७१ रुपये की खादी तैयार हुई और अम्बर चर्खा योजना के अन्तर्गत अम्बर चर्खे से कते सूत से १,५६,३४५ गज खादी तैयार हुई।

सूत कातने वाली सहकारी मिलों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने १९५८-५९ में रामनाथपुरम कोआपरेटिव स्पिनिग मिल में १० लाख रुपये की पूंजी लगाई और साउथ इंडिया कोआपरेटिव स्पिनिग मिल में १ लाख ७७ हज़ार रुपये की पूजी लगाई।

आवास

१९५८-५९ में मकान निर्माण कार्य पर २ करोड़ १० लाख ७० हजार रुपये व्यय करने की व्यवस्था है। औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत (जिसे सरकारी सहायता प्राप्त है) १४ निर्माण योजनाएं स्वीकृत हुई है। इसके अधीन ४१ लाख २० हज़ार रुपये की लागत से १,२४८ मकानों का निर्माण किया जाएगा। ये योजनाएं निर्माण की विभिन्न अवस्थाओं में है। औद्योगिक सहकारी आवास समितियों द्वारा १८ लाख ३४ हज़ार रुपये की लागत से ६४१ मकान बनाने की योजना स्वीकृत हो चुकी है।

१९५८-५९ में सरकार ने सिटी इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट को ३२ लाख रुपये ऋण के रूप मे दिए। ट्रस्ट इस धन से मकानों के लिए भूमि खरीदेगा और मकान बनवाएगा।

बागान श्रमिक आवास योजना के अन्तर्गत १५५ मकानों के निर्माण के लिए २,७३,६०० रुपये का ऋण दिया गया। ग्राम आवास योजना के अधीन लगभग १०५ गांवों का चुनाव किया जा चुका है। हथकरघा मजदूरों के लिए १३ आवास निर्माण योजनाएं स्वीकार की जा चुकी हैं। १९५८-५९ में इन पर १६ लाख १५ हज़ार रुपये खर्च होने की आशा है।

राष्ट्रीय रोज़गार सेवा

अक्तूबर १९५८ के अन्त में रोज़गार दफ्तरों में ३,३८,८४५ व्यक्ति पंजीकृत थे। रोजगार दफ्तरों को ६०,०६२ रिक्त स्थानों की सूचना मिली, जिनके लिए १,०३,७८६ व्यक्तियों ने आवेदन-पत्र दिए। आलोच्य वर्ष में कन्याकुमारी जिले में एक और ज़िला रोज़गार दफ्तर खोला गया।

मध्य प्रदेश

कृषि

इस वर्ष ३.७७ करोड़ मन धान के उन्नत बीज बांटे गए और २.५ लाख एकड़ भूमि में जापानी पद्धति से धान की खेती की जाने लगी। ३.५ लाख एकड़ भूमि में ३.४३ लाख मन घुन-प्रतिरोधक उन्नत गेहूं बोया गया।

सिंचाई

३,२७२ कुएं खोदे गए और ३,११६ बिजली के तथा डीज़ल पम्प और २५३ रहट लगाए गए। इस वर्ष के अन्त तक ६९ छोटी सिचाई योजनाओं के पूरी होने की आशा थी।

भूमि-पुनरुद्धार

इस वर्ष ४,००० एकड़ ऊसर भूमि को तोड़ने के अलावा लगभग १.१२ लाख एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया गया।

भूमि-संरक्षण

इस वर्ष ३९,०३१ एकड़ भूमि मे मेंड़ लगाने का तथा ५,५४४ एकड़ भूमि में भूमि-क्षरण को रोकने का कार्य किया गया।

भूमि-बन्दोबस्त कार्य

चार तहसीलों में भूमि के लेखे-जोखे का कार्य लगभग पूरा होने को है। सिरोंज सब-डिवीज़न में भूमि बन्दोबस्त का कार्य किया जा रहा है।

चकबन्दी

इस वर्ष १.६० लाख एकड़ भमि की चकबन्दी की गई ।

पशुपालन

१३ जिलों मे पशुओं को कीड़े न लगने देने के सम्बन्ध में कार्यवाही की गई। २ अस्पताल तथा ५० दवाखाने खोले गए। शिवपुरी में एक ऊन परीक्षण प्रयोगशाला तथा जबलपुर मे एक सूअरपालन-गृह खोला गया। भोपाल में एक दुग्ध-संघ योजना का कार्य आरम्भ किया गया।

मछलीपालन

राज्य में कृत्रिम मछलीपालन का प्रचार करने के प्रयास किए जा रहे हैं। जल्दी से बढ़ने वाली मछलियां बांटी जा रही हैं। इस समय ३० मछुआ सहकारी समितियां हैं। रायपुर में पूर्व पाकिस्तान के १५० मछुआ परिवारों को बसाने की योजना कार्यान्वित की जा रही है।

सहकारिता

१०० कृषि सहकारी समितियां तथा ३० क्षेत्रीय हाट-व्यवस्था समितियां स्थापित की गई। मध्य भारत तथा महाकौशल के दो शीर्ष बैंकों को मिला कर १५ मार्च, १९५८ से जबलपुर में एक शीर्ष बैंक स्थापित कर दिया गया।

छोटी प्राथमिक कृषि-ऋण समितियो के पुनस्संगठन तथा उन पर केन्द्रीय बैंक द्वारा देख-रेख रखे जाने की दो योजनाओं पर कार्य किया गया।

भूमि-सुधार

राज्य में जमींदारी तथा जागीरदारी की प्रथाएं समाप्त कर दी गई है। 'मध्य प्रदेश लगान संहिता, १९५४' के अधीन वाजी-बुल-अर्ज तथा निस्तार-पत्रक तैयार किए जा रहे हैं। इस वर्ष इस संहिता को कानूनन लागू कर दिया गया।

शिक्षा

महाकौशल क्षेत्र मे ४०० प्राथमिक स्कूल खोले गए। ३,७४६ प्राथमिक अध्यापकों तथा २२ निरीक्षकों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति दी गई।

बुनियादी, प्राथमिक तथा मिडिल स्कूलों की शिक्षा में एकरूपता लाने के लिए एक राज्यीय बुनियादी शिक्षा मण्डल स्थापित किया गया। ६ बुनियादी प्रशिक्षण कालेज भी खोले गए।

१९५८-५९ में ६३ सरकारी हाई स्कूल उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में और २ हाई स्कूल बहूद्देश्यीय उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदल दिए गए तथा २९ हाई स्कूल स्थापित किए गए ।

१५ सरकारी इण्टरमीडिएट कालेजो को डिग्री कालेज बना दिया गया और रायपुर में बालिका डिग्री कालेज स्थापित किया गया ।

मध्य प्रदेश प्राविधिक शिक्षा मण्डल का कार्य अप्रैल १९५८ से आरम्भ हुआ । रायपुर के इंजीनियरी तथा प्राविधिक कालेज में इंजीनियरी के डिग्री वर्गो की व्यवस्था की गई । छिन्दवाड़ा मे एक खनन बहुधन्धी संस्था खोली जा रही है ।

स्वास्थ्य

१९५८ के अन्त तक चिकित्सा संस्थानों की संख्या १,१०१ हो गई ।

छिन्दवाड़ा के क्षय उपचारालय में ४६ अतिरिक्त रोगीशय्याओं की तथा धार के उपचारालय में १२ अतिरिक्त रोगीशय्याओं की व्यवस्था की गई और अलिराजपुर में नया क्षय चिकित्सालय खोला गया । २० अस्पतालो में मातृ लाभ के १२२ अतिरिक्त स्थानों की व्यवस्था की गई ।

२२ मलेरिया-विरोधी तथा ३ फाइलेरिया नियन्त्रण टुकड़ियां, ११ बी० सी० जी० मण्डलिया, १ यौनरोग टुकडी तथा ७ यौनरोग चिकित्सालयो मे काम होता रहा। धार में एक कोढ अस्पताल और १३ शहरी तथा ६७ ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र स्थापित किए गए ।

उद्योग

भिलाई इस्पात संयन्त्र की प्रथम धमन-भट्ठी का कार्य फरवरी १९५९ को आरम्भ हो गया ।

राज्य के औद्योगिक संसाधनों का पता लगाने तथा उनके विकास के लिए योजनाएं तैयार करने के लिए प्राविधिक-आर्थिक सर्वेक्षण आरम्भ किया गया। चम्बल पन-बिजली योजनाकार्य की बिजली का पूरा-पूरा उपयोग करने के सम्बन्ध में भी सर्वेक्षण आरम्भ किया गया ।

सतना के सीमेंट कारखाने में उत्पादन-कार्य आरम्भ हो गया । अन्य कई नये उद्योगों को भी लाइसेंस दिए गए ।

इन्दौर तथा ग्वालियर की औद्योगिक बस्तियों का कार्य समाप्त होने पर है। जबलपुर, बरहानपुर, भोपाल तथा रायपुर की औद्योगिक बस्तियों का निर्माण-कार्य आरम्भ किया गया।

महाकौशल बुनकर केन्द्रीय सहकारी समिति का कार्य १ दिसम्बर, १९५८ से आरम्भ हुआ। बुनकरो को उन्नत प्रकार का कपड़ा तैयार करने में और अधिक सहायता देने के लिए उज्जैन में एक रंगाई, सफाई तथा निष्पीडन संयन्त्र स्थापित किया गया।

इस वर्ष २३६ एकड़ भूमि में शहतूत के पेड लगाए गए और ६,००० पौण्ड कोकूनों का उत्पादन हुआ। रायगढ़ मे टसर कीड़ा-पालन का कार्य आरम्भ किया गया और चम्पा तथा जगदलपुर में दो केन्द्र खोले गए।

सामुदायिक विकास क्षेत्रों में इस वर्ष विभिन्न दस्तकारियों के विकास के लिए २१४ योजनाओ पर कार्य आरम्भ किया गया। •

श्रम

कई उद्योगों के लिए १ जनवरी, १९५९ से न्यूनतम मजदूरी की दरे लागू कर दी गई। इस व्यवस्था से ५ ६३ लाख मज़दूरों को लाभ मिला। कृषि मजदूरो के लिए भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने के लिए १ समिति नियुक्त की गई।

सहायताप्राप्त औद्योगिक आवास योजना के अधीन मजदूरों के लिए ४,३४४ मकान बनवाए गए और गन्दी बस्ती उन्मूलन योजना के अधीन ६८८ भूमि-खण्डों की व्यवस्था की गई। एक सहकारी मज़दूर आवास समिति भी पर्जाकृत की गई।

इस वर्ष ७ औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओ का कार्य आरम्भ हो गया। १५ फरवरी, १९५८ को मजदूर शिक्षा योजना के अधीन इन्दौर में एक मजदूर शिक्षा केन्द्र स्थापित किया गया।

इन्दौर की राजकुमार मिल्स लिमिटेड तथा उज्जैन के मध्य भारत रोडवेज डिपो की प्रबन्ध-व्यवस्था मे मजदूरों के सहयोग की योजना लागू की गई।

बिजली

इस वर्ष तीन लाइनो की सम्प्रेषण मीनारों के निर्माण का कार्य आरम्भ किया गया और एक लाइन का ४० प्रतिशत कार्य पूरा हो गया। चार स्थानों मे बिजली उपकेन्द्रों का निर्माण किया जा रहा है।

वर्ष के अन्त में कोरवा बिजलीघर के प्रथम टर्बो-आल्टरनेटर का काम लगभग पूरा होने को था। चान्दनी बिजलीघर में दो अतिरिक्त बिजली-उत्पादक केन्द्र स्थापित करने की दो योजनाओं को स्वीकृति दी गई।

पुलिस तथा जेल

इस वर्ष डाकुओं को पकड़ने का काम और अधिक तेजी से किया गया। ४३ डाकू मारे गए और ६०६ पकड़े गए।

डाकुओं से गांवों की रक्षा करने के लिए एक ग्राम रक्षा योजना कार्यान्वित की जा रही है, जिसके अधीन ८४५ ग्राम रक्षा समितियां स्थापित की जा चुकी है।

आदिवासी तथा हरिजन कल्याण

१९५८-५९ में इस कार्य के लिए २ करोड़ १० लाख रुपये की व्यवस्था की गई। इस वर्ष हरिजन कल्याण परामर्श मण्डल तथा एक परामर्श समिति स्थापित की गई।

राजधानी योजनाकार्य

भोपाल का आधुनिक सुविधाओं से युक्त सुनियोजित नगर के रूप मे विकास करने के लिए एक राजधानी योजनाकार्य विभाग स्थापित किया गया। दिसम्बर १९५८ तक ३ करोड़ ४८ लाख रुपये की लागत का निर्माणकार्य हुआ। सरकारी कर्मचारियों के लिए ३,००० मकानों और विधान सभा के सदस्यों के निवास-स्थानों का निर्माण हो चुका है और ११९ बगलों का निर्माण कार्य पूरा होने को है।

विधि-निर्माण कार्य

१९५८-५९ में 'मध्य प्रदेश कानून विस्तार अधिनियम, १९५८' लागू किया गया। इसके अतिरिक्त, 'मध्य प्रदेश दीवानी न्यायालय अधिनियम, १९५८' तथा 'मध्य प्रदेश दुकान तथा संस्थान अधिनियम, १९५८' पास किए गए।

मैसूर

खाद्य और कृषि

दिसम्बर १९५८ तक ४,८४१ एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया गया और ७७१ टन उन्नत बीज; २२,०४४ टन रासायनिक उर्वरक तथा १००

टन हरी खाद बांटी गई; ७६,८४४ टन गढ़े की खाद तैयार की गई; १५,१८२ एकड़ भूमि में कीटनाशक छिड़का गया और ३,४६,५४२ एकड़ भूमि में जापानी पद्धति से धान की खेती की गई। १४२ कुएं बनवाए गए और ८१ बिजली के पम्पिंग सेट किस्तों में भुगतान के आधार पर दिए गए।

भूमि-संरक्षण

१ करोड़ ३५ लाख ६३ हजार रुपये की लागत की कई भूमि-संरक्षण योजनाओं पर कार्य आरम्भ किया गया।

मछलीपालन

बंगलोर में एक प्रशीतन यन्त्र तथा एक संरक्षण यन्त्र स्थापित किए गए। मशीनों से युक्त नौकाओं द्वारा मछली पकड़ने के प्रशिक्षण का भी एक केन्द्र स्थापित किया गया। १९५८-५९ में २०० टन मछलियों का अमेरिका को निर्यात किया गया जिससे लगभग १० लाख रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

सहकारिता

इस वर्ष ४१ बड़ी तथा ७१ छोटी समितियां संगठित की गई। बड़ी समितियों के कार्यक्षेत्र के अधीन १,५८,२४७ सदस्यों से युक्त ४,८९१ गांव है। दूसरी ओर छोटी समितियो के कार्यक्षेत्र के अधीन ३ करोड़ ८१ लाख सदस्यों से युक्त ९,८२४ गांव है। इन समितियों ने क्रमश: १ करोड़ ४४ लाख रुपये तथा २ करोड़ ७९ लाख रुपये के ऋण दिए।

भूमि-सुधार

राज्य के सभी भागों मे एक-सा कानून लागू करने के लिए राज्यीय विधान-मण्डल के नवम्बर-दिसम्बर सत्र में 'मैसूर भूमि सुधार विधेयक, १९५८' प्रस्तुत किया गया।

सामुदायिक विकास

इस वर्ष राज्य मे १४३½ सामुदायिक विकास खण्ड, ३ विस्तार केन्द्र तथा एक कार्य-परिचय प्रशिक्षण केन्द्र थे।

उन्नत बीज, उर्वरक तथा पक्षी आदि दिए जाने के अलावा, अब तक ४,२५० कुएं बनवाए जा चुके है, ७,९६० कुओ का जीर्णोद्धार किया जा चुका है और ६,७३,५६१ गज लम्बी नालियां बनवाई जा चुकी है। १,३४,२२३ प्रौढ़ व्यक्तियो को प्रशिक्षण दिया गया और ५,६८० सामुदायिक केन्द्र खोले गए।

शिक्षा

इस वर्ष ११३ मिडिल स्कूल, १०० सीनियर बेसिक स्कूल, १२ हाई स्कूल, १० बहूद्देश्यीय हाई स्कूल, २२ उच्चतर माध्यमिक स्कूल, ८ बहुधन्धी स्कूल तथा १ इंजीनियरी कालेज खोला गया।

शिक्षित व्यक्तियो की बेरोजगारी दूर करने तथा प्राथमिक शिक्षा के विस्तार के लिए ६६० अध्यापकों की नियुक्ति के लिए स्वीकृति दी गई।

स्वास्थ्य

इस वर्ष ५२ प्राथमिक स्वास्थ्य टुकड़िया और स्थापित की गई। २ राष्ट्रीय मलेरिया नियन्त्रण टुकड़ियां, ३ कोढ़ केन्द्र, ८ ग्रामीण परिवार नियोजन केन्द्र आदि स्थापित करने के लिए स्वीकृति दी गई। २ यौन रोग चिकित्सालय भी खोले गए।

आयुर्वेद चिकित्सा की प्रणाली के विकास के लिए भी कार्यवाही की गई।

सरकार ने सितम्बर १९५८ मे ९७ जल-व्यवस्था तथा सफाई योजनाओं को स्वीकृति दी, जिन पर ४१ लाख ३९ हज़ार रुपये व्यय होंगे। पीने के पानी के कुओ की खुदाई के लिए भी ४४ लाख ८५ हजार रुपये की व्यवस्था की गई।

उद्योग

२७ अप्रैल, १९५८ को मैसूर आयरन एण्ड स्टील वर्क्स मे पाइप संयन्त्र का उद्घाटन हुआ। शिमोगा के चन्दन-तेल कारखाने के विस्तार के लिए १ लाख ८५ हजार रुपये की लागत की योजना कार्यान्वित की गई। नये इन्सुलेटर कारखाने का उत्पादन-कार्य आरम्भ हो गया।

परिवहन और संचार

राज्य सरकार ने एक सड़क परिवहन निगम शीघ्र स्थापित करने का निश्चय किया है। इस वर्ष २०९ मील लम्बी सड़कें बनाई गई तथा ३७६ मील लम्बी सडकों को पक्का किया गया। एक नया बंदरगाह विभाग भी स्थापित किया गया।

श्रम

कर्मचारी राज्य बीमा योजना २७ जुलाई, १९५८ को लागू की गई। औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए २ श्रम न्यायालय तथा २ औद्योगिक न्यायाधिकरण भी स्थापित किए गए।

कारीगर प्रशिक्षण योजना के अधीन १९५८-५९ के लिए २० लाख ६७ हजार रुपये निर्धारित किए गए। औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्रों में १,०१२ स्थानों की व्यवस्था की गई।

आवास

विभिन्न आवास योजनाओं के अधीन ५,८७७ मकान बनवाए जा चुके हैं जिन पर १ करोड़ ५६ लाख रुपये व्यय हुए।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

अनुसूचित जातियो, अनुसूचित आदिमजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो के कल्याण के लिए १९५८-५९ में ६५,३४,००० रुपये की व्यवस्था की गई। थी। सितम्बर १९५८ के अन्त तक ६,३१,५९७ रुपये व्यय किए गए।

प्रशासन तथा न्याय सुधार

न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने के लिए कई उपाय किए जा चुके हैं। इस सम्बन्ध में राजस्व अधिकारियों के स्थान पर न्यायपालिका अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं।

राजस्थान

खाद्य और कृषि

आलोच्य वर्ष के आरम्भ में रबी फसल में उत्पादन की वृद्धि के लिए जो रबी-आन्दोलन आरम्भ किया गया था उसके फलस्वरूप राज्य में रबी फसल बहुत ही अच्छी हुई। इस सफलता से उत्साहित होकर खरीफ की फसल की तैयारी में पहले से ज्यादा बड़े पैमाने पर खरीफ आन्दोलन आरम्भ किया गया।

कृषि उत्पादन मे वृद्धि करने के लिए छोटे सिंचाई कार्यो, जैसे, रप्ता, छोटे बांध और मेंड़बन्दी पर विशेष ज़ोर दिया गया। राज्य के सामुदायिक विकास खण्डों में इन छोटे सिंचाई कार्यो पर जितना व्यय किया गया, वह देश-भर मे सबसे अधिक था। मेंड़बन्दी के फलस्वरूप कुछ क्षेत्रों में पहली बार खेती करना सम्भव हो सका। जिन क्षेत्रों में पहले से खेती होती आई थी, वहां भी मेंड़बन्दी के फलस्वरूप उत्पादन में ५० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

खाद्यान्नों की कीमत चढ़ने न पाए और मूल्य स्थिर रहे, इस उद्देश्य से राज्य सरकार ने आलोच्य वर्ष में खाद्यान्न का व्यापार अपने हाथ में ले लिया। सहकारी

कृषि हाट समितियों को सीधे किसानों से और व्यापारियों से गल्ला खरीदने की अनुमति दे दी गई।

शिक्षा

जुलाई १९५८ में राज्य भर मे जो 'स्कूल चलो' आन्दोलन चलाया गया, वह बहुत सफल रहा। करीब ७०,००० बच्चे और स्कूल जाने लगे। कुछ चुने हुए क्षेत्रों मे अनिवार्य प्राइमरी शिक्षा लागू करने के लिए भी कदम उठाए गए। साथ ही बालिकाओं की शिक्षा के विस्तार के लिए भी छात्रावास की सुविधाएं और छात्रवृत्तियों आदि की व्यवस्थाएं की गई।

आलोच्य वर्ष मे प्राविधिक शिक्षा का एक निदेशक भी नियुक्त किया गया। राज्य-भर की सारी प्राविधिक शिक्षा संस्थाएं इस निदेशक के अधीन कर दी गई हैं।

१९५८-५९ मे राज्य मे दो पालिटेक्नीक संस्थाएं भी आरम्भ की गई जिनमें १७० छात्र थे। अलवर में एक पालिटेक्नीक संस्था और खुलने वाली है।

आलोच्य वर्ष में संस्कृत की शिक्षा के लिए एक पृथक निदेशालय ने कार्य करना आरम्भ किया।

स्वास्थ्य

मलेरिया के विरुद्ध निरोधात्मक कार्यवाही किए जाने के फलस्वरूप आलोच्य वर्ष में मलेरिया से अपेक्षाकृत कम लोग पीड़ित हुए।

क्षय-रोग से दुस्साध्य रूप से पीड़ित रोगियों के लिए द्वितीय योजनाकार्य में २०० शय्याओं की व्यवस्था की गई थी जिनमें से १६० शय्याएं विभिन्न स्थानों मे स्थापित हो चुकी है। उदयपुर के निकट बारी नामक स्थान पर एक क्षय सैनिटोरियम बन कर तैयार हो चुका है। इसमें २०० शय्याएं हैं। यह सैनिटोरियम १५ अगस्त, १९५९ से खुल जाएगा।

आलोच्य वर्ष में राज्य के २६ ज़िलों में से २३ ज़िलों में बी० सी० जी० दलों ने टीके लगाने का काम पूरा कर लिया। राज्य में डाक्टरों की कमी को पूरा करने के लिए बीकानेर में एक और मेडिकल कालेज खोला गया। आयुर्वेदिक प्रणाली की चिकित्सा के लिए एक सलाहकार मण्डल की स्थापना की गई।

उद्योग

केन्द्रीय सरकार ने उदयपुर में जस्ता-कारखाना स्थापित करने का निश्चय किया। राज्य के खो दरीबा और खेत्री क्षेत्रों में सर्वेक्षण करने से इन स्थानों पर बहुत अधिक मात्रा में ताबा होने का पता चला।

आलोच्य वर्ष में सवाई माधोपुर में राजकीय सीमेंट कारखाने के विस्तार का कार्यक्रम पूरा हो गया। इसी प्रकार भूपालसागर में चीनी के कारखाने का विस्तार किया गया। भरतपुर में मालगाड़ी के डिब्बे बनाने का एक कारखाना है। एक दूसरा कारखाना सवाई माधोपुर में खोलने का निश्चय किया गया। उदयपुर में एक सूती कपड़ा मिल और कोटा में एक नाइलोन कारखाना भी जल्दी ही निर्मित होने की आशा है।

लघु उद्योगों के विकास के लिए २०० इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। इनमें से अधिकांश इंजीनियरी उद्योग है जो मशीन के पुर्जे तैयार करते हैं। जयपुर में औद्योगिक बस्तियां चल रही हैं। इसके अतिरिक्त, भीलवाड़ा, अजमेर, गंगानगर, जोधपुर और कोटा में भी एक-एक औद्योगिक बस्ती और खोली जा रही है।

श्रम

द्वितीय योजना में श्रमिक कल्याण के लिए ६१ लाख ७० हज़ार रुपये की व्यवस्था की गई है। आलोच्य वर्ष में श्रमिक कल्याण केन्द्रों, रोजगार दफ्तरों और प्राविधिक प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना की योजनाएं कार्यान्वित की गईं तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना का विस्तार किया गया।

संघीय क्षेत्र

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह

कृषि

इस वर्ष ५०० एकड़ जंगल साफ किया गया। इसमें से १०० एकड़ भूमि मे नारियल के पेड़ पहले ही से लगाए जा चुके है। २५,४०० बढ़िया कलमें बांटने के उद्देश्य से एक पौधशाला स्थापित की गई।

इस वर्ष किसानों को ३,००० मन बीज; २,००० टन खाद तथा उर्वरक और ४८,२५० रुपये के मूल्य के उन्नत कृषि-औज़ार दिए जाने की सम्भावना थी।

पोर्ट ब्लेयर में एक 'सहकारी ऋण समिति' का कार्य आरम्भ हो गया।

मछलीपालन

मशीनों की सहायता से मछली पकड़ने का काम आरम्भ करने के लिए डीजल इंजिन से चलने वाली दो समुद्री नौकाओं का प्रयोग किया जाने लगा। मत्स्य-संवर्द्धन के लिए एक तालाब का निर्माण पूरा हो चुका है। मछुओं को उधार तथा सहायता के आधार पर मछली पकड़ने के काम में आने वाली नौकाएं तथा अन्य वस्तुएं दी गई।

वन

अप्रैल-सितम्बर, १९५८ में मध्यवर्ती तथा दक्षिण अन्दमान और उत्तर अन्दमान में वनों से क्रमशः लगभग २६,००० टन और ६,२०० टन इमारती लकड़ी प्राप्त की गई। इस अवधि में २१,७०० टन इमारती लकड़ी भारत को भेजी गई।

शिक्षा

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की शिक्षा प्रणाली में सुधार करने के लिए १९५५ में भारत सरकार द्वारा नियुक्त शिक्षा समिति की सिफारिशों के आधार पर १९५८-५९ में छः योजनाओं को स्वीकृति दी गई। तदनुसार,

शिक्षा विभाग का पुनस्संगठन करने के लिए एक शिक्षा अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है।

इस वर्ष ४ जूनियर बुनियादी स्कूल, पोर्ट ब्लेयर में एक सीनियर बालिका बुनियादी स्कूल तथा एक व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल खोले गए। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान २२ प्राथमिक स्कूलों को बुनियादी स्कूलों में बदल दिया गया।

इस वर्ष माध्यमिक स्तर तक के स्कूल जाने वाले बालक-बालिकाओं से शिक्षा-शुल्क न लेने का एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय किया गया। भारत में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए ११ छात्राओं को छात्रवृत्तियां दी गई और विभिन्न स्कूलों में गृह-विज्ञान, ललित कला, सिलाई तथा किरोसिए के काम का अध्यापन आरम्भ किया गया।

स्वास्थ्य

कार निकोबार में ५० रोगीशय्याओं वाला एक अस्पताल शीघ्र बनवाए जाने की आशा है। निकोबार में दाइयों के प्रशिक्षण तथा यौन रोगों के उपचार की दो योजनाओं का काम जारी है। १ मातृ तथा शिशु कल्याण केन्द्र भी स्थापित किया गया और वर्ष के अन्त तक दूसरा केन्द्र भी स्थापित किए जाने की आशा थी। अन्दमान द्वीपों के २४ गावों में जल-व्यवस्था में सुधार करने का काम पूरा किया गया।

सामुदायिक विकास

१४ नवम्बर, १९५८ को कार निकोबार में एक सामुदायिक विकास खण्ड का कार्य आरम्भ हुआ। दक्षिण अन्दमान खण्ड की विकास सम्बन्धी गतिविधियां जारी रहीं।

भूमि बन्दोबस्त

बस्तियां बसाए जाने की योजना के अधीन १,१८५ एकड़ जंगल साफ किया गया और भारत से आए हुए २०० कृषक परिवारों को बसाया गया।

आदिवासियों का कल्याण

द्वीपसमूह के आदिवासियों के कल्याण के कार्यक्रम के अधीन इस वर्ष सामुदायिक कल्याण केन्द्र के लिए भवन-निर्माण का काम आरम्भ किया गया। वर्ष के अन्त में छोटे अन्दमान द्वीप में चिकित्सा-नृतत्वशास्त्र विभाग की स्थापना के लिए प्रारम्भिक कार्य लगभग पूरा होने को था।

नगरपालिका चुनाव

'अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह (नगरपालिका मण्डल) विनियम, १९५७' के अधीन पोर्ट ब्लेयर के नगरपालिका मण्डल के लिए अप्रैल, १९५८ में पहली बार चुनाव की व्यवस्था की गई।

दिल्ली

प्रशासन

१ दिसम्बर, १९५८ को सचिवालय का पुनस्संगठन किया गया। ४ सचिव-पद रद्द कर दिए गए।

दिल्ली नगर निगम

दिल्ली नगर निगम की स्थापना ७ अप्रैल, १९५८ को हुई। भूतपूर्व दिल्ली नगरपालिका समिति तथा स्थानीय निकायों (नयी दिल्ली नगरपालिका समिति तथा दिल्ली छावनी मण्डल को छोड़कर) का काम सम्हालने के अलावा इस निगम ने चिकित्सा तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, प्राथमिक तथा बुनियादी शिक्षा, सड़कों, जल-व्यवस्था, बस सेवा, बिजली और अग्नि सेवा (आग बुझाने का काम) का भार भी ग्रहण किया।

कृषि

१९५८ में कृषि सुधार के लिए १० लाख ७० हज़ार रुपये की लागत की पन्द्रह योजनाओं का काम जारी था। ९,२६३ मन उन्नत बीज बांटा गया; ५०,००० एकड़ भूमि की कीड़ों तथा बीमारियों से रक्षा की गई और १,२२३ एकड़ भूमि में वृक्ष लगाए गए।

अक्तूबर, १९५८ में आरम्भ हुए रबी आन्दोलन के परिणामस्वरूप रबी के क्षेत्रफल में १५ प्रतिशत की वृद्धि हुई। ५,००० एकड भूमि में स्थित प्रदर्शन खेतों के उत्पादन में ५०–६० प्रतिशत की वृद्धि हुई।

सिंचाई

नलकूप लगाने, वर्तमान कुओं में से पानी निकालने की व्यवस्था करने, बांधों के निर्माण तथा नजफगढ़ झील से पानी निकालने के लिए २ लाख ४५ हजार रुपये की व्यवस्था की गई।

पशुपालन

इस वर्ष ६३,७५३ पशुओं का उपचार किया गया; ५६,७७६ पशुओं को टीके लगाए गए और १०,२२६ पशुओं को बधिया किया गया। मुर्गीपालन तथा सुअरपालन विकास योजनाओं के लिए १ लाख २८ हजार रुपये की व्यवस्था की गई।

मछलीपालन

१६ तालाब साफ किए गए और १७ में जाल बिछाए गए । इस वर्ष ५ लाख छोटी मछलियों का संग्रह करने तथा ६८ तालाबों में मछलियां डालने का लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की आशा थी।

बाढ़-नियंत्रण

बाढ़-सुरक्षा कार्यक्रम के अधीन कारोनेशन पिलर से ग्रैण्ड ट्रंक रोड तक मिट्टी का एक बांध बनाया जा चुका है और दूसरे बांध का कार्य भी वर्षा ऋतु के पूर्व ही पूरा होने की आशा है। वज़ीराबाद के पम्पिग स्टेशन पर बांध बनाए जाने के फलस्वरूप शाहदरा बांध और शाह आलम पुल से ग्रैण्ड ट्रंक रोड तक के बांध को सुदृढ़ किया जा रहा है।

सहकारिता

इस वर्ष दिल्ली में १,६८६ सहकारी समितियां थीं। ग्रामीण क्षेत्रों में ३७१ कृषि ऋण समितियां तथा बहूद्देश्यीय सहकारी समितियां थीं। इनके अतिरिक्त, २५ बड़ी समितियां स्थापित की गई । राज्यीय सहकारी बैंक ने इस वर्ष ३६ लाख रुपये के ऋण दिए।

सामुदायिक विकास

१९५८-५९ में सामुदायिक विकास के लिए ४ लाख ८९ हज़ार रुपये निर्धारित किए गए। १५ दिसम्बर, १९५८ तक २६,१४१ वर्ग गज़ लम्बी छोटी सड़कों को पक्का किया गया; पीने के पानी के ५९ कुएं खोदे गए और १७ स्कूलों तथा १८ सामुदायिक केन्द्रों के लिए भवनों का निर्माण किया गया। ११ सहकारी समितियां, ६२ युवक क्लब तथा १४५ महिला समितियां भी स्थापित की गई । ३,४४० व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया । लोगों ने नकद, वस्तुओं तथा श्रम के रूप मे १ लाख ६४ हज़ार रुपये के मूल्य का योगदान दिया।

भूमि सुधार

दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, १९५४ के अधीन लगभग १८० गांवों में भूमिदारी अधिकारों की घोषणा की गई। ७२ गांवों को छोड़ कर शेष सभी गांवों में चकबन्दी का कार्य पूरा कर लिया गया है।

शिक्षा

प्राथमिक शिक्षा दिल्ली नगर निगम के अधीन कर दिए जाने के बाद शिक्षा निदेशालय को पुनस्संगठित किया गया जिससे माध्यमिक शिक्षा पर उत्तम नियन्त्रण रखा जा सके।

इस वर्ष १६ उच्चतर माध्यमिक तथा ४ मिडिल स्कूल खोले गए, १४ मिडिल सीनियर बुनियादी स्कूलों का स्तर बढा कर उन्हें उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में और ५ जूनियर बुनियादी स्कूलों का स्तर बढ़ा कर उन्हें सीनियर बुनियादी स्कूलों मे बदल दिया गया। १० हाई स्कूल भी उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में बदल दिए गए।

पुरुषों तथा महिलाओं की 'अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं' को मिला कर इस वर्ष एक सहशिक्षा संस्थान के रूप में बदल दिया गया। कुछ मिडिल स्कूलों की मिडिल कक्षाओं में दस्तकारियों का प्रशिक्षण दिया जाने लगा और कई स्कूल-पुस्तकालयों का विस्तार किया गया। निदेशालय की 'पाठ्य पुस्तक समिति' ने प्राथमिक स्तर से लेकर मिडिल स्तर तक के बुनियादी तथा अन्य स्कूलों के लिए समान पाठ्यक्रम तैयार कर लिया है।

स्वास्थ्य

७ अप्रैल, १९५८ को दिल्ली नगर निगम की स्थापना के साथ-साथ 'स्वास्थ्य सेवा निदेशालय' भंग कर दिया गया और 'चिकित्सा सेवाएं अधीक्षक कार्यालय' स्थापित किया गया। मौलाना आज़ाद मेडिकल कालेज का कार्य इस वर्ष ६० विद्यार्थियों के साथ आरम्भ हो गया।

शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मलेरिया से पीड़ित रोगियों की संख्या कम हो गई।

उद्योग

२३६ औद्योगिक संस्थाओं को १४,९६,४७९ रुपये का दीर्घकालीन ऋण दिया गया। ओखला की औद्योगिक बस्ती पर अब तक ५२ लाख रुपये व्यय किए जा चुके हैं।

इस अवधि मे १० 'अम्बर चर्खा प्रशिक्षण तथा खादी उत्पादन केन्द्र' स्थापित किए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में रंगाई तथा बुनाई की उन्नत विधियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई। प्रतिवर्ष १०० बुनकरों को सहकारिता के क्षेत्र में ले आने का लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया। इस समय यहां २२ बुनकर सहकारी समितियां हैं।

'औद्योगिक आवास योजना' के अधीन एक कमरे वाले १,३८० क्वार्टरों का निर्माण हुआ। इसी वर्ष नजफगढ़ मार्ग पर दो कमरे वाले ३५२ क्वार्टर तथा ओखला की औद्योगिक बस्ती में एक कमरे वाले ४०० क्वार्टर बनाने का काम आरम्भ करने का निश्चय किया गया।

श्रम

इस वर्ष ३९ हड़ताले हुई और इनसे १०,९९४ मानव-दिनों (पिछले वर्ष की अपेक्षाकृत कम) की हानि हुई। ४९ मज़दूर संघ तथा १,०९० फर्में रजिस्टर की गई।

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लाभ के लिए ५ दिसम्बर, १९५८ को दिल्ली विश्वविद्यालय में एक नियोजन कार्यालय स्थापित किया गया।

आवास

१९५८ में १२ लाख १५ हजार रुपये बांटे गए और १७१ मकान बनवाए गए।

पिछड़े वर्गों का कल्याण

ग्रामीण क्षेत्रों मे हरिजनों को मकान बनाने के हेतु भूमि देने के लिए २ लाख ८० हज़ार रुपये की राशि स्वीकार की गई।

'हरिजन कल्याण मण्डल' तथा 'पिछड़े वर्ग कल्याण मण्डल' को परामर्शदात्री संस्थाओं के रूप में पुनर्स्संगठित किया गया।

१९५८-५९ में २१३ मकान बनाने का निश्चय किया गया। निर्माणकार्य शीघ्र ही आरम्भ होने की आशा है।

कुओं की खुदाई और मरम्मत के लिए ५,००० रुपये की सहायता दी गई। बाढ़ तथा वर्षा-पीड़ित हरिजनों को मकान बनाने के लिए सहायता देने के उद्देश्य से १ लाख ७७ हज़ार रुपये की लागत की एक योजना तैयार की गई है।

भवन-निर्माण

इस वर्ष तीसहज़ारी-स्थित न्यायालय के नये भवनों तथा तिहाड़-स्थित केन्द्रीय जेल के भवन का निर्माणकार्य पूरा हो गया। पटेलनगर-स्थित केन्द्रीय दुग्धशाला के भवन का निर्माणकार्य भी लगभग पूरा हो गया।

पुलिस तथा जेल

इस वर्ष 'दुर्घटना जांच दल', स्कूलों की बसों तथा भारी ट्रकों आदि के निरीक्षण के लिए 'विशेष निरीक्षण मण्डल' और 'तस्कर व्यापार-विरोधी दल (खाद्यान्न)' स्थापित किए गए। मई १९५८ में 'अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम' दिल्ली में भी लागू कर दिया गया।

६ अप्रैल, १९५८ को केन्द्रीय जेल को मथुरा रोड से हटा कर तिहाड़ में उसके नये भवन में ले जाया गया। इस जेल में बंदियों को किसी न किसी लाभदायक काम में अवश्य लगाया जाता रहता है। सभी बंदियों के लिए शिक्षा भी अनिवार्य कर दी गई है।

जेल प्रशासन की सहायता के लिए इस वर्ष बंदियों की एक पंचायत स्थापित की गई। एक कल्याण अधिकारी भी नियुक्त करने का निश्चय किया गया है।

हिन्दी का प्रचार

दिल्ली प्रशासन का सरकारी कामकाज हिन्दी में आरम्भ करने के लिए तिथि निर्धारित करने के उद्देश्य से मुख्य आयुक्त ने सितम्बर १९५८ में एक समिति नियुक्त की। इस समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है।

विधि-निर्माण कार्यवाही

इस वर्ष 'दिल्ली किराया नियंत्रण अधिनियम, १९५८' लागू किया गया। इसी वर्ष 'दिल्ली भूमि सुधार अधिनियम, १९५४' तथा 'दिल्ली पंचायत राज अधिनियम, १९५५' में संशोधन करने के लिए संसद मे दो विधेयक रखे गए।

मणिपुर

कृषि

इस वर्ष ३३४.५० मन रासायनिक उर्वरक, २२.४० मन कीटनाशक औषधियां और १२९ मन उन्नत बीज बेचे गए। कृषि सम्बन्धी कई

प्रदर्शन किए गए। अनन्नास के ६०० वृक्ष तथा अन्य फलों के ७६,५६६ वृक्ष लगाए गए, २०३ एकड़ भूमि में सब्ज़ियां बोई गईं, १,१७५ एकड़ भूमि में फलों के पेड़ लगाए गए और ८३ एकड़ भूमि में जापानी पद्धति से धान की खेती आरम्भ की गई ।

सिंचाई

सिंचाई की नालियों के निर्माण तथा मरम्मत और सीढ़ीनुमा खेती के लिए सहायता के रूप में २ लाख ७२ हज़ार रुपये बांटे गए। १२८.२४ मील लम्बी सिंचाई-नालियां बनाई गईं तथा ८३५ एकड़ भूमि का पुनरुद्धार किया गया।

पशुपालन

स्थानीय नस्लों के पशुओं में सुधार करने के लिए २८ उन्नत सुअर तथा १२ उन्नत पक्षी बेचे गए । ५ नये मुर्गीपालन केन्द्र भी स्थापित किए गए ।

सहकारिता

इस वर्ष विभिन्न प्रकार की ६० सहकारी समितियां स्थापित की गईं ।

भूमि-सर्वेक्षण तथा बन्दोबस्त

भूमि-बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्यवाही १ नवम्बर, १९५८ से आरम्भ की गई । काश्तकारों को 'बम्बई विदर्भ क्षेत्र कृषि काश्तकार (बेदखली से संरक्षण तथा काश्तकारी कानून संशोधन) अधिनियम, १९५७ (१९५८ का बम्बई अधिनियम ९)' के अधीन पट्टे की सुरक्षा दे दी गई है। यह अधिनियम मणिपुर के लिए भी लागू कर दिया गया है । 'भूमि सुधार विधेयक' विचाराधीन है ।

सामुदायिक विकास

इस वर्ष ६ विकास खण्डों का काम जारी था जिनके अन्तर्गत ३,५३,८९८ की जनसंख्या वाले ५,२४७ वर्ग मील में फैले हुए १,०३७ गांव आते हैं ।

समाज शिक्षा

इस वर्ष ४१ साक्षरता केन्द्र खोले गए और ४४० प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया । ११ युवक क्लबों और ३ महिला संगठनों की स्थापना की गई ।

स्वास्थ्य

इस वर्ष पीने के पानी के ६ तालाब खोदे गए, ४६ पुराने तालाब साफ किए गए और २३ कुएं बनवाए गए। १११ ग्रामीण शौचालय बनवाए गए तथा पानी सोखने के १२० गढ़े खोदे गए।

परिवहन

इस वर्ष १०५ मील लम्बी कच्ची सड़कें बनवाई गई, २६२५ मील लम्बी वर्तमान सड़कों की मरम्मत की गई और १५ पुलियां बनवाई गई।

उद्योग

१६५८-५६ में १५ औद्योगिक संस्थाओं तथा १ बेंत-काम केन्द्र का काम आरम्भ हुआ। शहतूत की ११,८०० कलमें बांटी गई।

पिछड़े वर्गो का कल्याण

इस वर्ष अनुसूचित आदिमजातियों के लिए ४० हिन्दी स्कूल तथा ५ सामुदायिक केन्द्र खोले गए; अध्यापकों के लिए १० क्वार्टर तथा १० स्कूलों के भवन बनाए गए और १४० आदिमजातीय छात्र तथा छात्राओं को छात्रवृतिया दी गई। २७१½ मील लम्बी सडकें तथा रस्सों के १६ पुल भी बनवाए गए।

इस वर्ष ५ दवाखाने खोले गए और पासीघाट के दवाखाने का विकास किया गया। गावो मे ६६ तालाब बनवाए गए और ६ गावो में जल-व्यवस्था का काम पूरा कर लिया गया।

जीरीबाम में एक नया कृषि फार्म तथा पशु-चिकित्सा केन्द्र खोला गया। ६१ मील लम्बी सिचाई-नालियों के निर्माण का काम आरम्भ किया गया।

अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए ३ मील लम्बे अन्तर्ग्राम मार्ग बनवाए गए और २ प्राथमिक स्कूल तथा १ सामुदायिक केन्द्र स्थापित किया गया। वैथूमपाल गांव में धान के खेतों की रक्षा के लिए १६,००० रुपये की लागत से मिट्टी का बांध बनाने का काम आरम्भ किया गया।

क्षेत्रीय परिषद

इस वर्ष २ हाई स्कूल, २ मिडिल स्कूल तथा ४ लोअर प्राथमिक स्कूल तथा ८ पशु-चिकित्सालय क्षेत्रीय परिषद को हस्तांतरित कर दिए गए। परिषद ने ५५ जूनियर बुनियादी स्कूल स्थापित किए और ४५ मिडिल अंग्रेज़ी स्कूल तथा ६० लोअर प्राथमिक स्कूल अपने अधिकार मे ले लिए।

शांति तथा व्यवस्था

नागा पहाड़ियों से लगे क्षेत्र में नागाओं के उपद्रवों में कुछ वृद्धि होने के अलावा शेष क्षेत्र में शांति तथा व्यवस्था सन्तोषजनक रूप से बनी रही ।

लक्षद्वीप, मिनिकाय तथा अमीनदीवी द्वीपसमूह

कृषि

इस अवधि में नारियल की कई पौधशालाएं स्थापित की गई और रियायती दरों पर उन्नत कलमें बेची गई । सब्जियों की खेती को लोकप्रिय बनाने के लिए बीज तथा पौधे निःशुल्क दिए गए और उर्वरक, कीटनाशक औषधियां आदि सस्ते मूल्यों पर सुलभ की गई ।

मछलीपालन

इस उद्योग के विकास के लिए ४ लाख ५० हज़ार रुपये की लागत की योजना का काम इस वर्ष आरम्भ हुआ । गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के प्रशिक्षण के लिए ६ द्वीपवासियों को कालीकट के निकट 'बेपुर संस्था' में भेजा गया ।

शिक्षा

इस वर्ष विद्यार्थियो की संख्या १,६०० से बढ़ कर २,६०० हो गई । ४ प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूल बना दिया गया और सरकारी स्कूलों में २६ अध्यापक नियुक्त किए गए । बाल-विद्यार्थियों को पुस्तकें तथा मध्याह्न का भोजन निःशुल्क दिया गया ।

स्वास्थ्य

फाइलेरिया-विरोधी कार्य के लिए ३ स्वास्थ्य निरीक्षक नियुक्त किए गए और दवाखानों को औषधियां तथा अस्पताल सम्बन्धी अन्य वस्तुएं दी गई । कोढ़ के रोगियों को अपना जीवन सुखमय बनाने के लिए अतिरिक्त सुविधाएं दी गई । कई दाइयों को प्रशिक्षण भी दिया गया ।

कुटीर उद्योग

बेपुर में २ वर्ष का प्रशिक्षण-प्राप्त ६ द्वीपवासी ६ प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्रों में नारियल जटा-शिक्षक नियुक्त किए गए । एक घानी-विशेषज्ञ भी नियुक्त किया जा चुका है । हथकरघा बुनाई के प्रशिक्षण के लिए १० द्वीपवासी भारत भेजे गए । ताड़-गुड़ बनाने की एक योजना भी स्वीकार की जा चुकी है ।

संचार साधन

पिछले वर्ष 'भारत—द्वीप सागर परिवहन सेवा' के लिए ब्रण्टन ऐण्ड कम्पनी से चार्टर किए गए जहाज का नवम्बर १६५८ से उपयोग किया जाने लगा ।

इस वर्ष ७ छोटे डाकघर खोले गए। ३ बेतार केन्द्रों के शीघ्र स्थापित किए जाने की आशा है ।

हिमाचल प्रदेश

कृषि

इस वर्ष ८,८१५ मन उन्नत बीज ; ११,१०१ मन रासायनिक उर्वरक तथा १५३ उन्नत कृषि-औज़ार बांटे गए और १,२८३ एकड़ भूमि मे हरी खाद दी गई ।

एक 'फल विकास मण्डल' तथा एक 'पौधा संरक्षण संगठन' स्थापित किए गए। सिरमौर ज़िले में एक बाग राजगढ़ मे लगाया गया और दूसरे के लिए भूमि प्राप्त की जा रही है।

सिंचाई

इस वर्ष १,१०३ एकड़ भूमि मे सिचाई आरम्भ की गई। २८ १२७ एकड़ भूमि में ७४ छोटी सिंचाई योजनाओं का काम जारी था ।

जोतों की चकबन्दी

अक्तूबर, १६५६ तक ३४,३०७ एकड़ भूमि में फैले २०८ गावों में जोतों की चकबन्दी का काम पूरा हो गया और २२,३५१ एकड़ भूमि मे फैले ६८ गांवों में जारी था ।

जिन क्षेत्रों में चकबन्दी से लाभ होने की सम्भावना है, उन क्षेत्रों के लिए एक संशोधित योजना तैयार की गई। इस योजना के अन्तर्गत ४,५७,००० एकड़ भूमि में चकबन्दी की जाएगी।

चम्बा ज़िले में भूमि-बन्दोबस्त सम्बन्धी कार्य नवम्बर, १६५८ में सम्पन्न हो गया और मण्डी ज़िले में कार्यवाही जारी है।

पशुपालन

पशु चिकित्सालयों की संख्या ३६ से बढ़ कर ३७ हो गई। वर्ष के अन्त तक एक और अस्पताल खुलने की आशा थी ।

बिलासपुर ज़िले में पशुओं की कीड़ों से रक्षा करने का काम पूरा हो गया। मण्डी ज़िले में भी लगभग २०,००० पशुओं की कीड़ों से रक्षा की गई। अब तक १ लाख ५० हज़ार पशुओं की रक्षा की जा चुकी है। इस वर्ष दो पशु-चिकित्सालय, चम्बा में एक भेड़ नस्ल-सुधार केन्द्र और एक सरकारी पशु नस्ल-सुधार केन्द्र खोले गए।

मछलीपालन

इस वर्ष २०,००० छोटी मछलियां पाली गई और ४,००० मछलियां पकड़ी गईं। अब तक ऐसे ४१ स्थानों का पता लगाया जा चुका है जहां मछली पाई जाती हैं।

वन

भाखड़ा बांध की बाढ़ से रक्षा करने तथा मिट्टी की तहें न जमने देने के लिए ३०,००० रुपये की लागत की वन-सर्वेक्षण तथा वन-संरक्षण योजनाओं का काम आरम्भ किया गया। चम्बा नगर की भूमि-क्षरण से रक्षा करने के लिए १ लाख ५० हज़ार रुपये की दूसरी योजना का कार्य आरम्भ हुआ। २५ एकड़ भूमि में वन लगाए गए।

सहकारिता

यहां इस समय ७०३ सहकारी समितियां हैं। इनके सदस्यों की संख्या ५८,१३९ से बढ़ कर ५९,९८० हो गई। हिमाचल प्रदेश सरकारी सहकारी बैंक ने इस वर्ष १,५३,६२,००० रुपये दिए।

पंचायत

पंचायतों की संख्या भी ४६८ से बढ़ कर ४९७ हो गई। ४६८ न्याय पंचायत क्षेत्रों मे न्याय पंचायतों के पंचों का चुनाव पूरा हो गया और सरपंचों तथा नायब सरपंचों का चुनाव हो रहा है। पंचों के प्रशिक्षण के लिए ५८ प्रशिक्षण शिविर लगाए गए।

किसानों को सहायता

बाढ़पीड़ितों को दिसम्बर, १९५८ तक ३१,००० रुपये दिए गए। १९५८-५९ के अन्त तक ५२,००० रुपये की सहायता दिए जाने की आशा थी। महासू ज़िले के उन किसानो को ५०,००० रुपये दिए गए जिनकी फसल नष्ट हो गई थी।

शोध केन्द्र

फलों, अखरोट तथा किशमिश वाले अंगूरों के सम्बन्ध में शोध के लिए ४ शोध केन्द्र स्थापित किए गए। २ आलू बीज विकास केन्द्र भी स्थापित किए गए।

सामुदायिक विकास

इस क्षेत्र में २६ सामुदायिक विकास खण्ड थे जिनके अन्तर्गत ६६,४५० वर्ग मील में फैले १०,६७,३३४ व्यक्तियों की जनसंख्या वाले १३,१८१ गांव आए। एक विकास खण्ड १ जून, १९५८ को चम्बा ज़िले मे तथा दूसरा २ अक्तूबर, १९५८ को मण्डी जिले मे स्थापित किया गया।

शिक्षा

इस वर्ष चम्बा मे एक डिग्री कालेज खोला गया और बिलासपुर के इण्टरमीडिएट कालेज को डिग्री कालेज में बदल दिया गया। १० मिडिल स्कूल हाई स्कूलों में बदल दिए गए, २५ लोअर मिडिल स्कूलों तथा १५ प्राथमिक स्कूलों को मिडिल स्कूल बना दिया गया और ४० जूनियर बुनियादी प्राथमिक स्कूल खोले गए। इसके अतिरिक्त ८ मिडिल स्कूल सीनियर बुनियादी स्कलों में तथा ५० प्राथमिक स्कूल जूनियर बुनियादी स्कूलों में बदल दिए गए। १५ मिडिल स्कूलों तथा १०० प्राथमिक स्कूलों में दस्तकारी की शिक्षा दी जाने लगी।

इस वर्ष राष्ट्रीय सैन्य-शिक्षार्थी दल के ५ नये डिवीजन स्थापित कर दिए जाने की आशा थी।

निरक्षरता दूर करने के लिए २०७ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र और ७० वाचनालय तथा पुस्तकालय स्थापित किए गए। १५,०२६ प्रौढ़ व्यक्तियों को साक्षर बनाया गया।

स्वास्थ्य

सोलन मे १ दन्त चिकित्सालय, चिनी क्षेत्र में एक चलता-फिरता आयुर्वेदिक दवाखाना, १० आयुर्वेदिक दवाखाने और ३ मातृ तथा शिशु कल्याण केन्द्र खोले गए। यौन रोगों के उपचार के लिए महासू जिले में १० अंग्रेज़ी दवाखाने तथा ७ छोटे उपचारालय खोले जा रहे है। ३ दवाखाने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बदले जा रहे है। सितम्बर, १९५८ तक १३ जल-व्यवस्था तथा नाली योजनाओं का काम पूरा हो गया और १३१ का काम जारी था।

उद्योग

१९५८-५९ के अन्त में ४२ 'प्रशिक्षण-उत्पादन केन्द्र' थे जिनमे ४५९ शिक्षार्थी विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण ले रहे थे। सोलन में १ औद्योगिक

वस्ती स्थापित की जा रही है। मार्च, १६५६ में दूसरी औद्योगिक प्राविधिक संस्था स्थापित की गई जिसमे ६० प्रशिक्षार्थियो को प्रशिक्षण दिया जाएगा ।

परिवहन

सितम्बर, १६५८ तक मोटर तथा जीप गाड़ी के योग्य ६१ मील लम्बी सड़कें बनाई गई । हिन्दुस्तान-तिब्बत मार्ग के निर्माण का काम जारी है ।

आवास

सितम्बर, १६५८ के अन्त तक 'कम आय वर्ग आवास योजना' के अधीन २७ मकानों का निर्माण हुआ और १०६ का निर्माण हो रहा है।

सहायता-कार्य

दैवी विपत्तियों के कारण पैदा होने वाली समस्याओं का सामना करने के लिए 'संकटकालीन सहायता संगठन' तथा 'संकटकालीन सहायता परामर्श समितियां' स्थापित की जा चुकी है । इस वर्ष नागपुर की 'केन्द्रीय संकटकालीन सहायता प्रशिक्षण संस्था' मे ६ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

त्रिपुरा

कृषि

इस वर्ष १४१ टन अमोनियम सल्फेट तथा सुपरफॉस्फेट; १,०३४ मन कलई, अरहर तथा मूगफली के बीज; १५,००० नारियल तथा सुपारी की कलमें और १,५०० पौण्ड काजू के बीज बांटे गए । सितम्बर, १६५८ तक कूड़े-कचरे की १३,००० टन खाद तैयार हुई ।

सिंचाई

८ छोटी सिंचाई योजनाओं में से एक योजना का काम इस वर्ष पूरा हो गया जिससे लगभग २०० एकड़ भूमि को लाभ पहुंच रहा है। किसानों को २० सिचाई पम्प दिए गए।

पशुपालन

१ फरवरी, १६५६ को १० पशु-चिकित्सालय क्षेत्रीय परिषदें के अधीन कर दिए गए । २ 'कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र' स्थापित हुए और २,६६२ पशुओं को कृत्रिम गर्भाधान कराया गया।

मछलीपालन

१६७.९० एकड़ क्षेत्रफल में स्थित सरकारी तालाबों तथा झीलों के अलावा इस वर्ष अन्य ९२ एकड़ जल ग्रहण क्षेत्र में मछलीपालन का काम आरम्भ किया गया। मछलीपालन के विकास के लिए निजी मछलीपालकों को ऋण दिए गए। इस वर्ष ५ लाख ७७ हज़ार बड़ी तथा छोटी मछलियां बांटी गई, लगभग ३ लाख बड़ी तथा छोटी मछलियां सरकारी तालाबों तथा झीलों में डाली गई और ७७,००० छोटी मछलियां बेची गई।

वन

इस वर्ष ६६ मील लम्बी सीमा-रेखा अंकित की गई और ४६९ एकड़ भूमि में वन लगाए गए। भूमि-सरक्षण योजना के अधीन ११० एकड़ भूमि में वृक्ष लगाए गए।

सहकारिता

इस वर्ष सहकारी समितियों की संख्या बढ़कर ४२५ हो गई। शीर्ष सहकारी बैंक ने ५ लाख रुपये के अल्पकालीन ऋण तथा ७,७५० रुपये के मध्यमकालीन ऋण दिए।

सर्वेक्षण तथा भूमि बन्दोबस्त

इस वर्ष १,३७२ वर्ग मील क्षेत्र मे भूमि-सर्वेक्षण का काम आरम्भ किया गया। अब तक २८३ वर्ग मील क्षेत्र को सीमांकित और ३९४ वर्ग मील क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जा चुका है।

सहायता-कार्य

इस वर्ष वर्षाभाव के कारण सदर तथा खोवाई सब-डिवीज़नों मे काफी अधिक भूमि में बुवाई नहीं की जा सकी। अन्य सब-डिवीज़नों में भी दैवी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। बैल, बीज तथा कृषि-औज़ार खरीदने के लिए किसानों को २ लाख रुपये का और आदिमजातीय किसानों को ३,७१,५०० रुपये का ऋण दिया गया।

वर्ष के उत्तरार्ध में भीषण आंधी तथा बाढ़ आने से धर्मनगर, कैलाशहर, कमालपुर तथा खोवाई सब-डिवीज़नो मे 'अमन' की फसल, मकानों तथा पशुओं की भारी हानि हुई। खाद्य, औषधियों तथा बांस के रूप में सहायता दी गई।

शिक्षा

५ सीनियर बुनियादी स्कूलों को छोड़ कर शेष सभी प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूल परिषद् के नियंत्रण में कर दिए गए है। इस वर्ष गैर-सरकारी

कालेजों को अनावर्तक वित्तीय सहायता देने की एक योजना बनाई गई। अध्यापकों के वेतन-स्तरो में और वृद्धि कर दी गई।

६–११ वर्ष की आयु की ७२,६०० बालक-बालिकाओं को प्राथमिक शिक्षा दी जा रही है। ३५ प्राथमिक स्कूल जूनियर बुनियादी स्कूलों में बदले जा रहे है और २ जूनियर स्कूल, ५ सीनियर स्कूल, ४ बुनियादी प्राथमिक स्कूल और ४ प्राथमिक स्कूल खोले जा रहे है। ४० प्राथमिक स्कूलों में दस्तकारी का शिक्षण देने की व्यवस्था की जा रही है।

स्वास्थ्य

अगरताला के २५० रोगीशय्याओं वाले अस्पताल का निर्माणकार्य इस वर्ष आरम्भ हुआ। लगभग ४ लाख ५० हजार मकानों में डी० डी० टी० छिड़का गया तथा १८,५८२ व्यक्तियों को बी० सी० जी० के टीके लगाए गए। ५ डाक्टरी के स्नातकों को स्नातकोत्तर प्रशिक्षण के लिए भेजा गया और ३० बालिकाओं को सहायक धात्री-दाई की शिक्षा के लिए प्रवेश दिया गया।

उद्योग

अगरताला मे स्थापित की जाने वाली 'औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था' का निर्माणकार्य इस वर्ष आरम्भ हुआ। ग्रामोद्योगों के लिए ७ योजनाओं को स्वीकृति दी गई जिनमें से ५ का कार्य आरम्भ करने का दायित्व सहकारी समितियों ने अपने ऊपर ले लिया है। इसके अतिरिक्त, खादी योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए 'क्षेत्रीय खादी तथा ग्रामोद्योग मण्डल' को १ लाख २६ हज़ार रुपये दिए गए।

कई व्यवसायों का प्रशिक्षण देने के लिए २ बहुधन्धी केन्द्र स्थापित किए गए। उच्चत्तर इंजीनियरिग तथा प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए ४ छात्र चुने गए है।

आवास

'बागान श्रम आवास योजना' के अधीन बागान-मालिकों द्वारा मज़दूरों के लिए मकान बनवाए जाने के लिए ऋण के रूप में ५०,००० रुपये की राशि को स्वीकृति दी गई। 'कम आय वर्ग आवास योजना' के अधीन भी ७१,००० रुपये स्वीकार किए गए।

विद्युत्

कनाडा से प्राप्त सहायता कार्यक्रम के अधीन सब-डिवीज़नल मुख्यालयों में ग्रामीण बिजलीघरों के निर्माण के लिए इस वर्ष ६ विद्युत्-उत्पादन यन्त्र

प्राप्त हुए। धर्मनगर तथा कैलाशहर मे बिजली लगाने का काम जारी है।

परिवहन

इस वर्ष असम-अगरताला मार्ग पक्का किया गया। १९५८ में ३ पुल यातायात के लिए खोल दिए गए। अगरताला-उदयपुर-सब्रूम मार्ग पर २० मील सडक पक्की कर दी गई और कुमारघाट-नाभिमपारा सड़क का ६० प्रतिशत काम पूरा हो गया।

पिछड़े वर्गो का कल्याण

अनुसूचित आदिमजातियों के कल्याण के लिए २० लाख ६ हज़ार रुपये स्वीकार किए गए। योजनाओं मे २,२९३ झूमिया परिवारो को बसाने तथा आदिमजातीय विद्यार्थियो के शिक्षण के लिए छात्रावास बनाने जैसे कार्य सम्मिलित थे। अनुसूचित जातियों के विद्यार्थियों के शिक्षण अथवा प्राविधिक प्रशिक्षण के लिए भी ४२,००० रुपये निर्धारित किए गए।

पुनर्वास

विस्थापित परिवारो के पुनर्वास की १,१६,७७,३४० रुपये की लागत की २९ योजनाओं के अधीन इस वर्ष २,३१४ परिवारों को बसाया गया। उद्योगों की स्थापना तथा प्राविधिक प्रशिक्षण की सुविधाएं देने के लिए भी २१० योजनाएं स्वीकार की गई जिन पर ६३,८१,२४० रुपये व्यय होगे और इन उद्योगों मे ११,२२१ व्यक्तियो को रोजगार मिल सकेगा।

विस्थापित परिवारों की बस्तियो मे जल की व्यवस्था करने के लिए ११ तालाब खोदे गए और २८ नलकूप लगाए गए। विभिन्न पुनर्वास केन्द्रों मे ८ दवाखाने तथा ७ प्राथमिक स्कूल भी खोले गए। शिक्षा शुल्क, पुस्तकें खरीदने के लिए अनुदान तथा छात्रवृत्तियों के रूप मे विस्थापित विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता दी गई।

शान्ति तथा व्यवस्था

सीमा पर व्यक्तियों तथा पशुओं के अपहरण की कुछ घटनाओं को छोड़ कर शेष क्षेत्र मे शान्ति तथा व्यवस्था बनी रही। इनमें से एक घटना में पाकिस्तान के सैनिकों नें त्रिपुरा की लक्ष्मीपुर चौकी पर आक्रमण किया। इसमे २ पुलिस अधिकारी मारे गए तथा ३ पुलिस कर्मचारियों का बलात् अपहरण किया गया। ये तीनों बाद को त्रिपुरा लौट आए।

धरती
और
करघा
भारत की अर्थव्यवस्था के मूल आधार रहे हैं। सदियों तक करोड़ों लोगों के जीवन पर इनकी छाप रही है। समय की रीति के साथ हमारे कई रीति-रिवाज बदल गये पर हाथकरघा वस्त्रों की अपरिमित विविधता में तनिक भी न्यूनता नहीं आई। इनकी निरन्तर उत्कृष्टता का श्रेय उन भारतीय बुनकरों की अतुलनीय दक्षता और कला-कारिता को है, जो प्राचीन और आधुनिक डिजाइनों का अनूठा समन्वय करने मे सिद्धहस्त हैं।
भारतीय
हाथ करघे के वस्त्र
अखिल भारतीय हाथकरघा बोर्ड,
शाहीबाग हाउस, विटट रोड, बम्बई
ALL INDIA HANDLOOM BOARD
DA 58/158

WHAT PRICE
Eyesight?
Nothing is
more precious
than eyesight.
Don't strain
your eyes by
working under glare.
Switch on to Radio
'Softlite' lamps for
really soft light, and
ensure cool comfort to your eyes.
RADIO
'Softlite'
LAMPS
FOR GLARE-FREE LIGHT!
RADIO
Softlite
LAMP
RADIO LAMP WORKS LTD. BOMBAY · CALCUTTA · NEW DELHI · MADRAS · KANPUR
BANGALORE · INDORE · WARDHA · GAUHATI · PATNA

Horizontal Drawout Circuit Breakers. | 11 KV. H.T. Oil Circuit Breaker. | Non-Drawout L.T. Oil Circuit Breaker. | Panel mounting. Circuit Breaker. | Industrial Cubicle type Switchboard

IAEC

INDUSTRIAL & AGRICULTURAL ENGINEERING COMPANY (BOMBAY) PRIVATE LIMITED

43, Forbes Street, Fort, Bombay 1.

Branch at: 'K' Block, Chawdhary Bldg., Connaught Circus, New Delhi.

Associated Offices at: MADRAS, CALCUTTA, BANGALORE, HYDERABAD (DN.)

H.T. Ring Main Tee-off Equipment

IA 28

सदा आप की
सेवा में...
Prabhat
प्रभात के
उत्पादन
चिराग के घिसते ही जिन्न, हाथ बांधे उस
की हर आज्ञा, हर कामना पूरी करने के लिए,
अलाद्दीन के सामने आ खड़ा होता था। वह पूरा
विश्वासनीय था . पूरे भरोसे के काबिल...
प्रभात के उत्पादन भी वैसे ही विश्वासनीय हैं, वैसे
ही भरोसे के काबिल... सदा आप की सेवा में !
"भारत के प्रथम...अब तक सर्वोत्तम!"
प्रभात (स्टोव ऐण्ड लॅम्प) प्राडक्टस कम्पनी प्राइवेट लि.,
नोबल चैम्बर्स. पारसी बाजार स्ट्रीट. फोर्ट. बम्बई-१.
HIN.

एकता में बल है...
फ़ाउण्ड्री और फ़ार्म, डीज़ल इंजन और ह्यूम
पाइप, इमारतों का निर्माण और शक्कर-उत्पादन,
मोटरें और मशीनें — अलग-अलग क़िस्म के इतने
उद्योगों की एक छत तले कल्पना करना ही मुश्किल
है। फिर भी वालचन्द ग्रूप इण्डस्ट्रीज में ये सब
एक ही साथ मिलते हैं। और ये सब देश की
उन्नति के लिए दिन-दिन बढ़ती अपनी
ज़िम्मेदारी को पूरी तरह
निभा रहे हैं।
SUGAR
वैविध्य में विकास और उन्नति हैं!

रेल-यात्रा करते समय ध्यान रखिये

● सेवा धर्म के बाद स्वच्छता का ही स्थान आता है। अपने में स्वच्छता की आदत डालिए। हम प्लेटफार्मों अथवा डिब्बों में कचरा आदि न फेंक कर लोगों की काफी सहायता कर सकते हैं। ऐसी चीजें कचरापेटियों में ही फैंकी जानी चाहिएं।

● प्लेटफार्मों पर जहां तहां थूकना अस्वास्थ्यप्रद है। यह एक बुरी आदत भी है। हम थूकदानों का प्रयोग करें।

● पीने के ठण्डे तथा पवित्र जल को किसी अन्य उपयोग मे न लाएं।

● डिब्बों मे बैठने के स्थान पर पैर न रखें। यह दूसरों को नापसंद होता है और न यह कोई अच्छी आदन ही है।

● भारी सामान ब्रेकवान में रखाने से आपको तथा आपके सह-यात्रियों को डिब्बे मे अधिक स्थान मिलेगा।

● किसी भी साथी-यात्री द्वारा अनुरोध किए जाने के बावजूद डिब्बे में धूम्रपान करना जुर्म है। ऐसी स्थिति मे अथवा जब डिब्बे में बहुत अधिक भीड़-भाड़ हो अथवा दरवाज़े और खिड़कियां बन्द हों तो धूम्रपान न करे।

● रेल राष्ट्र की सम्पत्ति है। रेलों को हानि पहुंचान या चोरी करने वाले व्यक्तियों को पकड़वा कर आप सुरक्षा कार्य में सहायता पहुंचा सकते हैं। रेल कर्मचारियों को उनके विषय में या तो बता दिया जाना चाहिए अथवा उन्हे उनके सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए। बिना किसी उद्देश्य के जंजीर खीचने वालों के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए।

पश्चिम तथा मध्य रेल द्वारा प्रचारित

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत

पश्चिम बंगाल

पश्चिम बंगाल ने पंचवर्षीय योजना पर ७१ करोड़ रुपये खर्च किये । द्वितीय योजना पर यह इसके दुगने से भी अधिक अर्थात १५३ करोड़ रुपये खर्च करेगा । इस विशाल रकम का एक-एक नया पैसा जनता के कल्याण के लिये शिक्षा प्रसार में, उद्योगों के विस्तार में, चिकित्सा की सुविधायें बढ़ाने में, सिंचाई विस्तार और कृषि विकास में तथा सामाजिक असमानता दूर करने में खर्च किया जायेगा ।

लेकिन सिर्फ रुपया ही हमे सफलता की चोटी पर नहीं पहुंचा सकता । जनता को आगे बढ़कर स्वेच्छा से सहयोग देना होगा तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच सकेंगे । इस लिये आइये हम सब मिल-कर काम में जुट जायें और अपने उज्वल भविष्य के स्वप्नों को साकार बनायें ।

$aved

Rs. 4,00,00,000 worth of foreign exchange!

To-day, electric power is the motivator behind industrial development, increased agricultural output, and the sweetness and light of the home! From whatever source electricity may be obtained, and wherever it may go, in this vast land of ours, you'll find Alind conductors taking this power.

But Alind's contribution reflects not merely in the material welfare and progress of the country...it's seen in other ways, too.

For instance, in the last eight years, savings in foreign exchange should have amounted to something like Rs. 4 crores And with our Hirakud plant now "on stream" and using indigenous metal, these savings bid fair to be as high as Rs. 1 5 crores a year!

AL 618-A

Our lines also include:

ALIND ACSR, ALL-ALUMINIUM CONDUCTORS

& ACCESSORIES

ALIND ALL-WEATHER, ALIND KER-AL-LITE &

ALIND AL-VINYL COVERD ALUMINIUM

CONDUCTORS

THE ALUMINIUM INDUSTRIES LIMITED

India's largest manufacturers of aluminium conductors and accessories

Registered Office. Kundara (Kerala)

Works at. Kundara (Kerala) Hirakud (Orissa)

Managing Agents:

Seshasayee Brothers (Trav) Private Limited

दो प्रधान मंत्री भारत तथा बर्मा

मणिपुर

घरेलू इस्तेमाल के हथकर्घे के वस्त्र

शुद्ध मणिपुरी उत्पादन की ही मांग कीजिये

मणिपुर प्रशासन द्वारा प्रचारित

समृद्धि के
पथ पर
बंबई राज्य
द्वितीय पंचवर्षीय योजना
१) अनाज का उत्पादन १,८५,००० टनों से बढ़ गया है
हमें अधिक श्रम करके अपने लक्ष्यों से
अधिक कार्य करना चाहिये.
DIRECPUB

आप चाहे कितना ही घूमे हों
फिर भी
विभिन्न आकर्षणों वाले
इस विस्तृत देश में
जानने और देखने योग्य
बहुत कुछ है

भारत सरकार के
पर्यटन विभाग के
कार्यालय—
न्यूयार्क. लंदन.
सान फ्रांसिसको.
मेलबर्न. कोलम्बो.
कलकत्ता. दिल्ली.
बंगलौर. आगरा.
जयपुर. औरंगाबाद.
मद्रास. बम्बई.
भोपाल. वाराणसी.
कोचीन. दार्जिलिंग.

पर्यटन विभाग
परिवहन तथा संचार
मंत्रालय नई दिल्ली

DA-58/335